

अभिकर्ता मैन्युअल



अभिकर्ता विभाग, प्रधान कार्यालय

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

एवं

भारत के साधारण बीमा उद्योग के बारे में रोचक तथ्य

न्यू इन्डिया एश्योरन्स में कभी सूर्यास्त नहीं होता क्योंकि
विश्वभर के 28 देशों में इसकी उपस्थिति है
और दिनभर में कोई न कोई कार्यालय खुला रहता ही है ।

- ❖ यह 1920 में विदेश में अपना परिचालन आरंभ करने वाले पहले भारतीय बीमाकर्ता है । परिचालन के दूसरे वर्ष में ही जब संचार का सबसे तेज माध्यम टेलीग्राम था, न्यू इन्डिया ने अपनी पहली शाखा लंदन और न्यू यॉर्क शाखा खोली ।
- ❖ न्यू इन्डिया भारत का पहला बीमाकर्ता है जिसने देशीय एयरलाइन का बीमा (1946 में) किया । विमानन बीमा कारोबार में न्यू इन्डिया ने 1920 में कदम रखा और जब श्री जे. आर. डी. टाटा ने 1932 में अपने छोटे से जहाज में एक उड़ान भरी थी जिसमें कराची से मुंबई तक डाक ले जायी जा रही थी, तब न्यू इन्डिया ने ही उनके हवाई जहाज का बीमा किया था ।
- ❖ पहले भारतीय सैटलाईट का 1961 में बीमा न्यू इन्डिया ने ही किया था ।
- ❖ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ करानेवाला पहला भारतीय बीमाकर्ता है ।
- ❖ भारतीय नौवहन बेड़े का पोतकाय बीमा करानेवाला यह पहला भारतीय बीमाकर्ता है ।
- ❖ यह भारत में इंजीनियरिंग बीमा विभाग स्थापित करनेवाला पहला भारतीय बीमाकर्ता है ।
- ❖ न्यू इन्डिया का प्रथम लोगो 1919 में भारतीय उपमहाद्वीप में देश की पूरी राजनीतिक सीमा को दर्शाती है, न्यू इन्डिया का लोगो भारत के आरंभिक दिनों में भारत के नक्शे का प्रतिबिंब है । राष्ट्र की प्रगति की भावना को दर्शाते हुए न्यू इन्डिया का लोगो भी साथ-साथ बदलता रहा है ।



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190
सी.आई.एन. संख्या / CIN No. : L66000MH1919GOI000526
यू.आई.एन. संख्या / UIN No. : IRDAN190P0046V01100001

अभिकर्ता मैन्युअल

Agent's Manual

अभिकर्ता विभाग / AGENCY DEPARTMENT

प्रधान कार्यालय / Head Office

न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

दूरभाष / Tel. : 91+22+22708100 / 22708400

वेबसाईट / website : <http://newindia.co.in>

टोल फ्री क्र. / Toll Free No. : 1800-209-1415

(निजी वितरण हेतु / For Private Circulation Only)

प्रधान कार्यालय में अभिकर्ता विभाग की टीम

श्री आर. एम. सिंह

महाप्रबंधक

❖❖❖

श्री पी. एस. अरोड़ा

उप महाप्रबंधक

❖❖❖

डॉ. चंद्रकांत खन्नी

मुख्य प्रबंधक

❖❖❖

सुश्री दमयंती डी. गभाले

उप प्रबंधक

❖❖❖

श्री किरण येले

प्रशासनिक अधिकारी

❖❖❖

श्रीमती शुभदा भोगले

प्रशासनिक अधिकारी

❖❖❖

श्रीमती मनाली म्हात्रे

प्रशासनिक अधिकारी

❖❖❖

श्री विठोवा सावंत

सहायक

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का संदेश	5
हमारे महाप्रबंधक का संदेश	6
हमारे उप महाप्रबंधक का संदेश	7
हमारे मुख्य प्रबंधक का संदेश	8
एजेंट पोर्टल सुलभता	9
एजेंट क्लब हितलाभ योजना	11
एजेंट प्रोत्साहन योजनाएँ	14
अग्रिम बीमा आवरण	16
मरीन बीमा आवरण	35
मोटर बीमा आवरण	38
इंजीनियरिंग बीमा आवरण	62
डुर्घटना बीमा आवरण	101
पैकेज बीमा आवरण	114
विविध बीमा आवरण	134
वायित्व बीमा आवरण	138
स्वास्थ्य बीमा आवरण	141
ग्रामीण बीमा आवरण	172

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

एक झलक

पंजीकृत कार्यालय	:	न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001.
वेबसाईट	:	www.newindia.co.in
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री अतुल सहाय
कार्मिकों की संख्या (31.03.2019 को)	:	17,880
संगठन की संरचना (31.03.2019 को)	:	

(ए)	देशीय	कार्यालय प्रकार	संख्या
		क्षेत्रीय कार्यालय	31
		बृहत कॉर्पोरेट कार्यालय तथा ब्रोकर कार्यालय	07
		मंडल कार्यालय	460
		शाखा कार्यालय	603
		प्रत्यक्ष एजेंट शाखा	27
		माइक्रो कार्यालय	1341
(बी)	विदेशी	कार्यालय प्रकार	संख्या
		शाखा कार्यालय	19
		एजेंसी कार्यालय	07
		एसोसिएट कंपनी	01
		सहयोगी कंपनियां	08
		प्रतिनिधि कार्यालय	01

वित्तीय परिणाम :

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	(रु. करोड़ में)
सकल वैधिक प्रीमियम	28,017
निवल मूल्य	38,022
सॉल्वन्सी अनुपात	2.13 गुना
कुल परिसंपत्तियाँ	69,074

24x7 टोल फ्री नंबर 1800-209-1415

हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय साथियों,



सर्वप्रथम कंपनी के सभी अभिकर्ताओं को हमारे व्यवसाय का सबसे बड़ा सहभागी होने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच पिछले वर्ष कंपनी ने 1.4% से अधिक मार्केट शेयर के साथ बाजार के लीडर होने का गौरव बनाए रखा है। बीमा उद्योग के विकास के साथ पिछले दशक में कई वितरण चैनल भी आ गए हैं परंतु मुझे सूचित कर प्रसन्नता हो रही है कि आज भी कंपनी की घरेलू प्रीमियम आय का 42% से अधिक एजेंटी चैनल के माध्यम से आता है तथा यह व्यवसाय लगातार लाभप्रद व्यवसाय है। इस अवसर पर मैं सभी एजेंट्स को उनके योगदान, सहयोग एवं सेवा के लिए धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ जिसके फलस्वरूप न्यू इन्डिया की ब्रांड छवि बनी है तथा कंपनी चार दशकों से मार्केट लीडर है।

आर्थिक विकास दर की संभावित मजबूती के चलते आने वाले पाँच वर्षों में सामान्य बीमा क्षेत्र में 15-20% दर से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संवृद्धि का पूर्वानुमान है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, हमारे लिए एक साथ काम करने और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘‘ग्राहकों की प्रसन्नता’’ के उद्देश्य से बीमा समाधान एवं वांछित सेवा प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे समाज में बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है, जो कि विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

आज बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है एवं खुदरा व्यवसाय में पर्याप्त विकास की संभावना है। अधिकांश एजेंट्स मोटर तथा स्वास्थ्य बीमा पर ध्यान केन्द्रित करते हैं परन्तु अन्य पॉलिसियाँ जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना, विद्यार्थी बीमा, दुकानदार, हाउसहोल्डर, गृह सुविधा, कर्मकार क्षतिपूर्ति तथा पैकेज पॉलिसियाँ, जिनमें प्रतिस्पर्धा एवं क्षति अनुपात कम है, आसानी से बेची जा सकती हैं। यह आवश्यक है कि इन उत्पादों के लिए जागरूकता पैदा कर अपने मौजूदा ग्राहकों को भी इन्हें बेचने का प्रयास किया जाए।

आई टी सक्षम समाधानों के साथ एजेंटों के पोर्टल, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन को बढ़ावा देकर और उत्पाद और तकनीकी ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण द्वारा एजेंट्स को सक्षम बनाया जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग का ऑटोमेशन होने जा रहा है एवं सर्वेक्षक नियुक्ति भी स्वचलित होगी। यह सब से दावा निपटान के लिए समय को कम करने की उम्मीद है और ग्राहक के अनुभव में सुधार होगा।

एजन्सी विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों की जानकारी एवं प्रीमियम दर की त्वरित जानकारी के लिए मैन्युअल अंग्रेजी एवं हिन्दी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मैन्युअल व्यवसाय को बढ़ाने एवं ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

सदैव कि भाँति भविष्य में भी आप सबकी सक्रिय भागीदारी की आशा के साथ आप सबके उज्ज्वल भविष्य कि कामना करता हूँ।

अतुल सहाय

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



हमारे महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय एजेंटों,

मुझे आपके समक्ष एजेंट मैन्युअल को प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है जिसे मेरे विभाग ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। एजेंसी विकास की आज के समय में कितनी आवश्यकता है यह दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारी कंपनी की सभी व्यवसाय विकास नीतियों में एजेंसी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। कंपनी की ही तरह न्यू इन्डिया का एजेंसी फोर्स भी मार्किट में सर्वोत्तम है।

तथा हमारे खुदरा प्रीमियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। मित्रों, भविष्य खुदरा व्यवसाय में ही है और इस संदर्भ में उसका समानार्थी है “एजेंसी”। एजेंसी फोर्स को मजबूत करने के लिए हमने निम्न कदम उठाये हैं :

1. एजेंटों के साथ हर पंद्रह दिन में बैठकें और उनका ज्ञान तथा कौशल बढ़ाने हेतु उत्पाद प्रशिक्षण।
2. प्रत्येक परिचालन कार्यालय द्वारा कम-से-कम 20 एजेंट नियुक्त करने का वार्षिक लक्ष्य तय करना।
3. तकनीक के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी अर्थात् एजेंट पोर्टल एवं ऐप।
4. प्रत्येक महीने के पहले सोमवार को ‘एजेंट दिवस’ मनाना।

कंपनी को मार्किट में अपने नेतृत्व को जारी रखने के लिए व्यवसाय विकास के उद्देश्य से खुदरा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना होगा क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादों के साथ खुदरा क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा खुदरा अर्थात् रिटेल व्यवसाय अत्यधिक लाभदायी भी है। वित्त वर्ष 2017-18 में एजेंसी चैनेल का उपगत दावा अनुपात 61% था जिसने हमेशा की तरह कंपनी के लाभ में योगदान दिया है।

सभी प्रकार के रिटेल कारोबार के लिए सबसे प्रभावी मार्केटिंग चैनेल एजेंसी ही है क्योंकि ग्राहक हमेशा उपलब्ध व्यक्तिगत रूप से दी जा रही सेवाओं की अपेक्षा करते हैं। सहज ही है कि जिस कंपनी में सबसे बड़ी और सबसे सक्षम एजेंसी फोर्स होगी बेशक वही कंपनी आनेवाले दिनों में अधिकतम व्यवसाय ग्रहण करेगी और वही व्यवसाय तथा लाभ में लीडर रहेगी।

हमें चाहिए कि हम बड़ी संख्या में एजेंसी फोर्स को नियुक्त करें, उसे बढ़ाएँ और साथ-साथ उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण भी दें। एक मजबूत एजेंसी फोर्स ही “ग्राहक हितकारी कंपनी” की हमारी ब्रांड छवि को सुदृढ़ बना सकेगा। हमारे करोड़ों खुदरा ग्राहकों की देखभाल एवं उन तक पहुँचना केवल हमारे एजेंसी फोर्स की व्यक्तिगत रूप से दी जा रही सेवाओं के जरिए ही संभव हो सकता है। एजेंसी पोर्टल और ऐप का अधिकाधिक उपयोग एजेंटों को शीघ्र सेवा प्रदान करने में मदद करेगा और उन्हें अपनी उत्पादकता तथा क्षमता बढ़ाने में सहायता होगा।

हमारे प्रिय अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी मजबूत एजेंसी फोर्स मददगार होगी जैसे उत्तम गुणवत्ता की ग्राहक सेवा, बीमालेखन लाभ और फुटकर क्षेत्र में मार्केट प्रभुत्व।

शुभकामनाओं के साथ,

आर. एम. सिंह
महाप्रबंधक

हमारे उप महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय एजेंट साथियों,

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एजेंसी विभाग द्वारा एजेंसी मैन्युअल का हिन्दी रूपांतर प्रकाशित किया जा रहा है जो हमारी कंपनी के सभी एजेंटों विशेष रूप से हिन्दी क्षेत्र में कार्य करने वाले एजेंटों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ।

एजेंसी चैनल कंपनी के लिए व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैनल है । सकल घरेलू प्रीमियम में एजेंसी का लगभग 42% योगदान है जिसके परिणामस्वरूप यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है । अतः इस विभाग में समग्र विकास के लिए और अधिक प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करना होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एजेंसी विभाग तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे कि क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर का समन्वयन अधिकारी, सहायक प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर का नामित अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर का नोडल अधिकारी और मण्डल / शाखा कार्यालय स्तर पर एजेंसी विभाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एजेंट प्रबंधक कार्यरत है ।

हमारे एजेंट प्रबंधक एजेंटों के प्रभावी कामकाज और बेहतर कार्यनिष्ठादान के लिए एजेंटों के ज्ञानवर्धन, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो उन्हें ग्राहकों को शीघ्र सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाता है ।

निश्चित रूप से हमारे पूरे एजेंसी विभाग ने इस एजेंट मैन्युअल को सटीकता के साथ लाने में सराहनीय प्रयास किया और इसमें विभिन्न साधारण बीमा उत्पादों को और अधिक प्रासंगिक और अद्यतन विवरणों को शामिल किया है जो हमारे एजेंट को उत्पाद की अद्यतन जानकारी देने और उन्हें हमारे ग्राहकों को गुणवत्ता सेवा प्रदान करने में सक्षम करेगा ।

हमारी कंपनी ने एजेंट पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिटेल व्यवसाय में पैठ बनाने और उसे बढ़ाने की पहल की है जो एजेंटों को एजेंट पोर्टल के माध्यम से 24X7 आधार पर पॉलिसी जारी करने में सक्षम बनाएगा । इससे हमारे ग्राहकों में अत्यधिक संतुष्टि के लिए सेवाओं का विस्तार होगा ।

हमारे एजेंटों के लाभ के लिए कंपनी ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ / क्लब लाभ प्रारंभ किए हैं और उनकी सेवाओं को उचित मान्यता देने के लिए हम नियमित आधार पर पुरस्कार दे रहे हैं ।

मुझे अपने एजेंटों द्वारा एजेंसी विभाग को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने में किए गए अच्छे प्रयासों को स्वीकार करने में खुशी है ।

मैं सदैव आपकी सफलता की कामना करता हूँ ।

सादर,

पी. एस. अरोड़ा
उप महाप्रबंधक





हमारे मुख्य प्रबंधक का संदेश

मेरे प्रिय व्यवसाय साथियों,

इस महान कंपनी के साथ जुड़े रहने में मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से भी हर एक के मन में यही भावना होगी। आप सभी धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं, वह सिर्फ इसलिए नहीं कि कंपनी की प्रीमियम आय में प्रमुख हिस्सा आपका है बल्कि इसलिए भी कि आपने न्यू इन्डिया की ब्राण्ड इमेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हम प्रधान कार्यालय में बैठकर भी उन चुनौतियों को समझ सकते हैं जिनका आप मार्किट में सामना करते हैं और इसलिए हम निरंतर सुधारात्मक कदम उठाते हैं ताकि आप उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें।

चूँकि हम “आशासन” को बेचने के व्यवसाय में हैं, ग्राहकों का हम पर विश्वास होना आवश्यक है और उस विश्वास को ग्राहकों से प्राप्त करने के लिए आपको अत्यंत पारदर्शी रहना होगा। एक सफल एजेंट होने के लिए कई विशेषताओं और विषयन कौशल्य के अलावा उत्पाद का गहन ज्ञान आवश्यक है और ग्राहकों को तुरंत ‘कोट मूल्य’ उपलब्ध करवाने में सक्षम होना जरूरी है। यह “एजेंट मैन्युअल” सबसे आम खुदरा उत्पादों पर आपका ज्ञान अद्यतन रखने और ग्राहकों को तत्काल दर बताने में आपको सक्षम बनाने हेतु तैयार किया गया है।

हमारे साथ आपके सहयोग की हम एहमियत रखते हैं और आपसे निरंतर मिलनेवाला फीडबैक हमें लगातार सुधार करने हेतु कदम उठाने में मदद करता है। हमें आशा है कि यह मैन्युअल व्यवसाय बढ़ाने में और ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं के साथ,

सादर,

चंद्रकांत खत्री
मुख्य प्रबंधक

एजेंट पोर्टल तथा न्यू इन्डिया एजेंट ऐप

कंपनी ने 2017-18 के दौरान लगभग 23000 एजेंटों को एजेंट पोर्टल उपलब्ध करवाया और एजेंट पोर्टल के जरिए 29.29 लाख पॉलिसियाँ जारी की गयी जिनसे रु. 1697 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त हुआ । एजेंट कहीं से भी (24x7) ऑन लाइन पॉलिसियाँ जारी कर सकते हैं और हस्ताक्षरित पॉलिसियाँ तत्काल सुपुर्द भी कर सकते हैं जिसमें काफी समय बचता है । कई रिपोर्ट; जैसे प्रीमियम रजिस्टर, कमीशन बिल, पेइंग स्लिप, एपीडी बैलेंस, बकाया नवीकरण और भूले हुए नवीकरण तुरंत देखे जा सकते हैं ।

सुधारित न्यू इन्डिया एजेंट ऐप को एन्ड्रोइड तथा विन्डोज स्मार्टफोन में ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । प्रत्येक एजेंट को एजेंट पोर्टल की उपलब्धता प्राप्त करनी चाहिए । उसी उपलब्धता के जरिए उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से एजेंट ऐप भी पाया जा सकता है । ऐप के नए पहलु नीचे दिये जा रहे हैं :

1. अद्यतन एजेंट प्रोफाइल

- प्रयोगकर्ता प्रोफाइल विवरण जैसे नाम, पता, पिनकोड, टेलीफोन क्रमांक, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और शाखा कोड देख सकता है ।
- प्रयोगकर्ता केवल मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को बदल सकता है ।

2. पॉलिसी / कोट प्रबंधन

- प्रयोगकर्ता केवल सहयोगी पॉलिसियों, नए कोट तथा नवीकरण कोट की खोज (सर्च) कर सकता है ।
- खोज के परिणामस्वरूप प्रयोगकर्ता उचित कार्यवाही कर सकने में सक्षम है जैसे कोट में बदलाव, प्रीमियम प्राप्त करना, पॉलिसी देखना आदि ।
- प्रयोगकर्ता 3 चरणों में तत्काल नवीकरण कर सकते हैं ।
- खोज की गयी पॉलिसी के बारे में प्रयोगकर्ता दावा दर्ज कर सकता है ।

3. दावों का प्रबंधन

- प्रयोगकर्ता पॉलिसी / दावा क्रमांक से अपने दावा विवरण खोज सकता है ।
- दावा स्थिति की जांच - प्रयोगकर्ता दावा विवरणों के साथ - साथ दावे की स्थिति भी देख सकता है (संबंधित एजेंसी के तहत पॉलिसियाँ / दावे) ।
- दावा विवरणों के तहत दावा दस्तावेज अपलोड करना और विकल्प देखना आदि उपलब्ध है ।

4. मुलाकातों का कैलेंडर

- प्रयोगकर्ता संबंधित तिथि को निश्चित मुलाकातों को नोट कर सकता है ।
- प्रयोगकर्ता निर्धारित तारीख की मुलाकातों को देख सकता है ।
- प्रयोगकर्ता अनुस्मारक तय कर सकता है ।

5. ग्राहक

- एजेंट संभाव्य ग्राहक के विवरण नोट कर सकता है । संभाव्य ग्राहक का प्रबंधन सीआरएम मोड्यूल के तहत किया जा सकता है ।

- ग्राहक के विवरण निम्न आधार पर खोजे और बदले जा सकते हैं।

- ❖ ग्राहक आईडी
- ❖ मोबाइल क्रमांक
- ❖ प्रथम नाम
- ❖ अंतिम नाम
- ❖ ई-मेल आईडी

6. प्रदर्शक

प्रयोगकर्ता पिनकोड़, शहर और क्षेत्र के आधार पर पूरे विवरण खोज सकता है।

- एनआईए शाखा
- पीपीएन अस्पताल
- कैशलेस गराज

7. संबंधित एलओबी के तहत निम्न उत्पादों से संबंधित उत्पाद की महत्वपूर्ण जानकारी तथा उत्पाद ब्रोशर दिये गये हैं।

मोटर

- दुपहिया (टीडब्ल्यू)
- निझी कार (पीसी)

स्वास्थ्य

- आशा किरण
- न्यू इन्डिया मेडिक्लेम 2012
- यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा
- न्यू कैमिली फ्लोटर 2012
- न्यू इन्डिया फ्लोटर मेडिक्लेम
- न्यू इन्डिया टॉप-अप मेडिक्लेम

समुद्रपारीय (ओवरसीज)

- समुद्रपारीय मेडिक्लेम (बिजनेस और हॉलिडे)
- समुद्रपारीय मेडिक्लेम (ईएस)

विविध

- वैयक्तिक दुर्घटना (पीयू)
- वैयक्तिक दुर्घटना (मृत्यु तथा पीटीडी)

8. एजेंट एपीडी बकाए का प्रदर्शन

- लॉगड इन किये गये प्रयोगकर्ता अपना एपीडी में उपलब्ध बकाया डैशबोर्ड पर देख सकता है।

कलब हितलाभ योजना 2018 - 2019

योजना 2018 - 19 के लिए पात्रता मापदंड

1. केवल कार्यरत व्यक्तिगत एजेंट इस योजना लिए पात्र माना जाएगा (इस बात को शाखा कार्यालय / मंडल कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जाये)
2. व्यक्तिगत एजेंट को कम-से-कम 75% एजेंट बैठकों में उपस्थित रहना होगा ।
3. एजेंट को कलब हितलाभ लेने हेतु प्रत्यक्ष उपस्थित रहना होगा ।
4. पोटर डीलर्स प्रस्तावित योजना का हिस्सा नहीं बन सकते ।
5. पात्रता हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 3 लाख होना चाहिए ।
6. पिछले वित्तीय वर्ष का समायोजित उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) 75% से अधिक नहीं होना चाहिए (प्रत्येक उपगत दावे की कैप रु. 4 लाख तक ही होनी चाहिए)
7. न्यू इन्डिया के बीच व्यवसाय के अंतरण को वृद्धि / पात्रता में गिना नहीं जायेगा ।

योजना के लिए स्कोर पद्धति

मूल्यांकन मापदंड	अधिकतम अंक	अपेक्षित कार्यनिष्ठादान
प्रीमियम (लाख में)	35	35
उपगत दावा अनुपात (%)	30	45%
अभिवृद्धि (%)	35	50%

प्रीमियम -

प्रीमियम के मामले में @ प्रति एक लाख के लिए 1 अंक दिया जायेगा - अधिकतम 35 अंक

उपगत दावा अनुपात -

- यदि आईसीआर 45 % से अधिक हो तो 30 अंक में से आईसीआर के प्रत्येक 1% के लिए 1 अंक काटा जायेगा । आईसीआर 75% से अधिक होने पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा, प्रत्येक एकल दावे पर रु. 4 लाख का कैप होगा ।

अभिवृद्धि -

- क. यदि अभिवृद्धि 15% से अधिक हो तो अभिवृद्धि के प्रत्येक 1% के लिए 1 अंक दिया जायेगा बशर्ते पिछले वर्ष का प्रीमियम आधार रु. 1 करोड़ तक ।
- ख. प्रत्येक 1% अभिवृद्धि के लिए, 1.25 अंक दिये जायेंगे यदि प्रीमियम आधार > 1 करोड़ और < 1.75 करोड़ हो ।
- ग. प्रत्येक 1% अभिवृद्धि के लिए, 1.50 अंक दिये जायेंगे यदि प्रीमियम आधार > 1.75 करोड़ और < 2.50 करोड़ हो ।
- घ. प्रत्येक 1% अभिवृद्धि के लिए, 1.75 अंक दिये जायेंगे यदि प्रीमियम आधार 2.50 करोड़ और उससे अधिक हो ।

अधिकतम 35 अंक (नोट :- पिछले वित्तीय वर्ष की उसी परिचालन अवधि के आधार पर अभिवृद्धि के लिए अंकों की गणना की जायेगी) । एजेंटों को सभी तीनों मापदंडों के अंक जोड़ते हुए प्राप्त समग्र अंकों के आधार पर कलबों में शामिल किया जायेगा ।

स्कोर / प्रीमियम पर आधारित क्लब श्रेणियाँ

निम्नलिखित 5 क्लब श्रेणियाँ हैं :

1. सीएमडी क्लब :- 90 अंकों से अधिक

निष्पादन वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 50 लाख के अध्याधीन । सभी एजेंट जिन्होंने निष्पादन वर्ष में रु. 4 करोड़ या उससे अधिक प्रीमियम प्राप्त किया है वे सभी सीएमडी क्लब के लिए पात्र माने जायेंगे । फिर चाहे पात्रता मानदंडों के अधीन उन्होंने कितने ही अंक अर्जित किये हों ।

2. जीएम क्लब :- 80 से अधिक और 90 अंकों तक

निष्पादन वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 40 लाख के अध्याधीन । सभी एजेंट जिन्होंने निष्पादन वर्ष में रु. 2 करोड़ या उससे अधिक प्रीमियम प्राप्त किया है वे सभी जीएम क्लब के लिए पात्र माने जायेंगे । फिर चाहे पात्रता मानदंडों के अधीन उन्होंने कितने ही अंक अर्जित किये हों ।

3. आरआई क्लब :- 70 से अधिक और 80 अंकों तक

निष्पादन वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 30 लाख के अध्याधीन । सभी एजेंट जिन्होंने निष्पादन वर्ष में रु. 1 करोड़ या उससे अधिक प्रीमियम प्राप्त किया है वे सभी आरआई क्लब के लिए पात्र माने जायेंगे । फिर चाहे पात्रता मानदंडों के अधीन उन्होंने कितने ही अंक अर्जित किये हों ।

4. डीएम क्लब :- 60 से अधिक और 70 अंकों तक

निष्पादन वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 20 लाख के अध्याधीन । सभी एजेंट जिन्होंने निष्पादन वर्ष में रु. 50 लाख या उससे अधिक प्रीमियम प्राप्त किया है वे सभी डीएम क्लब के लिए पात्र माने जायेंगे । फिर चाहे पात्रता मानदंडों के अधीन उन्होंने कितने ही अंक अर्जित किये हों ।

5. बीएम क्लब :- 50 से अधिक और 60 अंकों तक

निष्पादन वर्ष में न्यूनतम प्रीमियम रु. 3 लाख के अध्याधीन । सभी एजेंट जिन्होंने निष्पादन वर्ष में रु. 25 लाख या उससे अधिक प्रीमियम प्राप्त किया है वे सभी बीएम क्लब के लिए पात्र माने जायेंगे । फिर चाहे पात्रता मानदंडों के अधीन उन्होंने कितने ही अंक अर्जित किये हों ।

विभिन्न क्लबों के लिए हितलाभ

सीएमडी क्लब		जीएम क्लब	
राष्ट्रीय / अंचल सम्मेलन	15000	क्षेत्रीय कार्यालय सम्मेलन में गौरव	3000
परिवार के साथ देशीय सैर	30000	भारत में सैर	20000
क्षेत्रीय कार्यालय सम्मेलन में गौरव	3000	बीमा प्रतिपूर्ति	7000
बीमा प्रतिपूर्ति	10000	कार्यालय संबंधित मद्दें	20000
कार्यालय संबंधित मद्दें	42000	प्रशंसा प्रमाणपत्र लगभग	रु. 50000
प्रशंसा प्रमाणपत्र लगभग	रु. 100000		

आरआई क्लब		डीएम क्लब	
क्षेत्रीय कार्यालय सम्मेलन में गौरव	3000	क्षेत्रीय कार्यालय सम्मेलन में गौरव	3000
परिवार के साथ देशीय सैर	10000	बीमा प्रतिपूर्ति	3000
बीमा प्रतिपूर्ति	4000	कार्यालय संबंधित मद्दें	14000
कार्यालय संबंधित मद्दें	13000	प्रशंसा प्रमाणपत्र लगभग	रु. 20000
प्रशंसा प्रमाणपत्र लगभग	रु. 30000		

बीएम क्लब		
क्षेत्रीय कार्यालय सम्मेलन में गौरव	3000	1. देशीय सैर के बजट को नए दुपहिया / चौपहिया / कार्यालय संबंधित मद्दें खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।
बीमा प्रतिपूर्ति	2000	2. बीमा प्रतिपूर्ति को एजेंट साधारण बीमा पॉलिसी के लिए की जा सकती है जैसे मेडिक्लेम, पीए, एचएचआई, पोटर वाहन आदि ।
कार्यालय संबंधित मद्दें	5000	3. उक्त लाभों का उपयोग वित्त वर्ष के 31 मार्च से पहले किया जाना चाहिए ।
प्रशंसा प्रमाणपत्र लगभग	रु. 10000	

व्यक्तिगत एजेंटों के लिए पुरस्कार / प्रोत्साहन योजनाएँ (01.06.2018 से लागू)

पुरस्कार दो बड़े भागों के तहत होंगे - स्वास्थ्य और गैर-स्वास्थ्य पुरस्कार के लिए 4 अलग-अलग योजनाएँ होंगी (1) स्वास्थ्य, (2) मोटर, (3) विविध व्यवसाय और (4) अग्नि, इंजीनियरी तथा मरीन कार्गो व्यवसाय।

(1) स्वास्थ्य में प्रोत्साहन / पुरस्कार योजना

पात्रता मापदंड और पुरस्कार

मापदंड	प्रोत्साहन / पुरस्कार
45 वर्ष से कम आयु के बीमित व्यक्तियों की सभी पॉलिसियों पर प्रीमियम	कुल प्रीमियम का 8%
45 से 55 वर्ष के बीच आयु के बीमित व्यक्तियों की सभी पॉलिसियों पर प्रीमियम	कुल प्रीमियम का 5%

50 वर्ष से कम उम्र वालों की नयी पॉलिसियों पर अतिरिक्त पुरस्कार ।

फरवरी माह के दौरान अर्जित नया प्रीमियम	प्रोत्साहन / पुरस्कार (मासिक)
रु. 50,000/- तक	प्रीमियम का 1%
रु. 50,000/- से अधिक और रु. 1 लाख तक	प्रीमियम का 2%
रु. 1 लाख से अधिक परंतु रु. 2 लाख से कम	प्रीमियम का 3%
रु. 2 लाख से अधिक परंतु रु. 3 लाख से कम	प्रीमियम का 4%
रु. 3 लाख से अधिक परंतु रु. 4 लाख से कम	बाली की विदेश यात्रा जो रु. 30,000 होगी या नकद पुरस्कार
रु. 4 लाख से अधिक परंतु रु. 5 लाख से कम	मॉरिशस की विदेश यात्रा जो रु. 40,000 होगी या नकद पुरस्कार
रु. 5 लाख से अधिक	मलेशिया की विदेश यात्रा जो रु. 50,000 होगी या नकद पुरस्कार

नयी पॉलिसियों में वे सभी पॉलिसियाँ होंगी जो न्यू इन्डिया के रिटेल स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य पॉलिसियाँ होंगी । नयी पॉलिसियों के लिए कोई न्यूनतम संरच्चा का मापदंड नहीं है ।

(2) मोटर में प्रोत्साहन / पुरस्कार

(मोटर व्यवसाय में मोटर डीलर से प्राप्त व्यवसाय शामिल नहीं है)

(i) विद्यमान एजेंटों के लिए पात्रता

(A) मोटर पैकेज पॉलिसियों पर पात्रता मापदंड और पुरस्कार

माह के लिए प्रीमियम संरचना (पिछला वर्ष)	माह के लिए पैकेज पॉलिसी प्रीमियम पर अभिवृद्धि	प्रोत्साहन / पुरस्कार (मासिक)
3 लाख से कम	10% या अधिक परंतु 18% से कम	पैकेज पॉलिसी प्रीमियम का 2%
रु. 3 से 8 लाख	8% या अधिक परंतु 15% से कम	
रु. 8 लाख से अधिक	5% या अधिक परंतु 12% से कम	
3 लाख से कम	18% या अधिक परंतु 25% से कम	पैकेज पॉलिसी प्रीमियम का 3%
रु. 3 से 8 लाख	15% या अधिक परंतु 20% से कम	
रु. 8 लाख से अधिक	12% या अधिक परंतु 18% से कम	
3 लाख से कम	25% या अधिक	पैकेज पॉलिसी प्रीमियम का 4%
रु. 3 से 8 लाख	20% या अधिक	
रु. 8 लाख से अधिक	18% या अधिक	

(B) स्टैंडेलोन मोटर टीपी पॉलिसियों पर पात्रता मापदंड और पुरस्कार

माह के लिए स्टैंडेलोन टीपी प्रीमियम पर अभिवृद्धि	प्रोत्साहन / पुरस्कार (मासिक)
10% या अधिक परंतु 15% से कम	केवल दायित्व प्रीमियम का 1%
15% या अधिक परंतु 20% से कम	केवल दायित्व प्रीमियम का 1.25%
20% या अधिक	केवल दायित्व प्रीमियम का 1.5%

न्यू इन्डिया के नवीकरण जो एजेंट के अपने कोड के नवीकरण नहीं हैं उन्हें अंतरित व्यवसाय माना जाएगा और वृद्धि की पात्रता स्थिति में तथा प्रोत्साहन के भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा । न्यू इन्डिया के नवीकरण जो 30 दिन या उससे अधिक अवधि के अंतराल के बाद किसी दूसरे एजेंट द्वारा किए गये हों उन्हें नया व्यवसाय माना जायेगा तथा उसे अंतरित व्यवसाय नहीं समझा जायेगा ।

(ii) नये एजेंटों के लिए पात्रता

नये एजेंट और वे एजेंट जिनका पिछले वर्ष में उसी समयावधि का कोई बेस प्रीमियम नहीं है, उनके लिए मापदंड होगा न्यूनतम 30 पॉलिसियाँ जिनमें से कम-से-कम 10 पॉलिसियाँ उस माह की पैकेज पॉलिसियाँ होनी चाहिए । इस प्रकार से पात्र एजेंटों के लिए प्रोत्साहन होगा मोटर पैकेज पॉलिसी प्रीमियम का 3% और स्टैंडेलोन टीपी प्रीमियम का 1% । वृद्धि मानदंड के आधार पर एजेंट क्रमशः न्यूनतम 10 पैकेज या 20 स्टैन्डअलोन तृतीय पक्ष पॉलिसी पर रिवॉर्ड के लिए पात्र होंगे ।

(3) विविध व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन / पुरस्कार योजना

यह योजना विविध विभाग के कोड 36,42,46 तथा 48 के तहत नवीकरणों और नयी पॉलिसियों के लिए लागू है । न्यू इन्डिया के नवीकरण जो एजेंट के अपने कोड के नवीकरण नहीं है उन्हें अंतरित व्यवसाय माना जाएगा और वृद्धि पात्रता स्थिति तथा प्रोत्साहन की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

पात्रता मापदंड और पुरस्कार

माह के लिए कुल विविध प्रीमियम पर अभिवृद्धि	प्रोत्साहन / पुरस्कार
10% या अधिक परंतु 20% से कम	2% कुल प्रीमियम का
20% या अधिक परंतु 30% से कम	3% कुल प्रीमियम का
30% या अधिक	4% कुल प्रीमियम का

नये एजेंटों / एजेंट के लिए जिनका पिछले वर्ष का कोई बेस प्रीमियम नहीं है उनके लिए माह में पात्र बनने हेतु रु. 30,000/- प्रीमियम प्राप्त करना होगा तथा उन्हें देय प्रोत्साहन विविध विभाग कोड 42,36,46,48 में कुल प्रीमियम का 3% होगा ।

(4) अग्नि, इंजीनियरिंग तथा मरीन कार्गो के लिए योजना

यह योजना अग्नि, इंजीनियरिंग तथा मरीन कार्गो (विभाग कोड 11, 44 और 21) के नवीकरणों और नयी पॉलिसियों के लिए लागू होगा ।

पात्रता मापदंड और पुरस्कार

माह के लिए प्रीमियम पर अभिवृद्धि	प्रोत्साहन / पुरस्कार (मासिक)
10% या अधिक परंतु 20% से कम	2% कुल प्रीमियम का
20% या अधिक परंतु 30% से कम	3% कुल प्रीमियम का
30% या अधिक	4% कुल प्रीमियम का

नये एजेंटों / एजेंट के लिए जिनका पिछले वर्ष में उसी समयावधि में कोई बेस प्रीमियम नहीं है उनके लिए माह में पात्रता हेतु रु. 30,000/- का प्रीमियम प्राप्त करना आवश्यक है तथा उन्हें देय प्रोत्साहन विभाग कोड 11,44 तथा 21 में कुल प्रीमियम का 3% होगा ।

बैंकाश्योरंस, कॉर्पोरेट एजेंसी को सेवा देनेवाले एजेंटों को आऊट ऑफ पॉकेट खर्च देय होगा :- एकत्रित कुल प्रीमियम का 5%

पोर्टल व्यय :- प्रीमियम का 3% या रु. 65/- प्रति पॉलिसी, इनमें से जो भी कम हो ।

आग्नि बीमा आवरण

अग्नि बीमा

आवरण :

यह पॉलिसी आवास, कार्यालयों, होटल, दुकानों और औद्योगिक निर्माण जोखिम और जनोपयोगी सेवाओं, टैंक फार्म्स/गैस होल्डर (औद्योगिक निर्माण इकाइयों के बाहर स्थित) के जोखिमों को आवरित करती है। केवल मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी पूर्वानुमति से “एड ऑन कवर” (यदि कोई हो तो) के साथ जारी की जा सकती है।

पॉलिसी कौन ले सकता है ?

कोई भी व्यक्ति / फर्म / संगठन / संस्था जिन्हें बीमायोग्य आपदाओं के कार्यरत होने से वित्तीय हानि हो सकती है वे ऐसी संपत्ति को अग्नि पॉलिसी के अंतर्गत बोग्यत कर सकते हैं। उन्हें मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. इमारत तथा अंतर्वस्तुओं, जैसे घर की सामग्री, फर्नीचर आदि के मालिक ।
2. दुकानदार ।
3. शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थान ।
4. होटल, बोर्डिंग तथा लॉजिंग, अस्पताल, क्लीनिक तथा सब प्रकार के सेवा - प्रदाता ।
5. औद्योगिक तथा निर्माणरत कार्य ।
6. गोदाम संभालनेवाले ।
7. बेली, लेसर, लेसी, बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, मोर्गेजर्स, मोर्गेजीस ।
8. स्टॉक के ट्रेडर ।
9. न्यासी, चैरिटेबल संस्थान ।
10. ट्रान्सपोर्टर तथा सी एंड एफ एजेंट ।

क्षेत्र - संपत्तियाँ जिन्हें आवरित किया जाता है :

भूमि पर स्थित प्रस्तावक की सभी चल / अचल संपत्तियाँ (पारवहन में है उन्हें छोड़कर) जिन्हें मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :

1. बिल्डिंग (स्लिंथ और नीव मिलाकर, यदि आवश्यक हो) :
 - यदि निर्माण कार्य पूरा हो या चल रहा हो (भूमि का मूल्य छोड़कर) ।
 - आंतरिक, विभाजन और विद्युतीय ।
2. संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण एवं उपसंसाधन (नीव को मिलाकर, यदि आवश्यक हों) :
 - सेकेंड हैंड खरीदा हुआ ।
 - नया खरीदा हुआ ।
 - अप्रचलित मशीनरी ।
3. स्टॉक :
 - कच्ची सामग्री ।
 - तैयार माल ।
 - प्रक्रियागत ।
 - थोक व्यापारी, निर्माणकर्ता और फुटकर व्यापारी के स्वामित्व का ट्रेड का स्टॉक ।
4. अन्य अंतर्वस्तुएँ जैसे :
 - फर्नीचर, फिक्सचर तथा फिटिंग्स ।
 - केबल, पाइपिंग ।
 - अतिरिक्त पुर्ज, औजार तथा भंडार ।
 - घर की वस्तुएँ आदि ।

- 5. विशिष्ट मर्दे जैसे - बुलियन, कीमती पत्थर जो जड़ें नहीं हैं, अलभ्य कलाकृति, कला के काम, हस्तलिखित, योजनाएँ, ड्रॉईंग्ज, प्रतिभूतियाँ, बाध्यताएँ या दस्तावेज, स्टैप, सिक्के या कागजी धन, चैक, खाता बहियाँ, कम्प्यूटर सिस्टम रिकार्ड, विस्फोटक ।**

आवरित आपदाएँ :

- अग्नि
- तड़ित
- विस्फोट / अंतः स्फोट
- विमान से हानि
- दंगे, उपद्रव, हड्डताल तथा दुर्भावनापूर्ण हानि (इसके बाद इन्हें आरएसएमडीआपदाएँ कहा जायेगा)
- तूफान, चक्रवात, बाढ़ तथा आप्लावन, बरंडर, झांझावात/आंधी, हरिकेन, टोरनेडो
- किसी रेल / रोड वाहन या प्राणी से हुई संघात हानि
- भूधस्कन और भूस्खलन (बट्टानों का गिरना भी शामिल हैं)
- पानी के टैंक, उपकरण और पाइप फटना और/अथवा ओवर फ्लो होना
- अॅटोमेटिक स्प्रिंकलर स्थापन से रिसाव तथा
- मिसाइल परीक्षण ऑपरेशन
- बुश फायर ।

आतंकवाद :

यह वैकल्पिक आवरण है जिसे अतिरिक्त पर्याप्त प्रीमियम लेकर जारी किया जा सकता है ।

प्रीमियम : प्रति पॉलिसी न्यूनतम प्रीमियम रु. 100/- होगा और बहुत छोटे क्षेत्र के तहत भाग 4 के लिए रु. 50/- होगा जीएसटी सहित ।

आवास, कार्यालयों, होटलों, दुकानों, औद्योगिक निर्माण जौखिम तथा जनसेवाओं, टैंक फार्म्स/गैस होल्डर जो औद्योगिक निर्माण इकाइयों के बाहर स्थित हैं के जौखिमों के लिए अलग से प्रीमियम दरें दी गई हैं ।

विशिष्ट “एड ऑन कवर्स” के लिए भी प्रीमियम अलग से दिया गया है ।

एड ऑन कवर्स :

इनमें 17 एड ऑन कवर्स उपलब्ध हैं जिनके लिए प्रभारित दरें अनुबंध ‘ए’ में दी गयी हैं ।

आवरण का विस्तारण (बिना अतिरिक्त प्रीमियम)

क) पुनः स्थापन मूल्य बीमा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग्ज के लिए दिया जा सकता है लेकिन पॉलिसी में निम्नलिखित ज्ञापन शामिल किया जाना अनिवार्य है कि “एतद्वारा यह घोषित एवं सहमत है कि यदि बीमित संपत्ति क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है तो उस रिस्थिति में देय राशि उसी प्रकार की या उसी तरह की संपत्ति की लागत होगी न कि उससे बेहतर होगी या ज्यादा महंगी होगी जो बीमित संपत्ति की हानि की तिथि में नयी थी ।

ख) स्थानीय प्राधिकरण क्लॉज ।

ग) संपत्ति नामित क्लॉज ।

घ) द्रस्ट में रखा गया माल क्लॉज या कमीशन क्लॉज ।

च) सहमत बैंक क्लॉज - सभी पॉलिसियाँ जिनमें बैंक, वित्तीय संस्था का हित है, वे बैंक / वित्तीय संस्था के नाम जारी होंगी ।

छ) फ्लोटर क्लॉज ।

ज) घोषणा क्लॉज ।

झ) वैकल्पिक अंशवहन क्लॉज ।

ट) सहबीमा क्लॉज ।

आवास

नीचे दी गई दो प्रणालियों के आधार पर आवासों के लिए दीर्घावधि पॉलिसियाँ निम्नलिखित 2 शर्तों के अधीन जारी की जाएगी :

- पॉलिसी न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।
- परिपत्र संख्या एफटी/4/05 ता. 31/3/2005 के अनुसार बीमाधारक के अनुरोध पर ऐसी पॉलिसियों के मध्यावधि निरस्तीकरण की अनुमति दी जायेगी जो इस बात के अध्यधीन होगी ।
 - क. यदि पॉलिसी प्रारंभ के 3 वर्षों में रद्द की जाती है तो प्रतिधारित (रिटेन) किये जाने वाला प्रीमियम सामान्य दरों के अनुसार लागू होगा - जो कि बिना किसी छूट के आधार पर होगा ।
 - ख. यदि पॉलिसी प्रारंभ के 3 वर्षों में रद्द की जाती है, तो छूट के स्टैब का पुनः आंकलन उन वर्षों की संख्या के आधार पर होगा जिनने वर्षों तक पॉलिसी वास्तविक रूप से जारी थी । इस प्रयोजन के लिए वर्ष के उस अंश के आगामी उच्चतर वर्ष के लिए पूर्ण समझना चाहिए । उदाहरणतया, यदि एक पॉलिसी 3 वर्षों व 3 महीनों तक चल रही थी, उसका प्रतिधारित (रिटेन) प्रीमियम 4 वर्षों का प्रतिधारित (रिटेन) होगा ।

ग. धन वापसी (रिफंड), अगर हो, तो प्रतिधारित प्रीमियम कम से कम रु. 100/- के अध्यधीन होगा, जैसा कि ए.आई.एफ.टी. के खंड । के नियम क्रमांक 6 में दर्शाया गया है ।

- आपदाओं को मध्यावधि में जोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
- भूकंप तथा आतंकवाद प्रीमियम / दर पर कोई छूट नहीं होगी ।
- पूरी पॉलिसी अवधि का प्रीमियम अग्रिम रूप में एक साथ लिया जायेगा ।
- बीमा राशि में मध्यावधि वृद्धि शेष अवधि के लिए यथानुपात आधार पर अनुमत होगी ।

प्रणाली 'ए' : बिना किसी छूट के पूर्ण प्रीमियम लिया जाएगा । हालांकि प्रत्येक 12 माह की समाप्ति पर बीमित राशि अपनी मूल बीमित राशि से 10% बढ़ी हुई समझी जाएगी ।

अथवा

प्रणाली 'बी' : इसमें प्रणाली 'ए' की तरह बीमित राशि में स्वतः वृद्धि नहीं होगी । हालांकि नीचे दी गई सारणी के अनुसार सकल प्रीमियम पर छूट दी जाएगी ।

पॉलिसी अवधि

- 3 वर्ष की पॉलिसी
- 4 वर्ष की पॉलिसी
- 5 वर्ष की पॉलिसी
- 6 वर्ष की पॉलिसी
- 7 वर्ष की पॉलिसी
- 8 वर्ष की पॉलिसी
- 9 वर्ष की पॉलिसी
- 10 वर्ष और इससे अधिक

टिप्पणी : छूट आधारभूत अग्रिम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी । भूकंप तथा आतंकवाद प्रीमियम / दर पर कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

लिया जानेवाला दीर्घावधि पॉलिसी प्रीमियम

- 15% छूट के साथ 3 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 20% छूट के साथ 4 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 25% छूट के साथ 5 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 30% छूट के साथ 6 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 35% छूट के साथ 7 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 40% छूट के साथ 8 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 45% छूट के साथ 9 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम
- 50% छूट के साथ 10 वर्ष का अग्रिम प्रीमियम

उत्पादों का वर्गीकरण - अग्नि बीमा

बीमित राशि के आधार पर अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम का वर्गीकरण इस प्रकार है :

उत्पाद	उत्पादों का वर्गीकरण	
	वर्ग दरें	वैयक्तिक दरें
	बीमित राशि की सीमा	बीमित राशि की सीमा
मानक अग्नि व विशिष्ट जोखिम पॉलिसी	सामान की हानि पर रु. 5 करोड़ तक	सामान की हानि पर रु. 5 करोड़ से अधिक
परिणामी हानि पॉलिसी	जहाँ सामान की हानि की बीमित राशि रु. 5 करोड़ तक हो ।	जहाँ सामान की हानि की बीमित राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो ।
पेट्रोकेमिकल्स जोखिम	—	कम से कम रु. 50 करोड़ ।

वर्ग दर उत्पादों तथा वैयक्तिक दर उत्पादों के लिए दरों का स्वरूप

इन पॉलिसियों का दर निर्धारण निम्न प्रकार से होगा :

- क. ए आई एफ टी के अनुसार दर ।
- ख. घटाएँ : ऐस टी एफ आई तथा आर एस एम डी को हटाने के लिए दर ।
- ग. तकनीकी छूट तथा विवेकाधिकार छूट ।
- झ. निवल दर ।
- च. घटाएँ - वैकल्पिक अंशवहन के विकल्प हेतु छूट % ।
- छ. जोड़े - एड ऑन आपदा के लिए दर यथा भूकंप, स्वतः प्रज्ज्वलन (खंड III के अनुसार), बीमाधारक के खुद के वाहन से संघात क्षति ।
- ज. निवल दर ।
- झ. जोड़े - एड ऑन आवरण यदि विकल्प लिया है* के लिए प्रीमियम यथा मलबा हटाना ।
- ट. जोड़े - आतंकवाद दर**
- ठ. जोड़े - प्रचलित दर पर जीएसटी ।
- टिप्पणी : 'झ' में दी गई दर 'एड ऑन आवरणों' के प्रीमियम परिकलन के लिए लागू होंगी ।
- ** आतंकवाद प्रीमियम पर किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी ।
- दर सकल आधार पर दी गयी हैं यथा उनमें कमीशन / ब्रोकरेज शामिल हैं । बिना किसी मध्यस्थ के सीधे प्राप्त व्यवसाय के मामले में देय कमीशन / ब्रोकरेज की सीमा तक दरें कम की जा सकती हैं ।

स्वीकृति सीमाएँ - % छूट

निम्न स्वीकृत सीमाएँ विभिन्न परिचालन कार्यालयों के लिए होंगी ।

कार्यालय	स्वीकृति सीमाएँ (रु. करोड़ में)
शाखा कार्यालय	25
मंडल कार्यालय	100 (पीडी + बीआई)
क्षेत्रीय कार्यालय	500(पीडी + बीआई)

एआईएफटी के मूल अग्नि दरों पर एजेंटों द्वारा 30% तक छूट दी जा सकती है और मानक जोखिम अतिरिक्त छूटें उस कार्यालय जिसके अंतर्गत जोखिम सीमा की स्वीकृति आती है द्वारा मंजूर की जायेगी । ऐड ऑन आवरणों की विशिष्ट दरों पर कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

रु. 100 करोड़ से अधिक बीमा राशि का जोखिम मंजूरी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को संदर्भित किया जाना चाहिए जिसमें समर्पक दस्तावेज जुड़े हुए हों जैसे निरीक्षण रिपोर्ट, निर्धारित प्रोफार्मा में बीमालेखन कार्यालय की सिफारिश और कोई अन्य संबंधित जानकारी । उक्त सीमाएँ प्रति जोखिम हैं, प्रति पॉलिसी नहीं हैं ।

फ्लोटर पॉलिसी

फ्लोटर पॉलिसी एक ही बीमित राशि के अंतर्गत 10% अतिरिक्त प्रीमियम के साथ विभिन्न स्थानों पर स्टॉक के लिए जारी की जा सकती है ।

प्रीमियम के अल्पावधि मापक

यथानुपात आधार पर प्रीमियम + 10% निम्नलिखित के लिए लिया जाएगा :

क) 12 महीने से कम अवधि के लिए जारी या नवीकृत पॉलिसियाँ और

ख) ऐसी पॉलिसियाँ जो जारी अवधि के दौरान बीमाधारक के अनुरोध पर रद्द की गयी हों ।

वर्ग दर निर्धारित और व्यक्ति दर निर्धारित उत्पादों के तहत नियमों के अनुसार यदि कोई तकनीकी छूट उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी बीमालेखन कार्यालय से प्राप्त की जाए ।

घोषणा पॉलिसी

- स्टॉक / स्टॉक मूल्यों से बार-बार परिवर्तन का ध्यान रखने हेतु ।
- प्रति स्थान न्यूनतम वृद्धि पर राशि रु. 1 करोड़ ।
- निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर मासिक घोषणा अगले माह को अंतिम दिन से पहले प्रस्तुत की जाए :
 1. प्रत्येक दिन में जोखिम के उच्चतम मूल्यों का औसत । (अथवा)
 2. माह के किसी भी दिन उच्चतम मूल्य ।

पॉलिसी की समाप्ति पर औसत घोषणा पर आधारित प्रीमियम की वापसी अंतरिम प्रीमियम के 50% तक की जायेगी ।

**उपर्युक्त सभी व्यापार वर्गों जैसे कि आवास, दुकानों इत्यादि की
टैरिफ़ दरें नीचे दी गई हैं :**

अनुभाग - 3

**आवास, कार्यालय, होटल, दुकान इत्यादि जो औद्योगिक / निर्माण जोखिम परिसर के बाहर स्थित हैं ।
ए आई एफ टी**

जोखिम कोड	विवरण	ए आई एफ टी दर %	
		बिल्डिंग	सामान
1	आवास	0.50	0.50
नया	पूजा स्थल, लायब्रेरी, म्यूजियम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, X- रे तथा अन्य निदान क्लीनिक सहित, कार्यालय परिसर, बैठक कक्ष, ऑडीटोरियम, प्लेनेटोरियम, मेसर हाऊस, क्लब, शादी हॉल, शोरुम और प्रदर्शनी सेंटर जहाँ प्रदर्शन के लिए सामान रखा जाता है और बिक्री नहीं की जाती है विभिन्न सिल्पों का प्रशिक्षण देने वाले शैक्षणिक एवं शोध संस्थान, आवास / आहार गृह, साइकिल शेड, तथा डिश एंटेना, इनडोर स्टेडियम, हेल्थ क्लब, जिम्नेशियम और स्वीमिंग पूल	0.50	0.50
	नोट 1 : यदि परिसर में सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियाँ चल रही हैं तो उन जोखिमों की दर टैरिफ़ गाइड के अनुभाग IV के “इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डेवलोपमेंट यूनिट” के टैरिफ़ के बाद लगायी जायेगी ।		
2	कैफे, रेस्टोरेन्ट, होटल, कनफैक्शनर तथा स्वीट मीट विक्रेता, हेल्थ रिसॉर्ट	1.80	1.80
3	वस्तुओं से संबंधित दुकाने यथा लांड्री, बैटरी चार्जिंग सर्विस स्टेशन, ड्राई क्लीनिंग, अम्बूजमेंट पार्क, होर्डिंग, निअॉन साइन तथा खेल गैलरियों, आउटडोर स्टेडियम जिसे अन्यथा किसी में शामिल न किया गया हो	1.80	2.80
4	दुकानें जिसमें खतरे से भरे सामान हों (नीचे दी गई सूची के अनुसार) और शस्त्र व असला डीलर, मोटर वाहन शोरुम जिसमें बिक्री व सेवा शामिल है, पेट्रोल / डीजल किओस्क	1.80	3.80
	नोट : पेट्रोल / डीजल किओस्क में सीएनजी संस्थापन हो तो उसके लिए 10% लोडिंग लागू होगा ।		

टिप्पणी -

- (1) निर्देशिका की दर में, “एस टी एफ आई” हटाने के लिए, कमी - रु. **0.15 %o**
- (2) “आर एस एम डी” जोखिम हटाने के लिए निर्देशिका की दर में कमी - रु. **0.10 %o**
- (3) “एस टी एफ आई” को मध्यावधि में शामिल करना - रु. 0.25 %o
- (4) “आर एस एम डी” को मध्यावधि शामिल करना - रु. 0.10 %o
- (5) कुल स्टॉक के 5 % तक के खतरनाक सामान को अनदेखा किया जा सकता है।
- (6) “ए आई एफ टी” के अनुसार खतरनाक सामान की सूची में खुला सूत, कपूर और अगरबत्ती शामिल हैं।
- (7) विविध अधिवास में जोखिम आंकलन स्वतः होगा।

अनुभाग - 4
औद्योगिक / विनिर्माण जोखिम
ए.आई.एफ.टी. दरें

जोखिम कोड	जोखिम का विवरण	दर (रु. प्रति मिलि)
1	अवधर्षी विनिर्माण	2.00
2	वातित जल, मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक फैक्टरी	1.50
3	वायु रोप वे, ट्रॉली स्टेशन सहित	1.50
4	अगरबत्ती विनिर्माण	2.00
5	हवाई जहाज हैंगर	3.00
6	एयर पोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग (कैफे, दुकानों जैसी सभी सुविधाओं सहित) नोट : एयर पोर्ट कारगो कॉम्प्लेक्स का दर निर्धारण अनुभाग के अंतर्गत होगा ।	1.50
7	अल्युमिनियम / मैग्नीशियम पॉवडर प्लान्ट्स	5.50
8	अल्युमिनियम, जिंक, कॉपर फैक्टरी	1.50
9	अरेका नट और/या बीटल नट फैक्टरी	2.00
10	एस्बेस्टास स्टीम पैकिंग तथा लैगिंग विनिर्माण	1.50
11	आटा एवं अनाज पिसाई (दालमिल को छोड़कर)	2.00
12	ऑडियो / वीडियो कैसेट विनिर्माण	3.50
13	ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग	1.50
13ए	ऑटोमोबाइल फिल्टर मैन्यूफैक्चरिंग	2.50
14	बैकरियाँ	1.50
15	बास्केट बननेवाले और केन फर्नीचर बनाने वाले	4.50
16	बैटरी विनिर्माण	2.25
17	बीड़ी फैक्टरी	3.00
18	विस्किट फैक्टरी	1.50
19	बिटुमेन के पेपर और / अथवा हिसिअन कपड़ा विनिर्माण टार फल्ट विनिर्माण सहित	4.00
20	बुक बाइंडर्स, लिफाफे और पेपर बैग विनिर्माण	2.50
21	बृंशरीज	2.00
22	ईंटें बनाने का काम (रिफ्रैक्टरी और फायर ब्रिक्स सहित)	1.00
23	पुल-क्रांक्रीट / स्टील	1.50
24	लकड़ी के पुल	2.00
25	तैयार हो रही बिल्डिंग	1.00
26	केबल विनिर्माण	2.50
27	कपूर विनिर्माण	3.00
28	मोमबत्ती विनिर्माण	3.00
29	केन फैक्टरी	1.50

30	कैप्स्यूल विनिर्माण	1.50
31	कार्बन पेपर / टाइपराइटर रिबन विनिर्माण	2.75
32	इलायची फैक्टरी	2.00
33	गत्ते के डिब्बों का विनिर्माण	2.25
34	लकड़ी, लकड़ी बुरादा विनिर्माण फर्नीचर विनिर्माण तथा अन्य लकड़ी के काम की दुकान (सॉ मिल को छोड़कर)	4.50
35	गलीचे और दरियों का विनिर्माण (सूती / जूट / ऊन)	2.50
36	गलीचे और दरियों का विनिर्माण (अन्य)	3.50
37	काजू / अखरोटों की फैक्टरियाँ	3.00
38	पशु चारा मिल	2.00
39	सेल्यूलॉइड वस्तुओं का विनिर्माण	15.00
40	सीमेंट / एच्स्टॉस / कांक्रीट उत्पादों का विनिर्माण	1.50
41	सीमेंट फैक्टरी	2.00
42	सिरेमिक फैक्टरियाँ तथा क्राकरी और स्टोनवेयर पाइप विनिर्माण / क्ले वर्क	1.50
43	रसायन विनिर्माण (32° से कम फ्लैश पॉईंट वाले सामान का प्रयोग करते हुए) थोक में दवाइयों का विनिर्माण	3.00
44	रसायन विनिर्माण (अन्य), फार्मास्यूटिकल टायलेट्री के उत्पाद	2.25
45	सिगार और सिगरेट विनिर्माण	2.75
46	सिगरेट फिल्टर विनिर्माण (32°सी नीचे के घुलनशीलों का प्रयोग करते हुए)	3.50
47	सिगरेट फिल्टर विनिर्माण	2.75
48	सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो	3.00
49	सिनेमेटोग्राफी फिल्म एडीटिंग, लैबोरेट्री और साउंड रिकार्डिंग रुम जहाँ फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है।	2.00
50	सिनेमेटोग्राफी फिल्म एडीटिंग, बिना फिल्म प्रोसेसिंग के लैबोरेट्री और साउंड रिकार्डिंग रुम	1.50
51	सिनेमा थियेटर	2.50
51ए	शॉपिंग मॉल, कार्यालयों, रेस्ट्रां, सिनेमा थियेटर और सामान के अतिरिक्त उपयोगिताओं सहित मल्टीप्लेक्स थियेटर कार्प्सलैक्स टिप्पणी : सामान का निर्देशित टैरिक के संबंधित अनुभाग के यथानुसार दर निर्धारण किया जाएगा	2.50
52 एवं 77	सर्कस, टूर कर रहे ड्रामा समूह, टूर कर रहे सिनेमा थियेटर, प्रदर्शनियाँ फेट, मंडप इत्यादि अस्थायी/कच्चे विनिर्माण में	10.50
53	टैक्सटाइल्स मिलों के परिसर के बाहर स्थित कपड़ा प्रक्रिया इकाइयाँ	1.75
53ए	टैक्सटाइल्स मिल परिसर / घरों के बाहर स्थित कपड़ा प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो टैक्सटाइल्स मिल के स्वामित्व में नहीं हैं	1.75
54	कोयला / कोक / चारकोल बॉल और ब्रिकेट विनिर्माण	5.50
55	कोयला / कोक / प्रोसेसिंग और हैंडलिंग संयंत्र	2.50

56	कॉफी क्योरिंग रोस्टिंग / ग्राइंडिंग	2.00
57	जूट फैक्टरियां	3.50
58	कॉलियरी - जमीन के नीचे मशीन और पिट हेड गीयर	3.50
59	कन्डैन्सड दूध फैक्टरियां, दूध पैस्च्युराइजिंग संयंत्र और डेयरियां	1.50
60	कन्फैक्शनरी विनिर्माण	1.50
61	एक अवस्थिति पर ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी	3.75
61ए	भारत में कहीं भी (विशिष्ट अवस्थितियों पर)	4.50
62	कॉर्क उत्पाद विनिर्माण	3.50
63	कॉटन गोदामों सहित कॉटन जिन और प्रेस हाउस, (जो प्रोसेस हाउस से अलग हो) पूरी तरह से दबाए गए बैलनों पर स्टोर की गई कॉटन अथवा कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग उद्योग परिसर में खुले रूप में स्टोर की गई कॉटन ।	10.50
64	कॉटन सीड की सफाई / डिस्टिलिंग फैक्टरी	4.50
65	डिहाइड्रेशन फैक्टरी	1.50
66	सल्फोनेशन प्लांट सहित डिटर्जेंट विनिर्माण	2.50
67	डिटर्जेंट विनिर्माण - अन्य	2.25
68	डिस्टलरीज	2.50
69	ड्युप्लिकेटिंग / स्टेन्सिल पेपर विनिर्माण	4.50
70	विद्युत उत्पाद स्टेशन हाइड्रो पॉवर स्टेशन	1.25
	विद्युत उत्पाद स्टेशन - अन्य	1.50
71	इलैक्ट्रीक लैंप / टी. वी. पिक्चर ट्यूब विनिर्माण	2.00
72	इलैक्ट्रॉनिक गुड्स विनिर्माण / एसेंबली	2.25
73	इलैक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियाँ	1.25
74	इनैमल वेयर - फैक्टरी	2.00
75	इंजीनियरिंग वर्कशॉप - स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रीकेटर्स, शीट मेटल फैब्रीकेटर्स, हॉट / कोल्ड रॉलिंग, पाइप एक्स्ट्रिडिंग, स्ट्रेपिंग, प्रेसिंग, फॉर्जिंग मिल्स, मेटल स्पेलिंग फाऊंड्रीज़, गैल्वनाइजिंग वर्क्स, मेटल एक्सट्रैक्शन, और प्रोसेसिंग (अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक के अतिरिक्त)	1.25
76	इंजीनियरिंग वर्कशॉप - अन्य, क्लॉक / वॉच मैन्यूफैक्चरिंग, मोटर वाहन गैराज तथा मोटर सर्विस सेंटर	1.75
नवीन	पवकी इमारत में प्रदर्शनी स्थल	10.50
78	विस्कोटक / ब्लास्टिंग फैक्टरियाँ	5.50
79	फर्टीलाइजर मैन्यूफैक्चरिंग (पेट्रोकेमीकल टैरिफ के अंतर्गत दर योग्य के अतिरिक्त)	2.25
80	फिल्टर और वैक्स पेपर विनिर्माण	3.50
81	आतिशबाजी विनिर्माण	5.50
82	फ्लैक्स / हैम्प मिल्स	2.00
83	आटा मिल	3.50
84	फोम वाली प्लास्टिक विनिर्माण और / अथवा कनवर्टिंग प्लांट्स	4.50
85	फोम रबर विनिर्माण	4.50
86	फ्रेंच पॉलिश विनिर्माण	4.50

87	फ्रूट और वेजीटेबल ड्राईंग / डिहाइड्रेटिंग फैक्टरीज	1.50
88	फल उत्पाद और कॉन्डीमेंट फैक्टरियाँ (फ्रूट पल्प मैंकिंग सहित)	1.50
89	गर्मेंट मेकर, टोपी, हॅट्स तथा इस प्रकार का सामान बनाने वाले	2.00
90	वनस्पती धी विनिर्माण सहित धी फैक्टरियाँ	2.00
91	ग्लास फाइबर (फाइबर ग्लास) विनिर्माण	2.50
92	ग्लास वूल विनिर्माण	2.75
93	ग्लास विनिर्माण / ऑटोमोबाइल ग्लास विनिर्माण	2.00
94	सुनहरे धागे की फैक्टरी / ग्लाइडिंग फैक्टरी	2.00
95	इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स का उपयोग कर रही ग्रेनाइट फैक्टरियाँ	1.50
96	ग्रेनाइट फैक्टरी (अन्य)	1.00
97	ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉड विनिर्माण	2.50
98	ग्रेन / सीड डिस्ट्रीब्रेटिंग / क्रशिंग / डिकॉर्टिंग फैक्टरी / दालमिल	2.50
99	ग्रीज / वैक्स विनिर्माण	2.50
100	ग्रीन हाउस / अलगी / स्पायरल तथा इसी प्रकार के अन्य	1.50
101	गॉद / ग्लू / जिलेटिन विनिर्माण	2.00
102	जिप्स बोर्ड विनिर्माण	2.00
103	हॉजियरी, लेस, कढाई / धागों की फैक्टरी	2.25
104	आइस केंडी और आइस क्रीम विनिर्माण	1.50
105	आइस फैक्टरी	1.50
106	तापदीप्त गैस मेंटल विनिर्माण	3.00
107	औद्योगिक हीरा विनिर्माण	2.00
108	औद्योगिक गैस विनिर्माण (कार्बन मोनोक्साइड, ऑक्सीजन, इनर्ट गैस)	3.00
108 ए	औद्योगिक गैस विनिर्माण - अन्य	3.00
109	स्याही (मुद्रण स्याही को छोड़कर) विनिर्माण	2.50
110	गुड़ विनिर्माण	1.50
111	जूट गोदामों सहित जूट मिल्स, प्रोसेस ब्लॉक से अलग, बेलनों में लपेटी हुई जूट अथवा जूट मिल परिसर के अंदर स्टोर किया गया खुला हुआ जूट	4.50
112	कथा विनिर्माण	3.50
113	खांडसारी चीनी विनिर्माण	2.00
114	लाख या शालाख फैक्टरी	2.50
115	चमड़ा फैक्टरी	3.50
116	चमड़े के सामान का विनिर्माण (बूट/शू सहित)	2.00
नवीन	लिम्नाइट हॉडलिंग सिस्टम	2.50
117	लाइम किन	1.50
118	लिथोग्राफिक प्रैसेस	2.50
119	लिक्विफाइड गैस बॉटलिंग / रिकवरी प्लांट	4.50
120	माहल्ट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स	2.00
121	मैन-मेड फाइबर विनिर्माण (सेल्यूलोज का प्रयोग के साथ)	1.25
122	मैन-मेड फाइबर विनिर्माण प्लांट (अन्य)	1.50

123	मैन्योर ब्लैन्डिंग वर्क्स	2.00
124	माचिस फैक्टरी	5.50
125	चटाई और तकिया बनाना	4.50
126	मैटेलाइजिंग वर्क्स (जिसमें केवल मेटल हो)	2.00
127	मैटेलाइजिंग वर्क्स (अन्य)	3.00
128	मेटल / टिन स्प्रिटर्स	2.50
129	माइका उत्पाद विनिर्माण	2.00
130	मिनरल ऑयल ब्लैन्डिंग और प्रोसेसिंग	2.00
131	मोसाइक फैक्टरी	1.50
132	मशरूम उत्पादन परिसर (फसलों को निकाल कर)	1.50
133	नाइट्रो सैल्यूलोज विनिर्माण - औद्योगिक ग्रेड	3.85
	नाइट्रो सैल्यूलोज विनिर्माण - अन्य	15.00
134	बिना बुनाई के कपड़े का विनिर्माण	3.00
135	ऑयल एक्स्ट्रैक्शन	3.75
136	ऑयल डिस्टीलेशन प्लांट (आवश्यक)	2.50
137	ऑयल मिल रिफाईनिंग (वनस्पति / पशु)	2.00
138	ऑयल मिल (वनस्पति)	2.00
139	ऑयल तथा चमड़े के कपड़े की फैक्टरी	3.50
140	पेंट फैक्टरी (जल आधारित)	2.00
141	पेंट (अन्य) तथा वार्निश फैक्टरी	3.75
142	पेंट - नाइट्रोसेल्यूलोज आधारित	4.50
143	पान मसाला बनाना	2.50
144	पेपर और कार्डबोर्ड मिल (लैमिनेशन सहित)	2.25
145	पार्टिकल बोर्ड विनिर्माण	2.25
146	पेन्सिल विनिर्माण	4.00
147	पेट्रोलियम कोक कैलसीनेशन	2.25
148	प्लास्टिक सामान विनिर्माण (प्लास्टिक फोम को छोड़कर) जिसकी कैलोरिफिक मूल्य 15000 बी टी यू / आय बी हो	3.50
148ए	प्लास्टिक सामान विनिर्माण (प्लास्टिक फोम को छोड़कर) 15000 बी टी यू / आय बी की कैलोरिफिक मूल्य से अधिक	2.50
149	प्लाइवुड / बुड विनिरिंग फैक्टरी / लैमिनेशन फैक्टरी	5.50
150	पॉलिएस्टर फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग / बी ओ पी पी फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग	1.50
151	जेड्डी सहित पोर्ट परिसर तथा उनके ऊपर रखे गए उपकरण तथा पोर्ट की अन्य सुविधाएं टिप्पणी 1 :- बंदरगाह परिसर में स्टोरेज क्षेत्र का शुल्क खुले स्टोरेज क्षेत्र के अनुसार अनुभाग 6 और/ अथवा अनुभाग 7 के अंतर्गत लागू होगा । टिप्पणी 2 :- एस टी एफ आई जोखियों का विकल्प न लेने पर, दरों में कटौती की अनुमति नहीं होगी ।	2.00
152	पोल्ट्री फार्म (वहाँ के पक्षियों को छोड़कर)	1.50
153	कॉयर तंतुओं / व्यर्थ पदार्थ / घास / चारा / भूसा / जूट के लिए प्रैस	10.50
154	कॉयर यार्न / कॉटन / सिएना पत्तियों के लिए प्रैस	4.50

155	गलिचों, रग्ज और तंबाकू के लिए प्रैस	3.50
156	हाइड्रस और स्किन के लिए प्रैस	2.75
157	मुद्रण स्याही विनिर्माण / रॉलर कंपोजीशन फैक्ट्री	5.50
158	प्रिंटिंग प्रैस	2.50
159	पल्वराइजिंग प्लांट्स (मेटल और सुरक्षित सामान)	1.50
160	पल्वराइजिंग प्लांट्स (अन्य)	3.00
161	राइस मिल	3.00
162	राइस पॉलिशिंग यूनिट्स	1.75
163	रोप वर्क्स (प्लास्टिक) (प्लास्टिक का सामान जैसे कि खिलौने इत्यादि को एसेंबल करना)	2.50
164	रोप वर्क्स (अन्य)	1.50
165	रबड़ फैक्टरी	3.00
166	स्प्रैडिंग के साथ रबड़ के सामान का विनिर्माण	3.50
167	स्प्रैडिंग के बिना रबड़ के सामान का विनिर्माण	2.50
168	साल्ट क्रशिंग फैक्टरी तथा रिफाइनरीज	1.00
169	आरा मिल (टिक्कर मर्चेंट्स परिसर जहां चिराई की जाती है - सहित)	5.50
170	सी फूड / मीट प्रोसेसिंग	2.00
171	सिल्क मिल / स्पन सिल्क मिल	1.75
172	स्नफ मैन्यूफैक्चरिंग	3.50
173	सोप मैन्यूफैक्चरिंग	2.25
174	स्पॉज आयरन प्लांट्स	2.50
175	स्प्रैंटिंग	3.00
नवीन	पाऊडर कोटिंग	3.00
176	अस्तबल (जानवरों को छोड़कर)	1.50
177	स्टार्च फैक्टरी	2.00
178	स्टोन खदान	1.00
179	शुगर कैंडी विनिर्माण	2.00
180	शुगर फैक्टरी	1.50
181	सर्जिकल कॉटन विनिर्माण	4.50
182	स्पीटमीट विनिर्माण	1.50
183	चर्मशोधन शालां	1.50
184	टैपिओका की फैक्टरी	2.00
185	टारपोलिन और कैनवास प्रूफिंग फैक्टरी	4.00
186	टी ब्लैन्डिंग / पैकिंग फैक्टरी	2.25
187	टी फैक्टरी	2.50
188	टेलीफोन एक्सचेंज	1.50
189	टैक्सटाइल मिल्स - स्पिनिंग मिल्स	2.25
1.58	टैक्सटाइल मिल्स, कॉम्पोजिट मिल्स (कम्पोजिट मिल वे हैं जहां ब्लॉरुम से ले कर क्लॉथ प्रोसेसिंग शामिल हैं)	2.00
190	टाइल और पॉटरी वर्क्स	1.50
191	लघु उद्योग जिसमें 25 लाख से अधिक का जोखिम न हो	1.00
192	टिशू कल्वर परिसर (फसलों को छोड़कर)	1.50
193	टोबैको कोयोरिंग / रिफ्राइंग फैक्टरी	3.50
194	टोबैको ग्राइंडिंग / क्रशिंग विनिर्माण	3.50

195	टर्पेन्टाइन तथा रोसिन डिस्ट्रिब्युशन	6.50
196	टायर और ट्यूब्स विनिर्माण	2.25
197	टायर रिप्रेडिंग और रिसोलिंग फैक्टरी	3.00
198	अम्बैला एसेंबली फैक्टरी	2.00
199	वलवेट क्लॉथ विनिर्माण	2.50
200	वर्मीसैली फैक्टरी	1.50
201	वे ब्रिज	1.50
202	वीविंग मिल	1.75
203	वीट थ्रेशर	10.50
204	वुड सीजनिंग / उपचार / इम्प्रैनेशन	2.00
205	वूल क्लीनिंग और प्रैसिंग फैक्टरी	2.50
206	वूलन मिल्स	2.00
207	यार्न प्रोसेसिंग	1.75
208	जिप फास्नर्स विनिर्माण	2.00

टिप्पणियाँ

एस टी एफ आई घटाने के लिए दर - रु. 0.25 %.

आर एस एम डी के लिए दर - रु. 0.10 %.

मध्यावधि में एस टी एफ आई शामिल करने की दर - रु. 0.35 %

मध्यावधि में आर एस एम डी शामिल करने की दर - रु. 0.15 %

विविध उत्पादों के विनिर्माण इकाइयों के लिए सामान्य उपयोगिताओं की दर उच्चतम मूल्य पर रखें।

अग्नि / इंजीनियरिंग के लिए आतंकवाद दर, 01.04.2014 से प्रभावी

क्रम संख्या	प्रति स्थान / अहाता कुल बीमा राशि (टीएसआई) (एमडी/एलओपी/एलएलओपी)	जोखिम श्रेणी	दर प्रति हजार	प्रति स्थान / अहाता हानि सीमा (एमडी+एलओपी/एलएलओपी)
1	भारतीय रूपये 500 करोड़ तक	आवास	0.08	
		गैर - औद्योगिक	0.15	टीएसआई
		औद्योगिक	0.23	
2	भारतीय रूपये 500 करोड़ से अधिक और भारतीय रूपये 1,000 करोड़ तक	प्रथम भारतीय रूपये 500 करोड़ पर (1) के अनुसार + शेष बीमा राशि पर निम्न के अनुसार		
		आवास	0.08	टीएसआई
		गैर - औद्योगिक	0.15	
		औद्योगिक	0.20	
3	भारतीय रूपये 1,000 करोड़ से अधिक और भारतीय रूपये 1,500 करोड़ तक	प्रथम भारतीय रूपये 1,000 करोड़ पर (2) के अनुसार + शेष बीमा राशि पर निम्न के अनुसार		
		आवास	0.08	टीएसआई
		गैर - औद्योगिक	0.12	
		औद्योगिक	0.20	
भारतीय रूपये 1,500 करोड़ से अधिक की बीमा राशि के लिए कृपया दि. 07.03.2014 का परिपत्र क्रमांक टीपीपूल/परिपत्र/7/2013-14 देखें।				

अनुभाग – V

औद्योगिक / विनिर्माण जोखिमों से बाहर अवस्थित उपयोगिताएँ
ए.आई.एफ.टी. दरें

जोखिम कोड	जोखिम का विवरण	ए.आई.एफ.टी. दर (रु. प्रति मिली)
5	विश्लेषित / गुणवत्ता नियंत्रण लैबोरेटरी	2.25
6	बॉयलर हाऊस	1.50
7	बांध	1.00
8	एफ्ल्यूएंट / सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	1.50
9	इलेक्ट्रीक सब-स्टेशन, लोको शेड्स	1.50
10	इलेक्ट्रीक ट्रान्समिशन / वितरण पंक्तियां	1.50
11	जल वाहक पाईप लाइन	1.00
12	पाईप लाइनें (अन्य)	1.25
13	पंप हाऊस (जल)	1.50
14	पंप हाऊस (अन्य)	2.50
15	रेलवे ट्रैक	3.00
16	सड़कें	2.00
17	जल उपचार संयंत्र और वाटर टैंक	1.00
18	वायरलैस ट्रान्समिटिंग स्टेशन	1.50
नवीन	बाझंडी वाल	
	(क) ज्वलनशील सामान से तैयार	1.75
	(ख) अन्य	1.05
नवीन	कम्प्रैसर हैंडलिंग एयर, इनर्ट गैस एंड कं.	1.05
नवीन	कम्प्रैसर - अन्य	3.15
नवीन	इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम	0.88

टिप्पणियाँ

एस टी एफ आई घटाने के लिए दर - रु. 0.25 %

आर एस एम डी के लिए दर - रु. 0.10 %

मध्यावधि में एस टी एफ आई शामिल करने की दर - रु. 0.35 %

मध्यावधि में आर एस एम डी शामिल करने की दर - रु. 0.15 %

अनुभाग – VI

औद्योगिक / विनिर्माण जोखिम से परिसर के बाहर स्थित स्टोरेज जोखिम ए.आई.एफ.टी. दरें

जोखिम कोड	दर कोड	जोखिम का विवरण	ए.आई.एफ.टी. दर (रु. प्रति मिली)
19			स्टोर किया गया सामान
			गोदाम और खुला साइलो
			अनुसार दर %
19		गैर-आपदा सामान की स्टोरेज	1.00
20		वर्ग I के जोखिम युक्त सामान का स्टोरेज इस वारंटी के अधीन होगा कि सूची में वर्ग II, III, कौयर वेस्ट, कौयर फाइबर और कैडीज वहाँ स्टोर नहीं होगा	2.50
नवीन		ट्रैक्टर स्टोर खुले में	लागू नहीं
नवीन		बस टर्मिनस - खुले में वाहन पार्किंग क्षेत्र	लागू नहीं
21		वर्ग II सूची में जोखिम युक्त सामान की स्टोरेज इस वारंटी के अधीन है कि वर्ग III में सूचीबद्ध और कॉयर वेस्ट कॉयर फाइबर तथा कैडीज इसके साथ स्टोर नहीं हो	4.50
22		वर्ग III में सूचीबद्ध जोखिम युक्त सामान इस वारंटी के अधीन है कि कॉयर वेस्ट कॉयर फाइबर तथा कैडीज इसके साथ स्टोर नहीं हो	5.50
23		ट्रांसपोर्टर गोदाम और तथा सी एंड एफ एजेंटों के गोदाम	5.50
24		कॉयर वेस्ट कॉयर फाइबर तथा कैडीज स्टोरेज	12.00
25		कोल्ड स्टोरेज परिसर	2.50
			लागू नहीं

(ए) एस. टी. एफ. आई. घटाने के लिए दर - गोदाम के लिए रु. 0.25 % तथा रु. 0.50 % खुले में स्टोर किये गए सामान के लिए

(बी) आर. एस. डी. एम. घटाने के लिए दर - गोदामों के लिए रु. 0.10 % तथा खुले में स्टोर किये गए सामान के लिए भी

(सी) एस. टी. एफ. आई. को मध्यावधि में शामिल करने की दर - रु. 0.35 % गोदामों के लिए तथा खुले में स्टोर किये गये सामान के लिए - रु. 1.00 %

(डी) मध्यावधि में आर. एस. डी. शामिल करने की दर - रु. 0.15 % गोदामों के लिए और खुले में स्टोर किये गए सामान के लिए

(ई) जोखिमयुक्त सामान के लिए वर्गीकरण का माध्यम और सामान की सूची (वर्ग I, II, III) जूट, कॉटन और कोयले व कोक के अतिरिक्त सामान रहेगी ।

अनुभाग - VII

औद्योगिक / विनिर्माण जोखिम के परिसरों के बाहर स्थित टैंक फार्म / गैस होल्डर्स

ए.आई.एफ.टी. दरें

जोखिम कोड	जोखिम का विवरण	ए.आई.एफ.टी. दर (रु. प्रति मिली)
26	नाइट्रोजन, कार्बनडिओक्साइड तथा इनर्ट गैसों के अतिरिक्त गैस होल्डर्स / बुलेट / तरलीकृत गैसों के लिए सिलेंडर और स्टोरेज	5.00
27	गैस होल्डर्स / नाइट्रोजन के लिए वैसल, कार्बनडिओक्साइड तथा निष्क्रिय गैसें	2.00
28	32° सी और इससे कम पर ज्वलनशील तरल द्रव्य से भरे टैंक	3.50
29	टैंक्स (अन्य)	2.00

टिप्पणियाँ

एस टी एफ आई घटाने के लिए दर - रु. 0.25 %

आर एस एम डी घटाने के लिए दर - रु. 0.10 %

मध्यावधि में एस टी एफ आई शामिल करने के लिए दर - रु. 0.35 %

मध्यावधि में आर एस एम डी को शामिल करने के लिए दर - रु. 0.15 %

एआईएफटी दरें

क्रम सं.	वर्तमान दर कोड	जोखिम	एआईएफटी दर (दर प्रति मिली)
1	1001	वास्तुशिल्पी, सर्वेक्षकों तथा सलाहकार इंजीनियर की फीस (दावा राशि पर 3% का आधिक्य)	पॉलिसी दर
2	1002	मलबा हटाना (दावा राशि का 1% का आधिक्य)	पॉलिसी दर
3	1003	(क) कोल्ड स्टोरेज परिसर में संग्रहित स्टॉक की गुणवत्ता में, बिजली न होने से, कमी, परिणाम स्वरूप किसी बीमित जोखिम के कारण पॉवर स्टेशन के परिसर में क्षति	पॉलिसी दर का 25%
4	1004	(ख) बीमाधारक के परिसर में किसी बीमित जोखिम के प्रचालन से कोल्ड स्टोरेज की मशीनरी में तुकसान या हानि से तापमान में परिवर्तन के कारण कोल्ड स्टोरेज में रखे स्टॉक की गुणवत्ता में कमी आना	पॉलिसी दर
5	1005	जंगल की आग	नियम 1 व 2 के अनुसार लागू दावा अनुभव छूट / लोडिंग की शर्त के अधीन रु. 5.00
6	1006	बीमाधारक के अपने रेल/सड़क वाहन, फोर्क लिफ्ट फ्रेन, स्टैकर इत्यादि से गिरे सामान के कारण संघात हानि	पॉलिसी दर का 5%
7	1007	आकस्मिक रूप से आग फूटना	
	1007	वर्ग 1 वस्तुएँ	0.20%
	1107	वर्ग 2 वस्तुएँ	0.40%
	1307	वर्ग 3 वस्तुएँ	0.60%
	1407	वर्ग 4 वस्तुएँ	0.80%
8	1008	विस्तारण, परिवर्तन और संयोजन का बीमा करने के लिए विलोपन	पॉलिसी दर
9	1009	भूकंप (अग्नि और धक्का)	
	1109	क्षेत्र I	0.60%
	1209	क्षेत्र II	0.30%
	1309	क्षेत्र III	0.15%
	1409	क्षेत्र IV	0.05%
10	1010	खराब हुआ सामान	क) विशिष्ट ब्लॉकों में पॉलिसी दर का 5 गुणा

		क्षति आवरण	ख) मशीनरी, कन्टेनर तथा विशिष्ट ब्लॉकों में पॉलिसी दर का 2.5 गुण
11	1111	रिसाव और संदूषण आवरण जहाँ टैक बीमाधारक के अपने परिसर में हैं ।	क) रु. 5%0 केवल रिसाव आवरण हेतु ख) रु. 10%0 रिसाव व संदूषण आवरण के लिए
12	1211	जहाँ टैक कहीं और स्थित हों ।	क) रु. 6%0 केवर रिसाव आवरण हेतु ख) रु. 12%0 रिसाव और संदूषण आवरण के लिए
13	1012	स्टॉक क्लॉज को अस्थायी रूप से हटाना	पॉलिसी दर का 10%
14	1013	किराये की हानि क्लॉज	पॉलिसी दर
15	1014	वैकल्पिक आवास के लिए किराये के अतिरिक्त खर्च का बीमा	पॉलिसी दर
16	1015	शुरुआती खर्च	पॉलिसी दर
17		एसटीएफआई आवास को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के सिवाय गैर-ओद्योगिक एआईएफटी के खंड - III के अनुसार को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के सिवाय होटल, दुकानें । ओद्योगिक एआईएफटी के खंड - IV, V तथा VII के अनुसार विनिर्माण जोखिमों के बाहर स्थित सुविधाएँ तथा टैक फार्म / गैस होल्डर शामिल हैं । एआईएफटी के खंड - VI के अनुसार केवल भंडारण विनिर्माण परिसरों के बाहर स्थित । इंजीनियरिंग पॉलिसियाँ - इएआर/सीएआर/सीपीएम/ईईआई - वार्षिक दर	0.0750 0.15 0.25 0.50 0.30

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

मानक अग्नि तथा विशेष आपदा पॉलिसी के अंतर्गत सभी दावों के लिए आम (कॉमन) दस्तावेज :

- पॉलिसी विवरण तथा अंदाजान हानि राशि के साथ तत्काल सूचना ।
- पॉलिसी की अनुसूची एवं पृष्ठांकन क्लॉजों के साथ प्रमाणित सत्य प्रति ।
- दावा प्रपत्र ।
- अनिशामक दल की रिपोर्ट ।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट, साल्वेज यदि हों ।
- पुलिस एफआईआर, पंचनामा, अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट ।
- दुर्घटना पर अखबार रिपोर्ट, यदि हों ।
- फोटोग्राफ ।
- पिछले दावे अनुभव ।

मरीन बीमा आवरण

मरीन कार्गों बीमा

मरीन कार्गों बीमा, “नौभार” को रेल, सड़क, समुद्र और वायु से पारवहन करते समय हुई हानि या क्षति को आवरित करता है।

मरीन कार्गों बीमा की जरुरत किसे होती है ?

क्रेता / विक्रेता, आयात / निर्यात, व्यापारी / बैंक, दरअसल माल के पारवहन में शामिल हर एक की यह जरुरत है।

आवरण क्षेत्र : लिये गए आवरण के अनुसार यह साधारण रेल, सड़क जोखिम से ले कर सर्वजोखिम को आवरित करता है।

भारत में पारवहन के लिए आवरण :

यहाँ पर **तीन** प्रकार के आवरण उपलब्ध हैं :

अंतर्देशीय पारवहन (रेल अथवा सड़क) क्लॉज ए, बी और सी

क्लॉज ए (सर्व जोखिम) - भौतिक हानि या क्षति के सर्व जोखिमों के लिए आवरण प्रदान करता है।

क्लॉज बी (पारवहन जोखिम) - अग्नि, तड़ित, पुल टूटने और दुर्घटना/वाहक वाहन के गिरने के कारण कार्गों को हुए ढांचागत क्षति व हानि के लिए आवरण प्रदान करता है।

क्लॉज सी (आधारभूत जोखिम) - केवल अग्नि व तड़ित के कारण कार्गों को पहुँचे ढांचागत नुकसान या हानि को आवरित करता है।

अवधि - क्लॉज ‘ए’ व ‘बी’ के अंतर्गत आवरण जब सामान गोदाम छोड़ता है वहाँ से अंतिम गोदाम में पहुँचने तक परंतु रेलवे वैगन या लॉरी के गंतव्य स्थान पर पहुँचने के 7 दिनों से अधिक नहीं।

महत्वपूर्ण अपवर्जन :

- अपर्याप्त या अनुपयुक्त पैकिंग या तैयारी
- बीमाधारक द्वारा जानबूझ कर किया गया दुर्व्यवहार के कारण हानि या क्षति
- साधारण टूट-फूट / वजन में साधारण क्षति
- विलंब के कारण क्षति या हानि
- कार्गों की प्रकृति या अंतर्निहित गुणों के कारण होने वाली हानि या क्षति
- युद्ध जोखिम, हड़ताल, दंगे और
- दुर्भावनापूर्ण कृत्य (यह क्लॉज ‘बी’ व ‘सी’ में केवल अपवर्जित है)
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर हम दंगों व हड़ताल को आवरित कर सकते हैं।

प्रीमियम दरें : प्रीमियम की दरें, कार्गों का स्वरूप, पैकिंग के तरीके, परिवहन का साधन, दूरी, आवश्यक आवरण का प्रकार व दावा अनुभव आदि, तथ्यों पर निर्भर होती है। दर बीमालेखन सीमाओं के अनुसार, शाखा/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी। ग्राहक के पोर्टफोलियो की लाभप्रदता भी दर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आयात/निर्यात के लिए आवरण : आयात/निर्यात आवरण अंतर्राष्ट्रीय क्लॉजों पर निर्भर करता है जिन्हें

“इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज” (आई सी सी) के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत (आई सी सी) (ए) बहुत है जब कि आई सी सी (बी) और (सी) सीमित है ।

(क) इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (सी)

आवरित जोखिम : सामान को अग्नि, विस्फोट, वैसल के ड्बने, दिग्भ्रमित अथवा ग्राउंड होने, पलटने अथवा वाहन के पटरी से उतारने, वाहन के टकराने से पहुंचनेवाली क्षति या हानि । आपात स्थिति में सामान को आपात बंदरगाह पर उतारने से हानि, जहाज से सामान बाहर फेंकना सामान्य औसत हानि ।

(ख) इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (बी)

आवरित जोखिम : उपर्युक्त क्लॉज ‘सी’ के मामले के साथ साथ, भूकंप, ज्वालामुखी फूटने अथवा तड़ित, जहाज के ऊपर से कार्गो बह जाना, समुद्र अथवा नदी के पानी से हुई हानि, किसी भी पैकेज की संपूर्ण हानि, जहाज पर रखे जाना या जहाज पर चढ़ाने अथवा उतारने के दौरान गिर जाना ।

(ग) इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (ए)

यह आवरण का सबसे बड़ा फॉर्मट है । यह क्लॉज ऊपर ‘बी’ में आवरित जोखिम के साथ बारिश के पानी से हानि, समुद्री डकेती, जानबूझ कर किया गया नुकसान अथवा किसी व्यक्ति की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से क्षति, चोरी, उठाईगिरी, गैर-सुपुर्दी, मिट्टी के तेल और एसिड से संपर्क, अन्य कार्गो से हानि, संयोगवश अन्य बाहरी जोखिम को आवरित करता है ।

विशिष्ट समुद्र यात्रा पॉलिसी

विशिष्ट समुद्र यात्रा पॉलिसी मुख्यतः भारत के भीतर - अंतर्राष्ट्रीय / भारत के बाहर - आयात निर्यात के एकल पारवहन के लिए जारी की जाती है ।

आवरण - आईटीसी ए, बी, सी

बीमा राशि : प्रेषण मूल्य

मूल्यांकन का आधार : सीआईएफ, सीआईएफ+10

ओपन पॉलिसी

यदि बीमाधारक लगातार बहुत बड़ी मात्रा में डिस्पैचेज प्राप्त कर रहे हैं और / अथवा अन्दर आने वाले सामान के डिस्पैच प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक डिस्पैच के लिए पॉलिसी लेने में असुविधा होगी अतः ऐसे मामलों में मरीन ओपन पॉलिसी एक सुविधाजनक दस्तावेज है ।

आवरण : देश में रेल / सड़क / वायु मार्ग पंजीकृत डाक से सामान डिस्पैच के लिए या हवाई / समुद्री / पंजीकृत डाक से आयात या निर्यात के लिए आवरण उपलब्ध है ।

अवधि : एक वर्ष

बीमित राशि : बीमित राशि पर पूर्ण प्रीमियम का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाएगा जिसका निर्धारण 12 महीनों में भेजे जाने वाले अनुमानित डिस्पैचों पर आधारित होगा । जब बीमित राशि समाप्त होने लगेगी, तो उसको अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करके बढ़ाया जा सकेगा ।

मूल्यांकन का आधार : सामान की बीजक लागत, कर, किराया और बीमा प्रीमियम 10% आकस्मिक शुल्कों के साथ या सी आई एफ + 10%.

पॉलिसी अवधि के अंत में बीमित राशि के अप्रयुक्त शेष के लिए पहले से चुकाई गई प्रीमियम राशि को कंपनी के नियमों के अधीन वापस कर दिया जाएगा ।

ओपन कवर

ओपन कवर आयातों और निर्यातों के लिए जारी किया जाता है जबकि बीमाकर्ता पूर्व निर्धारित दरों नियमों और शर्तों के अनुसार प्रत्येक डिस्पैच / रसीदों के लिए अलग प्रमाण पत्र जारी करने को तैयार हो जाता है । ओपन कवर एक सुलभ दस्तावेज न होकर, ओपन पॉलिसी से अलग बीमा करने का एक समझौता है जो एक सुलभ दस्तावेज है ।

अवधि : एक वर्ष

मूल्यांकन का आधार : सी आई एफ : 10%.

वार्षिक टर्न ओवर पॉलिसी

एकल पॉलिसी के अंतर्गत एक्सप्रेस करार द्वारा आयात निर्यात, आंतरिक पारवहन को आवरित किया जाता है । बीमा राशि बीमाधारक के वार्षिक बिक्री टर्न ओवर का प्रतिनिधित्व करती है और उसका प्रत्येक तिमाही के विक्रय टर्न ओवर के आधार पर घोषित समाप्ति के पहले उचित अतिरिक्त प्रीमियम की अदायगी पर आवश्यकता के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए । केवल नीचे की ओर जानेवाला समायोजन अनुमत है । जो अनुमानित टर्नओवर का वास्तविक टर्नओवर के साथ मिलान करने पर किया जायेगा और जो एटीओ शर्त के अधीन होगा ।

दावा प्रक्रिया / आवश्यकता

1. हानि को कम करने हेतु तत्काल कदम उठायें ।
2. बीमा कंपनी के नजदीकी कार्यालय से या पॉलिसी पर दर्शाये गये दावा निपटान एजेंट से तत्काल संपर्क करें ।
3. जहाज पर या पोर्ट पर रहने के दौरान यदि माल को कोई क्षति पहुँची हो तो संयुक्त जहाज सर्वेक्षण या पोर्ट सर्वेक्षण की व्यवस्था करें ।
4. कैरियर के साथ पंजीकृत ए/डी द्वारा निर्धारित समय अवधि में मौद्रिक दावा दर्ज करें ।
5. विधिवत समनुदेशित बीमा पॉलिसी/प्रमाणपत्र मूल बीजक तथा दावे के समर्थन में आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करें; जैसे :
 1. लदान बिल / एयर-वे-बिल / जीआर ।
 2. पैकिंग सूची ।
 3. कैरियर के साथ आदान-प्रदान हुए पत्राचार की प्रतियाँ ।
 4. कैरियरों पर लगाये गये नोटीस की प्रति प्राप्तिसूचना/रसीद के साथ ।
 5. कैरियर द्वारा जारी कमी/क्षति/गैर-सुपुर्दगी का प्रमाणपत्र ।
 6. फोटो के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट । बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किये गये सर्वेक्षक की सर्वेक्षण फीस अदा करनी होगी । यह फीस दावे के साथ लौटायी जाएगी, यदि दावा स्वीकार्य हो तो ।
 7. प्रस्थापन पत्र के साथ मुख्तारनामा जो विधिवत स्टांपित हो तथा तीन प्रतियों में दावा बिल ।

टिप्पणी :

आधिक्य - अंदाजन आधिक्य पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए जो विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे पारवहन का स्वरूप, वस्तुएँ, पैकिंग का स्वरूप इत्यादि ।

प्रति बॉटम सीमा : कोई एक पारवहन - सभी प्रकार के पारवहनों को लागू ।

प्रति स्थान सीमा : अधिकतम प्रति बॉटम सीमा के दोगुना - सभी प्रकार के पारवहनों को लागू ।

मोटर बीमा आवरण

मोटर बीमा

मोटर बीमा भारतीय मोटर टैरिफ 2002 द्वारा नियंत्रित है (दर निर्धारण भाग को छोड़कर)।

आवरण :

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सार्वजनिक रास्तों पर वाहन चलानेवाले प्रत्येक वाहन मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बीमा पॉलिसी ले, ताकि अगर वह कभी किसी दुर्घटना के कारण हुई तृतीय पक्ष की मृत्यु, शारीरिक चोट या संपत्ति की हानि का भुगतान करने के लिए कानूनी जिम्मेदार हो तो इस राशि को आवरण दिया जा सके। ऐसे बीमा के प्रमाण के रूप में बीमा प्रमाणपत्र हमेशा वाहन में रखा जाना चाहिए।

इस पॉलिसी में सभी प्रकार के वाहन आवरित किये जाते हैं, जैसे दुपहिया, तिपहिया, चारपहिया तथा वाणिज्यिक वाहन जो ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार तृतीय पक्ष दायित्व तथा वाहन की स्वयं क्षति के लिए आवरित किये जाते हैं। तृतीय पक्ष (दायित्व) बीमा अनिवार्य है।

पॉलिसी कौन ले सकता है ?

कोई भी वाहन मालिक जिसका वाहन भारत में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) के पास उसके अपने नाम से पंजीकृत है।

दो प्रकार के आवरण उपलब्ध हैं :

1. केवल दायित्व पॉलिसी - इसमें तृतीय पक्ष के लिए दायित्व आवरित है जिसमें शारीरिक चोट और/या मृत्यु तथा संपत्ति क्षति शामिल है। मालिक - ड्राइवर के लिए वैयक्तिक दुर्घटना कवर भी शामिल है।
2. पैकेज पॉलिसी - उपर्युक्त (1) के साथ - साथ उसमें बीमित वाहन की हानि या क्षति (ओडी) आवरित होती है।

आवरित जोखिम

केवल दायित्व पॉलिसियाँ :

इस पॉलिसी में वाहन के मालिक के निम्न के प्रति क्षतिपूर्ति देने के कानूनी दायित्व को आवरित किया जाता है :

1. तृतीय पक्ष व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट।
2. तृतीय पक्ष संपत्ति की क्षति।

मृत्यु या चोट के मामले में आवरित किये गये दायित्व की राशि असीमित है तथा तृतीय पक्ष संपत्ति के लिए सीमा वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, टैक्सी और निजी कार के लिए रु. 7.5 लाख और स्कूटर / मोटर साइकिल के लिए रु. 1 लाख है।

पैकेज पॉलिसी :

इस आवरण में केवल दायित्व आवरण के साथ - साथ बीमित वाहन तथा उसके उप-पुर्जों को निम्न के कारण हानि या क्षति भी शामिल है :

1. अग्नि, विस्फोट, स्वतः प्रजनन या विद्युत।
2. चोरी, गृहभेदन या सेंधमारी।
3. दंगा और हड्डताल।
4. विदेशपूर्ण कारवाई।
5. आतंकवादी गतिविधि।
6. भूकंप (अग्नि और धक्के) क्षति।
7. बाढ़, बवंडर, चक्रवात, आँधी, झाङ्घावात, आप्लावन, तूफान और ओलावृष्टि।
8. दुर्घटनात्मक बाह्य साधन।
9. रोड़, रेल, अंतर्रेशीय जलमार्ग, लिफ्ट, एलेवेटर या हवाई पारवहन के दौरान।
10. भूस्खलन / पत्थर फिसलने के कारण।

यह पॉलिसी दुर्घटना स्थान से वर्कशॉप तक वाहन के टोइंग प्रभार का भी भुगतान करती है जिसकी स्कूटरों / मोटरसाइकिलों के लिए अधिकतम सीमा रु. 300/- तक होगी और निजी गाड़ियों के लिए रु. 1500/- तथा तिपाहियों के लिए रु. 750/- होगी, रु. 1500/- टैक्सियों और रु. 2500/- वाणिज्यिक वाहनों के लिए होगी ।

टिप्पणी : अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके उच्च टोइंग प्रभार का विकल्प छुनने की भी अनुमति है ।

प्रीमियम : दर निर्धारण कारक । दर निर्धारण निम्न कारकों पर निर्भर करता है :

1. बीमाधारक द्वारा घोषित वाहन मूल्य (आईडीवी)
2. क्षयबीक क्षमता
3. भौगोलिक क्षेत्र
4. वाहन की आयु
5. वाणिज्यिक वाहनों के मामले में सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू)
6. जन परिवहन वाहन के मामले में यात्रियों की संख्या
7. एड ऑन आवरण

न्यूनतम प्रीमियम : सभी प्रकार के वाहनों के लिए रु. 100/- और मानसिक तौर पर विकलांगों के लिए रु. 25/- जिसमें जीएसटी जोड़ा जायेगा ।

भौगोलिक क्षेत्र :

दर निर्धारण के उद्देश्य के लिए पूर्ण भारत को, संबंधित वाहन के पंजीकरण कार्यालय की स्थिति के अनुसार दर निर्धारण के लिए निम्नलिखित जौन में बांटा गया है ।

(1) निजी कार / दो पहिया मोटर वाहन / अनुभाग IV सी-1 एवं सी-4 के अंतर्गत दर निर्धारण योग्य निजी कार / दो पहिया मोटर वाहन / वाणिज्यिक वाहन ।

क्षेत्र ए : अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे

क्षेत्र बी : शेष भारत

(2) अनुभाग - IV सी 1 और सी 4 के अंतर्गत दर निर्धारण योग्य व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर व्यावसायिक वाहन ।

क्षेत्र ए : चेन्नई, दिल्ली / नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई

क्षेत्र बी : अन्य सभी राज्यों की राजधानियाँ

क्षेत्र सी : शेष भारत

आईडीवी पर पहुँचने हेतु मूल्यहास की अनुसूची

(मोटर ट्रेड पॉलिसी को छोड़कर)

वाहन की आयु	आईडीवी निश्चित करने हेतु मूल्यहास का %
6 माह से अधिक नहीं	5%
6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं	15%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्षों से अधिक नहीं	20%
2 वर्षों से अधिक लेकिन 3 वर्षों से अधिक नहीं	30%
3 वर्षों से अधिक लेकिन 4 वर्षों से अधिक नहीं	40%
4 वर्षों से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	50%

टिप्पणी : 5 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों का तथा वाहनों के उच्चवलित मॉडलों का आईडीवी (अर्थात् जो मॉडल निर्माणकर्ता ने निर्मित करना बंद कर दिया है) प्रचलित बाजार दर पर तय होगा ।

नो क्लेम बोनस (एनसीबी)

मोटर ट्रेड पॉलिसियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के केवल स्वयं क्षति भाग पर 'नो क्लेम बोनस' (एनसीबी) अर्जित किया जा सकता है। बीमाधारक, केवल पॉलिसी के नवीकरण पर यथा 12 महीनों की अवधि पूरी होने के बाद कोई दावा न किये जाने की स्थिति में एनसीबी के लिए पात्र होगा।

एनसीबी की अनुसूची

सभी प्रकार के वाहन	स्वयं क्षति प्रीमियम पर छूट का %
पिछले पूरे बीमा साल में - प्रथम वर्ष में कोई दावा नहीं किया है या कोई दावा लंबित नहीं है - पहला वर्ष	20%
बीमा के लगातार दो वर्षों में कोई दावा नहीं किया गया है या कोई दावा लंबित नहीं है - दूसरा वर्ष	25%
बीमा के लगातार तीन वर्षों में कोई दावा नहीं किया गया है या कोई दावा लंबित नहीं है - तीसरा वर्ष	35%
बीमा के लगातार चार वर्षों में कोई दावा नहीं किया गया है या कोई दावा लंबित नहीं है - चौथा वर्ष	45%
बीमा के लगातार पाँच वर्षों में कोई दावा नहीं किया गया है या कोई दावा लंबित नहीं है - पाँचवा वर्ष	50%

अतिरिक्त प्रीमियम के साथ अतिरिक्त टोर्डिंग प्रभार

वाहन प्रकार	चुना गया अतिरिक्त टोर्डिंग प्रभार	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर अतिरिक्त प्रीमियम
निजी कार	रु. 1500 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
दुपहिया	रु. 300 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%

वाणिज्यिक वाहन

दुपहिया	रु. 300 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
तिपहिया	रु. 750 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
	रु. 750 से अधिक लेकिन रु. 1500 से अधिक नहीं	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 7.5%
टैक्सियाँ	रु. 1500 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
	रु. 1500 से अधिक लेकिन रु. 3000 से अधिक नहीं	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 7.5%
अन्य वाणिज्यिक वाहन	रु. 10000 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
	रु. 10000 से अधिक लेकिन रु. 20000 से अधिक नहीं	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 7.5%
मोटर ट्रेड पॉलिसी के तहत आवरित वाहन	रु. 300 तक	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 5%
	रु. 300 से अधिक लेकिन रु. 500 से अधिक नहीं	चुनी हुई अतिरिक्त राशि पर 7.5%

01/07/2002 से प्रभावी आई एम टी 2002 दरें - मोटर बीमा

विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रीमियम दरें

I. निजी कार

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र बी			क्षेत्र ए		
	क्यूबिक क्षमता			क्यूबिक क्षमता		
	1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1000 क्यू. क्ष. से अधिक पर 1500 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1500 क्यू. क्ष. से अधिक	1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1000 क्यू. क्ष. से अधिक पर 1500 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1500 क्यू. क्ष. से अधिक
5 वर्षों से अधिक नहीं	3.039 %	3.191 %	3.343 %	3.127 %	3.283 %	3.440 %
5 वर्षों से अधिक लैकिन 10 वर्षों से अधिक नहीं	3.191%	3.351%	3.510 %	3.283 %	3.447 %	3.612 %
10 वर्षों से अधिक	3.267 %	3.430 %	3.594 %	3.362 %	3.529 %	3.698 %

दायित्व प्रीमियम :

वाहन की क्यूबिक क्षमता	प्रीमियम
1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 1,850/-
1000 क्यू. क्ष. से अधिक किंतु 1500 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 2,863/-
1500 क्यू. क्ष. से अधिक	रु. 7,890/-

अतिरिक्त प्रीमियम : स्वयं क्षति आवरण के लिए

- मालिक - चालक (पंजीकृत) के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण :- प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा रु. 2 लाख की मूल बीमा राशि हेतु रु. 100/- प्रीमियम लगाया जायेगा ।
- इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल्स फिटिंग्स :- यदि इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल्स मद्दे इनबिल्ट नहीं और बीमा के लिए अलग से धोषित की जाएँ तो ऐसे फिटिंग्ज के मूल्य पर @4% की दर पर अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जायेगा ।

II. दुपहिया

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र बी			क्षेत्र ए		
	क्यूबिक क्षमता			क्यूबिक क्षमता		
150 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	150 क्यू. क्ष. से अधिक पर 350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	350 क्यू. क्ष. से अधिक	150 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	150 क्यू. क्ष. से अधिक पर 350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	350 क्यू. क्ष. से अधिक	
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.676 %	1.760 %	1.844%	1.708 %	1.793 %	1.879%
5 वर्षों से अधिक लेकिन 10 वर्षों से अधिक नहीं	1.760 %	1.848%	1.936%	1.793 %	1.883 %	1.973 %
10 वर्षों से अधिक	1.802 %	1.892 %	1.982 %	1.836 %	1.928 %	2.020 %

दायित्व प्रीमियम :

वाहन की क्यूबिक क्षमता	प्रीमियम
75 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 427/-
75 क्यू. क्ष. से अधिक किंतु 150 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 720/-
150 क्यू. क्ष. से अधिक किंतु 350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 985/-
350 क्यू. क्ष. से अधिक	रु. 2,323/-

III. व्यावसायिक वाहन :

सामान ले जानेवाले :

वर्ग - ए - 1 - जन वाहक (तिपहिया वाहनों को छोड़कर) :

जी वी डब्ल्यू के लिए 12000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.726%	1.743%	1.751%
5 वर्षों से अधिक लेकिन 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.770%	1.787%	1.795%
7 वर्षों से अधिक	1.812%	1.830%	1.839%

टिप्पणी : जिन वाहनों का सकल वाहन वजन 12000 कि. ग्रा. से अधिक हों उसके लिए 12000 कि. ग्रा. से अधिक के प्रत्येक 100 कि. ग्रा. के लिए रु. 27 की अतिरिक्त राशि ली जायेगी ।

दायित्व प्रीमियम :

सकल वाहन भार (जी वी डब्ल्यू) कि. ग्रा. में	तृतीय पक्ष प्रीमियम (रु.)
7500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 14,390/-
7500 कि. ग्रा. से अधिक लेकिन 12000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 24,190/-
12000 कि. ग्रा. से अधिक लेकिन 20000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 32,367/-
20000 कि. ग्रा. से अधिक लेकिन 40000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 39,849/-
40000 कि. ग्रा. से अधिक	रु. 38,308/-

वर्ग - ए - 2 : निजी कैरियर्स (तिपहिया वाहनों को छोड़कर) :

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.208%	1.220%	1.226%
5 वर्षों से अधिक लेकिन 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.239%	1.251%	1.257%
7 वर्षों से अधिक	1.268%	1.281%	1.287%

दायित्व प्रीमियम :

सकल वाहन भार (जी वी डब्ल्यू) कि. ग्रा. में	तृतीय पक्ष प्रीमियम (रु.)
7500 से अधिक नहीं	रु. 7,144/-
7500 से अधिक किंतु 12000 से अधिक नहीं	रु. 15,620/-
12000 से अधिक किंतु 20000 से अधिक नहीं	रु. 9,871/-
20000 से अधिक किंतु 40000 से अधिक नहीं	रु. 15,397/-
40000 से अधिक	रु. 21,318/-

वर्ग - ए - 3 : सामान ले जानेवाले मोटर चालित तिपहिया वाहन / मोटर चालित पेडल साइकिल और ई-कार्ट (पब्लिक कैरियर्स)

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.640%	1.656%	1.664%
5 वर्षों से अधिक लेकिन 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.681%	1.697%	1.706%
7 वर्षों से अधिक	1.722%	1.739%	1.747%

दायित्व प्रीमियम :

केवल दायित्व आवरण के लिए प्रीमियम - रु. 4,544/- ई-कार्ट को छोड़कर

रु. 3,175/- ई-कार्ट के लिए

वर्ग - ए - 4 : सामान ले जानेवाले मोटर चालित तिपहिया वाहन और मोटर चालित पेडल साइकिल (निजी कैरियर्स) :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.148 %	1.159 %	1.165 %
5 वर्षों से अधिक लेकिन 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.177 %	1.188 %	1.194 %
7 वर्षों से अधिक	1.205 %	1.217 %	1.223 %

दायित्व प्रीमियम :

केवल दायित्व आवरण के लिए प्रीमियम - रु. 3,150/- ई-कार्ट को छोड़कर

रु. 2,579/- ई-कार्ट के लिए

बी. ट्रेलर्स के लिए टैरिफ

वाहन की आई डी वी पर दर

एक समय में खींचे गए ट्रेलरों की संख्या (एक या अधिक टोईंग वाहन द्वारा)	खींचे गए			
	कृषि / वनखंड वाहन		अन्य वाहन	
	स्वयं क्षति (प्रति ट्रेलर)	केवल देयता (प्रति ट्रेलर)	स्वयं क्षति (प्रति ट्रेलर)	केवल देयता (प्रति ट्रेलर)
खींचा गया 1 ट्रेलर	0.87%	प्रति ट्रेलर रु. 816/- (एक से अधिक ट्रेलर होने पर कृपया ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)	1.05%	प्रति ट्रेलर रु. 2,091/- (एक से अधिक ट्रेलर होने पर कृपया ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)
खींचे गये 2 ट्रेलर	0.90%		1.08%	
खींचे गये 3 ट्रेलर	0.93%		1.12%	
खींचे गये 4 ट्रेलर	0.96%		1.16%	
खींचे गये 5 ट्रेलर	1.00%		1.20%	
खींचे गये 6 ट्रेलर	1.05%		1.25%	
खींचे गये 7 ट्रेलर	1.10%		1.32%	
खींचे गये 8 ट्रेलर	1.15%		1.38%	

IV. यात्री वाहन :

सी. 1. ए. 6 व्यक्तियों की वाहक क्षमता तक वाले यात्री वाहन (4 पहिया वाहन) :

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र बी			क्षेत्र ए		
	क्यूबिक क्षमता		क्यूबिक क्षमता			
1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1000 क्यू. क्ष. से अधिक पर 1500 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1500 क्यू. क्ष. से अधिक	1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1000 क्यू. क्ष. से अधिक पर 1500 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1500 क्यू. क्ष. से अधिक	
5 वर्षों से अधिक नहीं	3.191 %	3.351 %	3.510 %	3.284 %	3.448%	3.612 %
5 वर्षों से अधिक किंतु 7 वर्षों से अधिक नहीं	3.271 %	3.435 %	3.598 %	3.366 %	3.534 %	3.703 %
7 वर्षों से अधिक	3.351 %	3.520%	3.686 %	3.448 %	3.620 %	3.793 %

दायित्व प्रीमियम :

वाहन की क्यूबिक क्षमता	प्रीमियम
1000 क्यू. क्षमता से अधिक नहीं	रु. 5,437 + रु. 1,046 x यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।
1000 क्यू. क्षमता से अधिक किंतु 1500 क्यू. क्षमता से अधिक नहीं	रु. 7,147 + रु. 880 x यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।
1500 क्यू. क्षमता से अधिक	रु. 9,472 + रु. 1,006 x यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।

सी. 1. बी. 6 व्यक्तियों की वाहक क्षमता तक वाले यात्री वाहन (3 पहिया वाहन) :

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.260%	1.272%	1.278%
5 वर्षों से अधिक किंतु 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.292%	1.304%	1.310%
7 वर्षों से अधिक	1.323%	1.336%	1.342%

दायित्व प्रीमियम :

ई-रिक्शा को छोड़कर	रु. 2,595/- + रु. 1,241 x यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।
ई-रिक्शा	रु. 1,685/- + रु. 806 x यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।

वर्ग सी. 2 : 6 व्यक्तियों से अधिक वाहक क्षमता वाले चार (अथवा अधिक) यात्री वाहन :
चयंकस्ति प्रीमियम दर :

वाहन की आई भी वी पर दर
वाहन की आई भी वी पर दर

वाहन की आयु	लाइसेंसशुद्धा अधिकतम वाहक क्षमता		लाइसेंसशुद्धा अधिकतम वाहक क्षमता		लाइसेंसशुद्धा अधिकतम वाहक क्षमता	
	वेत्र ए	वेत्र बी	वेत्र ए	वेत्र बी	वेत्र ए	वेत्र बी
5 वर्ष से अधिक नहीं	Rs. 350	Rs. 450	Rs. 550	Rs. 680	Rs. 450	Rs. 550
1.656% + 1.656%	1.656% + 1.656%	1.656% + 1.656%	1.656% + 1.656%	1.672% + 1.672%	1.672% + 1.672%	1.680% + 1.680%
5 वर्ष से अधिक नहीं	Rs. 350	Rs. 450	Rs. 550	Rs. 680	Rs. 450	Rs. 550
1.697% + 1.697%	1.697% + 1.697%	1.697% + 1.697%	1.697% + 1.697%	1.714% + 1.714%	1.714% + 1.714%	1.722% + 1.722%
7 वर्ष से अधिक नहीं	Rs. 350	Rs. 450	Rs. 550	Rs. 680	Rs. 450	Rs. 550
1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.756% + 1.756%	1.756% + 1.756%	1.764% + 1.764%
7 वर्ष से अधिक	Rs. 350	Rs. 450	Rs. 550	Rs. 680	Rs. 450	Rs. 550
1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.739% + 1.739%	1.756% + 1.756%	1.756% + 1.756%	1.764% + 1.764%

वापित्र प्रीमियम :

रु. 13,176/- + रु. 805/- X यात्रियों की कुल संख्या जिनको परिवहन करने का लाइसेंस प्राप्त है।

वर्ग : सी 3: 6 यात्रियों से अधिक किंतु 17 यात्रियों से अधिक नहीं, किराये या रिवॉर्ड पर यात्री वाहन तिपहिया मोटर वाहन

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.759%	1.777%	1.785%
5 वर्षों से अधिक किंतु 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.803%	1.821%	1.830%
7 वर्षों से अधिक	1.847%	1.866%	1.874%

दायित्व प्रीमियम :

मात्र दायित्व आवरण के लिए प्रीमियम	रु. 6,222/- + रु. 1,241/- x यात्रियों की कुल संख्या जितने यात्री ले जाने का लाइसेंस हो ।
------------------------------------	--

वर्ग सी 4 : किराये या भाड़े पर यात्री ले जाने के लिए दो पहिया मोटर वाहन

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र बी			क्षेत्र ए		
	क्यूबिक क्षमता			क्यूबिक क्षमता		
	150 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	150 क्यू. क्ष. से अधिक पर 350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	350 क्यू. क्ष. से अधिक	150 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	150 क्यू. क्ष. से अधिक पर 350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	350 क्यू. क्ष. से अधिक
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.743%	1.830 %	1.917 %	1.794 %	1.884 %	1.973 %
5 वर्षों से अधिक किंतु 10 वर्षों से अधिक नहीं	1.787 %	1.876 %	1.965 %	1.839 %	1.931 %	2.023 %
10 वर्षों से अधिक	1.830 %	1.922 %	2.013 %	1.884 %	1.978 %	2.072 %

दायित्व प्रीमियम :

दुपहिया मोटर वाहन की क्यूबिक क्षमता	केवल दायित्व प्रीमियम
350 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	रु. 790/- + 532 x यात्रियों की कुल संख्या जितने यात्री ले जाने का लाइसेंस हो ।
350 क्यू. क्ष. से अधिक	रु. 2,067/- + 532 x यात्रियों की कुल संख्या जितने यात्री ले जाने का लाइसेंस हो ।

अनुलग्नक 1 और 2 5. विविध और विशेष प्रकार के वाहनों के लिए टैरिफ (वर्ग : डी)

स्वयंक्षति प्रीमियम दर :

वाहन की आई डी वी पर दर

वाहन की आयु	क्षेत्र - सी	क्षेत्र - बी	क्षेत्र - ए
5 वर्षों से अधिक नहीं	1.190 %	1.202 %	1.208 %
5 वर्षों से अधिक कितु 7 वर्षों से अधिक नहीं	1.220 %	1.233 %	1.238 %
7 वर्षों से अधिक	1.250 %	1.262 %	1.268 %

मोबाइल इकाइयों - निम्नलिखित मोबाइल इकाइयों के लिए आई एम टी 47 पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है :

- (क) मोबाइल क्रेन
- (ख) यांत्रिक नौसेना, शॉवेल, ग्रेब, रिपर और उत्थनन
- (ग) ड्रैगलाइन उत्थनन
- (घ) मोबाइल ड्रिलिंग रिग्स
- (ण) मोबाइल संयंत्र

उपर्युक्त के लिए जारी की गई पॉलिसियों को, इकाइयों को, व्यापारिक यंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रचालन के दौरान पलटने से होने वाली हानि को आवरित करने के लिए, वाहन की आई डी वी की 0.5% की दर पर अतिरिक्त प्रीमियम पर जो न्यूनतम रु.100/- के अतिरिक्त प्रीमियम की शर्त पर, आवरण को विस्तारित किया जा सकता है ।

दायित्व प्रीमियम :

वाहन का प्रकार	मात्र दायित्व प्रीमियम
i) हॉर्स पॉवर के साथ पैदल चालकों द्वारा नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, दर 6 हॉर्स पॉवर से अधिक नहीं, हियरसे तथा सामान्य भार वाहक	रु. 1,435/-
ii) अन्य विविध और विशिष्ट प्रकार के वाहन	रु. 6,115/-

आई. आर. डी. ए. ने अपने परिपत्र आई. आर. डी. ए./एन.एल./ओ.आर.डी./एम.पी.एल./077/03/2012 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा निम्नांकित 7 प्रकार के वाहनों को विविध व विशिष्ट प्रकार के भार वाहक वाहन यानी डी श्रेणी से 4 ए श्रेणी में स्थानान्तरित किया है :

1. कृषि ट्रैक्टर के अतिरिक्त ट्रैक्टर
2. डम्पर्स
3. दूध की गाड़ियाँ
4. तेल व ट्रान्सफोर्ट वाहन
5. रेफ्रिजरेशन / पूर्वशीत यूनिट
6. टैकर्स
7. टिपर्स

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त परिपत्र में आई. आर. डी. ए. ने वेतनभोगी ड्राइवरों, कंडक्टरों व कार्मिकों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आवरित करने के लिए रु. 25/- प्रति कैपिटा से रु. 50/- प्रति कैपिटा तक प्रीमियम में संशोधन किया है ।

एड - ऑन आवरण

मानक मोटर पैकेज पॉलिसी के साथ एड - ऑन कवर। ऐसे एड - ऑन कवर निजी कार (पीसी), दुपहिया (टीडब्ल्यू) तथा वाणिज्यिक वाहनों (सीवी) के लिए उपलब्ध है।

● शून्य मूल्यहास आवरण / वर्धित आवरण (पीसी, टीडब्ल्यू और सीवी हेतु)

दुर्घटना की स्थिति में हानि के कारण विभिन्न पुर्जों पर 5% से 50% तक (मेटल, प्लास्टीक, फाइबर या रबड़ पुर्जे) लगनेवाले मूल्यहास से ग्राहक को 'शून्य मूल्यहास' कवर से मुक्ति मिलती है। हानि की मरम्मत से संबंधित लगभग सभी खर्चें कंपनी द्वारा उठाये जाते हैं। आंशिक हानियों के मामले में आपको अपनी बचत से मूल्यहास का व्यय उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह संभव होगा न्यू इन्डिया के एड - ऑन कवर 'शून्य (निल) मूल्यहास' से।

यह कवर निम्नानुसार पीसी, टीडब्ल्यू तथा सीवी के लिए उपलब्ध है :

- निजी कार पैकेज पॉलिसी - वर्धित कवर - वाहन की उम्र 3 साल की होने तक तथा 4 थे और 5 वें वर्ष में भी यदि वह एनसीबी के साथ हमारा अपना नवीकरण हो। आयातित वाहनों के लिए अग्रिम रूप से ली गयी प्रधान कार्यालय की मंजूरी के अधीन।
- दुपहिया पैकेज पॉलिसी - वर्धित कवर - वाहन की उम्र 5 वर्ष की होने तक। (ग्राहक तथा अन्य पोर्टलों पर वाहन की उम्र 3 वर्ष की होने तक)
- वाणिज्यिक वाहन पैकेज पॉलिसी - वर्धित कवर - {5 वर्ष की उम्र तक (ग्राहक तथा अन्य पोर्टलों पर वाहन की उम्र 3 वर्ष होने तक), जो केवल माल वाहक वाहन तथा यात्री वाहक वाहन (केवल 1+9 सीटर)} के लिए उपलब्ध है।

क) निजी कार पैकेज पॉलिसी - वर्धित कवर

पात्रता :-

1. वर्धित कवर केवल तभी दिया जायेगा जब उसे निजी कार पैकेज पॉलिसी लेने के समय चुना गया हो।
2. निजी कार जिसके लिए यह कवरेज चुना गया है उसकी उम्र कवर के आरंभ होने की तिथि पर 5 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. कार की अधिकतम वहन क्षमता केवल 1+9 होनी चाहिए। ऑटोरिक्शा को निजी कार नहीं माना जा सकता।

प्रीमियम दरें :- आवरित वाहन के आईडीवी पर बिना किसी छूट के लगायी जायेगी।

कार की उम्र (डीलर से नयी गाड़ी पहली बार खरीदने की स्थिति)	प्रीमियम कार 1500 सीसी से अधिक	प्रीमियम कार 1500 सीसी से अधिक
कार की उम्र के पहले वर्ष के लिए (ब्रॉड न्यू गाड़ी और 1 वर्ष उम्र तक की गाड़ी)	0.40%	0.45%
कार की उम्र के दूसरे वर्ष के लिए (1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष उम्र तक)	0.50%	0.55%
कार की उम्र के तीसरे वर्ष के लिए (2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष उम्र तक)	0.65%	0.70%
कार की उम्र के चौथे वर्ष के लिए (3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष उम्र तक)	0.85%	0.90%
कार की उम्र के पाँचवे वर्ष के लिए (4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष उम्र तक)	1.05%	1.10%

ख) दुपहिया पैकेज पॉलिसी - वर्धित कवर

पात्रता :-

- वर्धित कवर केवल तभी दिया जायेगा जब उसे दुपहिया पैकेज पॉलिसी लेने के समय चुना गया हो ।
- दुपहिया जिसके लिए यह कवरेज चुना गया है उसकी उम्र कवर के आंखंभ होने की तिथि पर 5 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

प्रीमियम दरें :-

कार की उम्र (डीलर से नयी गाड़ी पहली बार खरीदने की स्थिति)	दुपहिया के लिए प्रीमियम दर
दुपहिया की उम्र के पहले वर्ष के लिए (ब्रॅंड न्यू दुपहिया और 1 वर्ष उम्र तक की गाड़ी)	आईडीवी पर 0.12%
दुपहिया की उम्र के दूसरे वर्ष के लिए (1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष उम्र तक)	आईडीवी पर 0.22%
दुपहिया की उम्र के तीसरे वर्ष के लिए (2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष उम्र तक)	आईडीवी पर 0.30%
दुपहिया की उम्र के चौथे वर्ष के लिए (3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष उम्र तक)	आईडीवी पर 0.40%
दुपहिया की उम्र के पाँचवे वर्ष के लिए (4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष उम्र तक)	आईडीवी पर 0.60%

ग) माल वाहक वाणिज्यिक वाहन पैकेज पॉलिसी - शून्य मूल्यहास - शून्य अपवर्जन - एड ऑन कवर

पात्रता :-

- शून्य मूल्यहास - शून्य अपवर्जन - एड ऑन कवर तभी दिया जायेगा जब उसे माल वाहक वाणिज्यिक वाहन पैकेज पॉलिसी लेते समय चुना गया हो ।
- माल वाहक वाणिज्यिक वाहन जिसके लिए यह कवरेज चुना गया है तभी उम्र 5 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

एड ऑन कवरों के लिए विकल्प

कवर ए : इस विकल्प के तहत दोनों कवर आवरित होंगे यथा आंशिक हानियों में क्षतिग्रस्त पुर्जों पर मूल्यहास और भारतीय मोटर टैरिफ 2002 के आईएमटी 21 का 100% विशेष अपवर्जन, जिसमें मूल्यहास की कटौती नहीं होगी ।

कवर सी : इडके विकल्प के तहत भारतीय मोटर टैरिफ 2002 के आईएमटी 21 का 100% विशेष अपवर्जन आवरित होगा ।

प्रीमियम दरें :- किसी भी छूट के बिना आवरित वाहन के मूल स्वयं क्षति प्रीमियम पर लागू किया जाता है ।

जीवीडब्ल्यू (कि.ग्रा.में)	आवरण	नया तथा 2 वर्ष तक	2 वर्षों से 3 वर्षों तक	3 वर्षों से 4 वर्षों तक	4 वर्षों से 5 वर्षों तक
0-25000	ए	33%	40%	45%	51%
	सी	30%	30%	30%	30%
25001-40000	ए	34%	45%	48%	48%
	सी	30%	30%	30%	30%
>40000	ए	39%	62%	65%	57%
	सी	30%	30%	30%	30%

घ) यात्री वाहक वाणिज्यिक वाहन (1+9 सीटर तक) पैकेज पॉलिसी - वर्धित आवरण

पात्रता :-

- वर्धित आवरण केवल तभी दिया जायेगा जब उसे यात्री वाहक वाणिज्यिक वाहन पैकेज पॉलिसी लेने के समय चुना गया हो ।
- यात्री वाहक वाणिज्यिक वाहन (1+9 सीटर तक) जिसके लिए यह आवरण चुना गया है उसकी उपर 5 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

प्रीमियम दरें :- आवरित वाहन के आईडीवी पर बिना किसी छूट के लगायी जानी चाहिए ।

> 6 सीटर	उम्र वर्षों में				
वहन क्षमता	≤ 1	$>1 \leq 2$	$>2 \leq 3$	$>3 \leq 4$	$>4 \leq 5$
1500 क्यू. क्ष. तक	0.26%	0.45%	0.57%	0.75%	1.00%
1500 क्यू. क्ष. से अधिक	0.24%	0.40%	0.49%	0.66%	0.89%
< 6 सीटर	उम्र वर्षों में				
वहन क्षमता	≤ 1	$>1 \leq 2$	$>2 \leq 3$	$>3 \leq 4$	$>4 \leq 5$
1500 क्यू. क्ष. तक	0.44%	0.78%	0.99%	1.45%	1.83%
1500 क्यू. क्ष. से अधिक	0.45%	0.78%	0.86%	1.09%	1.51%

आधिक्य :- एड ऑन कवर के तहत देय प्रत्येक दावे के संबंध में दावा राशि में से रु. 3,000/- का आधिक्य काट लिया जायेगा ।

निजी कार पैकेज पॉलिसी के तहत एड ऑन कवरों के रूप में अतिरिक्त आवरण निम्नानुसार हैं

● सङ्कर कर आवरण शामिल (पीसी के लिए)

यह आवरण उस सङ्कर कर को सुरक्षा प्रदान करता है (आवरित सीमा तक) जो बीमाधारक को, बड़ी दुर्घटना के कारण यदि विद्यमान कार बदलनी पड़ जाए तो नयी गाड़ी के लिए अदा करना पड़ता है। इस आवरण के तहत जब कुल हानि आधार पर दावे को अंतिम रूप दिया जा रहा होता है तब पॉलिसी में आवरित सीमा तक सङ्कर कर की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। **यह आवरण 5 वर्ष की उम्र तक की निजी कारों के लिए उपलब्ध है।**

● रिटर्न टू इनवॉइस (पीसी के लिए)

यह आवरण 3 वर्ष की उम्र तक की कारों के लिए उपलब्ध है तथा इसमें बीमाधारक को उस राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है जो पॉलिसी के अनुसार आईडीवी में और उसी मेक तथा मॉडल की कार का दुर्घटना की तिथि पर डीलर की सूची में जो बिक्री मूल्य (एक्स - शोरूम मूल्य) हो तथा जो वाहन के पंजीकरण स्थान पर दर्शाया जा रहा हो, उन दोनों में जो अंतर हो। **यह आवरण उन कारों के लिए उपलब्ध है जिनका इनवॉइस मूल्य रु. 20 लाख तक है।**

● एनसीबी सुरक्षा आवरण (पीसी के लिए)

यह आवरण ग्राहक को स्वयं क्षति (ओडी) दावे के भुगतान के बाद भी 'दावा नहीं' बोनस की अगली स्लैब को प्राप्त करने का हकदार बनाता है। **यह आवरण 2 स्वयं क्षति (ओडी) स्वीकार्य दावों तक वैध होगा और 7 वर्ष की उम्र तक की निजी गाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा।** यह आवरण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण के समय स्वयं क्षति (ओडी) प्रीमियम 20%-50% तक बचाया जा सके लेकिन जहाँ पॉलिसी अवधि में बीमाधारक ने 2 से अधिक स्वयं क्षति (ओडी) दावे लिये हैं वहाँ बीमाधारक इस हेतु पात्र नहीं होगा।

● इंजन सुरक्षा आवरण (पीसी के लिए)

यह आवरण इंजन की (आपकी गाड़ी का सबसे महँगा हिस्सा) या उसके किसी भी पुर्जे की किसी भी कारण से पानी अंदर जाने से हुई किसी भी प्रकार की परिणामी हानि को सुरक्षा देता है और इस प्रकार से बरसात के मौसम में रास्तों में पानी भर जाने से होनेवाली इंजन की हानि की क्षतिपूर्ति यह करता है। **यह आवरण 5 वर्ष तक की उम्र की कार के लिए उपलब्ध है।**

● अतिरिक्त टोईंग प्रभार (पीसी के लिए)

यह विस्तारण वर्धित टोईंग प्रभार देता है क्योंकि इसमें निजी कार के 2 स्वीकार्य दावों में रु. 10,000/- तक टोईंग प्रभार की प्रतिपूर्ति अनुमत है। **यह आवरण 7 वर्ष की उम्र तक की कार के लिए उपलब्ध है।** यह आवरण मानक पैकेज पॉलिसी के साथ सामान्य रूप से दिये जानेवाले रु. 1500/- के टोईंग प्रभार के अलावा और अतिरिक्त है।

● अंतर्वस्तुओं की हानि आवरण (पीसी के लिए)

दुर्घटना में व्यक्तिगत वस्तुओं की हानि के लिए इस आवरण में रु. 20,000/- तक जिसमें बीमा राशि के 20% पर कैप लगायी जाती है (रु. 4000/- तक) सुरक्षा की शुरुआत है और यह राशि खोयी हुई वस्तुओं की वास्तविक कीमत या प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु के लिए, जो भी कम हो, वह होगी। व्यक्तिगत वस्तुओं का मतलब है ऐसी मद्दें जैसे कपड़े और निजी स्वरूप की अन्य चीजें जो बीमाधारक द्वारा पहनी जाती हैं जिनमें जवाहरात, वाहन की चाभी, मोबाइल, लैपटॉप, ऑडियो/विडियो टेप, सीडीज शामिल हैं लेकिन पैसे, प्रतिभूतियाँ, चैक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबेट कार्ड, यात्रा टिकट, पेंटिंग, कलाकृतियाँ और इस प्रकार की वस्तुएं शामिल नहीं हैं। **यह आवरण 7 वर्ष की उम्र तक की आपकी कार के लिए उपलब्ध है।**

प्रीमियम दरें :-

निम्न सभी दरें बिना किसी छूट के सङ्कर कर आवरण के लिए लगायी जानी चाहिये ।

(5 वर्ष उम्र तक के वाहन)

सङ्कर कर	प्रीमियम दर
सङ्कर कर की राशि रु. में	1.67%

रिटर्न टू इनवॉइस

(3 वर्ष की उम्र तक का वाहन और इनवॉइस मूल्य कार की प्रथम खरीद के समय
रु. 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए)

निजी कार की उम्र	प्रीमियम एक इनवॉइस मूल्य के % के रूप में प्रीमियम दर
<1	0.20%
1-2	0.35%
2-3	0.50%

एनसीबी सुरक्षा आवरण

(7 वर्ष उम्र तक के वाहन)

रु. 17 लाख तक आईडीवी वाली निजी कारें	विद्यमान एनसीबी स्तर	0%	20%	25%	35%	45%	50%
प्रीमियम आईडीवी के % के रूप में	0.30%	0.40%	0.45%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

एनसीबी सुरक्षा आवरण

(7 वर्ष उम्र तक के वाहन)

रु. 17 लाख तक आईडीवी वाली निजी कारें	विद्यमान एनसीबी स्तर	0%	20%	25%	35%	45%	50%
प्रीमियम आईडीवी के % के रूप में	0.40%	0.50%	0.55%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%

इंजन सुरक्षा आवरण

(5 वर्ष उम्र तक के वाहन)

निजी कार की उम्र	आईडीवी के % के रूप में	
	पुर्जों पर शून्य मूल्यहास के लाभ के बिना	पुर्जों पर शून्य मूल्यहास के लाभ के साथ
<1	0.25%	0.20%
1-2	0.25%	0.28%
2-3	0.25%	0.30%
3-4	0.25%	0.35%
4-5	0.25%	0.40%

अतिरिक्त टोर्इंग प्रभार आवरण

(5 वर्ष उम्र तक के वाहन)

चुना गया अतिरिक्त टोर्इंग प्रभार	चुने गये अतिरिक्त टोर्इंग प्रभार के % के रूप में प्रीमियम
₹. 10,000/-	5%

अंतर्वस्तुओं की हानि आवरण

(7 वर्ष उम्र तक के वाहन)

निजी कार की उम्र	बीमा राशि	दर
0-1	₹. 20,000/-	0.7%
1-2	₹. 20,000/-	0.7%
2-3	₹. 20,000/-	0.7%
3-4	₹. 20,000/-	0.7%
4-5	₹. 20,000/-	0.7%
5-6	₹. 20,000/-	0.7%
6-7	₹. 20,000/-	0.7%

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

वाहन की दुर्घटनात्मक क्षति के मामले में :

1. नजदीकी कार्यालय को तत्काल सूचना दी जानी चाहिए जो एक दावा फॉर्म जारी करेगा ।
2. विधिवत भरा गया दावा प्रपत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र, दुर्घटना के समय वाहन के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और मरम्मत के अनुमान के साथ जमा किया जाना चाहिए ।
3. बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक, वाहन का सर्वेक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत करेगा । यदि वाहन को बहुत ज्यादा क्षति पहुँची हो तो दुर्घटना के स्थान पर स्पॉट सर्वेक्षण की व्यवस्था कंपनी द्वारा की जाएगी ।
4. अंतिम बिल/कैश मेमो विधिवत हस्ताक्षरित करवाने के बाद बीमाधारक द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।
5. दावे की मंजूरी के बाद क्षतिग्रस्त पुर्जों का सालवेज बीमा कंपनी के पास जमा करवाया जाने की अपेक्षा की जा सकती है ।

वाहन की चोरी के मामले में :

1. पुलिस के पास तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और उसकी एक प्रति पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को भेजकर उन्हें सूचित किया जाना चाहिए ।
2. अंतिम पुलिस रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त हो जाए वैसे ही तुरंत उसे जमा किया जाना चाहिए । वाणिज्यिक वाहन के लिए कोर्ट द्वारा प्रमाणित अंतिम रिपोर्ट दी जाए ।
3. कंपनी द्वारा नियुक्त अन्वेषक को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए ।

4. कंपनी द्वारा दावा मंजूर किये जाने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र कंपनी के नाम अंतरित किया जाना चाहिए। साथ ही वाहन की चाभियों और विधिवत नोटरीकृत स्टैम्प पेपर पर प्रस्थापन पत्र तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तुत की जानी चाहिये।

दायित्व दावे के मामले में :

1. किसी भी दुर्घटना की तत्काल सूचना बीमा कंपनी को दी जानी चाहिये जिसमें दायित्व दावा पैदा होने का संदेश हो।
2. कोर्ट से समन्स प्राप्त होने पर उसे तत्काल बीमा कंपनी के पास भेजा जाना चाहिए।
3. दावा प्रपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति और एफआईआर की प्रति के साथ विधिवत भरकर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अन्य मोटर पॉलिसियाँ :- अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यालय से संपर्क करें।

1. दिघावधि दुपहिया पैकेज पॉलिसी – 3 वर्ष तक
2. दिघावधि दुपहिया पैकेज पॉलिसी – वर्धित कवर
3. दिघावधि स्टैंडेलोन मोटर तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी – 3 वर्ष तक
4. विविध तथा विशेष प्रकार के वाहन
5. मोटर ट्रेड - सड़क परिवहन जोखिम बीमा
6. मोटर ट्रेड सड़क जोखिम
7. मोटर ट्रेड आंतरिक जोखिम

मोटर तृतीय पक्ष दीर्घावधी बीमा पॉलिसियाँ

01.09.2018 से प्रभावी

निजी कार

वाहन श्रेणी	1 सितम्बर, 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान बेची गयी तीन वर्षीय मोटर तृतीय पक्ष पॉलिसी के लिए दीर्घावधी प्रीमियम दरें (रुपयों में)
1000 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	5286
1000 क्यू. क्ष. से अधिक लेकिन 1500 से अधिक नहीं	9534
1500 क्यू. क्ष. से अधिक	24305

दुपहिया

वाहन श्रेणी	1 सितम्बर, 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान बेची गयी पाँच वर्षीय मोटर तृतीय पक्ष पॉलिसी के लिए दीर्घावधी प्रीमियम दरें (रुपयों में)
75 क्यू. क्ष. से अधिक नहीं	1045
75 क्यू. क्ष. से अधिक लेकिन 150 से अधिक नहीं	3285
150 क्यू. क्ष. से अधिक लेकिन 350 से अधिक नहीं	5453
350 क्यू. क्ष. से अधिक	13034

टिप्पणी :

- बीमा की बिक्री के समय ही पूरी अवधि का (तीन वर्ष या पाँच वर्ष, जैसा भी मामला हो) प्रीमियम प्राप्त किया जाए ।
- कोई भी मोटर तृतीय पक्ष बीमा बीमाकर्ताद्वारा या बीमाधारक द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता, केवल निम्न परिस्थितियों को छोड़कर :
 - दोहरा बीमा ।
 - सकल हानि या प्रलक्षित सकल हानि के कारण वाहन का अब इस्तेमाल न किया जा रहा हो ।
 - जब वाहन बेचा गया हो और/या स्थानांतरित किया गया हो ।
- दीर्घावधि पैकेज आवरण में मोटर तृतीय पक्ष बीमा और स्वयं क्षति बीमा दोनों तीन वर्ष या पाँच वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, दिये जाते हैं ।
- बंडल आवरण में तीन वर्ष या पाँच वर्ष की अवधि (जो भी लागू हो) के लिए तृतीय पक्ष घटक और एक वर्ष की अवधि के लिए स्वयं क्षति उपलब्ध है ।

5. पॉलिसी अवधि पूरी हो जाने के बाद केवल स्वयं क्षति घटक पर 'दावा नहीं बोनस' (नो क्लेम बोनस) लागू होगा ।

मोटर पैकेज या केवल दायित्व पॉलिसी के तहत अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण

1. सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए पूँजीगत बीमा राशि विद्यमान रु. 1,00,000/- तथा रु. 2,00,000/- से बढ़ाकर रु. 15,00,000/- तक कर दी गयी है ।
2. अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) हेतु वार्षिक एवं दीर्घावधि पॉलिसियों के लिए हमारी कंपनी का प्रीमियम निम्नानुसार होगा :
 - i. एक वर्ष... रु. 275/-
 - ii. तीन वर्ष... रु. 800/-
 - iii. पाँच वर्ष... रु. 1,300/-
 - iv. पुरानी 2 या 3 वर्षीय दुपाहिया दीर्घावधि पॉलिसी... रु. 275/- * वर्षों की संख्या ।
3. तीन वर्षीय मोटर निजी कार पैकेज पॉलिसी तथा पाँच वर्षीय दीर्घावधि मोटर दुपाहिया पैकेज पॉलिसी के मामले में, एक वर्ष का चयन करना मालिक - चालक का विकल्प है । अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) या दीर्घावधि अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) आवरण के मामले में बीमकर्ताओं को मालिक - चलको पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि वे दीर्घावधि पैकेज बीमा के साथ दीर्घावधि अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण भी लें । अतः बीमाधारक को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह मालिक - चालक के लिए एक वर्ष का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) आवरण ले सकता है ।
4. एक वाहन के लिए जारी की गयी मोटर पैकेज पॉलिसी या केवल दायित्व पॉलिसी में मालिक - चालक हेतु दिया गया अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण केवल उसी वाहन के लिए आवरण देगा तथा बीमाधारक के स्वामित्वाले अन्य वाहनों के लिए यह आवरण लागू नहीं होगा ।

मोटर बीमा पॉलिसी के तहत मालिक - चालक के लिए स्टैंडेलोन अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) आवरण (01.01.2019 से प्रभावी)

1. मालिक - चालक के लिए स्टैंडेलोन अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण जारी किया जा सकता है ।
2. स्टैंडेलोन अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) आवरण के तहत दिए जानेवाले आवरणों का विस्तार उस पॉलिसी के तहत मालिक - चालक के स्वामित्व के सभी वाहनों पर (चाहे वाहन की श्रेणी कोई भी हो) किया जाएगा ।
3. अवधि : एक वर्ष
4. बीमा राशि : रु. 15 लाख
5. छूँकि सामान्य विनियम (जीआर) 36 ए, तहत दिये जानेवाले आवरण में भी सामान्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण शामिल होता है, यदि मालिक - चालक के पास 24 घंटे का व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण है जिसमें कम-सेकम रु. 15 लाख की पूँजीगत बीमा राशि मृत्यु और स्थायी विकलांगता (संपूर्ण तथा आंशिक) हेतु उपलब्ध है, तो मोटर पॉलिसी के तहत अलग से अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण लेने की आवश्यकता नहीं है ।
6. पॉलिसी जारी करने से पहले मालिक - चालक / बीमाधारक से विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

निजी (प्राइवेट) कार पैकेज पॉलिसी वर्धित आवरणों के तहत नये एड-ऑन आवरण

1. उपभोग्य (कन्जुमेबल) मदें एड-ऑन आवरण
2. उच्च मूल्य व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) आवरण

उक्त आवरण दिए गए बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी निजी (प्राइवेट) कार के ग्राहकों को दिये जा सकते हैं।

आयातित वाहनों के लिए एड-ऑन आवरण देने की मंजूरी केवल मुख्य कार्यालय द्वारा ही दी जा सकती है।

कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय या प्रचालन कार्यालय आयातित वाहन का उक्त एड-ऑन आवरणों के लिए बीमा मुख्य कार्यालय की लिखित मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

एड-ऑन आवरणों पर कोई छूट अनुमत नहीं है।

उपभोग्य वस्तुएं एड-ऑन आवरण

कोई भी उपभोग्य वस्तुएं जो मानक मोटर पैकेज पॉलिसी के तहत देय नहीं है, वह बीमाधारक द्वारा एड-ऑन आवरण लेने पर आवश्यक प्रीमियम की अदायगी के बाद देय हो जायेगा।

इन उपभोग्य वस्तुओं में शामिल हैं नट और बोल्ट, पेंच, वॉशर, ग्रीज, लुब्रिकेंट किलप, एसी गैस बेयारिंग, डिस्टील्ड जल, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, ब्रेक ऑयल आदि।

दावा निपटान प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं की हानि परिचालन के कारण या पॉलिसी के तहत आवरित किसी आपदा के कारण उत्पन्न हुई है।

उच्च मूल्य व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) आवरण

इस आवरण के तहत, कंपनी बीमाधारक को मृत्यु या संपूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए रु. 15/- लाख प्रति व्यक्ति तक (अधिकतम वाहन में बैठने की क्षमता तक) क्षतिपूर्ति दे सकती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध

1. आवरित किये जानेवाले व्यक्ति - वेतनभोगी चालक के साथ बीमाकृत वाहन में बैठनेवाले व्यक्ति।
2. प्रति वाहन आवरित व्यक्तियों की संख्या वाहन में बैठने की क्षमता के बराबर होनी चाहिए (इसमें मालिक शामिल है, जब वह वाहन चला रहा हो तथा वेतनभोगी चालक भी शामिल है।)
3. आवरण : वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु या स्थायी संपूर्ण विकलांगता।
4. यदि बीमाकृत वाहन के यात्रियों को दुर्घटना के साथ सीधे संबंध से हिसक, दुर्घटनात्मक, बाह्य और दृश्य कारणों की वजह से शारीरिक चोट पहुँचती है तो इस आवरण का भारतीय मोटर टैरिफ के व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण के अनुसार भुगतान होगा।
5. दर बीमा राशि पर होगी।

यह अन्यथा पॉलिसी की शर्तों, अपवादों, प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन है।

प्रमुख अपवर्जन

- निजी (प्राइवेट) कार पैकेज पॉलिसी में दिए गए अपवर्जन के अनुसार तथापि उन हानियों / क्षतियों को छोड़कर जो बीमाधारक द्वारा पॉलिसी के साथ लिए गए एड-ऑन आवरणों के तहत आवरित हैं ।
- बीमाधारक द्वारा चुने गए विविध एड-ऑन आवरणों के लिए संलग्न पुष्टांकन के किसी भी विशिष्ट अपवर्जन से संबंधित प्रावधान ।
- निजी कार में किये गये सुधार और/या उसमें लगायी गई चीजें ।
- यद्यपि मूल मोटर पॉलिसी में भौगोलिक विस्तार किया गया हो, तथापि विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं से संबंधित दावों का एड-ऑन आवरण ।
- पॉलिसी अवधि के दौरान उपभोग्य वस्तुओं के एड-ऑन आवरणों के तहत दो से अधिक आंशिक हानि स्वयं क्षति (ओडी) दावे न ही स्थीकारे जायेंगे और न ही अदा किये जायेंगे ।

प्रीमियम दरें :

एड-ऑन आवरण	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक तथा 2 वर्षों तक	2 वर्षों से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 4 वर्षों तक	4 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक
उपभोग्य वस्तुएँ एड-ऑन आवरण	आईडीवी पर 0.14%	आईडीवी पर 0.16%	आईडीवी पर 0.18%	आईडीवी पर 0.21%	आईडीवी पर 0.25%
उच्च मूल्य व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) एड-ऑन आवरण	बीमा राशि पर 0.07%	बीमा राशि पर 0.07%	बीमा राशि पर 0.07%	बीमा राशि पर 0.07% on	बीमा राशि पर 0.07%

कमीशन / ब्रोकरेज :- मोटर पैकेज पॉलिसी के समान ।

दुपहिया पैकेज पॉलिसी आवरणों में विस्तार के अंतर्गत नए एड-ऑन आवरण

- सङ्कर कर आवरण : 5 वर्ष तक के दुपहिया और जिनका आईडीवी रु. 15 लाख हो उनके लिए आवरण ।
- स्टिर्न टू इनवाइस विचारार्थ आवरण : 3 वर्ष तक के दुपहिया और जिनका आईडीवी रु. 15 लाख हो उनके लिए आवरण ।
- ‘दावा नहीं’ बोनस (एनसीबी) संरक्षण : 5 वर्ष तक के दुपहिया और जिनका आईडीवी रु. 15 लाख हो उनके लिए आवरण ।
- इंजन संरक्षण आवरण : 5 वर्ष तक के दुपहिया और जिनका आईडीवी रु. 15 लाख हो उनके लिए आवरण ।
- उपभोग्य वस्तुओं आवरण :

उक्त आवरण दिए गए बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी ग्राहकों को दुपहिया वाहनों के लिए जिनका आईडीवी रु. 15,00,000/- तक है दिये जा सकते हैं ।

आयातित वाहनों के लिए यह एड-ऑन आवरण देने की मंजूरी केवल मुख्य कार्यालय द्वारा ही दी जा सकती है ।

कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय या प्रचालन कार्यालय आयातित दुपहिया का उक्त एड-ऑन आवरणों के लिए बीमा मुख्य कार्यालय की लिखित मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

टिप्पणी : एड-ऑन आवरणों पर किसी भी छूट की अनुमती नहीं है ।

प्रीमियम दरें :

1. सङ्क कर

(5 वर्ष की उम्र तक के वाहन और पॉलिसी जिसका आईडीवी रु. 15 लाख से अधिक नहीं है)	
सङ्क कर	प्रीमियम दर
सङ्क कर की राशि रूपयों में	प्रदत्त सङ्क कर का 1.67%

2. रिटर्न टू इनवाइस आवरण

(3 वर्ष की आयु तक के वाहन और जिसका आईडीवी रु. 15 लाख से अधिक नहीं है)	
दुपहिया वाहन की आयु	इनवाइस मूल्य के % में प्रीमियम
< 1	0.17%
1-2	0.33%
2-3	0.50%

3. 'दावा नहीं' बोनस (एनसीबी) संरक्षण आवरण

(5 वर्ष की आयु तक के वाहन तथा जिसका आईडीवी रु. 15 लाख से अधिक नहीं है)						
विद्यमान एन.सी.बी. स्तर	0%	20%	25%	35%	45%	50%
एनसीबी से पहले स्वयं क्षति (ओडी)	5%	7.5%	10%	12.5%	15%	15%
प्रीमियम के % में प्रीमियम						

4. इंजन संरक्षण आवरण

(5 वर्ष की आयु तक के वाहन तथा जिसका आईडीवी रु. 15 लाख से अधिक नहीं है)	
दुपहिया वाहन की आयु वर्षों में	बीजक मूल्य के % में प्रीमियम
< 1	0.11%
1-2	0.13%
2-3	0.15%
3-4	0.17%
4-5	0.20%

5. उपभोग्य वस्तुओं का आवरण

(5 वर्ष की आयु तक के वाहन तथा जिसका आईडीवी रु. 15 लाख से अधिक नहीं है)		
दुपहिया वाहन की आयु (विक्रेता से नया दुपहिया वाहन के पहली बार खरीदे जाने की तिथि से गिनी जाये)	दुपहिया के लिए आईडीवी के % में प्रीमियम दर	
वाहन की आयु के पहले वर्ष के लिए (नवीनतम वाहन तथा 1 वर्ष तक की आयु)	0.092%	
वाहन की आयु के दूसरे वर्ष के लिए (1 वर्ष से अधिक पुराना तथा 2 वर्ष तक की आयु)	0.104%	
वाहन की आयु के तीसरे वर्ष के लिए (2 वर्ष से अधिक पुराना तथा 3 वर्ष तक की आयु)	0.118%	
वाहन की आयु के चौथे वर्ष के लिए (3 वर्ष से अधिक पुराना तथा 4 वर्ष तक की आयु)	0.138%	
वाहन की आयु के पाँचवे वर्ष के लिए (4 वर्ष से अधिक पुराना तथा 5 वर्ष तक की आयु)	0.166%	

कमीशन / ब्रोकरेज : मोटर पैकेज पॉलिसी के समान

प्रमुख अपवर्जन :

1. दुपहिया वाहन पैकेज पॉलिसी के अपवर्जन तथा सामान्य दुपहिया वाहन पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जित परिणामी हानियों को छोड़कर जिनका संबंध हाइड्रोस्टेटिक हानियों से होता है जो इंजन तथा उसके पुर्जे एवं गियर बॉक्स के संयोजन (एसेंब्ली) के कारण हो या इंजन में पानी जाने के कारण हो या किसी बाह्य दुर्घटना की वजह से ऑयल तथा लुब्रिकेंट के रिसाव के कारण हो ।
2. बीमाधारक द्वारा चुने गए विविध एड-ऑन आवरणों के लिए संलग्न पृष्ठांकन के किसी भी विशिष्ट अपवर्जन से संबंधित प्रावधान ।
3. दुपहिया वाहन में किये गये सुधार और/या उसमें लगायी गई अतिरिक्त चीजें ।
4. भौगोलिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं से संबंधित विस्तारित एड-ऑन आवरण भले ही मूल दुपहिया वाहन पैकेज पॉलिसी के लिए भौगोलिक विस्तार लिया हो ।
5. पॉलिसी अवधि के दौरान एनसीबी संरक्षण, इंजन संरक्षण, उपभोग्य मर्दे जैसे एड-ऑन आवरणों के तहत दो से अधिक अशिक हानि रखने क्षति (ओडी) दावे नहीं स्वीकारे जायेंगे और न ही अदा किये जायेंगे । ऐसे 2 दावों को उपर्युक्त प्रत्येक एड-ऑन आवरण के लिए अलग-अलग गिना जाये ।
6. रिटर्न टू इनवाइस तथा सड़क कर से संबंधित एड-ऑन आवरण दावे के साथ तभी लागू होंगे जब सकल हानि दावा मूल पॉलिसी के तहत स्वीकार किया गया हो और निपटाया गया हो ।

इंजीनियरिंग बीमा आवरण

मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा

परिचय

मशीनरी ब्रेकडाउन लाभप्रदता को समाप्त कर देते हैं और यहाँ तक कि इसके कारण हानि भी होती है। तो क्यों न इन ब्रेकडाउन के विरुद्ध बीमा सुरक्षा ली जाए? मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा, दुर्घटनावश मशीनरी ब्रेकडाउन, विद्युतीय तथा मेकेनिकल ब्रेकडाउन को मरम्मत की जरूरत तथा / अथवा प्रतिस्थापन मामलों में आर्थिक सुरक्षा का प्रस्ताव करता है।

बीमित राशि

बीमित राशि, मशीनरी के प्रत्येक अवयव के वर्तमान दिन पर उसी प्रकार की नयी मशीन के प्रतिस्थापित मूल्य के बराबर होनी चाहिए जिसमें सभी आकस्मिक व्यय जैसे सीमा शुल्क, कर, उत्पाद शुल्क, भाड़ा, बीमा प्रभार, हैंडलिंग इत्यादि भी शामिल होना चाहिए।

बीमा अवधि : 12 महीने

पॉलिसी वित्तीय हानि को आवरित करती है जो बीमाधारक द्वारा अचानक हुई दुर्घटनात्मक इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल खराबी के परिणामस्वरूप मशीनरी की हानि या क्षति के कारण होती है। इसमें बीमाधारक को उसी स्वरूप की मशीनरी के प्रतिस्थापन या मरम्मत की लागत प्रतिपूर्ति की जाती है।

यह बीमा कौन ले सकता है : यह बीमा, मशीन के व्यक्तिगत मालिक, अथवा जिसके भरोसे पर मशीनरी हो वह पक्ष अथवा उस मशीनरी के हित लाभ से जुड़े व्यक्ति या कंपनी या उसके प्रचालन व रखरखाव कान्ट्रैक्टर द्वारा लिया जा सकता है।

आवरित उपकरण : सभी प्रकार की औद्योगिक मशीनरी जैसे कॉम्प्रेसर, पंप, टर्बाइन आदि साथ ही इलेक्ट्रिकल मशीनें जैसे ट्रान्सफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर, जनरेटर इत्यादि इस पॉलिसी के तहत आवरित की जा सकती हैं।

यह पॉलिसी निम्नलिखित घटनाओं के कारण हुई सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल खराबी को आवरित करती है :

1. मशीन की दोषपूर्ण सामग्री / कारीगरी।
2. सेंट्रीफ्यूल फोर्स की कार्रवाई से धूमनेवाले पुर्जों का टूटना।
3. लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप के खराब काम या उसके टूटने के कारण लुब्रिकेशन की विफलता।
4. सुरक्षा साधनों के खराब काम या उनकी विफलता।
5. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट-सर्किट जिसमें इन्सुलेशन की विफलता से इलेक्ट्रिकल आग विकलन शामिल हैं और/या ओवर होल्टेज या अन्डर होल्टेज की स्थितियाँ।
6. अन्य जुड़ी हुई मशीनरी का आकस्मिक और अचानक रुक जाना।
7. चलती हुई मशीन में कोई बाहरी चीज का प्रवेश।
8. अनुभवहीन कार्य प्रणाली जिसमें निर्णय की ग्रुटि या प्रचालन में गलती के कारण क्षति।

एड-ऑन कवर्स

आवरित उपकरण

मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा, सभी प्रकार के औद्योगिक उपकरणों जैसे टरबाइन, कम्प्रैसर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, रेकटीफायर, इलैक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजिन, पंप, विंड मिल्स इत्यादि को आवरित करता है।

आवरण

मशीनरी ब्रेकडाउन के अंतर्गत आप आंतरिक कारणों, बाहरी कारणों, प्रचालन दक्षता अभाव और मानव चूक के कारण सभी प्रकार के दुघटनाजन्य इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन के लिए आवरित होते हैं।

आंतरिक कारण

आंतरिक कारण जैसे - त्रुटिपूर्ण सामान के कारण हानि, कारिंग में खराबी, गलत निर्माण, उपकरणों का अत्याधिक गर्म होना, शॉर्ट सर्किट, त्रुटिपूर्ण उत्थापन, अपकेन्द्री शक्ति के कारण उपकरणों के घूर्णन में बाधा, सुरक्षा यंत्रों के प्रचालन में खराबी आना हो सकते हैं।

बाहरी कारण

बाहरी कारणों में, टकराना या बाहरी वस्तु से या बाहरी वस्तु गिरने से संघात, लिफ्ट मशीन और क्रेन में खराबी, मशीनरी को स्थानांतरित करते समय परिसर में अथवा जीर्णदूर के दौरान गिर जाना, शामिल हैं।

प्रचालनगत कमी

प्रचालनगत कमियों में, अनुमान में कमी, गलत प्रचालन, सुरक्षा उपकरणों का फेल होना, जुड़ी हुई मशीनरी का फेल होना, अधिक गति, अपकेन्द्री शक्तियों के कारण फट जाना, शॉर्ट सर्किट, बिजली से जल जाना, पृथकरण या सेंधन का असफल होना तथा यंत्रों में दरार होना अथवा ज्यादा गर्म होना।

मानव तत्त्व

लापरवाही, प्रचालकों की उपेक्षा और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से तोड़फोड़ इत्यादि मानव तत्त्व में शामिल हैं।

प्रीभियम दरें

बिजली की मोटर 50 हॉर्स पॉवर तक - रु. 2.00%

50 हॉर्स पॉवर से अधिक - रु. 1.50%

अन्य दरों के लिए कृपया अपने कार्यालय से संपर्क करें।

अतिरिक्त आवरण

क. मशीनरी के आधार को हानि पहुंचना

ख. तुरंत भाड़ा, छुट्टियों की दरें, दावा होने पर ओवर टाइम शुल्क

ग. तृतीय पक्ष दायित्व (शारीरिक चोट तथा संपत्ति को हानि)

घ. अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी

अनावरित जोखिम

- बैल्ट, रस्सी, चेन, रबड टायर, सांचों, ब्लेड, कटर, चाकू या विनिमय योग्य यंत्रों, उत्कीर्ण या इम्पैशन सिलिंडर या रोल, शीशे की वस्तुएं, पोर्सिलीन, सिरेमिक, सभी प्रचालित सामग्री उदाहरण के लिए तेल, ईधन, उत्प्रेरक, रेफ्रीजरेटर, डॉथर्म, फैल्टस्, असीमित कच्चेर बैल्ट अथवा तार, छलनी, कपड़ा, तापरोधी और एंटीकरोसिंग लाइनिंग और इसी प्रकार के अन्य पार्ट्स, पैकिंग सामान, सामान जो धातु से नहीं बना है (उत्प्रेरक सामान को छोड़कर) तथा गैर धातु लाइनिंग अथवा धातु उपकरणों की कोटिंग ।
- निर्माता तथा / अथवा सप्लाईकर्ता के कारण से हानि या क्षति ।
- प्रचालनों पर अधिकभार, ऐसे प्रयोग तथा परीक्षण जिसमें असामान्य स्थितियों की आवश्यकता हो ।
- धीरे धीरे पनपने वाली कमियाँ, खराबी, दरारें इत्यादि ।
- बीमाधारक की द्वेषपूर्ण कार्रवाई अथवा जानबूझ कर की गई कार्रवाई या उसके किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया गया उक्त कार्य ।
- बीमा लेते समय कमी जिसकी जानकारी बीमाधारक को हो किंतु बीमाकर्ता को न हो ।
- किसी भी प्रकार की परिणामी हानि ।

यह एक संक्षिप्त रूप से दी गई सूचना है, अधिक विवरण के लिए कृपया कार्यालय से संपर्क करें ।

कान्ट्रैक्टर का संयंत्र तथा मशीनरी बीमा

सामान्य विनियम

अधिकार क्षेत्र

यह भारत में स्थित सभी जोखिमों पर लागू है -

कान्ट्रैक्टर संयंत्र मशीनरी पॉलिसी “भारत में कहीं भी” के आधार पर उपकरणों को आवरित करते हुए निम्नलिखित अनुबंधों पर जारी की जा सकती है :

- क. प्रत्येक मूल्यांकित उपकरण को पूर्ण विवरण, पहचान संख्या इत्यादि के साथ घोषित करना चाहिए ।
- ख. एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर परिवहन जोखिम शामिल नहीं होगा ।
- ग. सभी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त भूकंप प्रभार ।
- घ. फ्लोटर जोखिम को आवरित करने के लिए आधारभूत कान्ट्रैक्टर संयंत्र मशीनरी पॉलिसी पर 10% का अधिभार होगा ।

कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी बीमा पॉलिसी के मामले में एम. बी. (मशीनरी ब्रेकडाउन) जोखिम को न तो इस पॉलिसी के विस्तारण के रूप में और न ही अलग एम. बी. पॉलिसी के अंतर्गत आवरित करना चाहिए ।

आतंकवाद आपदाओं को भारतीय बाजार के आतंकवाद पूल दरों के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम लगाकर आवरित किया जा सकता है ।

क्षेत्र

कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी पॉलिसी के संबंध में आवरण एक सामान्य पॉलिसी की तरह रहेगा ।

काम में लगे सभी प्रकार के उपकरणों व का. सं. म. (सी पी एम) के लिए बीमा भारत में कहीं भी, इन सामान्य विनियमों के अधीन होगा ।

मशीनरी / उपकरणों के संबंध में, जो आर. टी. ओ. में रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं किंतु जो कार्यस्थल पर परियोजना में लगे हो, बीमाधारक के पास या तो मोटर टैरिफ के अंतर्गत मोटर / गैर-मोटर पॉलिसी अथवा इंजीनियरी विभाग में कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी पॉलिसी लेने का विकल्प होगा ।

पॉलिसी में निर्धारित स्थानों की संख्या

कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी और उपकरणों के सभी मदों को आवश्यक रूप से पॉलिसी अनुसूची में शामिल करना होगा । प्रत्येक मद के सामने उसका अलग मूल्य लिखा होगा । 12 महीनों के दौरान, लघु अवधि आधार पर इन मदों में संयोजन या घटाव कर कोई परिवर्तन किया जा सकेगा ।

पॉलिसी अनुसूची में कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी की प्रत्येक अवस्थिति पर अलग सूची के साथ पॉलिसी अनुसूची में एक से अधिक अवस्थिति को शामिल किया जा सकेगा । यहाँ पर भी लघु अवधि के आधार पर विभिन्न अवस्थितियों पर कान्ट्रैक्टर संयंत्र व मशीनरी उपकरणों के मदों में संयोजन व घटाव किया जा सकेगा ।

किंतु यदि बीमा 12 महीनों की अवधि से कम के लिए लिया गया है तो प्रीमियम, यहाँ उल्लिखित के अनुसार अल्प अवधि स्तर के आधार पर वसूल किया जाएगा ।

इसी प्रकार 12 महीनों के लिए ली गई पॉलिसी को यदि 12 महीने पूरे होने से पूर्व मध्यावधि में रद्द किया जाता है तो अल्प अवधि आधार पर प्रीमियम रिफ़ेड प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

कॉन्टैक्टर के संयंत्र और मशीनरी का स्थानांतरण जोखिम

अनेक बार कॉन्टैक्टर के संयंत्र और मशीनरी की मदों तथा उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित

करने की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का मार्गस्थ जोखिम इस पॉलिसी की सीमा से बाहर है।

किन्तु, दर अनुसूची के भाग - 1 की सारणी - 2 में विहित दरों की सीमा के अंदर कान्ट्रैक्टर संयंत्र मशीनरी की मर्दों तथा उपकरणों को काम के सिलसिले में एक परियोजना स्थल से, उसी परियोजना के दूसरे स्थल पर स्थानांतरण को आवरित माना जाएगा।

उत्थापन सर्व जोखिम / संग्रहण सह उत्थापन / कॉन्ट्रैक्टर सर्व जोखिम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर संयंत्र और मशीनरी

जहाँ एक परियोजना जिसमें उत्थापन सर्व जोखिम / संग्रहण सह उत्थापन बीमा की जरूरत है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर संयंत्र मशीनरी उपकरणों पर बीमित राशि उ. स. जो. (ई ए आर) / सं. स. उ. (एस सी ई) की बीमित राशि के 5% अथवा रु. 25 लाख, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी। इस प्रकार के उपकरणों का सी.पी.एम. टैरिफ के अंतर्गत दर निर्धारण किया जाना चाहिए।

एक, का. स. जो. (सी ए आर) बीमा की जरूरत वाली परियोजना के अंतर्गत जहाँ का. सं. म. उपकरणों पर बीमित राशि, का. स. जो. (सी ए आर) / उ. स. जो. (ई ए आर) के लिए बीमित राशि से 5% अधिक होगी, उस उपकरण का दर निर्धारण अनिवार्यतः का. स. जो. (सी पी एम) टैरिफ के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए।

फ्लोटर जोखिम

फ्लोटर जोखिम आवरित करने के लिए सीपीएम की मूल दर पर 10% लोडिंग लगाया जाना चाहिए।

भूकंप आपदा (अग्नि और आघात) के लिए अतिरिक्त दर

का. स. जो. (सी ए आर) / उ. स. जो. (ईएआर) टैरिफ के अनुसार अतिरिक्त दरें लागू होगी।

तैर रहे पोत / जहाज पर रखें हुए का. स. म. (सी पी एम) उपकरण

तैर रहे पोत / जहाज पर रखें हुए का. स. म. (सी पी एम) उपकरण जिनका उपयोग कॉन्ट्रैक्ट के कार्य के लिए किया जा रहा हो उनपर दर अनुसूची की सारणी - 1 में विहित दर लागू होगी।

किंतु इस प्रकार तैरते हुए पोत / जहाज पर संयंत्र मशीनरी और उपकरणों पर दावे की स्थिति में लागू होने वाला आधिक्य दर अनुसूची के भाग - - 1 की सारणी - 3 में दैवी प्रकोप से होने वाले दावों के लिए विहित आधिक्य के अनुसार होगा।

लघु अवधि प्रीमियम दर मापक :

आवश्यक पॉलिसी अवधि	वार्षिक प्रीमियम का प्रतिशत
एक सप्ताह से अधिक नहीं	10
1 माह से अधिक नहीं	25
2 माह से अधिक नहीं	35
3 माह से अधिक नहीं	50
4 माह से अधिक नहीं	60
6 माह से अधिक नहीं	75
8 माह से अधिक नहीं	85
8 माह से अधिक	पूर्ण वार्षिक प्रीमियम

जी. एस. टी. अतिरिक्त

तृतीय पक्ष दायित्व

0.25 % प्रति वर्ष की दर से प्रशुल्क लिया जाना चाहिए और तृतीय पक्ष दायित्व को आवरण की क्षतिपूर्ति सीमा निम्नलिखित सीमा तक होनी चाहिए :

- | | |
|--------------------------|------------|
| ए) किसी एक व्यक्ति | रु. 10 लाख |
| बी) किसी एक दुर्घटना | रु. 25 लाख |
| सी) पॉलिसी अवधि के दौरान | रु. 25 लाख |

उपर्युक्त उल्लिखित तृतीय पक्ष दायित्व सीमाओं से अधिक को विविध बीमा विभाग में बीमाकर्ता के विवेकाधिकार पर बीमांकित किया जाना चाहिए ।

तृतीय पक्ष देयता संपत्ति हानि दारों में लागू आधिक्य, बीमित मशीनरी पर लागू होने वाले आधिक्यों में सर्वाधिक होगा ।

बीमा राशि में मध्यावधि वृद्धि

यदि चालू पॉलिसी के दौरान बीमित राशि बढ़ाई जाती है

- i) बढ़ी हुई राशि पर अल्प अवधि मापक लागू होगा ।
- ii) यदि उसके बाद, बढ़ी हुई बीमित राशि पर ही 12 माह के लिए नवीकरण किया जाता है तो दरों के अल्प अवधि मापक और यथानुपात प्रीमियम के अंतर को वापिस किया जाएगा ।

कॉन्ट्रैक्टर सर्व जोखिम (सी ए आर)

(1) परिचय :

कॉन्ट्रैक्टर सर्व जोखिम पॉलिसी की आधारभूत संकल्पना, कॉन्ट्रैक्ट कार्य, निर्माण संयंत्र और उपकरण और निर्माण मशीनरी की हानि या क्षति के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग परियोजना का कार्यान्वयन करते समय उससे तृतीय पक्ष की संपत्ति की हानि या शारीरिक चोट से उत्पन्न दावों के विरुद्ध बहुव्यापी और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है।

साधारण तौर पर एक सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर, मिट्टी की स्थितियों, मौसम स्थितियों इत्यादि के आधार पर प्रदान की गई डिजाइन विनिर्देशताओं के आधार पर कार्य करता है। कॉन्ट्रैक्टर से वास्तुशिल्पी या इमारत निर्माण इंजीनियर द्वारा विहित सामान के लिए दिए गए निर्देशों और ड्राइंग के आधार पर सिविल इंजीनियरिंग ढांचे का निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है।

निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण कार्य को किसी कारण से हानि या क्षति पहुंचने से कॉन्ट्रैक्टर को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार दावा होने की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर क्षितिग्रस्त संपत्ति को अपनी लागत पर पुनःस्थापित करने के लिए संसाधन एकत्र करने की स्थिति में नहीं होगा।

बीमा पॉलिसी स्वामी या कॉन्ट्रैक्टर या उप कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ली जा सकती है।

(2) आवरित जोखिम (अंतर्निहित) / आवरण :

बीमा अवधि के दौरान बिल्डिंग स्थल पर किसी भी बीमित संपत्ति को पहुंची कोई आकस्मिक क्षति या अनदेखी हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अत्यंत महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है ...

अनिन्य, दंगा और हड्डताल और संबंधित जोखिम, बाढ़, बवंडर इत्यादि चोरी, सेंधमारी, निर्माण में हुई चूक जैसे खराब सामान, कार्य-कौशल में कमी, ढहना, मानव चूक / दक्षता की कमी या कामगारों की लापरवाही अपवर्जन के अधीन हैं।

(तृतीय पक्ष दायित्व, भूकंप और आतंकवाद आवरण केवल विस्तारण आवरण के अधीन हैं।) इस हेतु अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जाएगा।

(3) अपवर्जन (केवल महत्वपूर्ण अपवर्जन हैं) :

- गलत त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण हानि या क्षति।
- खराब सामान और / अथवा मानवीय कार्यक्षमता से उत्पन्न दोषों के निवारण के लिए प्रतिस्थापन की लागत किन्तु यह अपवर्जन, इस प्रकार के खराब सामान और / अथवा मानवीय कार्यक्षमता के कारण घटी दुर्घटना से उत्पन्न हानि या क्षति को अपवर्जित नहीं करती।
- यांत्रिक और या विद्युतीय टूट-फूट या निर्माण संयंत्र, उपकरणों और निर्माण मशीनरी का अस्तव्यस्त होना।

(4) अधिकार क्षेत्र :

यह भारत में स्थित सर्व जोखिम पर लागू है जिसके लिए शामिल निर्माण कार्य का मूल्य कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 50% से अधिक होगा।

(5) बीमित राशि :

बीमित राशि का आधार निम्न अनुसार है :

- क) कार्यस्थल पर मशीनरी / उपकरणों को लाने की लागत ।
- ख) निर्माण की लागत ।
- ग) स्थायी सिविल इंजीनियरिंग कार्य ।
- घ) यदि वृद्धि का विकल्प लिया गया है तो बढ़ी हुई कीमत का आधा ।

(6) उप-ठेकेदार :

पॉलिसी प्रधान / ठेकेदार / उप-ठेकेदार में से किसी के भी द्वारा ली जा सकती है ।

जहाँ उप-ठेकेदार परियोजना का भाग हो, ऐसे मामलों में, यह दावा किया जाता है कि इस बात के बावजूद कि परियोजना मूल्य विभिन्न अनुभागों में बांटा गया है और आदेश / ठेके अलग अलग सप्लाइकर्टों / ठेकेदारों / उप ठेकेदारों को दिये गए हैं अथवा बीमाधारक ने स्वयं अपने विभागों के माध्यम से काम किया है, इस प्रकार के सभी उप-ठेकों के लिए बीमा इन सामान्य विनियमों के अधीन होगा ।

(7) प्रीमियम की गणना :

प्रीमियम की गणना 1) कार्य के प्रारंभ से अथवा 2) कार्यस्थल पर पहले कंसाइनमेंट के उत्थापन के पहुंचने की तारीख से, जो भी जल्दी हो, कुल अवधि के लिए की जाएगी ।

(8) पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा राशि में मध्यावधि बढ़ोतरी :

अतिरिक्त बीमा राशि पर सीएआर पॉलिसी की दरों पर अल्पावधि आधार पर पॉलिसी की शुरुआत से प्रीमियम लिया जाना चाहिए ।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (इकिचपमेंट) बीमा

अनुभाग 1 - उपकरण

यह पॉलिसी, अग्नि, दंगा, हड्डताल और संबंधित जोखिमों, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप, विस्फोटन, मशीनरी ब्रेकडाउन, शॉर्ट-सर्किट तथा वोल्टेज के उतार चढ़ाव, चोरी, सेंधमारी, मानव-चूक, सामान गिरने तथा विदेशी तत्त्वों इत्यादि कारणों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आकस्मिक और अनदेखी भौतिक हानि या क्षति को आवरित करती हैं। आतंकवाद आपदाओं को अतिरिक्त प्रीमियम लगाकर आवरित किया जा सकता है।

बीमित राशि

बीमित राशि वर्तमान समय में उसी प्रकार के नये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के स्थानापन्न मूल्य के समान होगी जिसमें सभी आकस्मिक खर्च जैसे उत्थापन, डिस्ट्री, भाड़ा, कर इत्यादि की लागत भी शामिल होगी।

अनुभाग 2 - एक्स्टर्नल डाटा मीडिया

अनुभाग 1 केवल उपकरण के हार्डवेयर को पहुंची भौतिक हानि या क्षति को आवरित करता है जबकि अनुभाग 2 में पंच कार्ड पेपर टेप, मैगनेटिक टेप, डिस्क तथा इन एक्स्टर्नल डाटा मीडिया पर पुर्णनिर्माण लागत को भी आवरित किया जा सकता है किंतु यदि यह हानि पहचान योग्य जोखिम की वजह से हुई हो एवं यदि बैंक-अप प्रणाली उपलब्ध हो।

अनुभाग 3 - कार्य की बढ़ी हुई लागत

यदि बीमाधारक के बीमित कम्प्यूटर को दुर्घटनाजन्य हानि पहुंचती है और उसे स्थानापन्न कम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा तब कम्प्यूटर को किराए पर लेने की बढ़ी हुई लागत का बीमा हो सकता है। ई डी पी प्रणाली के असफल होने पर, स्थानापन्न बाहरी प्रणाली का उपयोग करने में होने वाला खर्च को भी आवरित किया जा सकता है। बीमित राशि 12 महीनों तक स्थानापन्न ई डी पी उपकरण से मूल ई डी पी उपकरण के समान कार्यर्थादान प्राप्त करने की लागत के समान होगी।

अग्नि तथा संबंधित जोखिमों को हटाने के लिए छूट

यदि उपकरण इस पॉलिसी के साथ ही अग्नि पॉलिसी में भी आवरित हो और बीमाधारक अग्नि और संबंधित जोखिमों को हटाना चाहे तो निम्नलिखित छूट की अनुमति होगी।

आवरण	छूट
1. ई ई आई + एस एफ तथा एस पी पी + ई क्यू	लागू ई ई आई दर के 10%
2. ई ई आई + एस एफ तथा एस पी पी व एस टी एफ आई रहित और आर एस एम डी टी और ई क्यू	लागू ई ई आई दर के 7.5%
3. ई ई आई + एस एफ तथा एस पी पी व एस टी एफ आई रहित तथा आर एस एम डी टी व ई क्यू	लागू ई ई आई दर के 5%

उच्चतर आधिक्य चुनने के लिए छूट

उच्चतर आधिक्य	प्रशुल्क दरों पर छूट
न्यूनतम रु. 3000/- के अधीन दावा राशि का 7½%	5%
न्यूनतम रु. 5000/- के अधीन दावा राशि का 10%	10%
न्यूनतम रु. 10,000/- के अधीन दावा राशि का 12½%	20%
न्यूनतम रु. 20,000/- के अधीन दावा राशि का 15%	30%

न्यूनतम प्रीमियम : न्यूनतम प्रीमियम रु. 250/- तथा जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (इविचपमेंट) बीमा

दर अनुसूची

अनुभाग	जोखिम कोड	विवरण	दरें			
			ए एम सी सहित	ए एम सी रहित		
I उपकरण	010101	व्यक्तिगत कम्प्यूटर	1.00 %	1.00%		
	010201	ई डी पी प्रणाली				
	010301	प्रोसेस कंट्रोल उपकरण				
	010401	कम्प्यूनिकेशन उपकरण				
	010501	लेबोरेटरी उपकरण				
	010601	कार्यालय उपकरण				
	010701	सी एन सी मशीनें / रोबोट (विनिर्माण में प्रयुक्त)				
	010801	फिल्म और टेलीवीजन (स्टूडियो) उपकरण				
	010901	विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण				
	011001	बॉयोमेडिकल उपकरण	1.00%	2.00%		
II एक्स्टर्नल डाटा मीडिया	020101	डाटा माध्यम जैसे कि टेप, डिस्क पैक, स्पूल, कार्ट्रीएज इत्यादि	अनुभाग 1 की दर के अनुसार			
	020201	जानकारी के पुनर्निर्माण और पुनःरिकॉर्डिंग का खर्च				
III कार्य की बढ़ी हुई लागत	030101	प्रतिशत में दर				
	समय आधिक्य (कार्य समय)	सप्ताहों में क्षतिपूर्ति अवधि				
		12 में से	26 में से	40 में से		
	96 घंटे	0.70	0.80	0.90		
	168 घंटे	0.65	0.75	0.85		
	336 घंटे	0.50	0.60	0.65		
	672 घंटे	0.30	0.40	0.45		
टिप्पणी – 1 सप्ताह = 7 दिन, 1 दिन = 24 कम्प्यूटर कार्य समय						

आधिक्य

- ए. व्यक्तिगत कम्प्यूटर के लिए : न्यूनतम रु. 2,500/- की शर्त के अधीन दावा राशि के 5% ।
- बी. V सॉट उपकरण के लिए : 1. ए औ जी आपदाओं के लिए : न्यूनतम रु. 1,00,000/- के अधीन दावा राशि का 10% । 2. अन्य दावों के लिए ई ई आई टैरिफ़ के अनुसार ।
- सी. अन्य मर्दों के लिए :

क) रु. 1 लाख तक के मूल्य के उपकरणों के लिए -

i) उपकरण (विन्चैस्टर ड्राइव और अथवा हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़कर)	न्यूनतम रु. 1,000/- की शर्त के अधीन दावा राशि का 5%
ii) विन्चैस्टर ड्राइव और अथवा हार्ड डिस्क ड्राइव	न्यूनतम रु. 2,500/- की शर्त के अधीन दावा राशि का 10%

ख) रु. 1 लाख से अधिक मूल्य के उपकरणों के लिए -

i) उपकरण (विन्चैस्टर ड्राइव और अथवा हार्ड डिस्क ड्राइव को छोड़कर)	न्यूनतम रु. 2,500/- की शर्त के अधीन दावा राशि का 5%
ii) विन्चैस्टर ड्राइव और अथवा हार्ड डिस्क ड्राइव	न्यूनतम रु. 10,000/- की शर्त के अधीन दावा राशि का 25%

कम्प्यूटर के मामले में - उपकरण शब्द में समस्त कम्प्यूटर प्रणाली शामिल होगी जिसमें सीपीयू, की बोर्ड, मॉनीटर, प्रिंटर, स्टेबिलाइजर, सूपीएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल होगा ।

ठेकेदारों का सर्व जोखिम बीमा

दर अनुसूची

जोखिम कोड	क्र. संख्या	दर कोड	जोखिम	प्रीमियम दर (%)		रु. 1500 करोड़ की राशि तक दावा राशि के 5% आधिक्य न्यूनतम रूपयों के अध्यधीन	
				पहले 3 महीनों के लिए न्यूनतम दर	3 महीनों के बाद प्रति माह अतिरिक्त दर	सामान्य	एओजी / प्रमुख आपदाएँ / नष्ट होना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. आवासीय और व्यावसायिक बिल्डिंग, कार्यालय बिल्डिंग, स्कूल, विश्व विद्यालय, होटल, मोटल, रेस्तरां, अस्पताल, हवाई अड्डा बिल्डिंग - नींव के ऊपर स्थित सभी मंजिलों अर्थात बेसमेंट तल सहित सभी मंजिलों को (बहु मंजिला इमारतों के मामले में) दर निर्धारण में शामिल किया जाएगा।							
011011	ए)	01	आर सी सी के अतिरिक्त और 2 मंजिल से अधिक नहीं	1.00	0.02	15,000/-	50,000/-
012032	बी)	04	आर सी सी के अतिरिक्त और 2 मंजिल से अधिक व 5 मंजिल तक	1.75	0.025	25,000/-	1,00,000/-
013022	सी)	01	आर सी सी से निर्मित ढांचा 5 मंजिल से अधिक नहीं	1.50	0.025	25,000/-	1,00,000/-
014043	डी)	02	आर सी सी से निर्मित ढांचा 5 मंजिल से अधिक व 10 मंजिल तक	2.00	0.03	25,000/-	1,00,000/-
--	ई)	03	आर सी सी से निर्मित ढांचा 10 मंजिल से अधिक व 15 मंजिल तक	2.25	0.035	25,000/-	1,00,000/-
016096	एफ)	05	आर सी सी से निर्मित ढांचा 15 मंजिल से अधिक व 25 मंजिल तक	3.00	0.05	2,50,000/-	10,00,000/-
017106	जी)	07	आर सी सी से निर्मित ढांचा 25 मंजिल से अधिक व 30 मंजिल तक	3.25	0.05	2,50,000/-	10,00,000/-
--	एच)	08	आर सी सी से निर्मित ढांचा 30 मंजिल से अधिक व 40 मंजिल तक	3.50	0.05	2,50,000/-	10,00,000/-
--	आय)	09	आर सी सी से निर्मित ढांचा 40 मंजिल से अधिक व 50 मंजिल तक	3.75	0.05	2,50,000/-	10,00,000/-
--	जे)	10	आर सी सी से निर्मित ढांचा 50 मंजिल से अधिक व 60 मंजिल तक	4.00	0.05	2,50,000/-	10,00,000/-

2. थियेटर, सभागार और सिनेमा हॉल :

021041	ए)	04	22 मीटर ऊँचाई से अधिक नहीं और स्पैन 10 मीटर से अधिक नहीं	2.00	0.02	15,000/-	50,000/-
022043	बी)	04	22 मीटर ऊँचाई से अधिक नहीं और स्पैन 10 मीटर से अधिक नहीं	2.00	0.03	25,000/-	1,00,000/-
023063	c)	05	22 मीटर ऊँचाई से अधिक नहीं और स्पैन 10 मीटर से अधिक नहीं	2.25	0.03	50,000/-	2,00,000/-
024073	d)	06	22 मीटर ऊँचाई से अधिक नहीं और स्पैन 10 मीटर से अधिक नहीं	2.50	0.03	50,000/-	2,00,000/-

3. फैक्ट्री शेड्स, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, हैंगर्स :

031061	ए)	05	आर सी सी निर्माण के अतिरिक्त	2.25	0.02	50,000/-	2,00,000/-
032041	बी)	03	आर सी सी	2.00	0.02	25,000/-	1,00,000/-
033051	सी)	03	हैंगर जिसकी दीवार 1) आर सी सी अथवा 2) 50 मी. मी. मोटी स्टील की चादर की अथवा 100 मी. मी. मोटी मैसेनरी आर सी सी पैनल वॉल सहित पकड़ी इटों, पत्थर या कांक्रीट से सीमेंट से बांधी गई और/अथवा लाइम मोर्टार तथा आर सी सी और जी आई के मिश्रण से बनी छत/अल्यूमिनियम/आर सी सी स्टील ढांचे पर ए सी शीट	2.125	0.02	50,000/-	2,00,000/-

4. चिमनियाँ, साइलो और कूलिंग टॉवर्स, टी. बी. टॉवर :

041072	ए)	06	15 मीटर तक ऊँचाई और 10 मीटर से से अधिक व्यास (हाइपरबॉलिक अथवा प्राकृतिक ड्रॉट टाइप के अतिरिक्त)	2.50	0.025	50,000/-	2,00,000/-
042115	बी)	09	15 मीटर से अधिक ऊँचाई और 10 मीटर से अधिक व्यास (हाइपरबॉलिक अथवा प्राकृतिक ड्रॉट टाइप)	3.50	0.04	50,000/-	2,00,000/-
043128	सी)	11	हाइपरबॉलिक अथवा प्राकृतिक ड्रॉट कूलिंग टॉवर	4.00	0.105	5,00,000/-	10,00,000/-

5. सड़कें :

051042	ए)	06	केवल टाउनशिप में	2.00	0.025	25,000/-	1,00,000/-
052073	बी)	06	समतल इलाकों में	2.50	0.03	25,000/-	1,00,000/-
053095	सी)	09	पहाड़ी / घाट क्षेत्रों में	3.00	0.04	50,000/-	2,00,000/-

6. आंतरिक सजावट का कार्य :

061097		31	आंतरिक सजावट का कार्य	3.00	0.10	50,000/-	2,00,000/-
--------	--	----	-----------------------	------	------	----------	------------

7. हवाई अड्डों पर रनवे, एप्रन, तथा वायु टैक्सी वे :

071042		04	हवाई अड्डों पर रन वे, एप्रन, और वायु टैक्सी वे	2.00	0.025	25,000/-	1,00,000/-
--------	--	----	---	------	-------	----------	------------

8. जमीन पर सब वे :

091073	ए)	33	15 मीटर से अधिक व्यास नहीं	2.50	0.30	25,000/-	1,00,000/-
092095	बी)	35	15 मीटर से अधिक व्यास	3.00	0.40	50,000/-	2,00,000/-

9. सड़क पुल, रेलवे पुल, जमीन पर बने हुए फ्लाई ओवर :

101096	ए)	08	स्टील	3.00	0.05	25,000/-	1,00,000/-
102116	बी)	10	आर सी सी अथवा प्री-स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट	3.50	0.05	50,000/-	2,00,000/-
103136	सी)	13	अन्य सामग्री	5.00*	0.10*	1,00,000/-	4,00,000/-

* अस्थायी दरें, अंतिम दर कोटेशन के लिए प्रधान कार्यालय भेजा जाए।

10. नदियों पर पुल / संकरी खाड़ी, बांध / छत बांध, एवं चाड़ा डक्टस, विआ-डक्टस, बैरेजेज, पानी में ढांचा खड़ा करना :

111127	--	21	नदियों पर पुल, खाड़ी, छतबांध, अक्वा डक्टस, विआ-डक्टस, बैरेजेज, बीयर-कम कॉर्जवे, पानी में खड़े ढांचे	6.00	0.10	22,50,000/-	75,00,000/-
--------	----	----	---	------	------	-------------	-------------

11. (I) जलाशय / सामग्री के टैंक (स्टील के अतिरिक्त) :

121093	ए)	09	सतह तथा जमीन के नीचे	3.00	0.03	25,000/-	1,00,000/-
122115	बी)	11	ओवरहेड	3.50	0.04	25,000/-	1,00,000/-

(II) जलाशय / स्टील के टैंक :

123062	ए)	05	सतह और जमीन के नीचे	2.25	0.025	25,000/-	1,00,000/-
124073	बी)	07	ओवरहेड	2.50	0.03	25,000/-	1,00,000/-

12. गुफाएँ तथा/अथवा उसमें सिविल निर्माण :

132167	i	25	पानी के नीचे	10.00	0.10	60,00,000	120,00,000/-
131157	ii	23	अन्य	7.00	0.10	30,00,000/-	75,00,000/-
133147			नदियों पर पूल, खाड़ी, छतबांध आदि	6.00	0.10	22,50,000/-	75,00,000/-

13. जल आपूर्ति :

151043	--	04	पंप, बल्ब, पाइपिंग और जल आपूर्ति पंप, बल्ब, पाइपिंग और जल आपूर्ति लाइनों (जल संग्रहण टैक को जोड़कर) के साथ पंप हाउस सहित आवासीय कॉलोनियों के लिए जल आपूर्ति स्थापनाएं।	2.00	0.03	15,000/-	50,000/-
--------	----	----	--	------	------	----------	----------

टिप्पणी : जल आपूर्ति पाइपलाइनों को लगाना, जल आपूर्ति योजना का दर निर्धारण ई ए आर टैरिफ के अनुसार होगा ।

14. सीवेज निपटान :

161043	ए)	04	चैनल और स्टॉर्म वाटर ट्रैन, सीवर / ड्रेनेज लाइन, हालिंग पॉइंस सहित सीवेज उपचार संयंत्र, पंप हाउस सहित पंप को शामिल करते हुए हाउसिंग कॉलोनियों के लिए प्रणाली	2.00	0.03	15,000/-	50,000/-
--------	----	----	--	------	------	----------	----------

15. आवासीय / व्यावसायिक इमारतों और आवासीय कॉलोनियों के लिए जमीन के नीचे और ऊपर जल संग्रहालय :

171073		05	आवासीय / व्यावसायिक बिल्डिंगों और आवासीय कॉलोनियों के लिए जमीन के अंदर के और सतह के पानी का संग्रहण	2.50	0.03	15,000/-	50,000/-
--------	--	----	---	------	------	----------	----------

16. सतह समतल करना तथा रिक्लेमेशन कार्य :

181013	16	01	सतह समतल करना और क्षेत्रीय रिक्लेमेशन कार्य	1.00	0.03	15,000/-	50,000/-
--------	----	----	---	------	------	----------	----------

17. इमारतों के लिए प्रीकास्ट आर सी सी पार्ट्स लगाना :

191011	17	01	बिल्डिंग, परिसर की दीवार और वेदर शेड वर्धमान इमारतों के लिए / आवासों के निर्माण के लिए प्री-कास्ट आर सी सी को जोड़ना आवासीय / व्यावसायिक इमारतों के लिए गॉटर प्रूफिंग और दीवारों को प्लास्टर करने जैसे छूट-पुट काम	1.00	0.02	15,000/-	50,000/-
--------	----	----	--	------	------	----------	----------

18. आवासीय / व्यावसायिक इमारतों में छूट-पुट काम :

201011	18	01	आवासीय/व्यावसायिक इमारतों के लिए वाटर प्रूफिंग और दीवारों को प्लास्टर करने जैसा छूट-पुट काम	1.00	0.02	15,000/-	50,000/-
--------	----	----	---	------	------	----------	----------

19. अन्य सभी अनावरित जोखिम :

211137	19		अन्य सभी अनावरित जोखिम अस्थायी दर)	5.00	0.10	1,00,000	4,00,000/-
--------	----	--	---------------------------------------	------	------	----------	------------

20. भूमिगत केबल डकिटिंग :

221089	20	08	भूमिगत केबल डकिटिंग	2.75	0.50	1,00,000/-	4,00,000/-
--------	----	----	---------------------	------	------	------------	------------

21. प्राकृतिक ड्रॉट कूलिंग टॉवर्स :

231128	21	13	प्राकृतिक ड्रॉट कूलिंग टॉवर्स	4.00	0.105	5,00,000/-	10,00,000/-
--------	----	----	-------------------------------	------	-------	------------	-------------

22. नींव को भरना :

241116	22	09	इमारतों एवं अन्य निर्माणों की केबल, नींव भरने के संबंध में	3.50	0.05	5,00,000/-	10,00,000/-
--------	----	----	--	------	------	------------	-------------

23. नहर / पुलिया (पानी के अंदर का काम शामिल नहीं) :

251087	23	07	नहर / पुलिया (पानी के अंदर का काम शामिल नहीं)	2.75	0.10	1,00,000/-	4,00,000/-
--------	----	----	--	------	------	------------	------------

24. रेलवे ट्रैक बिछाना / रेलवे गेज कन्वर्जन :

260000	24	08	रेलवे गेज रूपान्तरण (मीटरगेज से ब्रॉडगेज में) रेलवे ट्रैक बिछाना	3.00	0.03	50,000/-	2,00,000/-
--------	----	----	--	------	------	----------	------------

25. कृत्रिम जल प्रणाली परियोजना :

270000	25		कृत्रिम जल प्रणाली परियोजना : एच डी पी ई पाइप बिछाना / कृत्रिम जल प्रणाली परियोजना के लिए समुद्रीय जल अंतःवाही प्रणाली के लिए उप-साधन				
--------	----	--	--	--	--	--	--

टिप्पणी : उपरोक्त दी गई दरें टैरिफ दरें हैं तथा हमारे स्विस सॉफ्टवेयर में दिखाई देने वाली दरों से मेल नहीं खाती हैं।

स्टॉक का खराब होना (आलू)

आन्तरिक गाइड दर अनुसूची

I. शीत भंडारण प्लांट के मशीनरी बीमा आवरण हेतु दर एवं कटौतियां, ग्रुप III की मशीनरी के एम आई गाइड टैरिफ़ के दर अनुसूची के अनुसार होंगी ।

II. शीत भंडारण प्लांट के लिए स्टॉक के खराब होने की दर निम्नानुसार होगी :

7 महीनों तक के आवरण के लिए दर :

(क) जिस शीत भंडारण में **0.56%** का एफ ओ ई एस विस्तार का विकल्प लिया गया है ।

(ख) जिस शीत भंडारण में **0.42%** का (एफ ओ ई एस) का विकल्प नहीं लिया गया है ।

7 महीनों से अधिक व अधिकतम 12 महीनों तक प्रति माह आवरण के लिए दर :

(क) शीत भंडारण हेतु, जिन्होंने एफ ओ ई एस विस्तार का विकल्प चुना है : **0.08%** प्रत्येक अतिरिक्त माह या इसके अंश हेतु ।

(ख) शीत भंडारण हेतु, जिसमें एफ ओ ई एस के विस्तार का विकल्प नहीं है : **0.06%** प्रत्येक अतिरिक्त माह या उसके अंश हेतु ।

जोखिम निरीक्षण पर आधारित तकनीकी व वाणिज्यिक छूट मापक के अनुसार उपर्युक्त दरों में छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी : इन दरों को बीमा राशि पर प्रभारित किया जाएगा । जैसे रखे गये सामान को बीमाधारक द्वारा शीत भंडारण के वास्तविक भंडारण क्षमता के लिए भंडारण के समय आत्म का प्रभावित औसत सहमत मूल्य को घोषित क्षमता से गुणित करना । यह मूल्य भंडारण प्रभार सहित पूरे सीजन के लिए लागू होगा ।

आगे यह निम्न के अध्यधीन होगा :

शीत भंडारण केवल कैपिटिव पावर पर चलता हैं जैसे कि बिना पब्लिक इलैक्ट्रिक सप्लाई के, उन भंडारणों को स्टॉक बिगड़ने (डी.ओ. एस.) का आवरण प्रदान करना चाहिए बशर्ते कि शीत भंडारण के पास 100% स्टैंडबाय व्यवस्था हो । डी जी सैट में ब्रेकडाऊन के कारण होने वाली हानियों / कैपिटिव पावर का कोई अन्य स्त्रोत एफ.ओ.ई.एस. विस्तार के अन्तर्गत माना जायेगा ।

व्यवकलनीय मुक्तांश (आधिक्य) :

पॉलिसी के अन्तर्गत होने वाले प्रत्येक दावे पर अनिवार्य रूप से लागू होने वाला व्यवकलनीय मुक्तांश निम्नानुसार होगा :

(क) एफ.ओ.ई.एस. विस्तार डी.जी. सेट को हुई क्षति से हुए दावे के संबंध में । कैपिटिव पावर के कोई अन्य स्त्रोत दावा राशि का - 20% न्यूनतम रु. 20,000/- के अध्यधीन ।

(ख) अन्य दावों के सम्बन्ध में दावा राशि का - 10% कम से कम रु. 20,000/- ।

उपर्युक्त व्यवकलनीय मुक्तांश अतिरिक्त अंशों की कमी के फलस्वरूप मुक्तांश के अतिरिक्त निम्नानुसार है :

कोम्पैसर्स	रु. 10,000
डिप्यूजर्स	रु. 5,000
डिप्यूजर्स मोटर्स	रु. 5,000
एक्सपेंशन वाल्व	रु. 5,000

टिप्पणी :

क) वार्षिक पॉलिसियों के सम्बन्ध में, शीत भंडारण के सभी कक्षों से सम्बन्धित आवरण होना चाहिए और

चयनीत कक्षों के लिए कोई आंशिक बीमा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि बैंकों / वित्तीय संस्थानों के लिए भी।

12 महीनों से कम समय के लिए जारी की गई पॉलिसियों के लिए उन सभी कक्षों को पूर्ण मूल्य के साथ आवरण लेते समय घोषित करना चाहिए जिनको पॉलिसी की सारी अवधि के दौरान प्रयोग में लाया जायेगा।

दावा अनुभव छूट व प्रभार -

औसत दावा अनुपात % पॉलिसी समाप्त होने से पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए	छूट (%)	बढ़ोत्तरी (%)	आधिक्य
05 वर्षों तक	30		पॉलिसी आधिक्य
05 से अधिक 15 तक	25		पॉलिसी आधिक्य
15 से अधिक 30 तक	20		पॉलिसी आधिक्य
30 से अधिक 40 तक	15		पॉलिसी आधिक्य
40 से अधिक 45 तक	10		पॉलिसी आधिक्य
45 से अधिक 50 तक	5		पॉलिसी आधिक्य
50 से अधिक 60 तक	शून्य	शून्य	पॉलिसी आधिक्य
60 से अधिक 80 तक		5	पॉलिसी आधिक्य
80 से अधिक 100 तक		10	पॉलिसी आधिक्य
100 से अधिक 125 तक		15	पॉलिसी आधिक्य
125 से अधिक 150 तक		20	पॉलिसी आधिक्य
150 से परे व 200 तक		35	पॉलिसी आधिक्य
200 से परे व 300 तक		35	1.5 बार पॉलिसी आधिक्य
300 से ऊपर व 400 तक		40	2 बार पॉलिसी आधिक्य
400 से ऊपर व 500 तक		45	2.5 बार पॉलिसी आधिक्य
500 से ऊपर व 1000 तक		50	3 बार पॉलिसी आधिक्य
1000 से ऊपर		100	5 बार पॉलिसी आधिक्य

प्रभार व छूट सभी प्रस्तावों पर लागू होगी। अगर एक परिसर में एक से अधिक पॉलिसी जारी होती है तो प्रभार व छूट सभी पर लागू होगी।

- i) दावा अनुभव एम.आई. व डी.ओ.एस. दोनों पर लागू होगा।
 - ii) दावे के अनुपात का परिकलन उपगत दावों के आधार पर होगा।
- ग) पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले के 5 वर्षों के दावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए दरों का निर्णय लिया जायेगा। दर में छूट के लिए योग्य होने के लिए पॉलिसी 3 वर्षों तक लगातार जारी रहनी चाहिए। दर में प्रभार, अगर कोई हो, का निर्णय द्वितीय वर्ष से होना चाहिए।

पॉलिसी अवधि से आगे विस्तार हेतु दरें :

अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी के विस्तार की इच्छा हो तो इस अवधि के विस्तार पर मासिक टैरिफ दर पर अतिरिक्त 25% का प्रभार लागू होगा जो कि बकाया बीमा राशि, पहले से चयनित पॉलिसी की समाप्ति की तारीख तक लागू होगी।

कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट व मशीनरी बीमा दर सूची

दर अनुसूची

मशीनरी का ग्रुप	दर (रु.) (सभी दैवी आपदाओं सहित, भूकम्प समेत)	
I	0.40 %	1. रेलवे ट्रैक ट्रैस्टिंग कोच के विषय में व मेरी गो राउंड सिस्टम (लोकोमोटिव व वेगन) दर पर 20% अधिक प्रीमियम (लोडिंग)
II	0.55 %	
III	0.70%	
IV	1.4%	2. भूमिगत सुरंग में कार्य करने वाले प्लांट व मशीनरी की दरों पर इन दरों पर 50 % अधिक प्रीमियम (लोडिंग)
V	0.15 %	

आधिक्य

क) ग्रुप I, II, III व IV के अन्तर्गत आने वाली मशीनें -

(10 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनों के अतिरिक्त)

आधिक्य		
उपकरण का मूल्य	ए.ओ.जी. आपदाओं से जनित दावों के लिए	ए.ओ.जी. आपदाओं से जनित दावों के अतिरिक्त
क. व्यक्तिगत मूल्य रु. 1 लाख तक	बीमित राशि का 10 % न्यूनतम रु. 5,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 2 % न्यूनतम रु. 1,500/- के अध्यधीन
ख. व्यक्तिगत मूल्य रु. 1 लाख से अधिक व रु. 5 लाख तक	बीमित राशि का 5 % न्यूनतम रु. 10,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 1.5 % न्यूनतम रु. 2,000/- के अध्यधीन
ग. व्यक्तिगत मूल्य रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तक	बीमित राशि का 3 % न्यूनतम रु. 25,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 1.25 % न्यूनतम रु. 7,500/- के अध्यधीन
घ. व्यक्तिगत मूल्य रु. 10 लाख से अधिक व रु. 25 लाख तक	बीमित राशि का 2 % न्यूनतम रु. 30,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 1 % न्यूनतम रु. 12,500/- के अध्यधीन
ङ. व्यक्तिगत मूल्य रु. 25 लाख से अधिक व रु. 50 लाख तक	बीमित राशि का 1 % न्यूनतम रु. 50,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 1 % न्यूनतम रु. 50,000/- के अध्यधीन
च. व्यक्तिगत मूल्य रु. 1 लाख से अधिक	बीमित राशि का 1 % न्यूनतम रु. 50,000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 1 % न्यूनतम रु. 50,000/- के अध्यधीन

ख) ग्रुप III के अन्तर्गत 10 टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनों के लिए -

मुख्य खंड			
उपकरण का मूल्य रुपयों में	ए.ओ.जी. दावा	सामान्य	बूम खंड
क) 5 लाख से अधिक व 10 लाख तक	बीमा राशि का 1.5 % न्यूनतम रु. 10, 000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 0.8 % न्यूनतम रु. 5, 000/- के अध्यधीन	दावा राशि का 20 % न्यूनतम रु. 25, 000/- के अध्यधीन.
ख) 10 लाख से अधिक मूल्य व 25 लाख तक	बीमा राशि का 1 % न्यूनतम रु. 20, 000/- के अध्यधीन	बीमा राशि का 0.5 % न्यूनतम रु. 10, 000/- के अध्यधीन	-वही-
ग) 25 लाख से अधिक मूल्य व 50 लाख तक	बीमा राशि का 0.7 % न्यूनतम रु. 25, 000/- के अध्यधीन	रु. 15, 000/-	-वही-
घ) 50 लाख से अधिक	बीमा राशि का 0.5 % न्यूनतम रु. 25, 000/- के अध्यधीन	रु. 25, 000/-	- वही -

टिप्पणी :- बूम खंड में 10 टन की क्षमता वाली क्रेन के लिए आधिक्य - अगर समान घटना के कारण क्रेन के मुख्य भाग के साथ साथ बूम को क्षति पहुँचती है, तो क्रमानुसार आधिक्य लागू होगा । यदि दोनों में से किसी एक को क्षति पहुँचती है तो केवल आधिक्य के अनुसार दरें लागू होगी ।

ग) ग्रुप V के अन्तर्गत मशीनरी के लिए -

रु. 2,500/- फ्लॉट आधिक्य

मशीनरी के ग्रुप -

प्लांट के निर्माण, उपकरण व मशीनरी का वर्गीकरण

जोखिम कोड	ग्रुप I
101	चेन ब्लॉक्स व पुली ब्लॉक्स
102	कम्प्रैसर, एयर टूल्स
103	कन्वेयर बेल्ट्स, साइट होयस्ट्स, जैक्स, स्क्रू
104	10 टन तक की क्षमता वाली क्रेन्स (टर्नर व डैरिक क्रेन के अतिरिक्त)
105	कंक्रीट पंपिंग प्लांट
106	सीमेंट सिलोस, वाटर कंटेनर्स, सर्वेंगिंग इकिवप्मेंट
107	नान डिस्ट्रिक्टिव टैस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले इलैक्ट्रिकल व इलैक्ट्रॉनिक उपकरण
108	फोर्कलिफ्ट ट्रक (10 टन की क्षमता तक)

109	मिक्सिंग मशीन, मिक्सिंग प्लांट्स
110	डामर या कंक्रीट फिनिशिंग के लिए पेवर्स
111	स्थायी वे प्लांट (ट्रैक - लेइंग मशीनरी, ट्रैक शिप्टर्स, टैम्पर्स)
112	पोर्टबल प्रोटैक्शन टेंट्स
113	पम्प, ट्रांसफार्मर्स, इलैक्ट्रिक मोटर्स
114	रोड रोलर्स
115	रेलवे ट्रैकेज
116	रैंडरिंग प्लांट
117	स्क्रैपर्स, स्केलस्
118	वाइब्रेटर्स (वाइब्रेटिंग काम्पैक्टिंग रोलर्स, वाइब्रेशन व मैकेनिकल टैपिंग इकिवपमेंट, कंक्रीट वाइब्रेटिंग इकिवपमेंट)
119	वर्कशाप मशीनें, बुडवर्किंग मशीनें, रिइनफोर्समेंट बार बैंडर्स, ड्राईंग प्लांट
120	वेल्डिंग सेट
121	सर्वेयिंग इकिवपमेंट्स
122	ट्रैक्टर 144 डी
123	मोसाइक पॉलिशिंग मशीनें
124	थर्मोप्लास्टिक लाइन मार्किंग मशीन
जोखिम कोड	ग्रुप II
201	एप्रीगेट प्लांट
202	एयर लॉक्स
203	गैस पावर जनरेटिंग प्लांट
204	ग्रेडर्स, वैन स्क्रैपर्स, रिपर्स
205	हॉलिंग इकिवपमेंट (डम्पर्स, डम्प कारें, डम्प ट्रक)
206	लोकोमोटिव्स, फील्ड व स्टीम जनरेटिंग इंजिन, ट्रैक शिपिटंग मशीने
207	मोबाईल मिक्सिंग प्लांट
208	मैकेनिकल स्चीपर्स
209	साईट पावर जेनरेटिंग प्लांट (गॉसोलीन या डीजल इंजिन)
210	स्टोन क्रशर्स, स्क्रीनस, सेपरेटिंग प्लांट
211	टैक्टर / ट्रेलर्स

212	भूकंपीय विवरण संकलन उपकरण नोट - ट्रान्सफार्मर औयल फिल्ट्रेशन यूनिट (इस यूनिट को ले जाने वाले वाहन) इस खण्ड में मोबाइल मिक्रोसिंग प्लांट के अन्तर्गत आवरित होंगे ।
213	रेलवे ट्रैक टैस्टिंग कोच
214	ट्रांसमिशन लाइंस की स्ट्रिंजिंग हेतु प्रयोग होने वाली स्ट्रिंजिंग मशीन जिसमें हाइड्रोलिक पुलर व टैंशनर निहित होे ।
जोखिम कोड	ग्रुप III
301	बुलडोजर्स
302	10 टन की क्षमता से ऊपर वाली क्रेन, टर्नर क्रेन व डैरिक क्रेन्स
303	डाइविंग उपकरण
304	एक्स्केवेटर्स (कैटरपिलर शोवैलज, ड्रेग शोवैलज, पावर शोवैलज, स्वयं धकेलने वाले एक्स्केवेटर्स, ट्रक शोवैलज, बैकेट एक्स्केवेटर्स, बैकेट ट्रैचिंस)
305	लोडर्स
306	पाइल ड्राइविंग व पाइल एक्स्ट्रैकिंग उपकरण
307	ब्रिज निरीक्षण मशीनें
308	मोबाइल डाइविंग रिंग (तट पर)
309	पाइप जैकिंग एम / सी
310	रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन (आर एम जी)
311	बालोटिस
312	टॉप लिफ्ट ट्रक (टी एल टी)
313	ब्रेक डाऊन वाहन
314	हाइड्रोलिक ट्रिवन बूम जम्बो ड्रिलिंग मशीन
315	इलैक्ट्रो हाइड्रोलिक डिगिंग आर्म लोडर
316	अलीमाक रेज क्लाइंबर
317	मैरी गो राउंड सिस्टम्स (नीचे दी गई टिप्पणी 1 देखें)
जोखिम कोड	ग्रुप IV
401	जल की आपूर्ति के लिए ड्रिलिंग मशीन
402	टनल बोरिंग मशीनें
जोखिम कोड	ग्रुप V
501	1,00,000/- रुपये तक की व्यक्तिगत मूल्य वाले अन्य विविध वस्तु, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया ।

बॉयलर व प्रैशर प्लांट बीमा

दर अनुसूची

स्टीम बॉयलर विस्फोट व ढह जाना, फ्लू गैस विस्फोट सहित बीमा हेतु प्रीमियम की दरें निम्नानुसार हैं -

ये दरें फिटिंग्स, सुपर हीटर्स व बिल्ट इन इकोनोमाइजर्स पर भी लागू हैं -

ग्रुप	जोखिम कोड	बॉयलर का प्रकार	मूल दर (रु. प्रति हजार)	मूल दर के लिए निर्धारित आयु (वर्ष)
1(क)	0101	कोल फायर्ड बॉयलर्स	0.80	25
1(ख)	0102	चूर्णित कोल फायर्ड बॉयलर्स	0.80	25
1(ग)	0103	ऑइल फायर्ड बॉयलर्स	0.80	25
1(घ)	0104	बागास / हस्क फायर्ड बॉयलर्स	0.80	25
2(क)	0201	रिकवरी बॉयलर्स	0.80	20
2(ख)	0202	रद्दी हीट बॉयलर्स	0.80	20
2(ग)	0203	गैस फायर्ड बॉयलर्स	0.80	20
3	0301	अनफायर्ड वेसल / प्रैशर प्लांट	0.40	20
4	0401	स्टीम पाइप्स	0.20	--

टिप्पणी –

1. रिकवरी बॉयलर्स के लिए, स्मेल्ट (पिघले हुए) वाटर रियेक्शन के कारण मूल दर में विस्फोट सम्मिलित है ।
2. मूल दर निर्धारित आयु तक लागू है ।
3. मूल दर को @ 0.005 प्रति हजार प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष हेतु, निर्धारित आयु के आधिक्य में बढ़ाना होगा । उदाहरण (1) बीमा के समय बॉयलर की आयु मान कर चले 30 तो ।

$$\text{दर} = 0.80 + 0.005 \times (30-25)$$

$$= 0.80 + 0.025$$

$$= 0.80 + 0.025 = 0.825 \text{ प्रति हजार}$$

4. जिन बॉयलरों को बॉयलर निरीक्षणालय से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता न हो, दर में 50% की बढ़ोतरी होगी ।

आधिक्य - दावा राशि का 5% कम से कम रु. 10,000/- के अध्यधीन

दरों में वृद्धि -

1. तुरंत भाड़ा - (एयर भाड़ा अपवर्जित) मजदूरी की अवकाश व ओवरटाइम दरें –

तुरंत भाड़ा - (एयर भाड़ा अपवर्जित), अवकाश व ओवरटाइम मजदूरी की दर के आवरण हेतु प्रीमियम में वृद्धि चयनित सीमा पर लागू औसत दर के अनुसार होगी ।

2. एयर भाड़ा –

केवल एयर भाड़े की मद्दों में अनन्य रूप से निम्नानुसार दर व आधिक्य लागू होगा व एयर भाड़े में बीमाधारक द्वारा

क्षतिपूर्ति के लिए चयनित सीमा के अध्यधीन होगा ।

दर	चयनित क्षतिपूर्ति की राशि पर 2 %
आधिक्य	एयर भाड़े में प्रति दावे पर 5 %

3. बीमाधारक की स्वयं की आसपास की सम्पत्ति -

आसपास की सम्पत्ति के आवरण हेतु, चयनित दायित्व की सीमा पर लागू कुल औसत दर के 25 % प्रीमियम में वृद्धि के साथ-साथ चयनित दायित्व की सीमा पर 1% का आधिक्य भी लागू होगा ।

4. तृतीय पक्ष दायित्व –

तृतीय पक्ष दायित्व आवरण, तृतीय पक्ष दायित्व की चयनित सीमा के कुल औसत दर पर लागू प्रीमियम के 25 % की वृद्धि द्वारा लिया जा सकता है । तृतीय पक्ष दायित्व की चयनित सीमा पर 1% का आधिक्य लागू होगा ।

इस विस्तार के अन्तर्गत अधिकतम बीमा राशि, बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रति स्थल में अधिकतम रु. 10 करोड़ के अध्यधीन ।

5. अतिरिक्त सीमा शुल्क –

अतिरिक्त सीमा शुल्क आवरण निम्नांकित दरों, शर्तों व प्रतिबन्धों के अध्यधीन होगा -

- क) अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए आवरण प्रथम हानि के आधार पर होगा ।
- ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए प्रतिशत में या राशि में विशिष्ट सीमा - पॉलिसी के आरम्भ में बीमाधारक द्वारा चयन करनी होती और दावा होने पर उसका पुनःस्थापन किया जा सकता है ।
- ग) दर व आधिक्य निम्नानुसार हैं –

दर	अतिरिक्त सीमा शुल्क में चयनित राशि पर 1% प्रभार किया जाएगा
आधिक्य	सेवा शुल्क में स्वीकृत वृद्धि का 5 %, पॉलिसी में प्रभावित मद पर लागू आधिक्य राशि के अतिरिक्त अन्यथा पॉलिसी की शर्तों, प्रतिबन्धों व अपवादों के अध्यधीन

6. वृद्धि प्रावधान -

देय अतिरिक्त प्रीमियम पूर्ण दर के 50 % होगा, उसका प्रभार चयनित वृद्धि के प्रतिशत पर लागू होगा ।

7. सकल दरें -

इस गाइड टैरिफ में दर्शाई गई दरें सकल दरें हैं व एजेन्सी कमीशन / ब्रोकरेज (या एजेंसी कमीशन के स्थान पर छूट) समय समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार इन दरों के अनुसार दी जा सकती हैं ।

8. दर की गणना :

1. मूल दर (आयु अतिरिक्त सहित)
2. अगर लागू हो तो नॉन आई.बी.आर. अतिरिक्त जोड़े
3. उपर्युक्त 2 के दरों के अनुसार तकनीकी / वाणिज्यिक छूट लागू करें

मशीनरी बीमा पॉलिसी

दर अनुसूची

समूह - I

कोल्ड स्टोरेज तथा आइस प्लांट के अतिरिक्त प्लान्ट्स में स्थापित इलेक्ट्रिकल मशीनरी -

आधिक्य :- प्रत्येक मशीन के लिए बीमा राशि का 1% न्यूनतम रु. 2,500/- (निर्देशदर में दर अलग)

जाखिम कोड	क्र. संख्या	दर कोड	मद	दर (%)	टिप्पणी
100106 (i)	1.	03	एच टी / एल टी स्विचगीयर्स व लाइटिंग अरैस्टर्स	0.50	
100213	2.	07	तेल / एयर सर्किट ब्रेकर्स	1.00	
103113	3.	07	एस एफ 6 सर्किट ब्रेकर्स वेक्यूम सर्किट ब्रेकर	1.00	
100305	4.	03	केबल / इलैक्ट्रिकल वायरिंग	0.50	
100413	5.	07	बैटरी सैल	1.00	
100506	6.	03	न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेसिस्टर	0.50	
100616	7.	09	सीरीज रियेक्टर	1.50	
100713	8.	07	एच टी आइसोलेटर इन्सुलेटर	1.00	
	9.	08	वोल्टेज स्टैब्लाइजर	1.25	
100816 (ii)	1.	08	पावर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांस्फार्मर	1.25	
100914	2.	08	करंट व पोटेंशियल ट्रांस्फार्मर	1.25	
101018	3.	10	टेस्टिंग ट्रांस्फार्मर्स	1.75	
101116	4.	09	शंट रियेक्टर	1.50	
101213	5.	07	कैपेसिटर बैंक्स	1.00	
101316 (iii)	1.	09	रैक्टीफायर ट्रांस्फार्मर्स	1.50	
101419	2.	11	फरनेस ट्रांस्फार्मर्स	2.00	
	3.		रैक्टीफायर्स -		
101514	क)	07	मरक्युरी	1.00	
101613	ख)	07	मेटल	1.00	
101711	ग)	07	सिलीकोन	0.80	
101813	4.	07	थार्मिस्टर कन्वरटर / थार्मिस्टर कंट्रोल पैनल	1.00	
(IV)	1.		इलैक्ट्रिक मोटर्स, मोटर जनरेटर्स (एसी / डीसी सहित) तथा क्षमतायुक्त वेल्डिंग सेट		

101919	(क)	11	50 एच पी तक (37.5 के डब्ल्यू)	2.00	
102016	(ख)		50 एच पी से ऊपर	1.60	
	2(क)		डी. जी. सेट / गैस इंजिन जनरेटिंग सेट		1. डी. जी. सेट के पृष्ठांकन के अध्यधीन, व
102117	i)	09	5 एम डब्ल्यू क्षमता तक	1.50	2. अलग से रखे गये टर्बो चार्जर्स वीमित नहीं किये जा सकते
102217	ii)	10	5 एम डब्ल्यू से अधिक क्षमता के साथ	1.75	
102319	iii)	11	जहाँ केवल इंजन को आवरित करना हो	2.00	
102416	2(ख)	09	500 एम डब्ल्यू तक की क्षमता वाले स्टीम टर्बो जनरेटर सेट	1.50	1. बेशक टरबाइन/जनरेटर एक साथ या अलग से आवरित हों, दरें लागू होंगी । 2. 500 एम डब्ल्यू से अधिक क्षमता वाले हेतु संदर्भ प्रधान कायालय को भेजा जाए ।
102520	2(ग)	10	गैस पर आधारित / गैस से चलनेवाले कम्बाइन्ड साईकल पॉवर प्लांट / गैस टर्बो जनरेटर सेट	1.75	1. गैस टरबाइन / जनरेटर चाहे वे अलग से संरक्षित हो या इकट्ठे हो, दरें लागू होगी । अन्य मदों पर भी दरें लागू होगी । 2. टरबाइन के हॉट गैस पाथ व उसके घटकों के मूल्यहास समायोजन हेतु हुए पृष्ठांकन के अध्यधीन
		08	रेडियो फ्रीक्वेन्सी ड्रायर	1.25	मूल्यहास पृष्ठांकन के अध्यधीन
		07	इलेक्ट्रोनिक व कम्प्यूटर संबंधी उपकरण सुविधा, प्रिन्टर सर्किट बोर्ड पर सोल्डरिंग घटकों की स्थापना करने के लिए, एक स्क्रीन प्रिंटर, एक री-फ्लो ओवन व सर्किट टैस्टर इत्यादि में कंपराइजिंग सरफेस मार्जिंट टैक्नालॉजी मशीन	0.60	
		06	थर्मो वेक्यूम वलीनर	0.80	1. उपकरण समग्र रूप से वीमित हो 2. रेफ्रीजरेट को मशीनरी ब्रेकडाउन आवरण नहीं दिया जा सकता

समूह - II

यांत्रिक वस्तुओं की दरें (मशीन सभी उद्योगों के लिए समान हैं)

जोखिम कोड	क्र. संख्या	दर कोड	मद	दर (%)	टिप्पणी
			एयर कम्प्रेसर एयर रिसीवर्स		कम्प्रेसर्स हेतु रिसीवर का संदर्भ ग्रहण करें।
200104		02	ऑटो क्लेवस / एजीटेटर्स	0.40	
200203		02	अलाइनमेंट मशीनें	0.40	
200307		04	ऑटोमाइजर्स	0.60	
200520		12	एयर कंडीशनर (रुम ए.सी.)	2.50	
200605		03	आटोमैटिक सीलिंग मशीन	0.50	
200703		02	आटोमैटिक ब्रूशिंग कंडैनसर टोप्पिंग मशीन	0.40	
200803		02	बोरिंग मशीनें	0.40	
200905		02	ब्रोचिंग	0.40	
201003		02	बार कटिंग मशीनें (शियरिंग मशीनों के अलावा)	0.40	
201107		02	बैंडिंग मशीनें ब्लैंडिंग मशीनें	0.40	संदर्भ 'मिक्सिंग व ब्लैंडिंग मशीनें'
201205		02	ब्लोवर्स	0.40	
201305		02	बैग फिलिंग व बैग स्टिचिंग मशीनें	0.40	
201404		02	बॉयलर्स	0.40	
201505		03	बीटर्स	0.50	
201610		05	ब्रीक्यूट मशीनें	0.70	
201705		03	ब्रोनजिंग मशीन बेलिंग प्रैस	0.50	संदर्भ 'प्रैसिस'
201810		05	बॉल मिल	0.70	
201905		02	बोटलिंग व फिलिंग मशीनें	0.40	
202013		07	बर्नर्स व फायलिंग सिस्टम	1.00	
202108		03	चेन पुली ब्लाक	0.50	
		06	चिलर प्लांट (कम्प्रेसर सहित)	0.80	
			<u>कम्प्रेसर व आक्सलरीज</u>		
202222		04	25 पी एस आई तक (8.5 के एस सी)	0.60	
202323		06	25 पी एस आई से आगे (8.5 के एस सी) 500 पी एस आई तक (170 के एस सी)	0.80	
202424		07	500 पी एस आई से आगे (170 के एस सी)	1.00	

202502		01	कम्प्रेसर्स हेतु रिसीवर्स	0.20	
202602		01	कूलिंग टॉवर्स	0.20	
202703		02	कंडैन्सर्ज, चिलर्स, इवैपोरेटर्स व प्री-हीटर्स	0.40	
202807		02	सेण्ट्रीफ्यूज़ेज	0.40	
202903		02	कटिंग मशीनें / सॉस (शीयरिंग मशीनों के अतिरिक्त)	0.40	
203003		02	सिगरेट मेकिंग मशीन <u>कन्वेयर्स</u>	0.40	
		07	कानकास्ट मशीन (निरंतर)	1.00	
203109		05	क्रशर्स (स्टोन क्रशर्स के अतिरिक्त)	0.70	
203206		03	कैलेंडरिंग मशीनें	0.50	
			<u>कम्पोजिंग मशीन -</u>		
203308	i)	04	कंप्यूटराइज़्ड	0.60	
203405	ii)	02	अन्य	0.40	
203503		02	कूलिंग मशीनें	0.40	
203603		02	क्रशर मशीनें	0.40	
203703		02	क्रिस्टलाइज़र	0.40	
203803		02	कूलिंग कॉइल्स	0.40	
203914		08	कोरेना ट्रीटमेंट कैरियर सर्क्यूलेटर <u>साइकल मैन्यूफैचिचरिंग इंडस्ट्रीज</u>	1.25	पंप की दरें लागू
204003		02	i) स्पोक लेसिंग मशीन	0.40	
204103		02	ii) स्वीरिंग मशीन	0.40	
204203		02	iii) स्पोक रोलिंग मशीन	0.40	
204305		02	डिलिंग मशीनें	0.40	
			डीप ड्राइंग प्रैस		
204405		02	डेयरी व फूड प्रोसेसिंग मशीनें (अन्यथा विशिष्ट प्रावधानों के लिए नहीं)	0.40	पावर प्रैस की दरें लागू
204503		02	ड्राइवलीनिंग इक्वीपमेंट	0.40	
204620		12	डीप फ्रीजर्स	2.50	
204710		05	डिसइंटीग्रेटर्स	0.70	
204807		04	ड्रायर्स	0.60	
204910		04	डिफ्यूजर्स	0.60	
205003		02	डीब्रेसिंग एम/सी	0.40	
205103		01	डिस्टीलेशन यूनिट	0.20	
205219		11	डीजल इंजिन	2.00	हानि न्युनीकरण पृष्ठांकन के अध्यधीन

205304	01	डी - ईरेटर स्टोरेज टैंकों सहित	0.20	
205409	03	एम्बॉसिंग / इनग्रेविंग मशीनें	0.50	
205513	07	सभी प्रकार के एक्सट्रूडर्स	1.00	
205603	02	इवैपोरेटर्स / हीट एक्सचेंजर्स	0.40	
205707	04	इलेक्ट्रोस्टेटिक पैटिंग प्लांट	0.60	
205708	04	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपीटेटर्स	0.60	
205709	05	इलेक्ट्रोलोइझर	0.70	
205803	02	ऐज रनर्स	0.40	
205913	07	इलेक्ट्रोड एसेंबली	1.00	
206003	02	इकौनोमाइजर	0.40	
206108	02	ई. ओ. टी. क्रेन	0.60	
206213	07	इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक इन्क्यूबेटर्स हैचरी में काम आने वाले	1.00	
206307	04	इजैक्टर सिस्टम	0.60	
206414	08	एक्सपैंडर मशीन	1.25	
		इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रोफ़िडर		संदर्भ वाइब्रेटरी फीडर
222510	05	टेप के विनिर्माण हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन (मोटर को छोड़कर)	0.70	
222613	07	टेप के विनिर्माण हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन (मोटर के साथ)	1.00	
223313	07	इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन (ई.डी. एम.)	1.00	
		फरनेस -		
206513	i)	आर्क फरनेस रुफ लिफिटंग व टिलिटंग मैकेनिसम	1.00	
206616	ii)	इन्डक्शन फरनेस	1.50	मूल्यहास पृष्ठांकन के अधीन
206714	iii)	हीट ट्रीटमेंट / विद्युतीय फरनेस व वैक्यूम फरनेस को तपाना	1.25	मूल्यहास पृष्ठांकन के अधीन
206816	iv)	ऑयल / गैस / कोल फायर्ड फरनेस	1.50	
206905	02	पंखे (आई.डी./एफ.डी. पंखों सहित)	0.40	
207005	02	फिलिंग मशीनें	0.40	
207103	02	फ्लोर मिलें	0.40	
207205	02	फूड प्रोसेसिंग मशीनें	0.40	
207305	02	फिल्टर्स	0.40	
207403	02	टेक्सटाइल / जूट मिलों के लिए फिनीशिंग मशीन	0.40	

207516		08	फॉरजिंग मशीन	1.25	
207605		02	फिन फैन कूलर्स	0.40	
207709		05	फ्लैकर्स	0.70	
207814		08	फ्लैकर ड्रम	1.25	
207914		08	फाइनल कॉन्सेंट्रेटर	1.25	
			ग्लास व ग्रेफाइट उपकरण -		
208019	1.	11	औद्योगिक प्रयोजनों के लिए शुद्ध ग्लास तथा ग्रेफाइट उपकरण / अपेरेटर्स (लेबोरेटरी प्रयोगों/विश्लेषण व कैमिकल संचयन ऐसे उत्पादों को छोड़कर)	2.00	अतिरिक्त दावा राशि का 20% न्यूनतम रु. 10000 के अधीन
208116	2.	09	ग्लास लाइंड वेसल	1.50	-वही-
208203		02	ग्राइंडिंग मशीनें	0.40	
208305		02	गीयर कटिंग मशीनें	0.40	
208405		02	ग्रैन्यूलेटर्स	0.40	
208512		05	गैस जनरेटर्स	0.70	
208613		07	गीयर बाक्स	1.00	
208713		06	गैस एनालाइजर्स	1.80	
208820		10	गैस टरबाइन	1.75	'हॉट गैस पाथ' पर पृष्ठांकन
208907		04	जिनिंग मशीनें (मोटर को छोड़कर)	0.60	
209505		02	हॉबिंग मशीनें	0.40	
209613		07	हाइड्रोलिक प्रैसिस/सिस्टम	1.00	
209716		08	हैमर्स टप व एनविल को छोड़कर	1.25	
209003		02	हीट एक्सचेंजर्स	0.40	
209103		02	ह्यूमिडीफायर्स / डीह्यूमिडीफायर्स	0.40	
		06	ह्यूमिडीफिकेशन प्लांट	0.80	
209204		02	हाइड्रो पल्पर	0.40	
209303		02	हार्डनेस टैस्टिंग मशीन	0.40	
209410		05	हैमर मिल्स	0.70	
		07	हाइड्रो टरबाईन्स	1.00	
209809		05	केवल औद्योगिक परिसर में स्थित जिब क्रेन्स	0.70	
209905		02	जैक्यार्ड मशीन	0.40	
		02	आभूषण बनाने वाले उपकरण	0.40	
210013		07	नीडिंग मशीनें (ब्लेड आवरित नहीं)	1.00	
210103		02	केतलियाँ	0.40	
210207		04	विलन्ज	0.60	

211008	i)	02	लिफ्टस् / लिफ्टिंग टैक्लज - चेन पुली ब्लॉक	0.40	लिफ्ट में रस्सियों, क्रेन व रोपवेज पृष्ठाकन
211105	ii)	02	सामान / यात्रियों के लिए लिफ्ट	0.40	-वही-
211208	iii)	04	ओवरहेड क्रेन्स (मोनोरेल सहित)	0.60	-वही-
210309	iv)	04	जिब क्रेन्स	0.60	-वही-
210416	v)	07	लिफ्ट के लिए चुम्बक	1.00	-वही-
210503		02	लेथ्स (सी एन सी को छोड़कर)	0.40	
210608		04	लेथ्स (सी एन सी)/सभी सी एन सी मशीनें	0.60	
210703		02	लाउंड्री / ड्राय क्लीनिंग	0.40	
210816		07	लैबोरेटरी उपकरण / पुर्जे (पायलट प्लाट को छोड़कर)	1.00	1. ग्लास से बने उपकरणों पुर्जों पर ग्लास लाइंड वेसल्स की दरें लागू
210916		09	वेइंग ब्रिज के साथ लोड सेल	1.50	
212516		07	लिफ्ट के लिए चुम्बक	1.00	
			मैटीरियल हैंडलिंग इकिचपमेंट्स -		
212603		02	बेल्ट कन्वेयर्स	0.40	
212703		02	चेन कन्वेयर्स	0.40	
211303		02	बकेट एलीवेटर्स	0.40	
211407		04	स्कूट कन्वेयर्स	0.60	
211503		02	न्यूमैटिक कन्वेयर्स	0.40	
211613		01	रोपवेज / केबल कार व्हील अलाइनमेंट मशीन	1.00	ई ई आई पॉलिसी के अन्तर्गत दरें लागू
211703		02	मिलिंग मशीनें	0.40	
211805		02	मेटल पंचिंग मशीनें	0.40	
211907		04	मैचिंग सेंटर (यूनीवर्सल मशीन) मोल्डिंग मशीनें फाउंड्री से सम्बन्धित -	0.60	
212013		07	स्लिंगर	1.00	
212105		03	अन्य	0.50	
212205		03	मिक्सिंग व ब्लैंडिंग मशीनें	0.50	
212305		03	मैग्नेटिक सैपरेटर्स	0.50	
212413		07	मशीनें जिन्हें अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया गया	1.00	अस्थायी, अंतिम दरों के लिए प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा ।

212808		03	निलिंग मशीन	0.50	
223212			नाइट्रोजन प्लांट (मोड्यूलर) (मोलीक्यूलर सीव को निकालते समय होने वाली क्षति या हानि अपवर्जित)		गैस जनरेटर मद के अंतर्गत दरें लागू
212908		04	ओवरहेड क्रेन (ई.ओ.टी.) (मोनोरेल समेत)	0.60	
213014		08	सभी प्रकार के ओवन	1.25	
213105		03	ऑयल एक्सपैलर्स	0.50	
213219		11	ऑयल इंजिन	2.00	
213303		02	प्लैनर्स	0.40	
213419		11	फोटो कोपीयर्स	2.00	अतिरिक्त दावे का 5 % न्यूनतम रु. 1,000/- के अध्यधीन
217305		02	पैकिंग मशीनें प्रेसिस -	0.40	
216603		02	हैंड प्रेसिस	0.40	
216710		05	पावर प्रैसिस	0.70	
216813		07	हाइड्रोलिक प्रैसिस सीमेंट प्लांट में रोलर प्रैसिस	1.00	कृपया 'रोलर प्रैसिस' देखें
			पंप्स		
216903		02	पंप हैंडलिंग वॉटर	0.40	
213510		05	अन्य सामान हेतु पंप हैंडलिंग	0.70	
			पंप हेतु ड्राइव्स -		
217018		09	टरबाइन	1.50	
217118		09	इंजिन	1.50	
217216		09	मोटर	1.50	
टिप्पणी : अगर सम्पूर्ण पंप सेट के लिए एकमात्र मूल्य दिया जाता है तो ड्राइव्स की उच्चतम दर समग्र रूप से लागू होगी ।					
			प्रैशर / रिएक्शन वेसल -		
			i) ग्लास / ग्रेफाइट लाइनड		'ग्लास व ग्रेफाइट'
213604		02	ii) अन्य	0.40	के मदानुसार
213704		02	iii) स्टिरर्स / ऐजीटेटर्स	0.40	
213801		01	iv) पाइप व फिटिंग	0.20	
			प्लास्टिक विनिर्माण -		
			i) प्लास्टिक एक्सटूडर्स		संदर्भ 'एक्सटूडर्स
213916		09	ii) इंजेक्शन प्रैसिस		संदर्भ "प्रैसिस"
			iii) इंजेक्शन मोलिंग मशीनें	1.50	
214014		08	iv) ब्लॉ मोलिंग मशीनें	1.25	
214107		03	v) अन्य विविध मशीनें	0.50	

			पेपर व कार्डबोर्ड मिल -		
214205		03	i) बाम्बू क्रशर्स जैसे प्रिपरेटरी मशीनें, ग्रास / चार्पर्स, थ्रेडर्स, डस्टिंग मशीनें, राग कटर्स, सॉरटर्स, डेपिथिंग मशीनें, विल्लोइंग मशीनें, बीटर्स इत्यादि,	0.50	
214304		02	ii) डाइजेस्टर्स, फिल्टर्स, पल्पर स्टॉक बनाने वाली मशीनें, पल्प बनाने वाली मशीनें	0.40	
214505		03	iii) पेपर व कार्डबोर्ड बनाने वाली मशीनें	0.50	
214401		01	पाइप व फिटिंग्स (वादा संगीत विन्यास को छोड़कर)	0.20	
214609		04	प्रिंटिंग प्रैसिस	0.60	
216309		04	प्रिंटिंग व एसैम्बलिंग मशीन	0.60	
214710		05	पल्वराइजर्स	0.70	
214807		02	प्लेट बैंडिंग मशीन	0.40	
214903		02	प्री-हीटर्स	0.40	
215013		07	प्लेट पॉलिशिंग मशीन	1.00	
215110			प्राइमरी हीटिंग यूनिट (नाइलोन प्लांट)	0.70	
215219		11	पैट्रोल इंजिन	2.00	
215305		03	प्लोडर्स	0.50	
215410		05	पैंडुलम रोलर्स	0.70	
215504		02	प्रेशर रिड्यूसर्स	0.40	
215613		07	फोटो फोन सिने प्रोजेक्टर	1.00	
215705		03	रबड़ प्रोसेसिंग प्लांट में प्लास्टोमीटर	0.50	
			पेट फैक्टरी मशीनें -		
215810	i)	05	रोलर मिल	0.70	
215905	ii)	03	अन्य मशीनें	0.50	
216007	iii)	04	पाउडर कोटिंग मशीनें	0.60	
216105	iv)	03	पैकिंग मशीनें	0.50	
216207	v)	04	पेटिंग इलैक्ट्रोड स्टेटिक प्लांट	0.60	
216413	vi)	07	लेक्यूर पेटिंग मशीन	1.00	
	vii)	04	पेटिंग (लेक्यूरिंग) प्लांट	0.60	
216507	viii)	04	पेटिंग (वारनिश) प्लांट रोप वेज	0.60	
					कृपया मद 'मटीरियल हैंडलिंग इविवर्मेंट्स' का संदर्भ लें, रोप इत्यादि के लिए पृष्ठांकन के आधार पर

218113		07	रोलिंग मिल (उष्ण)	1.00	
217414		08	रोलिंग मिल (शीत)	1.25	
217505		03	वायर ड्राइंग मशीनों के लिए कोयलर्स रिएक्शन वेसल	0.50	कृपया मद 'प्रेशर वेसल' का संदर्भ लें
217620		12	रेफ्रीजरेटर (घरेतु के अतिरिक्त)	2.50	
217720		12	रुम एयर कंडीशनर	2.50	
217803		02	रिवेटिंग इक्विपमेंट	0.40	
217909		05	रेफ्रीजरेशन प्लांट	0.70	
218016		09	सीमेंट प्लांट में रोलर प्रैसिस	1.50	मूल्यहास - 20 % प्रति वर्ष या उस का अंश, अधिकतम 80 % के अध्यधीन
222503		02	शेपिंग मशीनें	0.40	
222603		02	स्लॉटिंग मशीनें	0.40	
222703		02	स्ट्रेटनिंग मशीनें	0.40	
222807		04	शीयरिंग मशीनें	0.60	
222907		03	स्टलाइजिंग मशीनें	0.60	
223003		02	सभी प्रकार की सॉस	0.40	
223104		02	स्टिरर्स	0.40	
218205		03	स्टिरिंग मशीनें	0.50	
218305		03	सिलाई मशीनें	0.50	
218405		03	सीलिंग मशीनें	0.50	
218503		02	स्पूलिंग मशीनें	0.40	
218613		07	स्टीम इंजिन	1.00	
218703		02	शाफटिंग	0.40	
218816		09	स्टीम टरबाइन्स	1.50	
218903		02	स्पोक लेसिंग मशीनें	0.40	
219006		03	शेडर मशीनें	0.50	
		03	स्टर्लाइजर वैक्यूम चेंबर	0.50	
			शुगर फैक्ट्री मशीनरी -		
219103	i)	02	केन अन-लोडर्स	0.40	
219205	ii)	03	मिलिंग प्लांट	0.50	
219306	iii)	03	लैवलर	0.50	
219406	iv)	03	फाइबराइजर	0.50	
219506	v)	03	रैक कैरियर	0.50	
219606	vi)	03	शुगर ग्रेडर	0.50	
219706	vii)	03	शुगर होपर्स सेंट्रीफ्यूयगज	0.50	
219803	viii)	02	स्क्रीन/सीव मशीनें	0.40	

			टैक्स्टाइल मिल -		
219903	i)	02	ब्लो रूम व कार्डिंग मशीनें	0.40	
220002	ii)	01	कोम्बिंग, ड्रॉइंग, लैपिंग व स्पिनिंग इत्यादि प्रिपरेटरी मशीनें	0.20	
220109	iii)	05	बालिंग प्रैस	0.70	
220205	iv)	03	जैकआर्ड मशीनें	0.50	
220305	v)	03	साइर्जिंग व सिंजिंग मशीनें	0.50	
220405	vi)	03	फोलिंग / मरसराइर्जिंग मशीनें	0.50	
220503	vii)	02	अन्य मशीनें	0.40	
			टरबाइन्स -		
					कृपया स्टीम / गैस टरबाइन का संदर्भ लें
220603		02	थरमिक फ्लूड हीटर्स	0.40	
220705		03	टेबलैटिंग व कैप्स्यूलिंग मशीनें	0.50	
220801		02	वाल्व्स	0.20	
220903		02	वाइब्रेटर्स	0.40	
221111		06	वाइब्रेटरी फीडर (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक)	0.80	
222405		03	स्टर्लाइजर वैक्यूम चेम्बर	0.50	
221203		02	बुड पीलिंग मशीनें	0.40	
221316		09	वैलिंग मशीनें	1.50	
221405		03	वाशिंग मशीनें	0.50	
221520		12	वाटर कूलर्स	2.50	
221616		07	वाटर टरबाइन्स	1.00	
221703		02	रैपिंग मशीनें	0.40	
221813		07	वायर ड्राइंग मशीनें	1.00	
221903		02	व्हील टर्निंग मशीनें	0.40	
222005		03	वेइंग मशीनें (इलेक्ट्रोनिक छोड़कर)	0.50	
222113		07	वेइंग मशीनें (इलेक्ट्रोनिक)	1.00	
		03	विंड मिल	0.50	विंड मिल पृष्ठांकन के अध्यधीन
222319			जेराक्स मशीनें		दर / अतिरिक्त “फोटो कोपीयर” के अनुसार

वर्ग - III
शीतागार व हिम संयंत्र में मशीनरी

जोखिम कोड	क्र. संख्या	रेट कोड	मद	रेट (%)	टिप्पणी
			पावर मशीनें -		
300120	1.	11	डीजल इंजिन व डीजल जनरेटर सेट	2.00	
300220	2.	11	इलेक्ट्रिक मोटर्स (डिफ्यूजर्स व पंप के साथ)	2.00	
300314	3.	08	ट्रांसफारमर्स	1.25	
300406	4.	03	एचटी / एलटी स्विचगीयर व स्विच बोर्ड	0.50	
300505	5.	03	केबल्स	0.50	
			कार्यशील मशीनें -		
300616	1.	09	कम्प्रैसर्स	1.50	
300710	2.	05	डिफ्यूजर्स (मोटर के अतिरिक्त)	0.70	
300802	3.	02	कूलिंग कॉइल्स	0.40	
300902	4.	02	कंडेन्सर्स (एटमोसफरिक टाइप)	0.40	
301010	5.		कंडेन्सर्स (शैल व ट्यूब टाइप)	0.70	
301103	6.	02	रिसीर्वर्स	0.40	
301207	7.	04	वाटर पम्पस (मोटर के अतिरिक्त)	0.60	
301305	8.	03	पाइपलाइन्स, वाल्व व फिटिंगज	0.50	
			सहायक मशीनें -		
301413	1.	07	इलैक्ट्रिक होयस्टस	1.00	
301516	2.	09	चेन पुली ब्लाक	1.50	
301616	3.	09	सक्षान ड्रॉट ब्लॉअर्स (एक्सास्ट फैन)	1.50	
301720	4.	11	सीलिंग फैन ओवर बंकर कॉयल	2.50	

वर्ग - IV
फर्टलाइजर संयंत्र / पैट्रोकेमिकल संयंत्र / रिफाइनरीज

जोखिम कोड	क्र. संख्या	दर कोड	मद	दर (%)	टिप्पणी
	क)		प्रक्रिया / ऐफीजरेशन कम्प्रैसर्स उनकी ड्राइव्ज सहित		
400119	i)	11	टरबाईन ड्रीवन	2.00	
400216	ii)	09	मोटर ड्रीवन	1.50	
	ख)		उपयोगी कम्प्रैसर्स उनकी ड्राइव्ज सहित		
400318	i)	10	टरबाईन ड्रीवन	1.75	
400416	ii)	09	मोटर ड्रीवन	1.50	

400519	ग)	11	वेस्ट हीट रिकवरी बॉइलर्स	2.00	कृपया नीचे लिखी टिप्पणी देंखें
नोट : फर्टिलाइजर संर्यात्र में उच्च प्रैशर / तापमान में नये वेस्ट हीट एक्सचेंजर्स / रिकवरी बॉइलर के दौरान इसे बी. पी. पी. पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किया जा सकता है।					
i)	प्रचालन के प्रथम तीन वर्षों के लिए मशीनरी ब्रेकडाऊन आवरण नहीं दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान इसे बी. पी. पी. पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किया जा सकता है।				
ii)	शुरुआत के तीन वर्षों के उपरान्त उक्त उपकरण मशीनरी ब्रेकडाऊन के अन्तर्गत आवरित किया जा सकता है।				
iii)	उपयुक्त निर्णय केवल पैट्रो-केमिकल्स / फर्टिलाइजर प्लांट पर ही लागू होगा।				
400614	घ)	08	आईडी / एफडी फैन ड्राइव के साथ <u>पम्प व उनके ड्राइव्स</u>	1.25	
400710	ड)		पम्प -		
i)	05	हैंडलिंग वाटर बॉइलर फीड वाटर के अतिरिक्त	0.70		
ii) क)	09	बॉइलर फीड पंप, मोटर से चलने वाला	1.50		
ii) ख)	10	बॉइलर फीड पंप टरबाइन इंजिन से चलने वाला	1.75		
iii)	08	अन्य पंप	1.25		
		ड्राइव्स -			
400818	i)	10	टरबाइन	1.75	
400918	ii)	10	इंजिन	1.75	
401016	iii)	09	मोटर	1.50	
ध्यान दें : अगर सम्पूर्ण पंप सेट के लिए एकमात्र मूल्य दिया जाता है तो, ड्राइव की उच्चतर दर समग्र रूप से लागू होगी।					
401116	च)	09	पर्ज गैस रिकवरी प्लांट	1.50	
401216	छ)	09	यूरिया प्लांट में स्ट्रोपर	1.50	
401316	ज)	09	एच. पी. कंडैंसर	1.50	
401416	झ)	09	रिफार्मर	1.50	
401516	त्र)	09	एक्स्पांशन टरबाइन	1.50	
401616		11	अमोनिया कनवर्टर	2.00	
402914	त)	08	यूरिया स्क्रेपर, गीयर बॉक्स मोटर, कपलिंग इत्यादि सहित	1.25	

अतिरिक्त दरें -

1. तुरंत भाड़ा (वायु भाड़ा अपवर्जित) छुट्टी व ओवरटाइम में मजदूरी की दरें -

तुरंत भाड़ा, (वायु भाड़ा अपवर्जित), छुट्टी व ओवरटाइम में मजदूरी की दरों के आवरण हेतु अतिरिक्त प्रीमियम चयनित सीमा की औसत दरों के अनुसार लागू होगा ।

2. वायु भाड़ा -

अनन्य रूप से वायु भाड़े की मदों की दरें व अतिरिक्त की राशि निम्नानुसार ली जायेगी व बीमाधारक द्वारा वायु भाड़े में क्षतिपूर्ति के लिए चयनित सीमा के अनुसार होगी ।

दर	चयनित क्षतिपूर्ति की रकम का 2 %
आधिक्य	वायु भाड़े में हुए प्रति दावे का 5 %

3. आसपास की सम्पत्ति -

आसपास की सम्पत्ति के आवरण के लिए अतिरिक्त प्रीमियम कुल औसत मशीनरी ब्रेकडाउन में चयनित दायित्व की सीमा के आधार पर 25 % आधिक्य व चयनित दायित्व सीमा की 1 % अतिरिक्त दर लागू होगी ।

4. तृतीय पक्ष दायित्व -

तृतीय पक्ष दायित्व हेतु चयनित दायित्व की सीमा पर लागू कुल औसत दर के 25% के अतिरिक्त प्रीमियम पर तृतीय पक्ष की देयता आवरित किया जा सकती है । चयनित टी पी एल का 1% एक्सेस के रूप में लागू होगा ।

बीमा राशि में अधिकतम बढ़ोत्ती बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होगी । प्रति स्थल के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन ।

5. अतिरिक्त सीमा शुल्क -

अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए आवरण निम्नलिखित दरों, शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार होगा -

क) अतिरिक्त सीमा शुल्क का आवरण पहली हानि के आधार पर होगा ।

ख) अतिरिक्त सीमा शुल्क हेतु विशेष सीमा : या तो प्रतिशत में या रकम में - बीमाधारक को पॉलिसी के आरंभ में ही चयन करना होगा व हानि होने पर पुनःस्थापित किया जा सकता है ।

ग) दर व अतिरिक्त निम्नानुसार होगा -

दर	अतिरिक्त सीमा शुल्क राशि पर 1 % का प्रभार चुकाना होगा ।
आधिक्य	स्वीकार्य वर्धित सीमा शुल्क पर 5 % पॉलिसी के अन्तर्गत प्रभावित मद के लिए अतिरिक्त रकम के साथ । अन्यथा पॉलिसी की शर्तों, प्रतिबंधों व अपवादों के अध्यधीन ।

6. वृद्धि प्रावधान -

सम्पूर्ण दर का 50 % अतिरिक्त प्रीमियम देय होगा, जो चयनित प्रतिशत वृद्धि के आधार पर देय होगा ।

7. दर की गणना का अनुक्रम -

1. मूल दर
2. ऊपर (1) पर दावा अनुभव / प्रभार लागू करें ।
3. ऊपर (2) में दर्शाये गये के अनुसार अधिकतर अतिरिक्त छूट को लागू करें ।
4. ऊपर (3) में दर्शाये गये के अनुसार पाई गई दर पर तकनीकी और या वाणिज्यिक छूट को लागू करें ।

8. सकल दरें -

इस दर सूची में दर्शायी गई दरें सकल दरें हैं और एजेंसी कमीशन (या एजेंसी कमीशन के बदले छूट) समय समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार प्रदान की जा सकती है ।

मशीनरी ब्रेकडाउन के अन्तर्गत अपवर्जित

(मशीनों की अस्थीकृत सूची)

- क) स्टोन क्रशर्स
- ख) रोलिंग मिल स्टैंड, पैडस्टल बीयरिंग इत्यादि,
- रेमण्ड मिल
- ग) पी. वी. सी. लाइंड, रबड लाइंड व अन्य लाइंड वेसल
- घ) रेडियो, टेप रिकार्डर, टी. वी. सेट व इलैक्ट्रिक व विद्युतीय मापक उपकरण
- ड) कपोलस
- च) रबड इम्पीलर्स सहित पंप
- छ) कम्प्यूटर व अन्य इलैक्ट्रिक उपकरण के अतिरिक्त गाइड दर सूची में जिनका उल्लेख नहीं किया गया, (विद्युतीय उपकरण बीमा पॉलिसी के बीमालेखन के लिए)
- ज) पोर्टेबल (सुवाह्य) व मोबाइल उपकरण
- झ) यूरिया स्क्रबर,)
- एल पी स्क्रबर,)
- अमोनिया स्क्रबर,) फर्टिलाइजर ग्रुप IV में निर्दिष्ट
- अमोनिया स्टोरेज टैंक)
- ज) अस्फाल्ट मिक्सिंग व रिसाइक्लिंग प्लांट

दुर्घटना बीमा आवरण

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के साथ सड़क दुर्घटना के कारण उत्पन्न हुए चिकित्सा व्यय

(रास्ता आपत्ति कवच)

- 1.1 यह पॉलिसी व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण के साथ सड़क दुर्घटना से हुए अस्पताली चिकित्सा व्ययों की पूर्ति को भी शामिल करती है ।

2. खंड - I व्यक्तिगत दुर्घटना

- 2.1 यदि बीमाधारक / बीमाधारक व्यक्ति को बाह्य, हिंसक और दृश्य कारणों से हुए दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक हानि / जख्मों से हुए होती है तो कंपनी बीमाधारक को इसमें निर्धारित की हुई राशि भुगतान करेगी / प्रतिपूर्ति करेगी :-

क) ऐसी क्षति पहुंचने के 12 कैलेंडर महिनों में बीमाधारक / बीमाधारक व्यक्ति के मृत्यु का पूर्णतः और प्रत्यक्ष रूप से कारण तय होता है तो अनुसूची में निहित पूंजीगत बीमा राशि ।

ख) ऐसी क्षति पहुंचने के 12 कैलेंडर महिनों के अंदर बीमाधारक के दोनों आँखों की दृष्टि की संपूर्ण एवं अचिकित्स्य हानि या दोनों हाथों या दोनों पैरों के संपूर्ण और असाध्य क्षति, या एक आंख और दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ और एक पैर, या एक आंख की दृष्टि और एक हाथ या एक पैर के हानि का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण तय होता है तो अनुसूची में निहित पूंजीगत बीमा राशि ।

ग) ऐसी क्षति पहुंचने के 12 कैलेंडर महिनों के अंदर बीमाधारक व्यक्ति के एक आंख की दृष्टि की संपूर्ण एवं अचिकित्स्य हानि या एक हाथ या एक पैर की संपूर्ण व असाध्य हानि का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण तय होता है तो अनुसूची में निहित पूंजीगत बीमा राशि के (50%) ।

घ) ऐसी क्षति के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप बीमाधारक व्यक्ति किसी भी प्रकार की सवेतन सेवा (नौकरी) या व्यवसाय में ध्यान देने में कायमस्वरूपी, संपूर्णतः और समग्ररूप से असमर्थ होता है तो अनुसूची में उल्लिखित पूंजीगत बीमा राशि ।

3. खंड II - सड़क दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक क्षति से उत्पन्न चिकित्सा व्यय ।

इस योजना के अंतर्गत कोई भी दावा अगर स्वीकार्य होता है तो कंपनी की ओर से बीमाधारक / बीमाधारक व्यक्ति को पूंजीगत बीमा राशि और निम्नलिखित विविध अन्य मदों के अंतर्गत हुए व्ययों की अदायगी / प्रतिपूर्ति की जायेगी । जो बीमाधारक व्यक्ति द्वारा या उस बीमाधारक व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से किए गए हो । परंतु परिभाषित किए गए किसी भी पॉलिसी अवधि के संपूर्ण बीमा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

क) अस्पताल / नर्सिंग होम द्वारा दिए गए कमरा, आवास का (खर्च) - व्यय ।

ख) नर्सिंग व्यय ।

ग) शल्य चिकित्सक, संज्ञाहारक, मैडिकल प्रैक्टिशनर, सलाहकार, विशेषज्ञों का शुल्क ।

घ) एनेस्थेशिया, रक्त, ऑक्सीजन, शल्य क्रिया कक्ष प्रभार, शल्य उपकरण, औषधियाँ व दवाइयाँ, रोग निदान के लिए सामग्री व क्ष-क्रियण, कृत्रिम अंगों व अंगों का मूल्य व तदसदृश्य व्यय ।

च) जख्मी को दुर्घटना स्थल से अस्पताल व छुट्टी मिलने के समय घर तक ले जाने के लिए एम्ब्युलेन्स प्रभार ।

खंड I और II को शर्तों और प्रतिबंध लागू होंगे ।

परिभाषाएँ :

- 4. बीमाकृत व्यक्ति :** का मतलब है विशेष रूप से आवरित, जिसमें प्रस्तावक / बीमाधारक को छोड़कर नामित परिवार सदस्य शामिल हैं अर्थात् जीवनसाथी और बच्चे, नाम न दिये गये तृतीय पक्ष जिसमें यात्री शामिल है।
- 4.1 दुर्घटना :** दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित और अनेक्षिक घटना है जो बाह्य, दृश्य और हिंसक साधनों से होती है।
- 4.2 चोट :** चोट का अर्थ है दुर्घटनात्मक शारीरिक जख्म, जिसमें बीमारी या रोग शामिल नहीं है, जो पूर्णतः और प्रत्यक्षतः बाह्य, हिंसक और दृश्य तथा स्पष्ट कारणों से हुआ हो और जिसे मेडिकल प्रैविटशनर द्वारा स्थापित तथा प्रमाणित किया जाता है।
- 4.3 चिकित्सा व्यवसायी :** चिकित्सा व्यवसायी वह व्यक्ति है जिसके पास किसी राज्य के मेडिकल कौन्सिल का या भारतीय मेडिकल कौन्सिल का या कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन का या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित होमियोपैथी का वैध पंजीकरण हो और उसके तहत वह चिकित्सा की प्रैक्टिस करने हेतु पात्र हो तथा उसके लाइसेंस के विस्तार और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह कार्य कर रहा हो।
- 4.4 अस्पताल / नर्सिंग होम :** अस्पताल का मतलब है कोई संस्था जो इन-पेशंट देखभाल और बीमारी और/या चोटों के डे-केयर उपचार के लिए स्थापित की गयी हो और जो अस्पताल के रूप में विलोनीकल संस्था (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 या उक्त अधिनियम की धारा 56(1) की अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के पास पंजीकृत हो अथवा जो निम्न न्यूनतम मानदंड पूरे करती हो :
- जहाँ की जनसंख्या 10,00,000 से कम हो उन शहरों में कम-से-कम 10 और अन्य स्थानों पर कम-से-कम 15 इनपेशंट बेड हों।
 - चौबीस घंटे जहाँ अर्हताप्राप्त नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किया गया हो।
 - चौबीस घंटे जहाँ अर्हताप्राप्त मेडिकल प्रैविटशनर्स प्रभारी हों।
 - जहाँ पूर्णतः सुसज्जित अपना ऑपरेशन थिएटर हो और वहाँ सर्जिकल प्रक्रियाएँ चलती हों।
 - पेशंटों का दैनिक रिकार्ड रखा जा रहा हो जिसे बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता हो।
 - प्राधिकृत कार्मिक हों।
- 4.5 डे-केयर केन्द्र :** इसका मतलब वह संस्था है जो बीमारी या चोटों के डे-केयर उपचारों के लिए स्थापित की गयी हो या अस्पताल के अंदर यह एक मेडिकल सेट-अप हो और जो जहाँ लागू हो वहाँ स्थानीय प्राधिकरणों के पास पंजीकृत हो तथा पंजीकृत और अर्हताप्राप्त मेडिकल प्रैविटशनर की निगरानी में कार्य करता हो एवं निम्न न्यूनतम मानदंड पूरा करता हो :
- अर्हताप्राप्त नर्सिंग स्टाफ नियुक्त किया गया हों।
 - अर्हताप्राप्त मेडिकल प्रैविटशनर (प्रैविटशनर्स) प्रभारी हो।
 - जहाँ पूर्णतः सुसज्जित अपना ऑपरेशन थिएटर हो और वहाँ सर्जिकल प्रक्रियाएँ चलती हों।
 - मरीजों का दैनिक रिकार्ड रखा जा रहा हो जिसे बीमा कंपनी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता हो।
 - प्राधिकृत कार्मिक हों।

4.6 सर्जिकल ऑपरेशन : का मतलब मनुष्य द्वारा और/या ऑपरेटिव प्रक्रिया(एँ) जो किसी बीमारी या चोट के उपचार के लिए, कुरुपता और कमियों को ठीक करने के लिए, रोगों के निदान और उपचार के लिए, तकलीफ से राहत के लिए, या जीवन को बढ़ाने के लिए अस्पताल में या डे-केयर केन्द्र में मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाता हो ।

4.7 सड़क दुर्घटना : मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 1994 में परिभाषित के अनुसार मोटर वाहन का इस्तेमाल करने के कारण या करते समय हुई दुर्घटना, जिसमें दो वाहनों का टकराव हो या वाहन किसी बाहरी वस्तु से टकराए या चलता हुआ वाहन फिल जाए आदि से उत्पन्न चोट जो 4.3 में परिभाषित है ।

4.8 चोट शृंखला क्लॉज़ : इस पॉलिसी के उद्देश्य के लिए जहाँ बीमित व्यक्तियों के कई शारीरिक चोटों के दावे हों जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी सड़क दुर्घटना के कारण हों उन सभी ऐसे दावों को एकत्र किया जायेगा और ऐसे सभी शारीरिक चोट दावों को एक ही दावा समझा जायेगा ।

4.9 अहंताप्राप्त नर्स : अहंताप्राप्त नर्स वह व्यक्ति है जिसके पास भारतीय नर्सिंग कौन्सिल या भारत के किसी भी राज्य के कौन्सिल का वैध पंजीकरण हो ।

4.10 बीमा अवधि : बीमा अवधि का अर्थ है चुनी गयी अवधि के अनुसार आरंभ तिथि से शुरू अवधि जो अधिकतम 3 साल तक की होगी जैसा कि पॉलिसी में मिर्दिष्ट किया गया हो और मामला हो

4.11 पॉलिसी अवधि : पॉलिसी अवधि 12 महीने की अवधि मानी जाती है जो प्रत्येक आरंभ तिथि से शुरू हो जाती है जब से जोखिम आवरित किया जाता है ।

4.12 क्षतिपूर्ति सीमाएँ : क्षतिपूर्ति सीमाएँ बीमाकृत व्यक्ति द्वारा चुनी गयी बीमा राशि तक सीमित होंगी जो अनुसूची में दर्शायी जायेगी और प्रत्येक पॉलिसी अवधि के लिए अलग से बीमा अवधि में लागू होंगी ।

4.13 पूर्व-विद्यमान स्थिति : ऐसी चोट जो यह बीमा प्रस्तावित करते समय विद्यमान थी । पूर्व-विद्यमान स्थिति का मतलब है कोई चोट या उसके लक्षण जो इस बीमा की प्रभावी तिथि से पहले मौजूद थे । पूर्व-विद्यमान स्थिति का मतलब यह भी होता है कि कोई चोट या उसके लक्षण जो इस बीमारी की प्रभावी तिथि से पहले विद्यमान थे, चाहे बीमाधारक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो या न हो कि यह लक्षण चोट से संबंधित हैं । पूर्व-विद्यमान चोट के कारण पैदा हुई पेचीदगियाँ पूर्व विद्यमान स्थिति का ही हिस्सा मानी जायेंगी ।

विशेष शर्त : यदि प्रस्तावक मोटर वाहन का मालिक / ड्राइवर हो तो मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 1994 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तावक या उसके ड्राइवर के पास होना आवश्यक है ।

अपवर्जन : इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसा कोई भी भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होगी जो बीमित व्यक्ति ने निम्नलिखित के साथ या उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई व्यय किया हो : -

1. इस पॉलिसी में परिभाषित सड़क दुर्घटना को छोड़कर अन्य / किसी दुर्घटना (जो मोटर वाहन के इस्तेमाल से या उसके कारण न हुई हो) के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आसन्न कारण या दूरस्थ कारण से हुई शारीरिक चोट के संबंध में कोई अस्पतालीकरण / घरेलु अस्पतालीकरण के लिए व्यय ।
2. चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पूर्व विद्यमान स्थिति यथा इस पॉलिसी के जारी किये जाने की तिथि पर विद्यमान विकलांगता के कारण अथवा उसके सहयोग से हुई हो ।
3. बीमाधारक की मृत्यु, चोट अथवा विकलांगता, जो निम्न कारणों से हुई हो, के संबंध में मुआवजे का भुगतान :

(क) जानबूझकर स्वतः चोट, आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश ।

- (ख) नशीली शराब या ड्रग के प्रभाव में रहना ।
- (ग) पागलपन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के, कारण ।
- (घ) बीमाधारक द्वारा आपाराधिक उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करने से या उसके कारण ।
4. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्रवाई, युद्ध सदृश्य गतिविधियों (चाहे युद्ध घोषित हुआ हो या न हुआ हो) से उत्पन्न या उसके कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँची चोट ।
5. विटोमिन और टॉनिक पर व्यय, परंतु उनको छोड़कर जो चोट को ठीक करने के उपचार का हिस्सा हों और यह बात देखभाल करनेवाले फिजीशियन द्वारा प्रमाणित की गयी हो ।
6. निसर्गोपचार ।
7. न्यूक्लीय हथियारों / सामग्रियों के कारण या उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न चोट ।
8. कोई ऐसे मेडिकल व्यय जो आजट-पेशंट या प्रथमोपचार के रूप में किये गये हों और ऐसे भी व्यय जो अस्पतालीकरण के कारण न किये गये हों ।
5. **आयु सीमा :** यह बीमा 5 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध/लागू है । यह आयु सीमा तृतीय पक्ष और नाम न बताये गये यात्रियों के लिए लागू नहीं है ।
- 6. दावे की सूचना :**
- 6.1 दावे की प्राथमिक सूचना तत्काल बीमा कंपनी को दी जानी चाहिए जिसमें सभी विवरण मौजूद हों जैसे पॉलिसी क्रमांक, उन बीमाकृत व्यक्तियों के नाम जिनके लिए दावा किया जा रहा है, चोट का स्वरूप, और मेडिकल प्रैविटेशनर / अस्पताल / नर्सिंग होम का नाम और पता ।
- 6.2 अंतिम दावा, अस्पताल रसीदें, बिल/कैश मेमो, दावा फॉर्म तथा दावा फॉर्म में सूचीबद्ध किये गए दस्तावेजों की तिथि के अनुसार सूची आदि अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन से 14 दिनों के अंदर कंपनी के पास जमा किया जाना चाहिए ।
- टिप्पणी :** इस शर्त का पालन न किया जाना केवल उन्हीं मामलों में मंजूर हो सकता है जहाँ बहुत ही मुसीबतोंवाले मामले हों और जहाँ कंपनी की संतुष्टि होने के लिए यह साबित किया जाये कि बीमाधारक जिन परिस्थितियों में था उनमें उसे या किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की सूचना देना या दावा दर्ज करना निर्धारित समय सीमा में संभव नहीं था ।
7. **दावे का भुगतान :** इस पॉलिसी के तहत सभी दावे भारतीय मुद्रा में अदा किये जायेंगे । इस बीमा के उद्देश्य के लिए सभी चिकित्सा उपचार केवल भारत में ही किये जाने चाहिए ।
8. **सङ्क दुर्घटना से होनेवाले चिकित्सा व्ययों पर लागू योगदान :** यदि इस पॉलिसी में आवरित कोई हानि या क्षति घटित होने के समय इसीको आवरित करनेवाला तथा किसी भी स्वरूप या प्रकार का कोई अन्य बीमा मौजूद हो, चाहे वह बीमाधारक द्वारा प्रभावी हुआ हो या न हुआ हो, तो कंपनी किसी भी हानि या क्षति के यथानुपात हिस्से से अधिक अदा करने या योगदान देने हेतु बाध्य नहीं होगी ।
9. **बीमा राशि :** तालिका के अनुसार ।
10. **प्रीनियम का भुगतान :** तालिका के अनुसार ।
- रास्ता आपत्ति कवच

मूल आवरण :

क) व्यक्तिगत दुर्घटना और अस्पतालीकरण व्यय

i) बीमाधारक के लिए

ii) बीमाकृत व्यक्तियों के लिए (इसमें शामिल है परिवार, यात्री तथा अन्य नृतीय पक्ष यदि इसे विशेष रूप से चुना गया हो तो)

वार्षिक पॉलिसी	1 वर्ष			2 वर्ष			3 वर्ष			
	मूल दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल
25000	25000	15	25	40	28	48	76	42	69	111
50000	50000	30	50	80	57	95	152	84	138	222
75000	75000	45	75	120	85	143	228	126	207	333
100000	100000	60	100	160	114	190	304	168	276	444
200000	125000	120	200	320	228	380	608	336	552	888
300000	150000	180	300	480	342	570	912	504	828	1332
400000	200000	240	400	640	456	760	1216	672	1104	1776
500000	250000	300	500	800	570	950	1520	840	1380	2220
600000	300000	360	600	960	684	1140	1824	1008	1656	2664
700000	350000	420	700	1120	798	1330	2128	1176	1932	3108
800000	400000	480	800	1280	912	1520	2432	1344	2208	3552
900000	4500000	540	900	1440	1026	1710	2736	1512	2484	3996
1000000	500000	600	1000	1600	1140	1900	3040	1680	2760	4440

ख) रोजगार के दौरान तथा उसके कारण (केवल परिसर कवर) उत्पन्न मुआवजा / अस्पतालीकरण व्ययों का विस्तारण ।

विवरण	1 वर्ष			2 वर्ष			3 वर्ष			
	मूल दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल	मूल प्रीमियम	दुर्घटना अस्पताली-करण व्यय	कुल
25000	25000	40	25	65	76	47	123	110	70	180
50000	50000	80	50	130	152	95	247	221	140	361
75000	75000	120	75	195	228	143	371	331	210	541
100000	100000	160	100	260	304	190	494	441	280	721
200000	125000	320	200	520	608	380	988	882	560	1442
300000	150000	480	300	780	912	570	1482	1323	840	2163
400000	200000	640	400	1040	1216	760	1976	1764	1120	2884
500000	250000	800	500	1300	1520	950	2470	2205	1400	3605
600000	300000	960	600	1560	1824	1140	2964	2646	1680	4326
700000	350000	1120	700	1820	2128	1330	3458	3087	1960	5047
800000	400000	1280	800	2080	2432	1520	3952	3528	2240	5768
900000	4500000	1440	900	2340	2736	1710	4446	3969	2520	6489
1000000	500000	1600	1000	2600	3040	1900	4940	4410	2800	7210

उपर्युक्त पॉलिसी निम्न समूहों के लिए भी उपलब्ध हैं :-

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी किसी भी समूह / संघ / संस्था / कॉर्पोरेट बॉडी के लिए उपलब्ध होगी जैसे - फ्लाइट मालिक, रिक्शा मालिक संस्था, कॉन्ट्रैक्टर बस मालिक संघ आदि जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति होंगे और उसका एक केन्द्रीय प्रशासक जॉइन्ट होगा। प्रत्येक बीमाधारक को सभी पात्र सदस्यों को (बीमाकृत व्यक्तियों को) केवल एक ही समूह पॉलिसी के तहत आवरित करना होगा। प्रस्तावक ऐसे समूह अपने वाहनों में यात्रा करनेवाले यात्रियों और तृतीय पक्षकारों को भी आवरित कर सकते हैं।

समूह छूट

समूह छूट, समूह पॉलिसी के आरंभ में जितने बीमाकृत व्यक्ति शामिल किए गए उनकी कुल संख्या के आधार पर निम्नलिखित परिमाण के अनुसार अनुमत होती है। पॉलिसी अवधि के दौरान समूह के आधार में वृद्धि/कमी की अनुमती होती है। अंतिम समूह छूट (वृद्धि/कमी) पॉलिसी अवधि के अंतिम दिन समूह के आकार के आधार पर समायोजित की जायेगी बशर्ते पॉलिसी अगले 12 महीनों के लिए नवीकृत की जाये।

समूह पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्तियों की संख्या	समूह छूट %
प्रथम 100 व्यक्ति	15
अगले 400 व्यक्ति	20
अगले 500 व्यक्ति	25
अगले 4000 व्यक्ति	30
अगले 5000 व्यक्ति	35
अगले 15000 व्यक्ति	40
अगले 25000 व्यक्ति	50
50000 व्यक्ति तथा उससे अधिक	66.2/3

बोनस / मॉलस :

क) कम दावा अनुपात छूट (बोनस) :

कम दावा अनुपात छूट निम्नलिखित परिमाण के अनुसार नवीकरण के समय कुल प्रीमियम पर मंजूर की जायेगी, जो पिछले पूरे हुए 3 वर्षों के दौरान, जिसमें नवीकरण की तिथि से तत्काल पिछलावाला वर्ष शामिल नहीं होता है, संपूर्ण बीमित समूह के समूह मेडिकल बीमा पॉलिसी के तहत उपगत दावा अनुपात पर निर्भर करेगी। जहाँ समूह मेडिकल बीमा पॉलिसी, 3 पूर्ण वर्षों के लिए कार्यरत नहीं है वहीं पूर्ण वर्षों की कम अवधियाँ ध्यान में ली जायेंगी जिसमें नवीकरण तिथि से निकाल पिछलेवाला वर्ष ध्यान में नहीं लिया जायेगा।

समूह पॉलिसी के तहत उपगत दावा अनुपात	छूट %
60% से अधिक नहीं	5
50% से अधिक नहीं	15
40% से अधिक नहीं	25
30% से अधिक नहीं	35
25% से अधिक नहीं	40

ख) उच्च दावा अनुपात लोडिंग (मॉलस)

समूह पॉलिसी के नवीकरण पर देय कुल प्रीमियम पर निम्नलिखित परिमाण के अनुसार लोडिंग लगायी जायेगी, जो पिछले पूरे हुए 3 वर्षों के दौरान, जिसमें नवीकरण की तिथि से तत्काल पिछलावाला वर्ष शामिल नहीं होता है, समूह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के तहत संपूर्ण बीमित समूह के उपगत दावे अनुपात पर नवीकरण निर्भर करेगा। जहाँ समूह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी, 3 पूर्ण वर्षों के लिए कार्यरत नहीं है वहीं पूर्ण वर्षों की कम अवधियाँ ध्यान में ली जायेंगी जिसमें नवीकरण तिथि से पिछलेवाला वर्ष ध्यान में नहीं लिया जायेगा।

समूह पॉलिसी के तहत उपगत दावा अनुपात	लोडिंग %
80% और 100% के बीच	25
101% और 125% के बीच	55
126% और 150% के बीच	90
151% और 175% के बीच	120
176% और 200% के बीच	150
200% से अधिक	आवरण पर पुर्णविचार किया जायेगा

टिप्पणी : उपगत दावे का अर्थ होता है प्रदत्त दावे और बकाया दावे जो संपूर्ण बीमित समूह द्वारा संबंधित अवधि के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत किये गये हों।

बीमित व्यक्ति के विवरण

बीमाधारक को बीमा राशि के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों की पूरी सूची निम्नलिखित फॉर्मेट में प्रस्तुत करना आवश्यक है। पॉलिसी जारी रहने की अवधि के दौरान कुछ जोड़ना और घटाना हो तो वह भी इसी फॉर्मेट में सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, इस प्रकार से जोड़ने और घटाने को अगले महीने के पहले दिन से यथानुपात दर पर प्रीमियम समायोजित करते हुए पॉलिसी में शामिल किया जायेगा। पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी बीमाकृत व्यक्ति के लिए बीमा राशि में कोई परिवर्तन मंजूर नहीं किया जायेगा।

क्र. संख्या	बीमाकृत व्यक्तियों के नाम उनके वेतन सूची क्रमांक या इसी प्रकार की कोई अन्य कर्मचारी पहचान के साथ बीमाधारक के सदस्य	आयु	लिंग	नामिति / समनुदेशिति का नाम	बीमा राशि
1.					
2.					
3.					

यदि बीमाकृत व्यक्ति ने पॉलिसी के तहत कोई दावा किया हो / प्राप्त किया हो तो उस बीमाकृत व्यक्ति के नाम को हटाये जाने पर प्रीमियम की कोई वापसी अनुमत नहीं होगी।

सभी अन्य शर्तें, प्रतिबंध और प्रति व्यक्ति प्रीमियम ऊपर बताये गये अनुसार व्यक्तिगत पॉलिसी के समान हैं।

व्यक्तिगत दुर्घटना (व्यक्तिगत)

आवरण :

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और विकलांगता, शारीरिक चोट को आवरित करता है जो पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी दृश्य हिंसक और दृश्य माध्यम से हुई हो । यह आवरण विश्वायी है और 24 घंटे के लिए है ।

आयु : 5 वर्ष से लेकर 70 वर्षों तक । अगर न्यू इन्डिया का लगातार नवीकरण हो तो 70 वर्ष के बाद भी अधिकतम 80 वर्षों तक यह उपलब्ध है जो मेडिकल प्रैविटेशनर के शारीरिक तंदुरुस्ती के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा और उस पर आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए 2.5% का प्रीमियम लोडिंग होगा ।

70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के व्यक्ति के लिए अन्य बीमा कंपनियों का नवीकरण बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

लाभ :

1.	मृत्यु	100% पूँजीगत बीमित राशि
2.	2 अंग अथवा 2 आँखें या 1 अंग और 1 आँख की हानि	100% पूँजीगत बीमित राशि
3.	1 अंग और 1 आँख की हानि	50% पूँजीगत बीमित राशि
4.	चोटों के कारण स्थायी संपूर्ण विकलांगता (पीटीडी)	100% पूँजीगत बीमित राशि
5.	स्थायी आंशिक विकलांगता (पीटीडी) पूँजीगत बीमित राशि के %	सारणी के अनुसार %
6.	अस्थायी संपूर्ण विकलांगता	पूँजीगत बीमित राशि के 1% जो प्रति सप्ताह रु. 5,000/- अधिकतम रु. 20,000/- के और अधिकतम 100 सप्ताह के अधीन होगा जो मं. का. / क्षे. का. तय करेगा ।

अंतर्निहित लाभ :

- मृत शरीर के बहन का व्यय :** बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले में मूल बीमा राशि के 2% की एकमुश्त राशि अथवा रु. 25,000/-, जो भी कम हो, (कृपया 01.05.2013 से प्रभावी परीपत्र का संदर्भ लें)।
- शिक्षा अनुदान :** दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु या स्थायी संपूर्ण विकलांगता के मामले में आश्रित बच्चों को शिक्षा अनुदान नियमानुसार दी जाएगी ।
 - एक आश्रित बच्चा :** मूल बीमा राशि के 10% जो अधिकतम रु. 25,000/- के अधीन होगा (25 वर्ष से कम उम्र)
 - एक से अधिक आश्रित बच्चे :** मूल बीमा राशि का 10% जो अधिकतम रु. 50,000/- के अधीन होगा (25 वर्ष से कम उम्र)

टिप्पणी : यदि दुर्घटना के समय एक से अधिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियाँ कार्यरत हों तो योगदान की शर्त लागू होगी । लाभ केवल मूल बीमा राशि पर लागू होगा, संचयी बोनस पर नहीं । यह केवल एक बार की जानेवाली अदायगी होगी ।

दर निर्धारण :

जोखिम समूह I, II और III पर आधारित है ।

जोखिम समूह का संक्षिप्त वर्गीकरण इस प्रकार है :

जोखिम समूह I :

लेखापाल, डॉक्टर, अधिवक्ता, वास्तुशिल्पी, सलाहकार इंजीनियर्स, अध्यापक, बैंकर्स और प्रशासनिक कार्यों में लगे व्यक्ति, व्यक्ति जो मुख्य रूप से इसी प्रकार के जोखिमों से जुड़े हों ।

जोखिम समूह II :

बिल्डर्स, टेकेदार और केवल पर्यावरणक के कार्य में लगे इंजीनियर, जानवरों के डॉक्टर, मोटर कार व हल्के मोटर वाहनों के वेतन प्राप्त ड्राइवर और इसी प्रकार के जोखिम के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति जिसमें शारीरिक कार्य करने वाले मजदूर शामिल नहीं हैं ।

जोखिम समूह III :

भूगर्भ में खदानों में काम कर रहे व्यक्ति, विस्फोटक मैगजीन, विद्युतीय स्थापनों में उच्च दबाव सप्लाई में काम कर रहे कामगार, जॉकी, सर्कस के कार्मिक, घोड़े की पीठ पर और कार रेस गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति, बड़ा खेल शिकार, पर्वतारोहण, शीतकालीन खेल, स्कीइंग, आईस हॉकी, बैलूनिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफिंग, पोलो और इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति ।

प्रीमियम दर (प्रति हजार)	जोखिम समूह		
लाभ	I	II	III
1 से 6	1.50	2.00	3.00
1 से 5	1.00	1.25	1.75
1 से 4	0.70	0.90	1.30
केवल 1	0.45	0.60	0.90

परिवार पैकेज आवरण :

- क) अर्जक सदस्य (बीमित व्यक्ति) तथा पति/पत्नी यदि अर्जक है तो प्रत्येक के लिए बीमा राशि के 100% ।
- ख) यदि पति/पत्नी अर्जक नहीं है - तो बीमित राशि का 50% या 25 लाख जो भी कम हो ।
- ग) 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के आधिक बच्चों को बीमा राशि के 25% या 5 लाख जो भी कम हो, प्रति बच्चे के लिए (केवल तालिका बी के तहत आवरण) ।

परिवार पैकेज आवरण के तहत सकल प्रीमियम में 10% की छूट दी जा सकती है ।

बीमा राशि :

सारणी 'ए' 24 महीने की आय से अधिक न हो और सभी सारणियों सहित बीमित राशि 72 महीने की आय से अधिक न हो ।

विस्तार :

पॉलिसी को दुर्घटना से उत्पन्न चिकित्सकीय व्यय को दावा राशि के 40% तक या मूल बीमा राशि के 10% तक, जो भी कम हो, 20% अतिरिक्त प्रीमियम लेकर विस्तारित करने का प्रावधान है ।

संचयी बोनस :

मद सं. 1 से 4 के अंतर्गत चुकायी जाने वाली राशि प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए 5% से नवीकरण पर 50% तक की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है ।

महत्वपूर्ण अपवर्जन :

- 1) किसी भी सशस्त्र सेना में ऑन डियूटी सेवा
- 2) जानबूझ कर स्वयं को हानि पहुंचाना / आत्महत्या / आत्महत्या की कोशिश / पागलपन / यौन रोग, मादक द्रव्यों के प्रभाव में
- 3) सवारी विमान के अलावा अन्य विमानन
- 4) अपराधी मानसिकता से कानून तोड़ने का कार्य
- 5) बच्चा जन्मना, गर्भवस्था या अन्य कारण जो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित हों ।

- 6) चिकित्सा या शल्य चिकित्सा खर्च (केवल जहाँ ऐसा खर्च, पॉलिसी के क्षेत्र के अंतर्गत जरुरी हो तथा चिकित्सा विस्तारण लिया गया हो)

सारणी : स्थायी आंशिक विकलांगता

	खोये हुए अंग	पूँजीगत बीमित राशि का प्रतिशत
i)	पैर की उँगलियों की हानि - सभी दोनों बड़ी उँगलिअस्थि एक बड़ी उँगलिअस्थि बड़ी को छोड़कर एक से अधिक उँगलियों की हानि - प्रत्येक के लिए	20 05 02 01
ii)	श्रवण शक्ति खत्म होना - दोनों कान	75
iii)	श्रवण शक्ति खत्म होना - एक कान	30
iv)	एक हाथ की चार उँगलियों और अंगूठे की हानि	40
v)	चार उँगलियों नष्ट होना	35
vi)	अंगूठा नष्ट होना - दोनों उँगलिअस्थि - एक उँगलिअस्थि	25 10
vii)	तर्जनी उँगली नष्ट होना - तीन उँगलिअस्थि, दो उँगलिअस्थि अथवा एक उँगलिअस्थि	10
viii)	मध्यमा उँगली नष्ट होना - तीन उँगलिअस्थि, दो उँगलिअस्थि अथवा एक उँगलिअस्थि	06
ix)	अनामिका उँगली नष्ट होना - तीन उँगलिअस्थि, दो उँगलिअस्थि अथवा एक उँगलिअस्थि	05
x)	छोटी उँगली नष्ट होना - तीन उँगलिअस्थि, दो उँगलिअस्थि अथवा एक उँगलिअस्थि	04
xi)	करमास्थि उँगली नष्ट होना - पहली अथवा दूसरी (अतिरिक्त) अथवा तीसरी या चौथी (अतिरिक्त)	03
xii)	कोई अन्य स्थायी आंशिक विकलांगता	प्रतिशत जैसे कि कंपनी के डॉक्टरों द्वारा आंकलित की गई

दाव प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

मृत्यु दावे के मामले में :-

- पॉलिसी के समनुदेशीति को चाहिए कि तुरंत पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को सूचित करें।
- दावा फॉर्म मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट और मूल पॉलिसी के साथ प्रस्तुत करें।
- मृत व्यक्ति के आश्रितों की सूची।

चोट दावे के मामले में :-

- पॉलिसी जारीकर्ता कार्यालय को तत्काल सूचना दी जाये।
- यदि कोई पुलिस रिपोर्ट हो तो उसे जमा करें।
- विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म विकलांगता को प्रमाणित करनेवाले मेडिकल प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करें।
- यदि मेडिकल व्यय विस्तार लिया हो तो दावा की पर्ची के साथ बिल प्रस्तुत करें।
- इलाज करनेवाले डॉक्टर / अस्पताल से फीटनेस प्रमाणपत्र।
- नियोक्ता से (नौकरी करनेवालों के मामले में) छुटटी का प्रमाणपत्र।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (जीपीए)

आवरण : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार ।

अंतर्निहित लाभ : मृत शरीर को वहन करने के व्यय व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार

जोखिम समूह : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार ।

यह पॉलिसी केवल व्यक्तियों के समूहों के लिए लागू है । दो प्रकार की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसीयाँ जारी की जा सकती हैं ।

प्रकार ए :- किसी फर्म / कंपनी / एसोसिएशन / क्लब के कर्मचारियों के आवरण के लिए ।

प्रकार बी :- किसी संस्था / सोसायटी / एसोसिएशन / क्लब के सदस्यों के आवरण के लिए जिसमें कोई नियोक्ता - कर्मचारी संबंध न हो ।

आवरण के प्रकार :-

ऑन ड्यूटी आवरण :- यदि व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण केवल ड्यूटी के सीमित घंटों के लिए चाहिए हो और 24 घंटे के लिए आवरण जरूरी न हो तो प्रीमियम केवल मूल दर के 75% पर होगा (यह उस पॉलिसी के लिए है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ली जाती है यथा केवल नियोजन के दौरान होनेवाली दुर्घटना के लिए आवरण) ।

ऑफ ड्यूटी आवरण :- सीमित घंटे (बीमाकृत व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं है) तो प्रीमियम मूल दर के केवल 50% से लागू होगा । (आवरण नियोक्ता कर्मचारी संबंध रखनेवाले समूहों को दिया जा सकता है ।

समूह छूट :

व्यक्तियों की संख्या	छूट
101 से 1000 तक	5%
1000 से अधिक 10000 तक	7.5%
10000 से अधिक 50000 तक	10%
50000 से अधिक 100000 तक	12.5%
100000 से अधिक 200000 तक	15%
200000 से अधिक 500000 तक	20%
500000 से अधिक 100000 तक	25%
100000 से अधिक	30%

दावा प्रक्रिया : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा

यह बीमा स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। पॉलिसी संस्था के नाम से जारी की जाती है। दावा राशि स्कूल के रजिस्टर में रिकार्ड किये गए माता-पिता / अभिभावक को देय होती है। सभी विद्यार्थियों को आवरित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त विद्यार्थियों को पॉलिसी अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम देकर आवरित किया जा सकता है। लेकिन किसी का नाम हटाये जाने की अनुमति नहीं है।

आवरण क्षेत्र

मृत्यु, दोनों अवयवों की या दोनों आँखों की कुल हानि, एक अवयव और एक आँख की कुल हानि, एक अवयव या एक आँख की कुल हानि और कुल स्थायी और आंशिक विकलांगता हेतु विद्यार्थियों को आवरित किया जाएगा।

- मृत्यु (मूल लाभ) : रु. 10,000/-
- दोनों अवयव, दोनों आँखें, या एक अवयव और एक आँख की हानि : रु. 10,000/-
- एक अवयव या एक आँख की हानि : रु. 5,000/-
- उपर्युक्त को छोड़कर कोई अन्य स्थायी कुल विकलांगता जो चोट के कारण हुई हो : रु. 10,000/-
- स्थायी आंशिक विकलांगता (लाभों का प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है जो मूल लाभ पर आधारित है : रु. 10,000/-)
- रु. 500/- तक की सीमा (कोई एक दुर्घटना, कोई एक वर्ष)

पात्रता

पॉलिसी स्कूल के पंजीकृत विद्यार्थियों को व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ प्रदान करती है।

मूल आवरण के लिए प्रीमियम दर/बीमा राशि

विद्यार्थियों की संख्या	प्रति विद्यार्थी प्रीमियम एओए और/या एओवाई रु. 5,00,000/- + जी.एस.टी	प्रति विद्यार्थी प्रीमियम एओए और/या एओवाई रु. 10,00,000/- + जी.एस.टी
500	6.00	11.00
600	5.16	9.33
700	4.57	8.14
800	4.12	7.25
900	3.77	6.55
1000	3.50	6.00
1100	3.27	5.54
1200	3.08	5.16
1300	2.92	4.84
1400	2.78	4.57
1500	2.66	4.33
1600	2.56	4.12
1700	2.47	3.94

1800	2.38	3.77
1900	2.31	3.63
2000	2.25	3.50
2200	2.13	3.27
2400	2.04	3.08
2600	1.96	2.92
2800	1.89	2.78
3000	1.83	2.66
3200	1.78	2.56
3400	1.73	2.47
3600	1.69	2.38
3800	1.65	2.31
4000	1.62	2.25
4200	1.59	2.19
4400	1.56	2.13
4600	1.54	2.08
4800	1.52	2.04
5000	1.50	2.00

दावा प्रक्रिया : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार

विद्यार्थी सुरक्षा पैकेज

आवरण :

- विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना, प्रति विद्यार्थी रु. 6 लाख तक।
- अस्पतालीकरण व्यय - व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत मानक मेडिकल व्यय के अनुसार।
- चिकित्सा व्यय के तहत ओपीडी व्ययों के लिए आवरण अधिकतम रु. 10,000/-
- बैगेज - स्कूल बैक जिसमें किताबें शामिल हैं - प्रीमियम दरें, शर्तें और प्रतिबंध बैगेज पॉलिसी के अनुसार।
- शुल्क की हानि।
- माता - पिता के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना।
- पढ़ानेवाले और गैर-पढ़ानेवाले स्टाफ के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण।

प्रीमियम दरें, शर्तें और प्रतिबंध मानक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अनुसार लागू होंगे।

दावा प्रक्रिया : मानक व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार

पैकेज बीमा आवरण

जौहरी ब्लॉक बीमा

यह व्यापार कर रहे जौहरियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट पैकेज पॉलिसी है।

व्यवसाय के इस वर्ग में नैतिकता का जोखिम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रस्तावक जो अपनी ईमानदारी और अच्छी साख के लिए जाने जाते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से स्वीकार की जा सकती है।

जैसा कि बीमालेखन में पिछले इतिहास का महत्व होता है अतः दावा इतिहास, सुरक्षा तथ्यों की जानकारी के लिए प्रस्ताव प्रपत्र की सावधानी पूर्ण जाँच आवश्यक है। पहले वर्ष में जौहरी का कार्य शुरू करने वाले का प्रस्ताव एक खराब जोखिम है।

प्रस्ताव प्रपत्र बहुत विस्तृत होता है क्योंकि व्यापार सोना और जेवरों जैसी मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित है। और जोखिम की सुरक्षा का तत्त्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव प्रपत्र के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर की जांच ध्यान से करनी चाहिए। यह प्रश्न मुख्य रूप से तिजोरी, रात्रि में परिसर का उपयोग, रात के समय चौकीदार, सेंधमारी के खतरे की घंटी इत्यादि से संबंधित है। परिसर पर जोखिम, संपत्ति जब सुनार, दलाल, एजेंटों, कटर, पार्टनर और कर्मचारियों के कब्जे में हो तो बाहरी जोखिम, जिसमें अभिवहन जोखिम भी शामिल है, जिनके लिए पृथक सीमाएं (बीमित राशि) प्रदान की गई है। परिसर में फर्नीचर, फिक्चर एवं फिटिंग के लिए अलग से मद रखा गया है। प्रस्तावक को प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बहुत स्पष्टता से, बीमा के पूर्ण मूल्य का विवरण देते हुए, आवश्यक रूप से देना है। मूल्यांकन का आधार बीमा लागत और उसके ऊपर 10% है।

1. आवरण क्षेत्र

पॉलिसी द्वारा प्रदत्त आवरण को निम्न अनुसार 4 अनुभागों में बांटा गया है :

अनुभाग - I

यह अनुभाग, संपत्ति के नुकसान या क्षति को, जहाँ बीमाधारक का व्यापार होता है उस परिसर अथवा जहाँ बीमाधारक की संपत्ति जमा है उस परिसर में सारणी में उल्लिखित के अनुसार केवल अग्नि, विस्फोटन, तड़ित, सेंधमारी, चोरी, उठाईंगिरी, डकैती (बंधक बनाकर) तथा दंगा और हड़ताल क्षति को आवरित करता है। रु. 0.03 प्रति हजार के अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर आतंकवाद आवरण दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति सीमा को (बीमा राशि) अलग से दिखाया गया है।

(क) परिसर पर बीमित संपत्ति :

- (1) प्रदर्शन खिड़की में प्रदर्शित संपत्ति
- (2) परिसर में तिजोरी में तालाबंद संपत्ति
- (3) परिसर में कहीं दूसरी जगह पर

(ख) नकदी और मुद्रा नोट :

- (1) बैंक लॉकर्स
- (2) प्राइवेट लॉकर्स (सभी लॉकर्स के पते अपेक्षित है) बशर्ते कि बीमाधारक सभी जमाओं, लॉकरों से निकासी के रिकॉर्ड अलग रजिस्टर में रखता हो।

बीमित संपत्ति को “व्यापार में स्टॉक” के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें जेवर, सोने व चांदी के जेवर, मोती, कीमती पत्थर, नकद, नकदी इत्यादि शामिल है। जो बीमाधारक के व्यापार से संबंधित हैं, जो उसके हैं अथवा विश्वास पर धरोहर अथवा कमीशन पर रखे हैं जिसके लिए बीमाधारक ही जिम्मेदार है।

आवरण इस वारंटी के अधीन है कि सारणी में उल्लिखित परिसर में सभी स्टॉक रात के समय और व्यापार समय के अतिरिक्त हमेशा एक “सेंधमारी से सुरक्षित” तिजोरी में तालाबंद सुरक्षित रहेगा।

अनुभाग - II

सारणी के अनुभाग II के मद संख्या (ए) और (बी) के अंतर्गत बीमित संपत्ति की हानि या क्षति, जो संपत्ति बीमाधारक के व्यापार के संबंध में उल्लिखित परिसर से, यहाँ नीचे दिए गए कारणों को छोड़कर, किसी भी कारण से ले जाई जाती है।

बीमाधारक द्वारा (नकद और मुद्रा नोटों को छोड़कर) बीमा कराई गई संपत्ति जो ब्रोकर अथवा एजेंटों अथवा कटर अथवा सुनारों अथवा हीरा छंटाई करने वाले, ऐसे लोग जो बीमाधारक के पास नियुक्त नहीं हैं, के कब्जे में हो। यह बीमाधारक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा अन्यथा बशर्ते कि इस प्रकार सौंपे जाने के दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हों।

अनुभाग - III

यह अनुभाग बीमाधारक की निम्नलिखित द्वारा मार्गस्थ संपत्ति को (नकद तथा मुद्रा नोटों को छोड़कर) केवल भारत में आवरण प्रदान करता है।

(क) पंजीकृत बीमित पोस्ट पार्सल जिसकी सीमा रु. 5 लाख या अनुभाग I के अंदर बीमित राशि के 10% हो, जो भी कम हो।

(ख) वायुयान मार्ग (20% मूल्य एयरलाइन को घोषित होना चाहिए और उसे एअर वे बिल में शामिल किया जाना चाहिए)।

(ग) आंगड़िया (उत्तर भारत की कुरियर सेवा शामिल नहीं है)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से परिवहन को आवरित किया जाता है। नकद तथा मुद्रा नोटों को छोड़कर, अनुभाग I, II और III के संबंधित संपत्ति के मूल्यांकन का आधार बीमाधारक की लागत और उसके ऊपर 10% होगी।

टिप्पणी : 1) अनुभाग II और III के अंतर्गत बीमित राशि अनुभाग I की बीमित राशि के 25% से अधिक नहीं होगी।

2) अनुभाग I, II और III के अंतर्गत जोखिम के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए भी अनुभाग II और III पर औसत की शर्त लागू होगी।

3) लागू की जानेवाली वारंटी - यह वारंटी दी जाती है कि अनुसूची में उल्लिखित परिसर में नकद और मुद्रा नोट सहित सभी संपत्ति व्यापार के समय के अतिरिक्त सभी समय एक मानक स्तर से निर्मित तिजोरी में तालाबंद रहेंगे। यह भी वारंटी दी जाती है कि यदि नंबर वाली तिजोरी का उपयोग किया जाता है तो तिजोरी के नंबर की जानकारी व उपयोग साझीदार / निदेशकों तथा नामित कर्मचारी श्री/ श्रीमती - तथा श्री/ श्रीमती - द्वारा पॉलिसी की चालू अवधि के दौरान किया जाएगा।

अनुभाग - IV

यह अनुभाग ऑफिस के फर्नीचर, फिटिंग, फिक्स्चर को क्षति/हानि के लिए आवरण प्रदान करता है जब कि यह बीमाधारक के व्यापार से संबंधित हो और बीमाधारक के व्यापार परिसर में रखे गए हों यह आवरण केवल विस्कोटन, तड़ित, सेंधमारी, गृहवेधन, चोरी, होल्ड अप डैकेती तथा दंगा व हड्डताल से हुई हानि/क्षति के लिए सुरक्षा आवरण प्रदान करता है।

टिप्पणियाँ :

(ए) सभी दरों में दंगा तथा हड्डताल जोखिम शामिल हैं।

(बी) यदि बीमाधारक की जरूरत हो तो भूकंप/एफ एस टी के जोखिम के लिए भी पॉलिसी में, अग्नि दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर शामिल किया जा सकता है।

(सी) इस पॉलिसी के अंतर्गत केवल अनुभाग I और IV के अनुसार ही आवरण हैं और अनुभाग II और III का कोई आवरण नहीं है। यदि प्रस्तावक को आवश्यकता हो तो इस पर विचार किया जा सकता है।

(डी) यदि दावा अनुपात अनुकूल हो तो उचित छूट दावा नहीं छूट के रूप में दी जा सकती है।

2. दर निर्धारण

बाजार अनुबंध के अंतर्गत वर्तमान प्रीमियम संरचना इस प्रकार है :

अनुभाग I	24 घंटों के लिए प्रतिबद्ध सुरक्षा व्यवस्था (तत्कालीन श्रेणी I) %	24 घंटों के लिए प्रतिबद्ध सुरक्षा व्यवस्था नहीं है (तत्कालीन श्रेणी II श्रेणी III मिलाकर) %
परिसरों में कुल बीमा राशि (सभी स्थान)	0.12	0.15
घटाएँ : अच्छी सुविधा छूट क) चोरी अलार्म / सीसीटीवी - 5% स्ट्रॉग रूम - 5%		
अनुभाग II जोखिम के रूप में मूल्य (प्रति हानि सीमा)	0.25	0.25
अनुभाग III जोखिम के रूप में मूल्य (प्रति हानि सीमा)	0.50	0.50
अनुभाग IV बीमा राशि	0.20	0.20
घटाएँ : क) दावा नहीं छूट विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार जो अधिकतम 25% अर्थात् प्रत्येक दावा रहित वर्ष के लिए 5% तक हो सकता है।		
ख) संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक छूट, यदि कोई हो (जिसमें उचित समर्थन किया जाये)		
एड-ऑन कवर यदि चुने गये हों तो, (एओजी आपदाओं और आतंकवाद प्रीमियम दर छूट लागू नहीं है)		
विशानिर्देशों के अनुसार भूकंप अर्नि और धवके	विद्यमान क्षेत्र IV दर के अनुसार	विद्यमान क्षेत्र IV दर के अनुसार
दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़, आँधी, झांझावात आदि	विद्यमान अर्नि गाइड दर के अनुसार	विद्यमान अर्नि गाइड दर के अनुसार
अर्नि दिशानिर्देशों के अनुसार आतंकवाद	विद्यमान अर्नि गाइड दर के अनुसार	विद्यमान अर्नि गाइड दर के अनुसार

- वर्ग I का अर्थ है : सभी सूचीबद्ध परिसरों पर 24 घंटे के लिए नियुक्त चौकीदार
- वर्ग II का अर्थ है : बिल्डिंग के लिए एक ही (सभी के लिए) चौकीदार अथवा रात्रि चौकीदार
- वर्ग III का अर्थ है : अन्य सभी
- जौहरी ब्लॉक दिशानिर्देशों के भाग II में दी गयी दर - निर्धारण अनुसूची को उक्त निरस्त कर देता है ।**
- पॉलिसी में दिये जानेवाले व्यावसायिक छूटों को तर्कशुद्ध बनाने के लिए उचित आधिक्य लगाये जा सकते हैं । एओजी आपदाओं तथा आतंकवाद के लिए अग्नि विभाग के विद्यमान दिशानिर्देश और मार्गदर्शी दरें लागू होंगी ।
- निम्नानुसार कुछ अन्य एड-ऑन आवरण भी अनुमत किये गये हैं :**

1. यदि त्योहार समय के दौरान अनुभाग I के तहत बीमा राशि में 50% की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी के सीमा के अधीन हो तो यथानुपात प्रीमियम + 10% ऐसी वृद्धि के लिए लगाया जा सकता है यदि वह क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा से बाहर हो तो उसे मंजूरी हेतु प्रधान कार्यालय भेजा जाना चाहिए ।
2. कारोबारी समय के बाद तिजोरी से बाहर रखे जानेवाले माल हेतु बीमा राशि की सीमा, अनुभाग I के तहत बीमा राशि के 25% तक की उपसीमा तक तय की गयी है जिसे अतिरिक्त प्रीमियम और आधिक्य पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है । यदि वह क्षेत्रीय कार्यालय की सीमा से बाहर हो जाता है तो उसे मंजूरी हेतु प्रधान कार्यालय भेजा जाना चाहिए ।

दावा प्रक्रिया :-

- (i) हानि की तत्काल अधिसूचना बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए ।
- (ii) चोरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल किया जाना चाहिए ।
- (iii) हानि का वर्णन करते हुए दावा प्रपत्र और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

न्यू इन्डिया गृह सुविधा पॉलिसी

यह पॉलिसी विद्यमान गृहस्वामी पैकेज पॉलिसी का संक्षिप्त रूप है।

इसमें चार विशिष्ट विकल्प हैं जो अंतर्वस्तुओं को कवर करते हैं और प्रत्येक विकल्प में पाँच अनुभाग हैं तथा एक वैकल्पिक अनुभाग आवासीय परिसर को आवरित करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य है गृहस्वामी की वस्तुओं को अग्नि और संबद्ध आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना जिसमें शामिल है दंगा, हड्डाताल, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, चोरी, गृहवेधन, सेंधमारी तथा वस्तुओं की दुर्घटनात्मक क्षति जिसमें जवाहरत और मूल्यवान चीजें भी शामिल हैं एवं टेलीविजन और / या डेस्कटॉप समेत घरेलु उपकरणों की खराबी को 'प्रथम हानि आधार' पर सुरक्षा प्रदान करना।

इस पॉलिसी की सबसे विशेष बात है उसकी सरलता और ग्राहक को अंतर्वस्तुओं के विवरण तथा वर्णन प्रदान करने में महसूस होनेवाली सहजता। साथ ही इसका दावा प्रशासन भी बहुत आसान और पेचीदगियों से मुक्त है।

न्यू इन्डिया गृह सुविधा पॉलिसी के प्रस्तावित विकल्प

आवरण वर्णन	बीमा राशि			
	विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3	विकल्प 4
अग्नि तथा संबद्ध आपदाएँ (गृहस्वामी की अंतर्वस्तुएँ)	1,00,000	2,50,000	5,00,000	10,00,000
चोरी, गृहवेधन तथा सेंधमारी (गृहस्वामी की अंतर्वस्तुएँ)	1,00,000	2,50,000	5,00,000	10,00,000
मूल्यवान चीजें और जवाहरत	50,000	1,00,000	2,00,000	4,00,000
घरेलु उपकरणों की खराबी	50,000	75,000	1,00,000	2,00,000
टेलीविजन / डेस्कटॉप बीमा	25,000	40,000	60,000	75,000
कुल प्रीमियम + जी.एस.टी.	₹. 1,125/-	₹. 2,120/-	₹. 3,880/-	₹. 7,175/-
अग्नि तथा संबद्ध आपदाएँ (परिसर)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार संपूर्ण बीमा राशि)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार संपूर्ण बीमा राशि)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार संपूर्ण बीमा राशि)	(संपत्ति के मूल्य के अनुसार संपूर्ण बीमा राशि)
दर	0.30 प्रति हजार	0.30 प्रति हजार	0.30 प्रति हजार	0.30 प्रति हजार

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की तत्काल अधिसूचना बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए।
- (ii) चोरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

अधिकारी सुरक्षा कवच

कारोबार / व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा करने के दौरान सुरक्षा ।

- लैपटॉप / कम्प्यूटर जो बीमाधारक के स्वामित्व में हो - बिमाधारक के पास रहते समय विश्व में कहीं भी किसी भी कारण से होनेवाली उसकी भौतिक हानि या क्षति ।
- सेल्युलर फोन - इलेक्ट्रिकल / मेक्निकल खराबी अग्नि, तड़ित, विस्फोट, भूकंप, बाढ़, आँधी, चोरी, सेंधमारी, बाह्य साधनों के कारण दुर्घटनात्मक क्षति ।
- नकद हानि - दुर्घटना, दुर्भाग्य ।
- बैगेज - यात्रा के दौरान दुर्घटना, दुर्भाग्य के कारण हानि ।
- सर्व जोखिम - गहने और मूल्यवान चीजें - दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण हानि ।
- व्यक्तिगत दुर्घटना ।
- व्यक्तिगत दायित्व - तृतीय पक्ष दायित्व - शारीरिक जख्म या संपत्ति का नुकसान ।

अनुभागवार प्रीमियम दरें :

1. लैपटॉप पोर्टेबल उपकरण - बीमा राशि पर @ 2 %
2. सेल्युलर फोन - बीमा राशि पर @ 2.50 %
3. नकद हानि - बीमा राशि पर @ 1 %
4. बैगेज - बीमा राशि पर @ 0.75 %
5. सर्व जोखिम (गहने और मूल्यवान चीजें) - बीमा राशि पर @ 1 %
6. व्यक्तिगत दुर्घटना - मानक व्यक्तिगत दुर्घटना मार्गदर्शी दरों के अनुसार
7. व्यक्तिगत दायित्व - रु. 50000/- की बीमा राशि के लिए रु. 25/-

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की तत्काल अधिसूचना बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए ।
- (ii) चोरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए ।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

टिप्पणी : यह पॉलिसी संबंधित आवरण की मानक शर्तों और प्रतिबंधों तथा क्लॉजेस के अधीन है ।

कार्यालय सुरक्षा कवच (साधारण)

आवरण :

यह पॉलिसी बिलिंग, सामान तथा अन्य प्रकार की सामान्य रूप से कार्यालय में पाई जानेवाली संपत्तियों को विभिन्न जोखिमों के प्रति आवरण प्रदान करती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाधारक की विभिन्न संपत्तियों को आवरित करने के लिए विभिन्न अनुभाग उपलब्ध हैं।

दर निर्धारण		
अनुभाग	आवरण	दर प्रति हजार
1	बिलिंग	0.40
2	वस्तुएं क) अपने आपदाओं के आवरण के लिए ख) चोरी आपदाओं के आवरण के लिए	0.40 0.75
3	किराएदार वायित्व फिक्स्यर और फिटिंग सहित एक किरायेदार के रूप में कार्यालय परिसर की हानि के प्रति दायित्व आवरित जोखिम : अनुभाग II ए के अनुसार	0.40
4	धन बीमा मार्गस्थ धन, कार्यालय समय के दौरान परिसर में, तथा कार्यालय समय के बाद तिजोरी में, धन की दुर्घटना तथा/अथवा दुर्भाग्य के कारण हानि	2.40
5	फिक्स्ड ग्लास और सैनिटरी फिटिंग्स फ्रेम की हानि सहित दुर्घटना / टूटने से हुई हानि या क्षति को आवरित करता है	8.50
6	विश्वस्ता गारंटी बीमाधारक के किसी वेतन प्राप्त कर्मचारी द्वारा किये गए धोखाधड़ी और / अथवा बेर्इमानी के कार्य से धन की हानि या क्षति। कुल आवरित व्यक्तियों की संख्या के लिए प्रति व्यक्ति रु. 10/- अतिरिक्त	5.00
7	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विशिष्ट रूप से अपवर्जित कारणों को छोड़कर, अन्य किसी कारण से अनदेखी आकस्मिक भौतिक हानि अथवा क्षति प्रमुख अपवर्जन : पहले से मौजूद कमियाँ व खराबियाँ, मौसम की स्थिति के कारण घिसना और टूटना, डिजाइन अथवा सामग्री की खराबी जिसके लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार है। आधिकार्य : इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पॉलिसी के अनुसार	9.00
8	आंकड़ों के पुनः स्थापन की लागत आवरित जोखिम : अनुभाग VI ए के अनुसार	9.00
9	सुवाहा कम्प्यूटर जब इन्हें विश्व में कही भी ले जाया जा रहा हो। आवरित जोखिम : अनुभाग VI ए के अनुसार	18.00
10	किराये पर अतिरिक्त व्यय वैकल्पिक आवास के लिए, यदि अधिकृत परिसर टूटा फूटा हुआ है और आवास के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है। आवरण अनुभाग II ए के अनुसार	0.40

11	व्यक्तिगत दुर्घटना स्वयं तथा कर्मचारियों के लिए आवरण । लाभों की शर्त और प्रतिबंध व्यक्तिगत दुर्घटना निर्देशों के अनुसार	दरें व्यक्तिगत दुर्घटना निर्देशिका के अनुसार
12	कार्यालय के उपकरणों की खराबी संसाधन, उपकरण, मशीनरी जिनकी उम्र केवल 10 वर्ष तक की हो ।	12.00
13	बैगेज विश्व में कहीं भी यात्रा के दौरान, स्वयं और/अथवा कर्मचारियों के बैगेज को क्षति अथवा हानि । किसी दुर्घटना और/अथवा दुर्भाग्य को आवरित करता है । प्रीमियम का परिकलन सभी व्यक्तियों के लिए किसी एक वर्ष के तहत राशि पर किया जायेगा ।	6.00
14	जन दायित्व मृत्यु अथवा शारीरिक चोट और/अथवा तृतीय पक्ष की संपत्ति को हानि	1.00
	कर्मकार क्षतिपूर्ति	कर्मकार क्षतिपूर्ति के निर्देशों के अनुसार

- मालिक (बिलिंग) बीमाधारकों के लिए अनुभाग । और ॥ ए अनिवार्य हैं ।
- किराएदारों (बिलिंग) बीमाधारकों के लिए अनुभाग ॥ ए अनिवार्य है ।
- मालिक बीमाधारक को न्यूनतम 5 (पांच) अनुभाग लेने होंगे ।
- किराएदार (बिलिंग) बीमाधारकों को न्यूनतम 4 (चार) अनुभाग लेने होंगे ।

अनुभाग छूट :

- उपर्युक्त 3 व 4 के न्यूनतम अनुभाग के अतिरिक्त 2 अनुभागों के लिए, : प्रीमियम पर 10% की छूट ।
- अतिरिक्त 4 अनुभागों के लिए प्रीमियम पर 15% की छूट ।
- अतिरिक्त 7 अनुभागों के लिए प्रीमियम पर 20% की छूट ।

आतंकवाद आवरण :

वैकल्पिक

नवीकरण छूट :

पहला नवीकरण – 5%

दूसरा नवीकरण – 10%

तीसरा नवीकरण – 15%

चौथा नवीनीकरण – 20% (अधिकतम)

दावा प्रक्रिया :

जिस अनुभाग / आपदा के अंतर्गत दावा किया गया है, तदनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए । तथापि, कई बार दावे केवल चौरी/विश्वस्ता के तहत ही किये जाते हैं ।

- हानि की तत्काल अधिसूचना बीमार्कर्ता को दी जानी चाहिए ।
- चौरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए ।
- हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

डॉक्टर सुरक्षा कवच

अनुभाग	विवरण	दर प्रति हजार %
1.	इमारत - अग्नि @ रु. 0.50	0.60
	भूकंप @ रु. 0.10	
2.	अंतर्वस्तुएँ - अग्नि @ रु. 0.60	1.40
	चोरी @ रु. 0.80	
3.	किरायेदार दायित्व	0.60
4.	धन बीमा (घोषित कुल बीमा राशि पर प्रीमियम का परिकलन किया जायेगा)	3.00
5.	फिकस्ट ग्लास तथा सैनीटरी फिटिंग्ज	10.00
6.	विश्वस्तता गारंटी (गारंटी की राशि पर)	6.00
7.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्षति	10.00
8.	डाटा पुर्नस्थापन की लागत	10.00
9.	पोर्टेबल कम्प्यूटर / लैपटॉप	20.00
टिप्पणी :	अनुभाग 7, 8, 9 के लिए दी गयी दरें तभी वैध होंगी जब यह उपकरण वार्षिक रखरखाव करार (एएमसी) के तहत होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो अनुभाग 7 और 8 के लिए उक्त दरों पर 100% लोडिंग होगी और अनुभाग 9 के लिए उक्त दर पर 50% लोडिंग होगी	
10.	वैयक्तिक आवास व्यवस्था के लिए किराये का अतिरिक्त व्यय	0.65
11.	व्यक्तिगत दुर्घटना चिकित्सा विस्तार के साथ	दर व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के अनुसार
12.	10 वर्ष की आयु तक के कार्यालय संसाधनों, उपकरणों, मशीनरी की खराबी	15.00
13.	बैगेज - प्रीमियम का परिकलन किसी एक घटना में प्रति व्यक्ति सीमा पर न होकर किसी एक वर्ष में (एओवाई) सभी व्यक्तियों के लिए सीमा की राशि पर होगा।	7.50
14.	1. जन दायित्व	1.00
	2. कामगार क्षतिपूर्ति	टैरिफ के अनुसार
15.	व्यावसायिक क्षतिपूर्ति	डॉक्टर क्षतिपूर्ति आवरण के अनुसार दर
16.	एचआईवी दुर्घटना पॉलिसी - ऑन ड्यूटी आवरण	
	मेडिकल कार्मिकों के लिए	0.90
	पैरामेडिकल स्टाफ के लिए	1.00

अन्य विशेषताएं :

- अनुभाग 1 और अनुभाग 2 - मालिकों (इमारत) बीमाधारकों के लिए अनिवार्य ।
अनुभाग 2 - किरायेदार के लिए अनिवार्य ।
- मालिक द्वारा बीमाकृत किये जानेवाले अनुभागों की न्यूनतम संख्या - 5
किरायेदार द्वारा बीमाकृत किये जानेवाले अनुभागों की न्यूनतम संख्या - 4

छूट :

- 4 अनुभाग 10% छूट
- 6 अनुभाग 15% छूट
- 9 अनुभाग 20% छूट

नवीकरण छूट :

- पहला नवीकरण प्रीमियम पर 5%
- दूसरा नवीकरण प्रीमियम पर 10%
- तीसरा नवीकरण प्रीमियम पर 15%
- चौथा नवीकरण प्रीमियम पर 20% (अधिकतम)

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की तत्काल अधिसूचना बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए ।
- (ii) चोरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए ।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

**एल. पी. जी. डीलर्स पॉलिसी / बहु आपदाएँ
(कारोबार परिसर)**

आवरण	बीमाकृत विषयवस्तु का विवरण	मार्गदर्शी दर प्रति हजार -%
अनुभाग I	अग्नि तथा संबद्ध आपदाएँ 1. बिल्डिंग पर, 5 करोड़ (अधिकतम) 2. अंतर्वस्तुओं पर संलग्न गोदाम के एलपीजी सिलेंडरों के साथ 5 लाख (अधिकतम) 3. दुकान में फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंगज पर	1.50
अनुभाग II	प्रथम हानि आधार पर चोरी तथा गृहवेधन जोखिमवाली संपत्ति के मूल्य का 25%	1.00
अनुभाग III	पारवहन में गैस सिलेंडर - 5 लाख प्रति दावा और 10 लाख प्रति वर्ष	2.50
अनुभाग IV	1. पारवहन में नकद - पारवहन में नकदी की हानि जो पारवहन 25 कि. मी. के दायरे के भीतर बीमाधारक के परिसर से किह्नीं 2 स्थानों के बीच किया जा रहा हो। (रु. 2.50 लाख प्रति पारवहन (डिलीवरी बॉइंज को छोड़कर अन्य) तथा डिलीवरी बॉइंज के लिए रु. 50,000/- 2. चोरी - बीमाधारक के परिसर में तालाबंद तिजोरी में या स्थायी अचल नकदी बक्से में रहते हुए चोरी या गृहवेधन से धन की हानि - अधिकतम रु. 2.50 लाख 3. काऊन्टर पर - रु. 10,000/- अधिकतम	2.50 2.50 2.50
अनुभाग V	विश्वता गारंटी : रु. 1 लाख अधिकतम प्रति नामित कर्मचारी	5.00
अनुभाग VI	पेडल साइकिल (बीमा राशि बाजार मूल्य के अनुसार) तृतीय पक्ष दायित्व - रु. 50,000/- (अधिकतम)	5.00
अनुभाग VII	जन दायित्व - प्रति घटना रु. 25 लाख रु. 1 करोड़ - अधिकतम प्रति पॉलिसी अवधि	3.00 एओवाई सीमा पर + रु. 0.10% टनओवर पर
अनुभाग VIII	कर्मकार क्षतिपूर्ति	डब्ल्यू.सी. टैरिफ के अनुसार
अनुभाग IX	व्यक्तिगत दुर्घटना - केवल नामित व्यक्ति के लिए	पी. ए. टैरिफ के अनुसार
अनुभाग X	ग्राहक को व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ - रु. 1 लाख अधिकतम प्रति ग्राहक	रु. 200/- प्रति ग्राहक

अनुभाग XI	प्लेट ग्लास की दुर्घटनात्मक टूटफूट अधिकतम बीमा राशि रु. 1 लाख	10.00
अनुभाग XII	नियोन साइन / ग्लो साइन अधिकतम बीमा राशि रु. 1 लाख	7.00
टिप्पणी	आतंकवाद आवरण वैकल्पिक है, अतिरिक्त @0.25% पर	

छूट :

- 3 गैर - टैरिफ अनुभाग : 10%
- 4 गैर - टैरिफ अनुभाग : 15%
- 4 से अधिक गैर - टैरिफ अनुभाग : 20%

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की तत्काल अधिसूचना बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए।
- (ii) चोरी / सेंधमारी के मामले में तत्काल सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र तथा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

गृह स्वामी बीमा

आवरण :

एक एकल पॉलिसी के अंतर्गत घर, घर का सामान, तथा घर के स्वामी की विभिन्न संपत्तियों को आवरण प्रदान किया जाता है। पॉलिसी में बीमाधारक की संपत्तियों को आवरित करने वाले विभिन्न अनुभाग हैं।

दर निर्धारण		
अनुभाग	आवरण	दर प्रति हजार
1.	अपनि तथा संबद्ध जोखिम क) बिलिंग - बंगला , जिसमें कंपाऊंड दीवार हो / फ्लैट हों जो श्रेणी 'ए' के निर्माण के हों। ख) सामान - (गहने और मूल्यवान चीजें डोड़कर) सभी वस्तुएं (फर्नीचर छोड़कर जिसका मूल्य सामान के कूल मूल्य के 5% से अधिक हो) वैयक्तिक मूल्य के साथ सूचीबद्ध की जानी चाहिए। आवरित जोखिम : अग्नि, तड़ित, घर के सामान में गैस विस्फोटन, दंगा व हड्डताल, देष्पूर्ण हानि, बाढ़, तूफान इत्यादि, संघात हानि, हवाई जहाज हानि, भूस्खलन, पानी की टंकियाँ फटना व बहना उपकरण और पाईप और भूकंप।	0.25
2.	चोरी और गृहवेधन जिसमें उठाईर्गिरी और सेंधमारी शामिल है आवरित जोखिम : सेंधमारी, गृहवेधन, उठाईर्गिरी व चोरी (इस अनुभाग के लिए सामान का बीमा, ऊपर अनुभाग 1 (ख) के अंतर्गत उल्लिखित मूल्य के समान होना चाहिए)	0.75
3.	सर्व जोखिम आवरित जोखिम : जेवर और कीमती सामान की भारत में कहीं भी दुर्घटना अथवा दुर्भाग्यवश हानि	6.00
4.	फिक्स्ड प्लेट ग्लास आवरित जोखिम : फिक्स्ड प्लेट ग्लास की दुर्घटनात्मक क्षति	9.00
5.	घरेलू उपकरणों की टूट-फूट आवरित जोखिम : घरेलू विद्युतीय या मशीनी सामान, उपकरण या गैरेंटेस की केवल मशीनी या विद्युतीय ब्रेकडाउन के कारण क्षति। बीमित राशि वर्तमान दिन पर उसी प्रकार के उपकरण के प्रतिस्थापन मूल्य के बराबर होगी।	0.80
6.	टी वी / वी सी आर सेट इत्यादि आवरित जोखिम : अनुभाग I और II के अनुसार, दुर्घटनाजन्य वाहरी माध्यमों से तथा मशीनी या विद्युतीय ब्रेकडाउन आवरित है। कानूनी दायित्व रु. 25000/- तक तथा एंटीना गिरने के कारण बीमाधारक की स्वर्य की संपत्ति की हानि रु. 3000/- तक	9.00

7.	पैडल साइकिल आवरित जोखिम : अग्नि, तड़ित, आंतरिक विस्फोट, दंगा और हड्डियाल, आतंकवाद, द्वेषपूर्ण हानि, भूकंप, बाढ़, तूफान इत्यादि के कारण हानि या क्षति । सेंधमारी, गृहवेधन तथा/अथवा चोरी, बाहरी दुर्घटना और कानूनी दायित्व रु. 10, 000/- की सीमा के अधीन	12.00
8.	बैगेज आवरित जोखिम : बीमाधारक के दौरे या छुट्टी यात्रा पर भारत में कहीं भी यात्रा करते समय साथ के बैगेज की दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हानि या क्षति	5.00
9.	व्यक्तिगत दुर्घटना आवरित जोखिम : व्यक्तिगत दुर्घटना (एकल) पॉलिसी के शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार	व्यक्तिगत दुर्घटना निर्देशिका के अनुसार
10	क - जन दायित्व आवरित जोखिम : सारणी में उल्लिखित राशि के अनुसार तृतीय पक्ष की शारीरिक चोट या संपत्ति की हानि या क्षति के प्रति बीमाधारक का कानूनी दायित्व	0.35
	ख - कर्मकार क्षतिपूर्ति दायित्व आवरित जोखिम : बीमित परिसर के अंदर काम कर रहे घरेलू सेवक के लिए दायित्व	कर्मकार क्षतिपूर्ति के निर्देशों के अनुसार
11.	व्यक्तिगत कम्प्यूटर आवरित जोखिम : इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पॉलिसी के अनुसार नियम शर्त और अपवर्जन	9.00

आतंकवाद आवरण वैकल्पिक है । दरें आतंकवाद पूल के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार होंगी ।

अनुभाग छूट :

4 से अधिक और 6 तक अनुभाग आवरित करने के लिए (टैरिफ दर निर्धारित अनुभाग सहित) 15% छूट केवल गैर-टैरिफ अनुभाग प्रीमियम पर । 6 से अधिक अनुभागों पर (टैरिफ दर निर्धारित अनुभागों सहित) केवल गैर-टैरिफ अनुभाग प्रीमियम पर 20% छूट ।

आवरित न्यूनतम अनुभाग : 3 (तीन)

प्रमुख अपवर्जन :

युद्ध / नागरी उपद्रव तथा मूल्यहास, सामान्य टूट फूट, परिणामी हानि के कारण क्षति या हानि ।

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

1. तत्काल दावा सूचना जिसमें पॉलिसी क्रमांक, हानि की तिथि, अंदाजन हानि राशि, पॉलिसी प्रति शामिल हो ।
2. दावा फॉर्म ।

दुकानदार बीमा

आवरण :

विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध एक ही एकल पॉलिसी के अंतर्गत दुकानदार को बिलिंग, सामान तथा उसकी विभिन्न संपत्तियों को आवरित किया जाता है । पॉलिसी में विभिन्न अनुभाग हैं जिसमें बीमाधारक की विभिन्न संपत्तियों को आवरित किया जाता है ।

दर निर्धारण		
अनुभाग	आवरण	दर प्रति हजार
I (ए)	इमारत (केवल श्रेणी ए का निर्माण)	0.65
I (बी)	सामान - (धनराशि और बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़कर) आवरित जोखिम : अग्नि और संबंधित जोखिम कुल बीमित राशि - मद (क) व (ख) के अंतर्गत रु. 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी । आवरित जोखिम : अग्नि, तङ्गित, घरेलू उपकरणों में गैस विस्फोटन, दंगा तथा हड्डताल, द्वेष्पूर्ण हानि, बाढ़, तूफान इत्यादि । संघात हानि, हवाई जहाज से हानि, भूस्खलन, भूधसकन, वाटर टैंक बहना, एपोरेटस अथवा पाइप का फटना और बहना तथा भूकंप ।	0.65
II	सेंधमारी और गृहवेधन सेंधमारी और गृहवेधन के कारण परिसर की संपत्ति की हानि या क्षति के विरुद्ध आवरण प्रदान करता है । सामान का बीमा उपर्युक्त अनुभाग । (ख) के अनुसार (रु. 10 करोड़ तक) होगा ।	0.75
III	धन राशि बीमा धन पारवहन (अधिकतम रु. 25,00,000/- तक) तिजोरी में (अधिकतम रु. 25,00,000/- तक) दराज / काउंटर में (अधिकतम रु. 5,00,000/- तक) रोकड़िये की दराज अथवा काउंटर में धन राशि अथवा तिजोरी / स्टील की अलमारी में धन या बैंक को / बैंक से ले जाते समय धन राशि की चोरी, सेंधमारी व होल्ड अप के विरुद्ध आवरण जो केवल कारोबारी समय के दौरान ही हो ।	1.50
IV	पैडल साइकिल रु.10000/- के जन दायित्व सहित, पैडल साइकिल और उप साधनों को हानि या क्षति	12.00
V	प्लेट ग्लास व्यापारिक परिसर में अथवा प्रदर्शन खिड़की को दुर्घटनाजन्य और/अथवा द्वेष्पूर्ण हानि अधिकतम रु. 15,00,000/- तक	8.50
VI	निआॅन / ग्लो साइन (पूरे साइन बोर्ड की चोरी सहित) अधिकतम रु. 10,00,000/- तक दुर्घटनाजन्य हानि या क्षति, अग्नि और संबंधित जोखिमों दंगा हड्डताल के विरुद्ध	8.50
VII	बैगेज बीमा अधिकतम रु. 1,50,000/- चोरी, दुर्घटना के विरुद्ध	6.00

VIII	व्यक्तिगत दुर्घटना आवरित जोखिम : व्यक्तिगत दुर्घटना (एकल) पॉलिसी की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार	व्यक्तिगत दुर्घटना निर्देशित दरों के अनुसार
IX	विश्वस्तता गारंटी प्रति व्यक्ति रु. 5,00,000/- तक कुल रु. 25,00,000/- तक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी अथवा बेईमानी के विरुद्ध	9.00
X	क - जन दायित्व अधिकतम रु. 5,00,000/- तक	0.35
	ख - कर्मकार क्षतिपूर्ति दायित्व	कर्मकार क्षतिपूर्ति निर्देशित दरों के अनुसार*
XI	व्यवसाय व्यवधान संपत्ति का विवरण अनुभाग - I के अनुसार बीमा राशि अनुभाग - I (ख) के अनुसार। पॉलिसी में बतायी गयी आपदाओं के कारण पॉलिसी के अनुभाग - I में दशायी गयी संपत्ति की हानि जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में व्यवधान होता है जिससे होनेवाले मुनाफे की हानि को आवरित करता है।	अनुभाग - I में दिये गये दर

टिप्पणी : आतंकवाद कवर के लिए दरें आतंकवाद पूल के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार होंगी ।

अनुभाग छूट :

4 से अधिक और 6 तक अनुभाग आवरित करने के लिए (टैरिफ दर निर्धारित अनुभाग सहित) 15% छूट केवल गैर-टैरिफ अनुभाग प्रीमियम पर । 6 से अधिक अनुभागों पर (टैरिफ दर निर्धारित अनुभागों सहित) केवल गैर-टैरिफ अनुभाग प्रीमियम पर 20% छूट ।

आवरित न्यूनतम अनुभाग : 4 (चार)

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

1. तत्काल दावा सूचना जिसमें पॉलिसी क्रमांक, हानि की तिथि, अंदाजन हानि राशि, पॉलिसी प्रति शामिल हो ।
2. दावा फॉर्म ।
3. सर्वेक्षण ।
4. यदि दावा अग्नि, चोरी, धन बीमा, बैंगेज बीमा के तहत हो तो अग्निशमन दल की रिपोर्ट, एफआईआर, पंचनामा होना चाहिए ।

कर्मकार क्षतिपूर्ति दायित्व, दुकानदार बीमा अनुभाग 10 वी

अनुसूची - ए

जोखिम	दर प्रति मिले
दुकान जोखिम - वर्ग - ए	
कला, ब्रिक-ए-ब्रेक तथा क्यूरिओ तथा कला सूई का काम	3.92
बैंकर्स	3.92
बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर तथा गणितीय उपकरण	3.92
बिस्किट	3.92
पुस्तक	3.92
दुकान जोखिम - बूट और जूते, मार्कर व मरम्मत छोड़कर	3.92
कैमिस्ट	3.92
चाइना और ग्लास	3.92
कन्फेक्शनर्स	3.92
कटलरी	3.92
डायरियाँ	3.92
ड्रेपर्स	3.92
ड्रेस मास्करर्स	3.92
सजावटी सामान	3.92
दुकान जोखिम - फूल और बीज बेचने वाले	3.92
फरीज	3.92
हैबरडैशर्स	3.92
हैटर्स	3.92
हूसीअर्स	3.92
चमड़े का सामान	3.92
मिलीनर्स	3.92
+ थोक	3.92
संगीत के उपकरण (सेल्समैन केवल)	3.92
नैचुरलिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट नहीं	3.92
न्यूज एजेंट	3.92
ऑप्टीशियन्स	3.92

फोटोग्राफिक रिकार्ड	3.92
फोटोग्राफिक वस्तुएँ	3.92
फोटोग्राफर	3.92
स्टेशनर्स	3.92
शल्यचिकित्सा उपकरण और सामान	3.92
दर्जी, क्लॉदियर्स तथा आउटफिट्स	3.92
खिलौने	3.92
टोबैकॉनिस्ट	3.92
वॉल पेपर	3.92
घड़ीसाज	3.92
दुकान जोखिम - वर्ग बी	
फल विक्रेता	6.24
परचून और प्रोवीजन - लाइसेंस विहीन तथा कोई मशीनरी नहीं + अन्य सभी कर्मचारी	6.24
मैकेनिकों को छोड़कर आयरनमौगर्स	6.24
इटैलियन वेयर हाउस कार्मिक	6.24
तेल तथा रंग	6.24
छड़ी तथा छाता फिनिशिंग माउंटिंग तथा मरम्मत सहित	6.24
दुकान जोखिम - वर्ग सी	
शैंडलर्स (शिप शैंडलर्स नहीं)	7.40
चीज माँगर्स	7.40
पका हुआ मांस या पकी हुई मछली	7.40
कॉर्न शैंडलर्स, डीलर्स और मर्चेंट रिटेल मात्र - मशीनी पॉवर वाली कोई मशीन का प्रयोग न करते हुए तथा सुपुर्दगी रहित	7.40
कॉर्न शैंडलर्स, केवल डीलर्स और मर्चेंट रिटेल मात्र - मशीन का उपयोग किंतु सुपुर्दगी रहित	9.72
फर्नीचर, इलैक्ट्रिकल वस्तुएं, हाथों हाथ सुपुर्दगी, हस्तकला अन्य छोड़कर	7.40
परचून और प्रोवीजन - लाइसेंस के बिना जहाँ मशीन से बॉटलिंग न हो + अन्य सभी कर्मचारी	7.40
हेयर ड्रेसर्स	7.40
पॉन्नब्रोकर्स	7.40
परम्बुलेटर्स	7.40

पिक्चर और पिक्चर फ्रेम डीलर्स - मशीन छोड़कर	7.40
सिलाई और वॉशिंग मशीन	7.40
वाइन, स्पिरिट तथा बीयर डीलर्स	7.40
लाइसेंस रहित जहाँ मशीन से कोई बॉटलिंग न हो	7.40
+ अन्य सभी कर्मचारी	7.40
दुकान जोखिम - वर्ग डी	
परचून प्रोवीजन	
जहाँ लाइसेंस रहित मशीन से बॉटलिंग हो	
+ अन्य सभी कर्मचारी	9.72
गनस्थित	9.72
वाइन स्पिरिट तथा बीयर डीलर्स - जहाँ मशीन से ही बॉटलिंग की जाती हो	
+ अन्य सभी कर्मचारी	9.72
दुकान जोखिम - वर्ग ई	
बूवर	14.80
फिशमॉर्गर्स	14.80
फर्नीचर उठाने वाले (वर्ग सं. - 175 देखें)	
परचून तथा प्रोवीजन (पूर्ण लाइसेंस)	
सभी कर्मचारी आंशिक व पूर्ण रूप से ड्रिंक सर्व करने में लगे हो ।	14.80
+ सभी अन्य कर्मचारी जहाँ मशीन से कोई बॉटलिंग न हो रहित	
- हाथों हाथ सुपुर्दगी अथवा अन्यथा	7.40
+ सभी अन्य कर्मचारी जहाँ मशीन से कोई बॉटलिंग हो	
- हाथों हाथ सुपुर्दगी अथवा अन्यथा	8.56
पॉल्यूटर्स	14.80
पब्लिकेशन	14.80
वाइन स्पिरिट तथा बीयर डीलर्स - पूर्ण लाइसेंस - सभी कर्मचारी	14.80
छोटे विनिर्माता	19.44

सुहाना सफर पॉलिसी

सुहाना सफर पॉलिसी को देशीय यात्रा बाजार को महेनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। देशीय यात्री अब भारत के अंदर 60 दिनों की अवधि तक की यात्रा के लिए या अल्पावधि यात्रा के लिए बीमा पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी में किसी भी मार्ग या वाहन से की गयी यात्रा आवरित की जाती है जैसे रेल / रोड़ / हवाई / पानी या अपने वाहन से यात्रा।

पॉलिसी का विस्तार

पॉलिसी में व्यक्तिगत दुर्घटना का जोखिम, परिवार जिसमें बीमाधारक, जीवनसाथी और निर्भर बच्चों का समावेश है के बैगेज की हानि या क्षति आवरित की जाती है। आवरण प्रस्थान के घोषित स्थान से कार्यरत होता है और वापसी की अनुसूची तिथि को या वास्तविक वापसी की तिथि को, इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त हो जाता है।

पॉलिसी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रु. 1 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम को आवरित किया जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति रु. 1,000/- तक के रिस्कैनयोग्य वास्तविक आपात्कालीन आक्रियक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसमें साथ जा रहे व्यक्तियों के बीमा पर आधारित बीमा राशि तक बैगेज की हानि या क्षति को भी आवरित किया जाता है।

प्रीमियम

सफर करनेवाले व्यक्तियों की संख्या पर प्रीमियम निर्भर करता है यथा एक व्यक्ति हो तो प्रीमियम होगा रु. 80/- जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना और बैगेज बीमा शामिल है। जीएसटी को अलग से अदा करना होगा।

सामान्य जानकारी

- बैगेज में यदि कोई वस्तु रु. 500/- से अधिक मूल्य की हो तो उसे अग्रिम रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
- दुर्घटना की सूचना कंपनी के नजदीकी कार्यालय को दी जानी चाहिए।
- यदि सफर प्रस्थान तिथि से दो दिन पहले रद्द किया गया हो तो पॉलिसी का निरस्तीकरण स्वीकृत है।

विविध बीमा आवरण

पोर्टेबल उपकरण

लैपटॉप / कम्प्यूटर / मेडिकल उपकरण इत्यादि

- आवरित जोखिम : अग्नि, विस्फोट, तड़ित, दंगा और हड़ताल, आतंकवाद, चोरी / सेंधमारी, दुर्घटनात्मक बाह्य संसाधन, इलेक्ट्रिकल तथा मशीनरी खराबी ।
- मूल्यांकन का आधार पुनःप्रस्थापित मूल्य ।
- इस पॉलिसी के अंतर्गत आवरित मदों का अलग से मूल्य रु. 10,000/- से कम न हों ।
- दर निर्धारण के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा :
 - पॉवर इनपुट
 - परिवहन का माध्यम
 - सेवा देना
 - क्या एक विशिष्ट स्थान पर रखा गया है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।
 - उपकरण को चलाने वाले व्यक्ति (यदि सहायक है तो क्या अहंताप्राप्त है) ।
 - सुरक्षा विशिष्टताएँ (अंतर्भित स्टैबिलाइजर्स इत्यादि) अथवा बैक-अप इकाई ।
 - यदि शी-एजेंट का प्रयोग किया है - कैसे संग्रहित है, क्या ज्वलनशील प्रकृति के हैं ।
 - परिवहन की आवृत्ति (क्या प्रतिदिन / साप्ताहिक) ।
- यदि सामान्य आवास से भौगोलिक प्रसार 100 कि. मी. के दायरे में हैं तो दी गई दर लागू होगी । विस्तृत संरक्षण की आवश्यकता है, दरों पर उचित रूप से प्रभार लगाया जाएगा ।
- दर :** उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह 1.75% से 2.50% तक होगी । आधारभूत दरों पर लोडिंग निम्न अनुसार होगी :

उपकरण की आयु	प्रभार (%)
2 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	10%
5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	25%
10 वर्ष से अधिक	30%

7. आधिक्य :

उपकरण की आयु	बीमा राशि का %	न्यूनतम आधिक्य
2 वर्ष से अधिक	1%	500/-
2 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	1.5%	750/-
5 वर्ष से अधिक	2%	1,000/-

चोरी के लिए आधिक्य दावा राशि का 25% होगा ।

न्यूनतम प्रीमियम : रु. 50/- + जी. एस. टी. अतिरिक्त

दावा प्रक्रिया / आवश्यकताएँ

- तत्काल दावा सूचना जिसमें पॉलिसी क्रमांक, हानि की तिथि, अंदाजन हानि राशि, पॉलिसी प्रति शामिल हो ।
- दावा प्रपत्र ।
- एफआईआर प्रति ।

चोरी बीमा

आवरण :

चोरी, गृहवेधन के कारण, यथा परिसर में वास्तविक जबरन तथा हिंसक प्रवेश या प्रस्थान, से होनेवाली हानि या क्षति को यह पॉलिसी आवरित करती है।

दर :

0.25% से 0.50% (गैर-टैरिफ दर जो गुणवत्ता पर निर्भर करेगी)

0.50% कारोबारी नकद, तिजोरी में मूल्यवान वस्तुओं के लिए।

प्रथम हानि आधार (केवल स्टॉक के लिए लागू)

दर :

पूर्ण मूल्य कवर का % चुनें	पूर्ण मूल्य पर, प्रीमियम % लगायें
25%	50%
50%	70%
65%	85%
75%	90%

दावा प्रक्रिया :

1. हानि की तत्काल सूचना पॉलिसी क्रमांक / प्रति, हानि की तिथि, हानि की राशि, स्थान के साथ।
2. विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र।
3. सर्वेक्षण रिपोर्ट।
4. एफआईआर, पंचनामा।
5. अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट।
6. दावों से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज।

अपवर्जन :

पॉलिसी चाभी के इस्तेमाल को, परिणामी हानि को, युद्ध और युद्धस्वरूप गतिविधियों को आवरित नहीं करती।

एड ऑन कवर :

अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके दंगा, हड्डताल, नागरी विप्लव (एसआरसीसी) को आवरित किया जा सकता है।

मार्गस्थ धन (धन बीमा)

आवरण :

- इस पॉलिसी में, बीमाधारक या बीमाधारक के अधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्गस्थ धन की हानि जो चोरी, सेंधमारी या अन्य किसी भी हुर्भाग्यपूर्ण कारण से या चाहे जिससे भी हो, जिसमें बीमाधारक के कर्मचारी की बैंडमानी से हुई मार्गस्थ धन की हानि भी आवरित है।
- पॉलिसी में, बीमाधारक के परिसर में तिजोरी में या स्ट्रॉग रूम में रखे गये धन की चोरी या गृहवेधन से हानि आवरित है।

परिभाषा :

धन का अर्थ है और उसमें शामिल है नकद, बैंकड्राफ्ट, करेंसी नोट, चेक, पोस्टल ऑर्डर तथा मनी ऑर्डर, करेंट पोस्टल स्टैम्प।

मार्गदर्शी दर (गैर टैरिफ)

1. 25 कि. मी. के दायरे के भीतर पारवहन / वार्षिक प्रेषण पर प्रीमियम @0.30 to 0.40% |
2. 25 कि. मी. से बाहर पारवहन / प्रीमियम @0.50% (प्रति हजार)
3. आतंकवाद अतिरिक्त टैरिफ के अनुसार @0.15% (प्रति हजार)

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की अधिसूचना तत्काल बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए।
- (ii) पुलिस को तत्काल सूचना और एफआईआर फाइल करना।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना।
- (iv) खोयी हुई संपत्ति को प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवहार्य कदम उठाना और गुनाहगारों को पकड़कर उन पर उचित कार्रवाई करना।

विश्वस्तता गारंटी बीमा

आवरण :

1. **यह बीमा उस हानि को आवरित करता है** जो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक के नियोजन में उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा जालसाजी, चोरी या धन का अथवा व्यापार के माल का जो बीमाधारक का अपना हो या उसके न्यास में रखा गया हो उसका धोखाधड़ी से परिवर्तन करने की जाती है ।
2. **दी जानेवाली क्षतिपूर्ति** खोजी हुई धन की राशि के लिए होगी या व्यापार के माल के मूल्य की हानि के लिए होगी जो उस कर्मचारी के नाम के लिए लागू संबंधित बीमा राशि की सीमा तक अथवा गारंटी की सकल राशि की सीमा तक होगी ।
3. **खोज अवधि** : हानि का निम्न के अनुसार पता लगाया जाना चाहिए ।
 - नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, निष्कासन या सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने के अंदर ।
 - पॉलिसी समाप्ति के बाद 6 महीनों के अंदर - जो भी पहले हो ।
 - एक बार खोज अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद कोई दावा दर्ज नहीं किया जा सकता चाहे धोखाधड़ी बाद में खोजी जा चुकी हो ।
4. **पॉलिसी के प्रकार :**
 - **वैयक्तिक पॉलिसी :-** यह तब जारी की जाती है जब केवल एक व्यक्ति को गारंटीकृत किया जाना होता है । कर्मचारी का नाम । व्यवसाय / ड्यूटी तथा बीमा राशि ।
 - **सामूहिक पॉलिसी :-** यह एक ही नियोक्ता के कई कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की अलग अलग राशियों के लिए आवरित करेगी । इस पॉलिसी में एक अनुसूची होगी जिसमें गारंटीकृत कर्मचारियों के नाम और ड्यूटी तथा प्रत्येक नाम के सामने गारंटी की राशि दी जायेगी ।
 - **फ्लोटिंग पॉलिसी :-** यह कर्मचारियों के उस समूह के लिए जारी की जाती हैं जिनका पद और श्रेणी, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ समान हों । पॉलिसी में एक अनुसूची शामिल होनी चाहिए जिसमें गारंटीकृत कर्मचारियों के नाम और कर्तव्य तथा एक केवल बीमा राशि दी गयी हों ।
5. **दरें :- वैयक्तिक पॉलिसी :-**
 - 0.75% प्रति वर्ष से 1% लिपिक स्टाफ के लिए
 - 1% प्रति वर्ष से 1.5% ट्रावेलर्स / कलेक्टर के लिए
 - 1.5% प्रति वर्ष से 2% कार्यालय बॉइज / चपरासी के लिए

सामूहिक पॉलिसी :-

- 0.75% प्रति वर्ष

दावा प्रक्रिया :

- (i) हानि की अधिसूचना तत्काल बीमाकर्ता को दी जानी चाहिए ।
- (ii) पुलिस को तत्काल सूचना और एफआईआर फाइल करना ।
- (iii) हानि का विवरण देते हुए दावा प्रपत्र और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना ।
- (iv) खोयी हुई संपत्ति को प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवहार्य कदम उठाना और गुनाहगारों को पकड़कर उन पर उचित कार्रवाई करना ।
- (v) शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी / अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें ।

दायित्व बीमा आवरण

डॉक्टर क्षतिपूर्ति / व्यावसायिक क्षतिपूर्ति

यह पॉलिसी बीमाधारक द्वारा जो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ऐसी किसी कार्रवाई की क्षतिपूर्ति करेगी जिसके कारण तृतीय पक्ष के प्रति उसका कोई कानूनी दायित्व बनता हो। बीमाधारक में पॉलिसीधारक और उसके अर्हताप्राप्त सहायक या प्रस्ताव में नामित कर्मचारी शामिल हैं।

कार्रवाई पूर्वप्रभावी तिथी से लेकर (पहला दिन और समय जब बीमा शुरू हुआ और उसके बाद बिना रुकावट निरंतर चलता रहा) बीमा अवधि के दौरान की जानी चाहिए।

प्रीमियम : - किसी एक वर्ष सीमा पर (एओवाई)

	एओवाई सीमा अनुपात पर दर प्रति हजार			
	1:1	1:2	1:3	1:4
1. औषधी बनाकर तथा अन्य सुविधा देनेवाले फिजिशियन सामान्य रेडिओलॉजिस्ट / पैथोलॉजिस्ट	0.50% ^o	0.40% ^o	0.30% ^o	0.30% ^o
2. विशेषज्ञ - सलाहकार फिजिशियन (गैर - सर्जिकल)	1.00% ^o	0.80% ^o	0.70% ^o	0.60% ^o
3. सर्जन (प्लास्टिक सर्जरी में विशेषज्ञों को छोड़कर) लिथोट्रीप्सी डेंटीस्ट	2.00% ^o	1.60% ^o	1.40% ^o	1.20% ^o
4. सर्जन (प्लास्टिक सर्जरी) और एन्स्थेटिस्ट	3.00% ^o	2.40% ^o	2.10% ^o	1.80% ^o

टिप्पणी : गैर अर्हताप्राप्त स्टाफ को 7.5% अतिरिक्त प्रीमियम लगाकर आवरित किया जा सकता है।

चयनित किसी एक वर्ष (एओवाई) सीमा / क्षतिपूर्ति के लिए कोई एक दुर्घटना (एओए) सीमा 25%, 33.33%, 50%, 100% हो सकती है।

दावा प्रक्रिया :

- (i) गलत कार्रवाई के दोषारोपण की कोई कानूनी अधिसूचना प्राप्त होने पर बीमाकर्ता को तत्काल सूचना देना।
- (ii) यदि पॉलिसी के तहत कोई दावा उत्पन्न होने जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाने संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल बीमाकर्ता को सूचना / जानकारी देना।
- (iii) मामले के बचाव के लिए बीमाकर्ता की पूर्व सहमति से लीगल फर्म को नियुक्त करना।
- (iv) लीगल कौन्सिल की सहायता से कानूनी नोटिस का यथोचित उत्तर भेजना।
- (v) कानूनी गतिविधियों की अद्यतन जानकारी बीमाकर्ता को देते रहना।

कर्मकार क्षतिपूर्ति

कर्मकार क्षतिपूर्ति पॉलिसी का नाम बदलकर “कर्मचारी मुआवजा अधिनियम” किया गया है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 2009 / कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। यह अधिनियम नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को (या घातक दुर्घटना के मामले में उनके आश्रितों को) यदि उनके नियोजन के दौरान या नियोजन से हुई दुर्घटना में उन्हें कोई निजी चोट पहुँचती है तो, मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति संशोधन अधिनियम 1984, दिसंबर 2000 तथा 2009 के अनुसार अधिकतम देय मुआवजा निम्नानुसार है।

	न्यूनतम मुआवजा	अधिकतम मुआवजा
चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु के लिए	रु. 1,20,000/-	रु. 9,14,160/-
स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए	रु. 1,40,000/-	रु. 10,96,992/-
स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए	अर्जन क्षमता की हानि के % के अनुसार। यह 1% से 90% के बीच हो सकती है।	
अस्थायी विकलांगता	मासिक मजदूरी के 50% के बराबर की राशि जो अधिकतम रु. 4,000/- तक होगी	

प्रीमियम दर : टैरिफ दर के अनुसार छूट के साथ यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल दर पर अनुमोदित किया हो तो।

विक्रित्सा व्यय : अतिरिक्त प्रीमियम लगाकर इसे दुर्घटना लाभों के लिए आवरित किया जा सकता है जो दुर्घटना नियोजन की वजह से और उसके दौरान घटित हो रही हों। विद्यमान सीमाएँ निम्न हैं।

बीमा राशि	रु. 25,000/-	रु. 50,000/-	रु. 1,00,000/-	रु. 1,50,000/-	रु. 2,00,000/-
प्रीमियम	डब्ल्यू. सी. प्रीमियम का 10%	डब्ल्यू. सी. प्रीमियम का 20%	डब्ल्यू. सी. प्रीमियम का 40%	डब्ल्यू. सी. प्रीमियम का 50%	डब्ल्यू. सी. प्रीमियम का 60%

टिप्पणी : इस एड ऑन कवर पर कोई छूट अनुमत नहीं है।

दावा प्रक्रिया और आवश्यकताएँ :-

1. पॉलिसी क्रमांक, दुर्घटना की तिथि, मजदूर का नाम / अस्पताल का नाम के साथ सूचना दें।
2. विधिवत पूर्णतः भरा हुआ दावा प्रपत्र।
3. मूल बिल, भुगतान रसीद, एक्सरे रिपोर्ट प्लेट के साथ, प्रीस्क्रीप्शन।
4. उपचार करनेवाले डॉक्टर / अस्पताल से फीटनेस प्रमाणपत्र।
5. जाँच रिपोर्ट, यदि हों।
6. मृत व्यक्ति के आश्रितों की सूची, यदि लागू हों।
7. मूल मृत्यु प्रमाणपत्र, एफआईआर, पंचनामा।
8. मजदूरी और उपस्थिति रजिस्टर।
9. उम्र का प्रमाण तथा अन्य दस्तावेज, रिपोर्ट जो भी माँगी गयी हों।

आम तौर पर बेची जानेवाली दायित्व पॉलिसियाँ :- अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क करें ।

● जन दायित्व पॉलिसी

यह किसी भी कानूनी दायित्व को आवरित करती है जो परिसर के स्वामित्व या इस्तेमाल अथवा उसे अधिकार में रखने के कारण उत्पन्न हो रहा हो ।

गतिविधि पर निर्भर करता है - औद्योगिक या गैर - औद्योगिकी जोखिम पॉलिसी ।

खतरनाक गतिविधि - जन दायित्व अधिनियम पॉलिसी : अनिवार्य ।

● उत्पाद दायित्व पॉलिसी

दोषपूर्ण उत्पाद निर्मित करने और उसकी आपूर्ति ग्राहक को किये जाने के कारण तृतीय पक्ष की शारीरिक चोट या संपत्ति क्षति के मामले में उत्पन्न कानूनी दायित्व को आवरित करती है ।

● व्यावसायिक क्षतिपूर्ति / ई एंड ओ

यह बीमाधारक को उन राशियों की क्षतिपूर्ति करता है जो उसके गलत कार्य या चूक या भूल की वजह से उत्पन्न हानि के संबंध में उसे अपने ग्राहकों को कानूनी तौर पर अदा करने हेतु उत्तरदायी होना पड़ता है ।

● विलनीकल ट्रायल्स पॉलिसी

यह विलनीकल ट्रायल के कारण उत्पन्न कानूनी दायित्व के लिए बीमाधारक को (ट्रायल आयोजित करनेवाली संस्था या संगठन को) क्षतिपूर्ति देती है । यह कानूनी दायित्व, विशिष्ट रूप से नामित और बीमाकृत उत्पाद के ट्रायल से गुजरते समय स्वयंसेवकों की मृत्यु और/या शारीरिक चोट या उन्हें हुए रोगों की वजह से उत्पन्न हो सकता है ।

● निदेशक तथा अधिकारी दायित्व

इसमें उन दावों से निर्मित हानियों को आवरित किया जाता है जो निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की जाती है और जो उन्हीं निदेशकों और अधिकारियों द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी गलत कार्य के कारण उत्पन्न होती हैं ।

● वाणिज्यिक सामान्य दायित्व पॉलिसी

यह उत्पाद दायित्व और जन दायित्व दोनों को मिलाकर तथा कुछ अतिरिक्त विस्तारण के साथ बनाया गया संयुक्त आवरण है ।

यह तृतीय पक्ष की क्षति जैसे दुर्घटनात्मक मृत्यु / शारीरिक चोट और/या तृतीय पक्ष संपत्ति की हानि या क्षति के लिए कानूनी दायित्व को आवरित करती है ।

स्वास्थ्य बीमा आवरण

न्यू इन्डिया मेडिक्लेम पॉलिसी - 2017

आवरण :

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमारी / रोग या चोटों के लिए हुए अस्पतालीकरण के व्ययों की प्रतिपूर्ति को इसमें आवरित किया जाता है ।

उम्र :

- 18 वर्ष से 65 वर्ष तक
- यदि माता - पिता पॉलिसी में आवरित किये गये हों तो 3 माह के बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवरित किये जा सकते हैं ।
- 65 वर्ष के बाद नवीकरण तभी अनुमत होगा जब बीमा में रुकावट न हो ।
- उम्र का सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच :

50 वर्ष के बाद पॉलिसी लेनेवाले सभी सदस्यों को स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच करनी होगी । स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच उस व्यक्ति के लिए भी जरुरी होगी जिसका मेडिकल इतिहास प्रतिकूल रहा हो या जिन व्यक्तियों का बीमा कराना है उनकी स्वास्थ्य रिप्टिएसी हो कि कार्यालय प्रभारी को लगे कि उनकी स्वीकृति चिकित्सा जांच के बाद ही हो सकती है । जांच का व्यय प्रस्तावक को उठाना होगा । लेकिन यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो जांच के 50% की प्रतिपूर्ति प्रस्तावक को की जाएगी ।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच हमारे द्वारा प्राधिकृत विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर किया जाएगा ।

टिप्पणी : प्रतिकूल मेडिकल इतिहास का मतलब है :

- पिछले दो सालों में व्यक्ति एक से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हुआ हो ।
- जो गंभीर बीमारी, आवर्ती बीमारी या पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो ।
- जिसे उच्च रक्तचाप / मधुमेह हो ।
- जिसका स्वास्थ्य ठीक न हो और शारीरिक तथा मानसिक बीमारी या अशक्तता या मेडिकल शिकायतों से जो मुक्त न हो ।

बीमा राशि :

बीमा राशि रु. 1 लाख से 50 लाख तक हो सकती है । प्रीमियम आपकी उम्र और चुनी गयी बीमा राशि पर निर्भर करता है ।

परिवार :

परिवार के सदस्य जो पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किये जा सकते हैं :

- प्रस्तावक
- प्रस्तावक का जीवनसाथी
- प्रस्तावक के बच्चे
- प्रस्तावक के माता - पिता

न्यूनतम एक और अधिकतम छह सदस्य इस पॉलिसी में आवरित किये जा सकते हैं ।

पॉलिसी अवधि : 12 महीने / 1 वर्ष

दावा भुगतान के लिए उप सीमाएँ

हम पॉलिसी की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार स्वीकार्य निम्नलिखित उचित और प्रचलित तथा चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति करेंगे :

3.1 (क)	कमरे का किराया, बोर्डिंग तथा नर्सिंग व्यय जो अस्पताल द्वारा प्रदान किये जाते हैं - प्रति दिन बीमा राशि के 1.0 % से अधिक नहीं ।
3.1 (ख)	गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) / गहन कार्डियाक देखभाल इकाई (आईसीसीयू) व्यय - प्रति दिन बीमा राशि के 2.0 % से अधिक नहीं ।
3.1 (ग)	सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैविटशनर, सलाहकार विशेषज्ञ की फीस ।
3.1 (घ)	एनेस्थेशिया, खुन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के प्रभार, सर्जिकल उपकरण, दवाईयाँ एवं ड्रग्ज, डायलिसीस, केमोथेरेपि, रेडियोथेरेपि, कृत्रिम अवयव, सर्जरी के दौरान शरीर में जोड़े गये प्रोस्थेटिक संसाधनों जैसे पेसमेकर की लागत संबंधित लेबोरेटरी / निदान जाँच, एक्स-रे तथा उपचार से संबंधित अन्य मेडिकल व्यय ।
3.1 (च)	<u>30</u> दिनों तक के अस्पतालीकरण पूर्व के मेडिकल खर्चे ।
3.1 (छ)	<u>60</u> दिनों तक के अस्पतालीकरण पश्चात् के मेडिकल खर्चे ।

संचयी बोनस बफर :

आपकी मेडिकलेम 2012 पॉलिसी पर अर्जित संचयी बोनस बफर न्यू इन्डिया मेडिकलेम में, स्थानांतरण पर भी सुरक्षित रखा जाएगा । तथापि न्यू इन्डिया मेडिकलेम में स्थानांतरण के बाद दावामुक्त नवीकरण के लिए संचयी बोनस बफर में कोई अर्जन शामिल नहीं होगा । संचयी बोनस बफर केवल तभी उपलब्ध होगा जब प्राप्त बफर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो जाता ।

स्वास्थ्य जांच की लागत :

प्रत्येक तीन दावा मुक्त वर्षों के एक ब्लॉक के अंत में बीमाकृत व्यक्ति मेडिकल चेकअप की लागत की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा । यह भुगतान रु. 5,000 तक या पिछले तीन वर्षों में बीमाकृत व्यक्ति की औसत बीमा राशि के 1% तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित होगा । यह लाभ तीन वर्षों में केवल एक बार उपलब्ध होगा ।

आयकर छूट - नकद छोड़कर अन्य किसी भी माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के लिए किये गये भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के अनुसार कर योग्य आय से कटौती पाने हेतु पात्र माने जायेंगे ।

तृतीय पक्ष प्रशासन (टीपीए) : यह एक सेवा प्रदाना है जो आपकी पॉलिसी के विस्तार के तहत होनेवाले सभी अस्पतालीकरणों के लिए कैशलेस सुविधा आपको प्रदान करने हेतु कार्यरत रहेंगे । टीपीए पॉलिसी के विस्तार के भीतर आनेवाले प्रतिपूर्ति दावों का भी निपटान करेंगे ।

पॉलिसी में उपलब्ध वैयक्तिक आवरण

● वैकल्पिक आवरण I : कोई यथानुपात कटौती नहीं

यह आवरण उस बीमाकृत व्यक्ति के लिए चुना जा सकता है जिसकी बीमा राशि **रु. 2,00,000** और उससे अधिक है, इसके लिए प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा ताकि पॉलिसी दस्तावेज के क्लॉज 3.2 में बतायी गयी यथानुपात कटौती ऐसे आवरण लेनेवाले सदस्यों की पॉलिसी में से निकाल दी जा सकें। पॉलिसीधारक द्वारा वास्तविक और लागू कमरे के किराये अंतर वहन करना जारी रहेगा। इस आवरण को चुननेवाले प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति के लिए अलग से प्रीमियम लगाया जायेगा।

● वैकल्पिक आवरण II : - प्रसूति व्यय लाभ

यह आवरण उस बीमाकृत व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है जिसकी बीमा राशि **रु. 5,00,000** और उससे अधिक हो। अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के बाद पॉलिसी दस्तावेज का क्लॉज 4.4.14 या निम्न क्यू 33 का उप मद 4.14 उन सदस्यों के लिए हटा दिया जायेगा जिन्होंने प्रसूति आवरण का विकल्प चुना है। प्रसूति के स्वीकृत दावे के लिए हमारा दायित्व बीमाकृत व्यक्ति को पिछले तीन सालों की औसत बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होगा।

प्रसूति व्यय लाभ को लागू विशेष शर्तें :

1. यह लाभ केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब व्यय भारत के अस्पताल में इन पेशांट के रूप में किये गये हों।
2. इस आवरण को चुनने के बाद सामान्य प्रसूति या सिजेरियन सेक्शन या अतिरिक्त यूटेरिन गर्भावस्था के लिए पेट का ऑपरेशन से संबंधित किसी भी दावे के भुगतान के लिए छत्तीस माह की प्रतिक्षा अवधि लागू होगी। यह प्रसूति अवधि केवल दुर्घटना या अन्य मेडिकल आपातकालीन स्थिति में अकाल प्रसव या गर्भपात के मामले में शिथिल की जा सकती है।
3. केवल प्रथम दो बच्चों के प्रसव के संबंध में और/या उनसे संबंधित सर्जरी के मामले में किये गये दावे ही पॉलिसी में आवरित या उसके किसी नवीकरण में आवरित किसी एक बीमाकृत व्यक्ति के लिए, विचारार्थ लिये जायेंगे।
4. गर्भधारणा की तिथि से गर्भधारणा के प्रथम 12 हफ्तों के दौरान स्वेच्छा से किये गये गर्भपात का व्यय आवरित नहीं किया जाता है।

जन्मपूर्व और जन्मपश्चात् व्यय आवरित नहीं किये जाते जब तक कि अस्पताल में भर्ती होकर वहाँ उपचार न लिया जाये। ऊपर उल्लिखित प्रसूति सीमा हमारी कंपनी की सभी पॉलिसियों के लिए, जिसमें समूह पॉलिसियाँ भी शामिल हैं, प्रति घटना लागू होंगी। न्यू इन्डिया की यदि एक या एक से ज्यादा पॉलिसियाँ भी शुरू की जाये तब भी बीमाधारक द्वारा चुनी गयी पॉलिसी की उपसीमा जारी रहेगी और हमारा दायित्व उस उपसीमा तक सीमित रहेगा। इस आवरण को चुननेवाले प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति के लिए अलग से प्रीमियम लगाया जायेगा।

● वैकल्पिक आवरण III : मोतियाबिंद की सीमा में संधोधन

यह आवरण उस बीमाकृत व्यक्ति द्वारा चुना जा सकता है जिसकी बीमा राशि ₹. 8,00,000 और उससे अधिक हो। अनुसूची में बताये गए अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर यह घोषित और सहमत किया जाता है कि मोतियाबिंद के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त राशि देय होगी जो किये गये वास्तविक व्ययों से ज्यादा नहीं होगी :

<u>बीमा राशि</u>	<u>अतिरिक्त मोतियाबिंद सीमा</u>
₹. 8,00,000	₹. 80,000
₹. 10,00,000	₹. 1,00,000
₹. 12,00,000	₹. 1,20,000
₹. 15,00,000	₹. 1,50,000

इस आवरण को चुनने की तिथि से लेकर छत्तीस महीने समाप्त हो जाने के बाद इसके लाभ उपलब्ध होंगे। यह आवरण चुननेवाले बीमाकृत व्यक्ति के लिए अलग से प्रीमियम लगाया जायेगा।

● वैकल्पिक आवरण IV : स्वैच्छिक सह-भुगतान (को-ऐ) :- यदि बीमाकृत व्यक्ति 20% स्वैच्छिक सह-भुगतान को चुनता है तो बीमाकृत व्यक्ति के लिए देय प्रीमियम पर 15% छूट दी जायेगी।

प्रीमियम दरें :

बीमा राशि (₹.)	मूल आवरण (₹. प्रति वर्ष) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)						
	<35	36-45	46-50	51-55	56-60	61-65	>65
100,000	2,708	2,867	4,640	6,924	8,941	10,800	12,400
200,000	3,679	3,898	6,428	9,694	12,714	16,907	22,800
300,000	4,051	4,294	7,136	10,808	14,272	19,049	26,814
400,000	4,659	4,938	8,199	12,410	16,350	21,797	30,754
500,000	5,420	5,747	9,532	14,418	18,954	25,243	35,693
600,000	5,854	6,208	10,292	15,564	20,439	27,208	38,510
700,000	6,288	6,669	11,052	16,709	21,925	29,174	41,327
800,000	6,722	7,130	11,812	17,854	23,410	31,139	44,144
1,000,000	7,600	8,062	13,349	20,170	26,414	35,113	49,841
1,200,000	8,263	8,766	14,510	21,919	28,682	38,114	54,142
1,500,000	9,369	9,940	16,445	24,836	32,465	43,120	61,316

बीमा राशि (₹.)	वैकल्पिक आवरण I : कोई यथानुपात कटौती नहीं						
	<35	36-45	46-50	51-55	56-60	61-65	>65
200,000	1,418	1,506	2,483	3,741	4,852	6,419	9,201
300,000	980	1,040	1,715	2,584	3,351	4,434	6,355
400,000	875	929	1,531	2,307	2,993	3,960	5,675
500,000	770	817	1,348	2,031	2,634	3,485	4,995
600,000	729	774	1,276	1,922	2,493	3,298	4,727
700,000	687	730	1,203	1,813	2,351	3,111	4,459
800,000	646	686	1,131	1,704	2,210	2,924	4,191
1,000,000	662	703	1,159	1,747	2,265	2,997	4,296
1,200,000	644	684	1,127	1,699	2,203	2,915	4,178
1,500,000	458	487	802	1,209	1,568	2,075	2,974

वैकल्पिक आवरण II : प्रसूति व्यय लाभ

200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	1,000,000	1,200,000	1,500,000
2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	10,000	12,000	15,000

बीमा राशि (₹.)	वैकल्पिक आवरण III : मोतियाबिंद की सीमा में संशोधन				
	46-50	51-55	56-60	61-65	>65
800,000	444	1,049	2,269	3,645	3,893
1,000,000	555	1,311	2,836	4,556	4,866
1,200,000	666	1,573	3,404	5,467	5,839
1,500,000	832	1,967	4,255	6,834	7,299

टिप्पणी :-

“मेडिक्लेम 2012 पॉलिसी” से “न्यू इन्डिया मेडिक्लेम पॉलिसी” में अंतरण

- 01.08.2017 को या उसके बाद कोई भी “मेडिक्लेम 2012 पॉलिसी” जारी नहीं की जा सकती। नया प्रस्ताव फॉर्म बीमाधारक की अंतरण हेतु सहमति के साथ विधिवत भरकर संलग्न किया जाना चाहिए।
- बीमा राशि में बढ़ोतरी, निम्न मामलों को छोड़कर अन्य में कार्यालय प्रभारी के विवेकानुसार दी जा सकती है।
 - 60 वर्ष और ऊपर के बीमाकृत व्यक्ति।

- कोई बीमाकृत व्यक्ति जिसका पिछले दो सालों में एक से ज्यादा बार अस्पतालीकरण हुआ है, इसमें मौतियाबिद दावे शामिल नहीं हैं।
- कोई बीमाकृत व्यक्ति जो निम्न एक या अधिक बीमारी / स्थिति :
 1. कोई पुरानी बीमारी
 2. कोई आवर्ती बीमारी
 3. कोई गंभीर बीमारी
- बीमा राशि में बढ़ोतरी पर विचार करते समय प्रभारियों को निम्न मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना होगा ।

उम्र <=50 वर्ष	बीमा राशि 15 लाख तक जिसमें कोई चिकित्सा जाँच नहीं होगी
उम्र 51 से 60 वर्ष	दो स्लैब तक जिसमें कोई चिकित्सा जाँच नहीं होगी

- नयी मेडिकलेम पॉलिसी में बीमा राशि के कुछ स्लैब निकाल दिये गये हैं और उन्हें नजदीकी उपलब्ध बैंड में पूर्णांकित किया गया है तथा वह बढ़ोतरी निम्नानुसार दी जायेगी :

बीमा राशि	निम्न में पूर्णांकित	1 स्लैब की बढ़ोतरी के मामले में अधिकतम बीमा राशि	2 स्लैब की बढ़ोतरी के मामले में अधिकतम बीमा राशि
रु. 1,25,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 3,00,000/-
रु. 1,50,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 3,00,000/-
रु. 1,75,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 3,00,000/-
रु. 2,25,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 5,00,000/-
रु. 2,50,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 5,00,000/-
रु. 2,75,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 3,00,000/-	रु. 5,00,000/-
रु. 3,50,000/-	रु. 4,00,000/-	रु. 4,00,000/-	रु. 5,00,000/-
रु. 4,50,000/-	रु. 5,00,000/-	रु. 5,00,000/-	रु. 8,00,000/-

- कुछ स्लैब केवल नवीकरणों के लिए उपलब्ध हैं । इन स्लैबों के लिए बढ़ोतरी निम्नानुसार की जानी चाहिए :

बीमा राशि	1 स्लैब की बढ़ोतरी के मामले में अधिकतम बीमा राशि	2 स्लैब की बढ़ोतरी के मामले में अधिकतम बीमा राशि
रु. 4,00,000/-	रु. 5,00,000/-	रु. 8,00,000/-
रु. 6,00,000/-	रु. 8,00,000/-	रु. 10,00,000/-
रु. 7,00,000/-	रु. 8,00,000/-	रु. 10,00,000/-

न्यू इन्डिया प्रीमियर मेडिक्लेम पॉलिसी

आवरण :

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमारी / रोग या चोटों के लिए हुए अस्पतालीकरण व्ययों की प्रतिपूर्ति को यह आवरित करता है ।

उम्र :

- 18 वर्षों से 65 वर्षों तक
- यदि माता - पिता पॉलिसी में आवरित है तो 3 माह के बच्चे से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवरित किये जा सकते हैं ।
- 18 वर्ष से 25 वर्ष के बच्चे आवरित किये जा सकते हैं बशर्ते वे आर्थिक दृष्टि से अपने माता - पिता पर निर्भर हों ।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ्य बच्चों के लिए और अविवाहित आश्रित बेटी (बेटियों) के लिए उम्र की ऊपरि सीमा नहीं हैं ।
- 65 वर्ष के बाद नवीकरण तभी अनुमत होगा जब बीमा में रुकावट न हो ।
- उम्र का सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच :

50 वर्ष के बाद पॉलिसी लेनेवाले सभी सदस्यों को स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच करनी होगी । स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच उस व्यक्ति के लिए भी जरुरी होगी जिसका मैडिकल इतिहास प्रतिकूल रहा हो या जिन व्यक्तियों का बीमा कराना है उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी हो कि कार्यालय प्रभारी को लगे कि उनकी स्वीकृति चिकित्सा जांच के बाद ही हो सकती है । जांच का खर्चा प्रस्तावक को उठाना होगा । लेकिन यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो जांच के 100% की प्रतिपूर्ति प्रस्तावक को की जाएगी ।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच हमारे द्वारा प्राधिकृत चिनिरिंदिष्ट केन्द्रों पर किया जाएगा ।

टिप्पणी : प्रतिकूल मेडिकल इतिहास का मतलब है :

- क. पिछले दो सालों में व्यक्ति एक से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हुआ हो ।
- ख. जो गंभीर बीमारी, आवर्ती बीमारी या पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो ।
- ग. जिसका बीमार्श 32 या उससे ज्यादा हो ।
- घ. जो किसी मानसिक रोग और मनःकार्मिक अनियमितताओं से ग्रस्त हो ।

बीमा राशि :

इस पॉलिसी में दो योजनाएँ हैं :

- क. प्लान ए : प्रस्तावित बीमा राशि रु. 15,00,000 और 25,00,000.
- ख. प्लान बी : प्रस्तावित बीमा राशि रु. 50,00,000 और 100,00,000.

परिवार :

परिवार के सदस्य जो पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किये जा सकते हैं :

- प्रस्तावक

- प्रस्तावक का जीवनसाथी
- प्रस्तावक के बच्चे
- प्रस्तावक के माता - पिता

न्यूनतम एक और अधिकतम छह सदस्य इस पॉलिसी में आवरित किये जा सकते हैं।

पॉलिसी अवधि : 12 महीने / 1 वर्ष

पॉलिसी निम्नलिखित अस्पतालीकरण व्ययों को आवरित करती है :

- (क) कमरे का किराया, जिसमें वास्तव में किये गये बोर्डिंग और नर्सिंग के व्यय शामिल हैं।
- (ख) गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) / गहन कार्डियाक देखभाल इकाई (आईसीसीयू) व्यय जो वास्तव में किये गये हैं।
- (ग) सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, सलाहकार विशेषज्ञ की फीस।
- (घ) एनेस्थेशिया, खून, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के प्रभार, सर्जिकल उपकरण, दवाईयाँ एवं ड्रग्ज, डायलिसीस, केमोथेरेपि, रेडियोथेरेपि, कृत्रिम अवयव, सर्जरी के दौरान शरीर में जोड़े गये प्रोस्थेटिक संसाधनों जैसे पेसमेकर की लागत संबंधित लेबोरेटरी / निदान जाँच, एक्स-रे तथा उपचार से संबंधित अन्य मेडिकल व्यय।
- (च) अवयव प्रतिरोपण के मामले में दावा के लिए किये गये सभी अस्पतालीकरण खर्चें (अवयव की लागत छोड़कर, यदि हों)।

टिप्पणी : प्रक्रियाएँ / उपचार जो आम तौर पर ओपीडी में किये जाते हैं वे इस पॉलिसी के तहत देय नहीं हैं फिर चाहे अस्पताल में 24 घंटों के लिए इन-पेशंट के रूप में भर्ती होकर किया गया हो या डे-केयर केन्द्रों में किया गया हो (उनको छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से ओपीडी उपचार कर्लॉज में दर्शाया गया है।)

गंभीर देखभाल लाभ आवरण :

यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी बीमाकृत व्यक्ति के लिए निम्न सूचीबद्ध गंभीर बीमारियों में से किसी से ग्रस्त होने का पहली बार निदान किया जाता है तो प्लान ए के लिए ₹. 2,00,000 और प्लान बी के लिए ₹. 5,00,000 का अतिरिक्त लाभ देय होगा अर्थात् जो स्वीकार्य दावा राशि के अलावा होगा :

- क. कैंसर
- ख. विशिष्ट तीव्रतावाला पहला दिल का दौरा
- ग. ओपन चेस्ट सीएबीजी
- घ. ओपन हार्ट रिस्लेसमेंट या हार्ट वाल्व की मरम्मत
- च. विशिष्ट तीव्रतावाला कोमा
- छ. किडनी की विफलता जिसमें नियमित डायलिसीस आवश्यक हो
- ज. स्ट्रोक जिसके परिणामस्वरूप स्थायी लक्षण बन जायें
- झ. मुख्य अवयव / बोनमैरो प्रतिरोपण
- ट. अवयवों का स्थायी पैरालिसीस

ठ. मोटर न्यूरोन डिसीज जिसमें स्थायी लक्षण बन जायें

ड. बहु स्कलेरोसीस जिसमें लगातार लक्षण बन जायें

इस कलॉज के तहत किया जानेवाला कोई भुगतान बीमा राशि के अतिरिक्त होगा और उससे बीमा राशि कम नहीं होगी । यह लाभ किसी भी बीमाकृत व्यक्ति को जीवन में एक बार अदा किया जायेगा । यह लाभ उन बीमाकृत व्यक्तियों के लिए लागू नहीं है जिनके संबंध में यह पूर्व विद्यमान रोग है ।

पॉलिसी के तहत अतिरिक्त आवरण

- **आयुर्वेदिक उपचार :** आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक / यूनानी उपचार के मामले में कंपनी का दायित्व बीमा राशि के 20 % तक होगा बशर्ते उपचार सरकारी अस्पताल में या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा क्वालिटी कॉर्सिल ऑफ इंडिया या नेशनल एकिडिटेशन बोर्ड ऑन हेल्थ द्वारा प्रमाणित किसी संस्था में लिये गये हों जिसमें स्पा, मसाज और स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के लिए बने केन्द्र शामिल नहीं हैं ।
- **अस्पताल नकद :** कंपनी अस्पतालीकरण के प्रत्येक दिन के लिए और अधिकतम अस्पतालीकरण के 10 दिनों के लिए प्लान - ए हेतु रु. 2,000 प्रति दिन और प्लान बी हेतु रु. 4,000 प्रति दिन अदा किये जायेंगे ।
- **एम्ब्युलेंस प्रभार :** एयर एम्ब्युलेंस सहित एम्ब्युलेंस प्रभार किसी एक बीमारी के लिए अधिकतम रु. 1,00,000 तक अदा किये जायेंगे । यदि बीमाधारक को चिकित्सा की दृष्टि से घर वापसी के लिए एम्ब्युलेंस की सुविधा की आवश्यकता हो तो ऐसे व्यय की रु. 10,000 तक प्रतिपूर्ति की जायेगी ।
- **ओपीडी उपचार :** दो लगातार दावा मुक्त वर्षों के एक ब्लॉक के बाद पॉलिसी में आवरित सभी सदस्य ओपीडी आवरण के लिए पात्र होंगे जो प्लान - ए के लिए रु. 5,000/- और प्लान - बी के लिए रु. 10,000/- संचयी रूप में उपलब्ध होंगे । यह आवरण निम्न हेतु उपलब्ध होगा :
 1. दंत्य उपचार
 2. स्वास्थ्य जांच
 3. मेडिकल प्रैविटशनर के साथ सलाह मशवरा
 4. मेडिकल प्रैविटशनर के द्वारा बताये गये ड्रग्ज और दवाइयाँ
 5. मेडिकल प्रैविटशनर द्वारा बताये गये जाँच - परीक्षण
- **गंभीर देखभाल लाभ :** यदि कलॉज 2.8 के तहत परिभासित गंभीर बीमारी से बीमाधारक पहली बार ग्रस्त हो जाता है तो प्लान - ए हेतु रु. 2,00,000 और प्लान - बी हेतु रु. 5,00,000 की एकमुश्त राशि लाभ उसे अदा किया जायेगा ।
- **प्रसूति तथा बच्चा देखभाल आवरण :** प्रसूति तभी आवरित होगी जब बीमाकृत माता न्यू इन्डिया प्रीमियर मेडिकल पॉलिसी में लगातार छत्तीस महीनों से आवरित हो । प्रसूति व्यय के लिए हमारा दायित्व प्लान - ए में रु. 50,000 और प्लान - बी में रु. 1,00,000 के लिए सीमित होगा ।
- **न्यू इन्डिया बेबी आवरण :** नवजात शिशु उसके जन्म की तिथि से इस पॉलिसी की समाप्ति तक किसी भी बीमारी या चोट के लिए आवरित किया जायेगा जो इस पॉलिसी की शर्तों के अधीन और चुने गये प्लान के अधीन बिना अतिरिक्त प्रीमियम के होगा ।

- **वंधत्व हेतु उपचार :** हम वंधत्व के उपचार के लिए आवश्यक रूप से किये गये व्ययों को आवरित करते हैं जिसमें आऊटपेशंट उपचार भी शामिल हैं, यह प्लान - ए में रु. 1,00,000 और प्लान - बी में रु. 2,00,000 की सीमा के अधीन है। सभी बीमाकृत व्यक्तियों के लिए यह हमारा अधिकतम दायित्व होगा ।
- **एचआईवी / एड्स आवरण :** जी हाँ । यह पॉलिसी यौन संबंधों से फैलनेवाले रोगों के उपचार को आवरित करती है जो किसी भी स्थिति में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ह्युमन टी-सेल लिम्फोट्रोपिक वाइरस टाईप - III (एचटीएलबी - III) या लिमफेडेनोपैथी संबद्ध वाइरस (एलएवी) या मुरेंट डेरिवेटिव या वेरिएशन डेफिशिएन्सी सिन्ड्रोम या कोई और सिन्ड्रोम या आमतौर पर एड्स के संबंध में संदर्भित इसी प्रभार की परिस्थिति के कारण या संबंधित वजह से हुआ हो ।

उक्त आवरण की सीमा है :

प्लान ए : रु. 2,00,000

प्लान बी : रु. 5,00,000

बीमाधारक को इनपेशंट के रूप में 24 घंटों से अधिक समय के लिए भर्ति होना चाहिए । उक्त स्थितियों के लिए ओपीडी आधार पर परामर्श, प्लान ए के लिए रु. 20,000 और प्लान बी के लिए रु. 50,000 उपलब्ध है । ओपीडी सीमा ऊपर उल्लिखित समग्र सीमा का एक हिस्सा होगी । इस क्लॉज के तहत बीमाकृत व्यक्ति को भुगतान तभी किया जाएगा जब वह न्यू इन्डिया प्रीमियर मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत लगातार छत्तीस महीनों से आवरित हो ।

- **मोतियाबिंद का उपचार :**

मोतियाबिंद के लिए किए गए खर्चें निम्न सीमाओं के अधीन अदा किये जाएंगे :

प्लान ए : वास्तिविक प्रभार अधिकतम रु. 75,000 तक ।

प्लान बी : वास्तिविक प्रभार अधिकतम रु. 1,00,000 तक ।

- **खतरनाक खेलों के लिए आवरण :** क्लॉज 3.1.14 में सूचीबद्ध किये गये खतरनाक खेलों के कारण पहुँची कोई चोट या बीमारी के लिए उपचार हेतु हमारा दायित्व बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं होगा ।
- **प्रमुख सर्जरी हेतु दूसरा अभिमत :** जहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति को कोई सर्जरी करवाने की जरूरत पड़े तो सर्जरी के संबंध में दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह मशवरा करने हेतु किये गये व्यय प्लान - ए में रु. 5,000 तक और प्लान - बी में रु. 8,000 तक देय होंगे । इस प्रकार का दूसरा अभिमत प्राप्त करने हेतु कैशलेस सुविधा टीपीए द्वारा सूचीबद्ध नेटवर्क प्रदाताओं के साथ प्रदान की जायेगी ।

- **प्लान बी पर उपलब्ध आवरण**

- **मानसिक रोग तथा मनःकायिक अनियमितताएँ :** सभी मानसिक रोग तथा मनःकायिक अनियमितताएँ जिसका इस पॉलिसी के आरंभ होने के बाद निदान किया गया है वे बीमा राशि के 5% तक आवरित होंगी । बीमाधारक को इनपेशंट के रूप में भर्ती होना जरूरी है । यह उपचार डे-केयर प्रक्रिया में आवरित नहीं किया जायेगा ।

- **मोटापे के लिए उपचार :** मोटापे से संबंधित या उसके लिए उपचार हेतु अस्पतालीकरण को रु. 5,00,000 तक आवरित किया जाता है जहाँ बीमाधारक का बॉडी मास इन्डेक्स 35 से ज्यादा हो और बीमाधारक के लिए क्लॉज 3.2.2 में बताये गये को-मोर्निंडीटीज का निदान किया गया हो ।

- **आहार विशेषज्ञपरामर्श :** किसी भी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा आहार विशेषज्ञ परामर्श लिया जा सकता है। पॉलिसी में आवरित सभी बीमाकृत व्यक्तियों के संबंध में ऐसा आहार विशेषज्ञ परामर्श रु. 5,000 अधिकतम तक सीमित है जो वास्तविक व्यय के अधीन होगा।

प्रीमियम दरें :- + जी.एस.टी.

मुख्य सदस्य / वैयक्तिक सदस्य				
उम्र	15 लाख	25 लाख	50 लाख	100 लाख
<20	12,519	15,399	27,953	35,243
21-25	15,958	20,107	35,022	45,521
26-30	16,171	20,396	35,464	46,154
31-35	17,767	22,540	38,773	50,852
36-40	21,985	28,204	47,527	63,264
41-45	25,890	32,971	56,219	74,139
46-50	33,803	43,308	72,114	96,168
51-55	46,867	60,199	98,232	131,971
56-60	63,906	82,176	132,047	178,281
61-65	86,147	110,321	176,701	237,877
65-70	113,908	147,546	234,348	319,475

फ्लोटर पॉलिसी में सहायक सदस्य / अतिरिक्त सदस्य				
उम्र	15 लाख	25 लाख	50 लाख	100 लाख
<20	9,309	11,451	20,786	26,206
21-25	11,866	14,951	26,042	33,849
26-30	12,025	15,166	26,370	34,320
31-35	13,211	16,761	28,831	37,813
36-40	16,348	20,972	35,341	47,043
41-45	19,252	24,517	41,804	55,129
46-50	25,135	32,203	53,623	71,510
51-55	34,850	44,763	73,045	98,132
56-60	47,520	61,105	98,189	132,568
61-65	64,058	82,034	131,393	176,883
65-70	84,701	109,714	174,259	237,558

न्यू इन्डिया टॉप-अप मेडिकलेम पॉलिसी

- **आवरण :-**

न्यू इन्डिया टॉप अप मेडिकलेम वह पॉलिसी है जो चुनी गयी सीमा से अधिक अस्पतालीकरण व्यय होने पर उसे आवरित करती है।

चुनी गयी सीमा वह है जहाँ तक बीमाधारक स्वयं दावे का वहन करता है या उसके पास कोई और बीमा होता है। इसे सीमारेखा (थ्रेशोल्ड) कहते हैं।

यह पॉलिसी केवल तभी कार्यरत होती है जब संचयी अस्पतालीकरण व्यय बीमारेखा से अधिक हो जाते हैं।

- **संचयी अस्पतालीकरण व्यय :-** का अर्थ है वह सभी सकल अस्पतालीकरण व्यय जो किसी बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में किसी बीमारी या चोट के उपचार के लिए किये गये हों और जो अस्पताल के इन-पेशंट बिल में दिखायी दे रहे हों।

बशर्ते ऐसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ति होने की तिथि न्यू इन्डिया टॉप-अप मेडिकलेम पॉलिसी में दी गयी बीमा अवधि के अंदर पड़ती हों।

संचयी अस्पतालीकरण व्ययों के परिकलन के लिए अस्पतालीकरण पूर्व के मेडिकल खर्च या अस्पतालीकरण पश्चात के मेडिकल खर्च विचारार्थ नहीं लिये जायेंगे।

- **ठीक होने हेतु (गेट बेल) लाभ**

किसी एक बीमारी के लिए ठीक होने हेतु लाभ, रु. 5,00,000 की सीमारेखा के लिए रु. 5,000 और रु. 8,00,000 की सीमारेखा के लिए रु. 8,000 है।

यह लाभ एक पॉलिसी अवधि के दौरान चार अस्पतालीकरणों तक दिया जायेगा।

- **अस्पताल नकद लाभ :-**

अस्पताल नकद रु. 5,00,000 की सीमारेखा के लिए रु. 500 प्रति दिन और रु. 8,00,000 की सीमारेखा के लिए रु. 800 प्रति दिन दिया जायेगा।

यह लाभ किसी एक बीमारी के लिए अधिकतम 10 दिनों के लिए दिया जायेगा।

प्रीमियम तालिका (जी.एस.टी. छोड़कर) :

सीमारेखा (रु.)	बीमा राशि (रु.)	विभिन्न उम्र पर लागू प्रीमियम (टैक्स छोड़कर)					
		मुख्य सदस्य				अतिरिक्त सदस्य	
5,00,000		18-44	45-54	55-60	61-65	0-17	18-44
	5,00,000	1,800	2,900	4,020	6,700	700	900
	10,00,000	2,800	4,500	6,300	10,500	1,100	1,400
	15,00,000	3,500	5,600	8,040	13,400	1,400	1,750
8,00,000	7,00,000	1,600	2,500	3,840	6,400	600	800
	12,00,000	2,300	3,700	5,760	9,600	900	1,150
	17,00,000	3,000	4,700	7,440	12,400	1,200	1,500
	22,00,000	3,600	5,600	8,940	14,900	1,400	1,800

न्यू इन्डिया फ्लोटर मेडिकलेम पॉलिसी

रु. 15 लाख तक बीमा राशि (परिवार आवरण)

आवरण :

यह पॉलिसी अवधि के दौरान हुई बीमारी / रोग या चोटों के लिए हुए अस्पतालीकरण व्ययों की प्रतिपूर्ति करता है।

उम्र :

- 18 वर्ष से 65 वर्ष तक
- बच्चे 3 माह से लेकर 25 वर्ष तक बशर्ते वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो।
- आजीवन नवीकरण उपलब्ध हैं बशर्ते बीमा में कोई रुकावट न हो।
- उम्र का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच :

50 वर्ष के बाद पॉलिसी लेनेवाले सभी सदस्यों को स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच करनी होगी। स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच करना होता है उस व्यक्ति के लिए भी जरुरी होगी जिसका मेडिकल इतिहास प्रतिकूल रहा हो या जिन व्यक्तियों का बीमा कराना है उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी हो कि कार्यालय प्रभारी को लगे कि उनकी स्वीकृति चिकित्सा जांच के बाद ही हो सकती है। जांच का खर्च प्रस्तावक को उठाना होगा। लेकिन यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो जांच के 50% की प्रतिपूर्ति प्रस्तावक को की जाएगी।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच हमारे द्वारा प्राधिकृत विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर किया जाएगा।

टिप्पणी : प्रतिकूल मेडिकल इतिहास का मतलब है :

- क. पिछले दो सालों में व्यक्ति एक से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हुआ हो।
- ख. जो गंभीर बीमारी, आवर्ती बीमारी या पुरानी बीमारी से ग्रस्त हो।
- ज. जिसे उच्च रक्तचाप / मधुमेह हो।
- घ. जिसका स्वास्थ्य ठीक न हो और शारीरिक तथा मानसिक बीमारी या अशक्तता या मेडिकल शिकायतों से जो मुक्त न हो।

बीमा राशि :

बीमा राशि रु. 2, 3, 5, 8, 10, 12 और 15 लाख तक उपलब्ध है। प्रीमियम, आपकी उम्र और चुनी गयी बीमा राशि पर निर्भर करता है।

परिवार :

परिवार के सदस्य जो पॉलिसी के तहत आवरित किए जा सकते हैं :

- प्रस्तावक
- प्रस्तावक का जीवनसाथी
- प्रस्तावक के आश्रित बच्चे
- प्रस्तावक के माता - पिता

न्यूनतम दो और अधिकतम छह सदस्य एकल पॉलिसी में आवरित किये जा सकते हैं।

पॉलिसी अवधि : 12 महीने / 1 वर्ष

आयकर छूट - नकद छोड़कर अन्य किसी भी माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के लिए किये गये भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के अनुसार कर योग्य आय से कटौती पाने हेतु पात्र माने जायेंगे।

तृतीय पक्ष प्रशासन (टीपीए) : यह एक सेवा प्रदाता है जो आपकी पॉलिसी के विस्तार के तहत होनेवाले सभी अस्पतालीकरणों के लिए कैशलेस सुविधा आपको प्रदान करने हेतु कार्यरत रहेंगे। टीपीए पॉलिसी के दायरे में आनेवाले प्रतिपूर्ति दावों का भी निपटान करेंगे।

प्रीमियम चार्ट :

प्रीमियम प्रति सदस्य (जी.एस.टी. अतिरिक्त)							
बीमा राशि (₹.)	2,00,000	3,00,000	5,00,000	8,00,000	10,00,000	12,00,000	15,00,000
<18	1,314	1,649	2,079	2,558	2,895	3,125	3,342
18-35	2,510	3,186	4,052	5,017	5,695	6,158	6,595
36-45	3,186	4,052	5,166	6,404	7,274	7,869	8,430
46-50	5,980	7,640	9,773	12,145	13,812	14,952	16,026
51-55	8,855	11,333	14,514	18,052	20,540	22,240	23,842
56-60	9,773	12,511	16,026	19,937	22,686	24,564	26,336
61-65	12,511	16,026	20,540	25,561	29,092	31,503	33,778

एक बार बीमाकृत व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र पार कर लेता है तो उसके बाद नवीकरण पर लागू प्रीमियम में प्रति वर्ष 2.5% प्रभार लगाया जायेगा। यह प्रभार 61 वर्ष से 65 वर्ष के उम्र समूह (बैंड) के प्रीमियम पर लागू है।

प्रीमियम का परिकलन कैसे करें :

- वांछित बीमा राशि चुनें।
- देय प्रीमियम, सदस्यों की संबंधित उम्र और चुनी हुई बीमा राशि पर तय किया जाता है।
- छूट, आवरित सदस्यों की संख्या पर निम्नानुसार लगायी जानी चाहिए :

सदस्यों की संख्या पर छूट	2 सदस्य	3 सदस्य	4 सदस्य और उससे अधिक
	5%	10%	15%

न्यू इन्डिया आशा किरण पॉलिसी (उस परिवार के लिए जहाँ बेटियाँ हैं)

आवरण :

यह पॉलिसी उन परिवारों के लिए बनायी गयी हैं जहाँ केवल बेटियाँ ही हैं । यह पूरा परिवार एकल बीमा राशि के तहत आवरित किया जायेगा ।

इसमें किसी भी बीमाकृत व्यक्ति की किसी बीमारी या चोट के उपचार हेतु किये जानेवाले अस्पतालीकरण व्ययों को आवरित किया जाता है ।

माता - पिता के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण :

दुर्घटनात्मक मृत्यु

एक अवयव और एक आँख की हानि या दोनों अवयवों और दोनों आँखों की हानि

एक अवयव या एक आँख की हानि

स्थायी संपूर्ण विकलांगता ।

परिवार सदस्य :-

- प्रस्तावक
- जीवनसाथी
- आश्रित बेटी / बेटियाँ

उम्र :

- 18 वर्ष से 65 वर्ष तक
- बेटियाँ 3 माह से लेकर 25 वर्षों तक बशर्ते वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो ।
- आजीवन नवीकरण उपलब्ध हैं बशर्ते बीमा में कोई रुकावट न हो ।
- उम्र का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

बीमा राशि :-

फ्लोटर बीमा राशि रु. 2 लाख, रु. 3 लाख, रु. 5 लाख और रु. 8 लाख के लिए उपलब्ध है ।

वैयक्तिक दुर्घटना आवरण के लिए बीमा राशि का चयन मैडिक्लेम की तरह किया जाना चाहिए ।

यदि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में माता और पिता दोनों की साथ दुर्घटना हो जाती हैं तो व्यक्तिगत दुर्घटना के लाभ दो गुने हो जायेंगे ।

अन्य लाभ :

- अस्पताल नकद लाभ ।
- गंभीर देखभाल लाभ ।
- बीमा राशि के 1% तक एम्ब्युलेंस प्रभार ।
- मोतियाबिंद के लिए बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं या रु. 50,000/-, जो भी कम हो ।

- बीमा राशि के 25% तक आयुष उपचार ।
- 74 से अधिक डे-केयर प्रक्रियाएँ आवरित की जाती हैं ।
- 15 दिनों तक की फ्री लुक अवधि ।
- पूरे भारत में नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस अस्पतालीकरण ।
- 50 वर्ष की उम्र तक कोई स्वीकृति पूर्व जांच नहीं ।

स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच :

50 वर्ष के बाद पॉलिसी लेनेवाले सभी सदस्यों को स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच करनी होगी । स्वीकृति पूर्व चिकित्सा जांच उस व्यक्ति के लिए भी जरुरी होगी जिसका मेडिकल इतिहास प्रतिकूल रहा हो या जिन व्यक्तियों का बीमा कराना है उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी हो कि कार्यालय प्रभारी को लगे कि उनकी स्वीकृति चिकित्सा जांच के बाद ही हो सकती है । जांच का खर्चा प्रस्तावक को उठाना होगा । लेकिन यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो जांच के 50% की प्रतिपूर्ति प्रस्तावक को की जाएगी ।

पॉलिसी अवधि : 12 महीने / 1 वर्ष

प्रीमियम दरें :

- सबसे बड़े व्यक्ति को मुख्य सदस्य माना जायेगा और प्रीमियम मुख्य सदस्य तालिका से लिया जायेगा ।
- सभी अन्य सदस्य अतिरिक्त सदस्य माने जायेंगे और प्रीमियम अतिरिक्त सदस्य तालिका से लिये जायेंगे ।
- बेटी / बेटियों के लिए अतिरिक्त सदस्य तालिका में उनकी उम्र के लिए दिये गये प्रीमियम का 50% प्रीमियम लिया जाएगा ।

आयकर छूट - नकद छोड़कर अन्य किसी भी माध्यम से स्वास्थ्य बीमा के लिए किये गये भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के अनुसार कर योग्य आय से कटौती पाने हेतु पात्र माने जायेंगे ।

तृतीय पक्ष प्रशासन (टीपीए) : यह एक सेवा प्रदाता है जो आपकी पॉलिसी के विस्तार के तहत होनेवाले सभी अस्पतालीकरणों के लिए कैशलेस सुविधा आपको प्रदान करने हेतु कार्यरत रहेंगे । टीपीए पॉलिसी के विस्तार के भीतर आनेवाले प्रतिपूर्ति दावों का भी निपटान करेंगे ।

बीमा राशि (रु.)	क्षेत्र	मुख्य सदस्य									
		प्रीमियम (रु. प्रति वर्ष) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)									
		0-20	21-30	30-35	36-40	41-45	46-50	50-55	55-60	60-65	
200,000	I	1,860	2,530	3,010	3,690	4,790	5,850	8,170	10,000	16,860	
300,000	I	2,780	3,670	4,140	5,050	6,560	8,010	11,640	14,220	24,040	
500,000	I	4,270	5,800	6,530	7,990	9,280	11,340	17,060	20,860	35,420	
800,000	I	5,680	7,710	8,690	10,630	12,350	15,080	22,690	28,180	47,110	
200,000	II	1,690	2,300	2,740	3,350	4,350	5,320	7,430	9,090	15,330	
300,000	II	2,530	3,340	3,760	4,590	5,960	7,280	10,580	12,930	21,850	
500,000	II	3,880	5,270	5,940	7,260	8,440	10,310	15,510	18,960	32,200	
800,000	II	5,160	7,010	7,900	9,660	11,230	13,710	20,630	25,620	42,830	
200,000	III	1,520	2,070	2,470	3,020	3,920	4,790	6,690	8,180	13,800	
300,000	III	2,280	3,010	3,380	4,130	5,360	6,550	9,520	11,640	19,670	
500,000	III	3,490	4,740	5,350	6,530	7,600	9,280	13,960	17,060	28,980	
800,000	III	4,640	6,310	7,110	8,700	10,110	12,340	18,570	23,060	38,550	
बीमा राशि (रु.)	क्षेत्र	अतिरिक्त सदस्य									
		प्रीमियम (रु. प्रति वर्ष) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)									
		0-20	21-30	30-35	36-40	41-45	46-50	50-55	55-60	60-65	
200,000	I	250	360	510	620	1,100	1,340	2,840	3,470	10,960	
300,000	I	370	520	680	840	1,510	1,850	4,030	4,930	15,610	
500,000	I	570	830	1,090	1,330	2,130	2,610	5,910	7,230	23,010	
800,000	I	760	1,100	1,450	1,770	2,840	3,470	7,850	9,610	30,600	
200,000	II	230	330	460	560	1,000	1,220	2,580	3,150	9,960	
300,000	II	340	470	620	760	1,370	1,680	3,660	4,480	14,190	
500,000	II	520	750	990	1,210	1,940	2,370	5,370	6,570	20,920	
800,000	II	690	1,000	1,320	1,610	2,580	3,150	7,140	8,740	27,820	
200,000	III	210	300	410	500	900	1,100	2,320	2,840	8,960	
300,000	III	310	420	560	680	1,230	1,510	3,290	4,030	12,770	
500,000	III	470	680	890	1,090	1,750	2,130	4,830	5,910	18,830	
800,000	III	620	900	1,190	1,450	2,320	2,840	6,430	7,870	25,040	

एक बार बीमाकृत व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र पार कर लेता है तो उसके बाद नवीकरण पर लागू प्रीमियम में प्रति वर्ष 2% लोडिंग लगाया जायेगा। यह लोडिंग 61 वर्ष से 65 वर्ष के उम्र समूह (बैंड) के प्रीमियम पर लागू हैं।

जनता मेडिकलेम पॉलिसी

आवरण :

इस पॉलिसी में बीमारी / चोट के उपचार के लिए अस्पतालीकरण व्ययों को आवरित किया जाता है बशर्ते अस्पतालीकरण 24 घंटों से अधिक के लिए हो। अस्पतालीकरण - पूर्व व्यय 30 दिनों के लिए और अस्पतालीकरण - पश्चात् व्यय 60 दिनों के लिए देय होते हैं।

डे - केयर उपचार - विशिष्ट तकनीकी तौर पर प्रगतिशील डे-केयर उपचार / सर्जरी के मेडिकल खर्च जिसमें 24 घंटे का अस्पतालीकरण आवश्यक नहीं होता।

बीमाधारक को आवास से अस्पताल तक पहुँचाने हेतु एम्बुलेंस प्रभार रु. 1,000/- तक देय है।

आयुर्वेदिक / होमियोपैथिक और यूनानी पद्धति की दवाइयाँ बीमा राशि के 25% की सीमा तक आवरित हैं बशर्ते उपचार पंजीकृत अस्पताल में लिये गये हों।

पूर्व विद्यमान रोगों को हमारी कंपनी के पास 4 लगातार और दावाभुक्त नवीकरणों के बाद ही कवर किया जाता है।

पूर्व विद्यमान स्थितियाँ जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रोल तथा उसकी पेचीदगियाँ दो वर्ष के लगातार बीमा के बाद अतिरिक्त भुगतान पर आवरित की जाती हैं।

आयु सीमा : 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। 3 माह से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर किये जा सकते हैं बशर्ते माता - पिता आवरित हों।

बीमित राशि :

केवल 2 स्लैब : रु. 50,000/- तथा रु. 75,000/-

प्रीमियम चार्ट :

बीमित राशि	3 महीनों से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 35 वर्ष तक	35 वर्ष से अधिक 40 वर्ष तक	40 वर्ष से अधिक 45 वर्ष तक	45 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक	50 वर्ष से अधिक 55 वर्ष तक	55 वर्ष से अधिक 60 वर्ष तक	60 वर्ष से अधिक 65 वर्ष तक	65 वर्ष से अधिक 70 वर्ष तक
50000	750	700	800	1100	1400	1430	1660	1900	2130
75000	1125	1050	1200	1650	2100	2170	2500	2820	3190

पूर्व विद्यमान स्थितियों के लिए प्रभार मेडीकलेम पॉलिसी 2007 के अनुसार होगा।

अपवर्जन :

- बीमा आरंभ से 30 दिनों के अंदर हुए रोग।
- दुर्घटना के कारण उत्पन्न होनेवाले दर्त्य उपचार के अलावा अन्य दर्त्य उपचार।
- अशक्तता और सामान्य शक्तिहीनता की स्थितियाँ।
- यौन संबंधों के कारण संक्रमित रोग तथा एचआईवी (एड्स)।
- कॉर्सेटिक सर्जरी।
- टीकाकरण और टीके लगाना।
- गर्भावस्था और शिशु जन्म।
- युद्ध, विदेशी शाश्वती की कार्रवाई, आयनीकरण रेडिएशन और न्यूक्लीय औजार।
- भारत के बाहर उपचार।
- घरेलु इलाज।

दावा :

पॉलिसी में कमरा किराया, आई. सी. यू. प्रभार, शल्य चिकित्सक फीस, तथा विभिन्न बीमारियों / रोगों के लिए दर्वाझियों की लागत सहित, विशिष्ट अधिकतम शुल्क के लिए अनुबंधित है। किसी विशिष्ट रोग / ऑपरेशन के संबंध में भुगतान किए जाने वाले दावे की अधिकतम राशि, पॉलिसी में उल्लिखित खर्चों के अनुसार, बीमित राशि के अधीन होगी। ऐसे खर्च जिनका उल्लेख अनुसूची में नहीं है, उनका भुगतान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच. एस.) के अनुसार दावे के समय पर प्रचलित दरों के अनुसार होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी

आयु :

यह पॉलिसी 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। बीमाधारक अपनी पॉलिसी को 80 वर्ष के बाद भी नवीकृत कर सकता है बशर्ते कि पॉलिसी में कोई खंड न आया हो।

पहली बार पॉलिसी ले रहे व्यक्तियों को पैनल डॉक्टरों से विहित पूर्व स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। स्वास्थ्य जांच की लागत प्रस्तावक को ही वहन करनी होगी।

परिवार :

इसमें केवल बीमाधारक व विवाहिती ही शामिल हैं।

बीमा राशि :

रु. 1 लाख अथवा रु. 1.5 लाख प्रति व्यक्ति।

प्रीमियम :

बीमा राशि	दर 60 - 65 वर्ष	दर 66 - 70 वर्ष	दर 71 - 75 वर्ष	दर 76 - 80 वर्ष
100000	3850	4250	4700	5150
150000	5720	6310	6980	7650

81 वर्ष से 85 वर्ष की आयु के नवीकरण के लिए प्रभार : 76 – 80 वर्ष के आयुवर्ग का 10%।

86 वर्ष से 90 वर्ष : 76-80 वर्ष के आयुवर्ग का 20%।

हाइपरटेंशन, डायबिटीज मैलिट्स को पॉलिसी की शुरुआत से ही आवरित करने के लिए प्रत्येक स्थिति के लिए लागू आधारभूत प्रीमियम का 10%।

छूट :

रु. 10,000/- का ऐच्छिक आधिक्य चुनने के लिए छूट 10%

जहाँ जीवनसाथी आवरित है छूट 10%

संचयी बोनस :

- प्रत्येक दावा रहित वर्ष के लिए 5%, अधिकतम 30% के अधीन।
- अन्य कंपनियों से आए नवीकरण प्रस्ताव संचयी बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे और इसको नवीन प्रस्ताव समझा जाएगा।
- दावा होने पर, प्राप्त संचयी बोनस उसी दर पर कम हो जाएगा जिस दर पर उसे प्राप्त किया गया था।

स्वास्थ्य जांच की लागत :

4 दावा मुक्त वर्षों में एक बार औसत बीमित राशि के, पिछले 4 वर्षों के संचयी बोनस को छोड़कर, 1% तक।

दावा प्रक्रिया :

इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक दावा 10% आधिक्य की शर्त के अधीन होगा ।

दावा होने पर पॉलिसी में निम्नलिखित उप-सीमाएँ होगी :

कमरा / आवास	बीमित राशि का 1% प्रति दिन
आई सी यू	बीमित राशि का 2% प्रति दिन
उपर्युक्त की संपूर्ण सीमा 25% होनी चाहिए	
सर्जन / संज्ञाहारक / मेडीकल प्रैविटशनर, सलाहकार, विशेषज्ञ फीस, नर्सिंग खर्च	समग्र सीमा बीमित राशि का 25%
संज्ञाहारक, रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर खर्च, शल्यचिकित्सा का सामान, दवाइयाँ, औषधी, निदान, सामग्री, तथा एक्स रे, डायलिसिस, कीमेथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेसमेकर की लागत, कृत्रिम अंग, स्टेन्ट और इम्प्लांट की लागत	समग्र सीमा बीमित राशि का 50%

विभिन्न प्रकार की बीमारियों / शल्यचिकित्साओं के लिए पॉलिसी, कमरे का किराया, आई. सी. यू. खर्च, शल्यचिकित्सक फीस, दवाइयों की लागत इत्यादि सहित विशिष्ट अधिकतम खर्च के लिए अनुबंधित है । किसी विशेष प्रकार की बीमारी / ऑपरेशन के मामले में, पॉलिसी में दिए गए विशिष्ट खर्चों, बीमित राशि के अधीन के अनुसार ही दावे का भुगतान किया जाएगा ।

पॉलिसी में अनुबंधित बीमारियों / रोगों / परिस्थितियों के लिए प्रतीक्षा समय केवल 18 माह का होगा, मेडिक्लेम पॉलिसी 2007 की तरह 24 माह का नहीं होगा । किंतु प्रतीक्षा समय (ए) आयु संबंधित ऑस्टीयो आर्थराइटिस तथा ऑस्टोपोरोसिस तथा (बी) जोड़ प्रतिस्थापन - व्यपजनन परिस्थिति के कारण - मामले में मेडिक्लेम पॉलिसी 2007 के अनुसार प्रतीक्षा समय 48 महीने का है ।

एजेंसी कमीशन

: मेडिक्लेम पॉलिसी 2007 के अनुसार

एजेंसी कमीशन के स्थान पर विशेष छूट

: अनुमति नहीं है

आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के अंतर्गत छूट

: प्रचलित प्रावधानों के अनुसार

पूर्व विद्यमान परिस्थितियाँ

जब आवरण पहली बार शुरू होता है तब सभी बीमारियाँ / जख्म / परिस्थितियाँ जो पूर्व विद्यमान हैं अपवर्जित रहेंगी । हमारी कंपनी के साथ लगातार 18 माह की दावा मुक्त पॉलिसी के बाद यह अपवर्जन समाप्त हो जाएगा ।

पूर्व विद्यमान परिस्थितियों के लिए अनिवार्य आवरण

पॉलिसी शुरू होने के समय पर डायबिटीज मेलीट्स और हाइपरटेंशन की पूर्व विद्यमान परिस्थितियों को, (प्रत्येक पूर्व विद्यमान प्रास्थिति के लिए) मूल प्रीमियम के 10% की दर पर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर, आवरित करना अनिवार्य है । इस अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान प्रत्येक पश्चातवर्ती नवीकरण पर किया जाता रहेगा ।

ओवरसीज मेडिकल्म पॉलिसी

यह पॉलिसी उन भारतीयों के लिए विश्वायापी आवरण प्रदान करती है जो निम्नलिखित के लिए सद्भावनापूर्ण विदेशी यात्रा पर हैं ।

ए) व्यापार तथा छुट्टी मनाने के लिए ।

बी) नियोजन और शिक्षा ।

पात्रता :

ए) कोई भी भारतीय निवासी ।

बी) विदेशी प्रवासी जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे हैं तथा भारतीय मुद्रा में वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

सी) भारत में अधिवास कर रहे विदेशी नागरिक, वीजा के और आय कर रिटर्न के और यदि आवश्यकता हो तो वर्क परमिट सत्यापन की शर्त पर ।

डी) भारतीय नियोक्ताओं द्वारा ठेके पर विदेशों में नियुक्त व्यक्तियों के लिए नियोजन योजना ।

इ) शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा योजना या प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति ।

आयु :

- 6 माह से 70 वर्ष ।
- 70 वर्ष से अधिक का प्रस्ताव, चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने तथा उचित प्रीमियम प्रभार देने के बाद स्वीकृत किया जा सकता है ।

70 वर्ष से अधिक उम्र के लिए प्रभार संरचना	
71 और 72 वर्ष	25% (यदि कोई प्रतिकूल इतिहास नहीं)
73 और 74 वर्ष	50% (यदि कोई प्रतिकूल इतिहास नहीं)
75 वर्षों से अधिक	100% (यदि कोई प्रतिकूल इतिहास नहीं)
79 वर्षों से अधिक	150% (यदि कोई प्रतिकूल इतिहास नहीं)
84 वर्षों से अधिक	200% (यदि कोई प्रतिकूल इतिहास नहीं)

मेडीकल रिपोर्ट :

70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए जरुरी चिकित्सकीय जांच जो विदेश जा रहा है किंतु यू. एस. ए. तथा कैनेडा को छोड़कर तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए जो यू. एस. ए. तथा कैनेडा की यात्रा पर जा रहा हो ।

ब्लड शुगर / यूरिन स्ट्रिप टेस्ट तथा ई.सी.जी. प्रिंट आउट और कंपनी की आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सा रिपोर्ट, जब प्रस्तावक आवश्यक चिकित्सा रिपोर्ट जमा नहीं करता है तब बीमित राशि के अंतर्गत चिकित्सा खर्च को यू.एस डालर 10000 तक सीमित कर योजना (ए) योजना (बी) के लिए पॉलिसी जारी की जा सकती है ।

अवधि :

- व्यवसाय एवं अवकाश के अंतर्गत प्रारंभिक आवरण 180 दिनों तक ।
- अच्छे स्वास्थ्य और दावा मुक्त होने पर आगे अधिकतम 180 दिनों के लिए विस्तारण दिया जा सकता है ।

प्रीमियम :

प्रस्तावक की आयु, प्रस्तावक किस देश का दौरा कर रहा है और कितने दिन ठहरेगा इस पर प्रीमियम निर्भर होगा ।

योजनाएं :

दौरे का स्वरूप और देश की यात्रा के अनुसार इस पॉलिसी के अंतर्गत कई प्रकार की योजनाएं उपलब्ध हैं । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित लाभ भी अलग हैं ।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ :

व्यवसाय एवं अवकाश :

अनुभाग	लाभ	ए 1	ए 2	बी 1	बी 2
		सभी यू एस डालर में			
ए	रोग / दुर्घटना अंश वहन	50000 100	250000 100	100000 100	500000 100
बी	व्यक्तिगत दुर्घटना	10000	25000	25000	25000
सी	चैक इन बैगेज का खोना	1000	1000	1000	1000
डी	चैक इन बैगेज में 12 घंटों की देरी (बाहरी फ्लाइट)	100	100	100	100
ई	पासपोर्ट खोना अंश वहन	150 30	250 30	150 30	250 30
एफ	व्यक्तिगत दायित्व अंश वहन	200000 200	200000 200	200000 200	200000 200

टिप्पणी :

योजना ए 1 तथा ए 2 : यू एस ए व कनाडा को छोड़कर विश्व व्यापी

योजना बी 1 तथा बी 2 : यू एस ए व कनाडा सहित विश्व व्यापी

निगमीय निरंतर यात्रियों के लिए योजना ई 1 तथा ई 2 :

अनुभाग	लाभ	ई 1	ई 2
		सभी यू एस डालर में	
ए	रोग / दुर्घटना अंश वहन	100000 100	500000 100
बी	व्यक्तिगत दुर्घटना	25000	25000
सी	चैक इन बैगेज का खोना	1000	1000
डी	चैक इन बैगेज में 12 घंटों की देरी (बाहरी फ्लाइट)	100	100
ई	पासपोर्ट खोना अंश वहन	15030	25030
एफ	व्यक्तिगत दायित्व अंश वहन	200000 200	200000 200

टिप्पणी :

योजना ई 1 तथा ई 2 : यू एस ए व कनाडा सहित विश्व व्यापी आवरण है ।

योजना के : एशियाई देश जापान को छोड़कर :

अनुभाग ए	रोग / दुर्घटना	यू एस डालर	15000	
अंश वहन		यू एस डालर	50	(दंत्य सहित)
अनुभाग बी	व्यवित्तगत दुर्घटना	यू एस डालर	7500	

नियोजन और अध्ययन :

योजना सी : विश्वव्यापी यू एस ए और कनाडा को छोड़कर

चिकित्सा खर्च	यू एस डालर	150000
अंश वहन	यू एस डालर	100

योजना डी : विश्वव्यापी यू एस ए और कनाडा सहित

चिकित्सा खर्च	यू एस डालर	150000
अंश वहन	यू एस डालर	100

योजना डी 1 : विश्वव्यापी यू एस ए और कनाडा सहित

अनुभाग I	चिकित्सा	यू एस डालर	500000	
अंश वहन		यू एस डालर	100	
अनुभाग II	आकस्मिकता	यू एस डालर	750	प्रति माह
अनुभाग III	चैक इन बैगेज का खोना	यू एस डालर	1000	(बाहर जानेवाली फ्लाइट)
अनुभाग IV	चैक इन बैगेज में देरी	यू एस डालर	100	(बाहर जानेवाली फ्लाइट)

योजना जेड : धोषणा आधार पर निगमीय ग्राहकों के लिए विश्वव्यापी यात्रा । :

प्रीमियम चार्ट : + जी.एस.टी.

योजना ए - 1 यूएसए तथा कनाडा को छोड़कर बीमा राशि – यूएस डॉलर 50,000/-				योजना बी - 1 यूएसए तथा कनाडा सहित बीमा राशि – यूएस डॉलर 1,00,000/-			
अवधि दिन	आयु 6 माह से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.	अवधि दिन	आयु 6 से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.
1-7	500	550	850	1-7	950	1385	1675
8-14	575	630	935	8-14	1045	1479	1794
15-21	600	670	990	15-21	1111	1584	1920
22-28	670	750	1120	22-28	1254	1837	2208
29-35	830	905	1345	29-35	1508	2168	2652
36-47	950	1040	1560	36-47	1793	2640	3240
48-60	1115	1231	1835	48-60	2893	4290	5227
61-75	1380	1520	2305	61-75	4158	6204	7608
76-90	1650	1800	2735	76-90	5006	7458	9168
91-120	2790	3070	4660	91-120	7051	10560	12960
121-147	3360	3685	5600	121-147	9362	14058	17304
148-180	4671	5125	7800	148-180	12397	18667	22935

प्रीमियम चार्ट : + जी.एस.टी.

योजना ए - 2 यूएसए तथा कनाड़ा को छोड़कर बीमा राशि – यूएस डॉलर 2,50,000/-				योजना बी - 2 यूएसए तथा कनाड़ा सहित बीमा राशि – यूएस डॉलर 5,00,000/-			
अवधि दिन	आयु 6 माह से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.	अवधि दिन	आयु 6 से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.
1-7	565	627	1130	1-7	1050	1620	2065
8-14	637	699	1204	8-14	1170	1742	2190
15-21	665	745	1277	15-21	1247	1867	2347
22-28	745	836	1146	22-28	1409	2168	2703
29-35	927	1013	1741	29-35	1697	2561	3251
36-47	1063	1166	2024	36-47	2022	3125	3977
48-60	1252	1383	2290	48-60	3276	5090	6430
61-75	1554	1714	3000	61-75	4720	7373	9371
76-90	1862	2033	3564	76-90	5685	8867	11301
91-120	3162	3481	6088	91-120	8017	12564	15982
121-147	3812	4182	7319	121-147	10651	16733	21346
148-180	5305	5824	10205	148-180	14111	22226	28296

योजना के - बी और एच के अंतर्गत (एशियाई देश - जापान को छोड़कर)

प्रीमियम दर : जी. एस. टी. अतिरिक्त

अवधि / दिन	आयु सीमा		
	6 माह से - 40 वर्ष	41-60 वर्ष	61-70 वर्ष
1-7	350	400	700
8-14	400	450	750
15-21	450	500	825
22-30	500	575	900

योजना के अंतर्गत विस्तारण

योजना के अंतर्गत विस्तारण किया जा सकेगा बशर्ते कि :

- (क) मूल पॉलिसी अवधि समाप्त न हुई हो
- (ख) मूल पॉलिसी पर कोई दावा न हो जिसकी पुष्टि टीपीए से मिल जानी चाहिए।
- (ग) अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा की आवश्यकता
- (घ) कुल विस्तारण मूल अवधि के साथ 360 दिनों से अधिक न हो।

180 दिनों से अधिक अवधि के लिए - प्रीमियम दर : + जी.एस.टी.

योजना ए - 1 यूएसए तथा कनाड़ा को छोड़कर बीमा राशि – यूएस डॉलर 50,000/-				योजना बी - 1 यूएसए तथा कनाड़ा सहित बीमा राशि – यूएस डॉलर 1,00,000/-			
तक अवधि (180 दिनों से अधिक)	आयु 6 माह से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.	तक अवधि (180 दिनों से अधिक)	आयु 6 से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.
30 Days	1150	1250	1600	30 Days	2200	2775	3150
60 Days	1850	1975	2575	60 Days	5225	6625	7575
90 Days	2750	2900	3950	90 Days	9175	11625	13350
120 Days	4600	4900	6500	120 Days	12950	16450	18850
150 Days	5600	5925	7850	150 Days	17300	22000	25200
180 Days	7800	8250	10900	180 Days	22900	29200	33500

180 दिनों से अधिक अवधि के लिए - प्रीमियम दर : + जी.एस.टी.

योजना ए - 2 यूएसए तथा कनाड़ा को छोड़कर बीमा राशि – यूएस डॉलर 2,50,000/-				योजना बी - 2 यूएसए तथा कनाड़ा सहित बीमा राशि – यूएस डॉलर 5,00,000/-			
तक अवधि (180 दिनों से अधिक)	आयु 6 माह से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.	तक अवधि (180 दिनों से अधिक)	आयु 6 से - 40 वर्ष तक रु.	आयु 41-60 वर्ष तक रु.	आयु 61-70 वर्ष तक रु.
30 Days	1450	1540	2150	30 Days	2200	2775	3150
60 Days	2300	2430	3340	60 Days	5225	6625	7575
90 Days	3575	3750	5275	90 Days	9175	11625	13350
120 Days	6100	6400	9000	120 Days	12950	16450	18850
150 Days	7325	7700	10850	150 Days	17300	22000	25200
180 Days	10200	10700	14550	180 Days	22900	29200	33500

प्रीमियम चार्ट :

नियोजन एवं अध्ययन (एक वर्ष तक)

योजना	बीमा राशि	उम्र वर्ग और प्रीमियम	उम्र वर्ग और प्रीमियम	उम्र वर्ग और प्रीमियम
सी - विद्यार्थी (यू.एस.ए और कैनेडा को छोड़कर)	150000 यू.एस.डालर	1 माह - 17 वर्ष रु. 818/- प्रति माह	18-40 वर्ष रु. 975/- प्रति माह	41-60 वर्ष रु. 1065/- प्रति माह
डी - विद्यार्थी (यू.एस.ए और कैनेडा सहित)	150000 यू.एस.डालर	1 माह - 17 वर्ष रु. 1365/- प्रति माह	18-40 yrs रु. 1568/- प्रति माह	41-60 वर्ष रु. 2243/- प्रति माह
डी - 1 विद्यार्थी (यू.एस.ए और कैनेडा सहित)	500000 यू.एस.डालर	1 माह - 17 वर्ष रु. 1706/- प्रति माह	18-40 वर्ष रु. 1960/- प्रति माह	41-60 वर्ष रु. 2804/- प्रति माह
सी - नियोजन (यू.एस.ए और कैनेडा को छोड़कर)	150000 यू.एस.डालर	1 माह - 17 वर्ष यू.एस.डालर 35/- प्रति माह	18-40 वर्ष यू.एस.डालर 41/-प्रति माह	41-60 वर्ष यू.एस.डालर 47/-प्रति माह
डी - नियोजन (यू.एस.ए और कैनेडा सहित)	150000 यू.एस.डालर	1 माह - 17 वर्ष यू.एस.डालर 60/-प्रति माह	18-40 वर्ष यू.एस.डालर 71/-प्रति माह	41-60 वर्ष यू.एस.डालर 98/-प्रति माह

योजना - सी (यू.एस.ए व कनाडा को छोड़कर) 1 वर्ष से अधिक

आयु	1 माह - 17 वर्ष	18-40 वर्ष	41-60 वर्ष
नियोजन	यू.एस.डालर 45 प्रति माह	यू.एस.डालर 50 प्रति माह	यू.एस.डालर 55 प्रति माह
अध्ययन	रु. 818/- प्रति माह	रु. 975/- प्रति माह	रु. 1065/- प्रति माह

योजना - डी (यू.एस.ए व कनाडा सहित) 1 वर्ष से अधिक

आयु	1 माह - 17 वर्ष	18-40 वर्ष	41-60 वर्ष
नियोजन	यू.एस.डालर 90 प्रति माह	यू.एस.डालर 100 प्रति माह	यू.एस.डालर 125 प्रति माह
अध्ययन	रु. 1365/- प्रति माह	रु. 1568/- प्रति माह	रु. 2243/- प्रति माह

प्रीमियम चार्ट : कार्पोरेट फिक्वेंट ट्रैवलर (सीएफटी) पॉलिसी

प्लान - ई 1 - विश्वापी (पुराना प्लान ई) - बीमा राशि - यूएस डॉलर 1,00,000/-

अवधि	आयु 18-60 वर्ष	आयु 61-70 वर्ष
वार्षिक	3000	7172

प्लान - ई 2 - विश्वापी (पुराना प्लान एव) - बीमा राशि - यूएस डॉलर 5,00,000/-

अवधि	आयु 18-60 वर्ष	आयु 61-70 वर्ष
वार्षिक	4230	8180

टिप्पणी : उचित प्रीमियम के साथ लागू होने वाले जी.एस.टी. जोड़े जाएंगे ।

महत्वपूर्ण अपवर्जन :

सभी पूर्व विद्यामान रोग / बीमारियाँ कुछ बीमारियाँ जैसे मम्प्स, चिकनपॉक्स, मीसल्स इत्यादि, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए । चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध यात्रा ।

न्यू इन्डिया ग्लोबल मेडिक्लेम पॉलिसी

- यह पॉलिसी विश्व के अग्रणी मेडिकल केन्द्रों में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित उपचारों के लिए किए गए अस्पतालीकरण व्ययों को आवरित करती है :
 - ❖ विनिर्दिष्ट कैंसर के लिए प्राथमिक उपचार
 - ❖ न्यूरो सर्जरी
 - ❖ कारोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्ट (सीएबीजी) सर्जरी
 - ❖ हार्ट वाल्व सर्जरी
 - ❖ लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रान्सप्लान्ट
 - ❖ बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट
- यह पॉलिसी केवल भारत में रहनेवाले भारतीय नागरिकों को जारी की जा सकती है । नियोजन के लिए भारत में रहनेवाले एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या विदेशी नागरिकों के लिए यह पॉलिसी देने की अनुमति नहीं है ।
- यह उत्पाद ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके पास रु. 8 लाख या उससे अधिक बीमा राशि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है ।
- जिनके पास न्यू इन्डिया की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है उन बीमाधारकों को प्रीमियम में 5% छूट दी जायेगी ।
- प्रवेश उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होगी ।
- बीमाधारक निम्न विकल्पों में से कोई एक चुन सकता है :
 - ❖ प्लान ए : यूएसडी 0.5 मिलियन (यूएसडी 1 मिलियन आजीवन) [आशिया उपचार प्लान]
 - ❖ प्लान बी : यूएसडी 1 मिलियन (यूएसडी 2 मिलियन आजीवन) [विश्वव्यापी उपचार प्लान]
- योजना में शामिल आवरण :
 - ❖ चिकित्सा के लिए दूसरा अभिमत ।
 - ❖ इस योजना में केवल भारत के बाहर का उपचार आवरित है । (विश्व के अग्रणी मेडिकल केंद्र में उपचार)
 - ❖ इसमें निम्न सेवाएँ शामिल हैं :
 - प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति यूएसडी 3,000 तक यात्रा लागत ।
 - साथ जा रहे एक व्यक्ति की यात्रा लागत भी इसमें आवरित है (सीमा उक्त के अनुसार ही है) ।
 - हवाईअड्डे के लिए पिकअप की वास्तविक लागत ।
 - प्रति दिन यूएसडी 330 तक आवास व्यवस्था; प्रति पॉलिसी अवधि अधिकतम 30 दिन ।
 - अनुवाद सहायता ।
 - नशर अवशेष वापस लाना; प्रति बीमाधारक यूएसडी 15,000 तक सीमा ।
 - दाता के खर्च, जिनमें यात्रा और आवास शामिल है, को भी आवरित किया जायेगा ।
- सभी उपचारों के लिए 90 दिन की प्रतिक्षा अवधि लागू रहेगी ।

- सभी बीमाकृत व्यक्तियों के लिए स्वीकृति - पूर्व चिकित्सा जांच अनिवार्य ।

उम्र	चिकित्सा परीक्षण
18-45 वर्ष	एमईआर, आरयूए, इसीजी, सीटीएमटी, एलएफटी, ईएसआर के साथ सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, एफबीएस, एचबीए1सी, एचआईवी, एचबीएसएजी, एसक्रिएट, यूएसजी एबडोमिन तथा पेल्वीस, 2डी इको
>45 वर्ष	एमईआर, आरयूए, इसीजी, सीटीएमटी, एलएफटी, ईएसआर के साथ सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, एफबीएस, एचबीए1सी, एचआईवी, एचबीएसएजी, सीएक्स आर, यूएसजी एबडोमिन तथा पेल्वीस, 2डी इको, पीएसए (केवल 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए), पैप स्मियर (केवल महिलाओं के लिए), एसक्रिएट

- जन्मजात आंतरिक विसंगतियाँ 48 महीनों के लगातार आवरण के बाद आवरित की जायेंगी ।
- पॉलिसी के आरंभ में 15 दिन की फ्री लुक अवधि ।
- यह पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा विनियमन 2016 के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी पर आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अधीन है ।
- पॉलिसी आजीवन नवीकृत की जा सकती है, बशर्ते पॉलिसी में कोई रुकावट न हो ।
- आयु का प्रमाण प्राप्त करना चाहिए ।

प्रीमियम दरें

नये प्रस्तावों के लिए (जी.एस.टी. छोड़कर)

उम्र (वर्षों में)	कार्यालय प्रीमियम नया (कोई प्रभार नहीं)		कार्यालय प्रीमियम नया (25% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (50% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (75% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (100% प्रभार)	
	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी
18	₹. 5,672	₹. 7,358	₹. 6,590	₹. 8,698	₹. 7,508	₹. 10,037	₹. 8,426	₹. 11,377	₹. 9,344	₹. 12,716
19	₹. 5,688	₹. 7,397	₹. 6,610	₹. 8,746	₹. 7,532	₹. 10,096	₹. 8,454	₹. 11,445	₹. 9,376	₹. 12,794
20	₹. 5,705	₹. 7,438	₹. 6,631	₹. 8,798	₹. 7,558	₹. 10,157	₹. 8,484	₹. 11,517	₹. 9,410	₹. 12,876
21	₹. 6,160	₹. 8,011	₹. 7,200	₹. 9,514	₹. 8,240	₹. 11,017	₹. 9,280	₹. 12,519	₹. 10,320	₹. 14,022
22	₹. 6,593	₹. 8,559	₹. 7,741	₹. 10,199	₹. 8,890	₹. 11,839	₹. 10,038	₹. 13,478	₹. 11,186	₹. 15,118
23	₹. 7,037	₹. 9,124	₹. 8,296	₹. 10,905	₹. 9,556	₹. 12,686	₹. 10,815	₹. 14,467	₹. 12,074	₹. 16,248
24	₹. 7,499	₹. 9,713	₹. 8,874	₹. 11,641	₹. 10,249	₹. 13,570	₹. 11,623	₹. 15,498	₹. 12,998	₹. 17,426
25	₹. 8,034	₹. 10,322	₹. 9,543	₹. 12,403	₹. 11,051	₹. 14,483	₹. 12,560	₹. 16,564	₹. 14,068	₹. 18,644
26	₹. 8,135	₹. 10,396	₹. 9,669	₹. 12,495	₹. 11,203	₹. 14,594	₹. 12,736	₹. 16,693	₹. 14,270	₹. 18,792
27	₹. 8,238	₹. 10,471	₹. 9,798	₹. 12,589	₹. 11,357	₹. 14,707	₹. 12,917	₹. 16,824	₹. 14,476	₹. 18,942
28	₹. 8,432	₹. 10,711	₹. 10,040	₹. 12,889	₹. 11,648	₹. 15,067	₹. 13,256	₹. 17,244	₹. 14,864	₹. 19,422
29	₹. 8,705	₹. 11,091	₹. 10,381	₹. 13,364	₹. 12,058	₹. 15,637	₹. 13,734	₹. 17,909	₹. 15,410	₹. 20,182
30	₹. 9,003	₹. 11,453	₹. 10,754	₹. 13,816	₹. 12,505	₹. 16,180	₹. 14,255	₹. 18,543	₹. 16,006	₹. 20,906
31	₹. 9,038	₹. 11,498	₹. 10,798	₹. 13,873	₹. 12,557	₹. 16,247	₹. 14,317	₹. 18,622	₹. 16,076	₹. 20,996
32	₹. 9,296	₹. 11,852	₹. 11,120	₹. 14,315	₹. 12,944	₹. 16,778	₹. 14,768	₹. 19,241	₹. 16,592	₹. 21,704
33	₹. 9,719	₹. 12,434	₹. 11,649	₹. 15,043	₹. 13,579	₹. 17,651	₹. 15,508	₹. 20,260	₹. 17,438	₹. 22,868
34	₹. 10,203	₹. 13,106	₹. 12,254	₹. 15,883	₹. 14,305	₹. 18,659	₹. 16,355	₹. 21,436	₹. 18,406	₹. 24,212

35	₹. 11,091	₹. 14,209	₹. 13,364	₹. 17,261	₹. 15,637	₹. 20,314	₹. 17,909	₹. 23,366	₹. 20,182	₹. 26,418
36	₹. 11,778	₹. 15,159	₹. 14,223	₹. 18,449	₹. 16,667	₹. 21,739	₹. 19,112	₹. 25,028	₹. 21,556	₹. 28,318
37	₹. 12,483	₹. 16,144	₹. 15,104	₹. 19,680	₹. 17,725	₹. 23,216	₹. 20,345	₹. 26,752	₹. 22,966	₹. 30,288
38	₹. 13,237	₹. 17,208	₹. 16,046	₹. 21,010	₹. 18,856	₹. 24,812	₹. 21,665	₹. 28,614	₹. 24,474	₹. 32,416
39	₹. 14,079	₹. 18,401	₹. 17,099	₹. 22,501	₹. 20,119	₹. 26,602	₹. 23,138	₹. 30,702	₹. 26,158	₹. 34,802
40	₹. 15,427	₹. 20,249	₹. 18,784	₹. 24,811	₹. 22,141	₹. 29,374	₹. 25,497	₹. 33,936	₹. 28,854	₹. 38,498
41	₹. 16,614	₹. 21,886	₹. 20,268	₹. 26,858	₹. 23,921	₹. 31,829	₹. 27,575	₹. 36,801	₹. 31,228	₹. 41,772
42	₹. 17,759	₹. 23,521	₹. 21,699	₹. 28,901	₹. 25,639	₹. 34,282	₹. 29,578	₹. 39,662	₹. 33,518	₹. 45,042
43	₹. 19,049	₹. 25,344	₹. 23,311	₹. 31,180	₹. 27,574	₹. 37,016	₹. 31,836	₹. 42,852	₹. 36,098	₹. 48,688
44	₹. 20,496	₹. 27,398	₹. 25,120	₹. 33,748	₹. 29,744	₹. 40,097	₹. 34,368	₹. 46,447	₹. 38,992	₹. 52,796
45	₹. 22,566	₹. 30,219	₹. 27,708	₹. 37,274	₹. 32,849	₹. 44,329	₹. 37,991	₹. 51,383	₹. 43,132	₹. 58,438
46	₹. 24,514	₹. 32,955	₹. 30,143	₹. 40,694	₹. 35,771	₹. 48,433	₹. 41,400	₹. 56,171	₹. 47,028	₹. 63,910
47	₹. 26,547	₹. 35,889	₹. 32,684	₹. 44,361	₹. 38,821	₹. 52,834	₹. 44,957	₹. 61,306	₹. 51,094	₹. 69,778
48	₹. 28,925	₹. 39,240	₹. 35,656	₹. 48,550	₹. 42,388	₹. 57,860	₹. 49,119	₹. 67,170	₹. 55,850	₹. 76,480
49	₹. 31,490	₹. 42,880	₹. 38,863	₹. 53,100	₹. 46,235	₹. 63,320	₹. 53,608	₹. 73,540	₹. 60,980	₹. 83,760
50	₹. 36,776	₹. 49,684	₹. 45,470	₹. 61,805	₹. 54,164	₹. 73,526	₹. 62,858	₹. 85,447	₹. 71,552	₹. 97,368
51	₹. 39,698	₹. 53,810	₹. 49,123	₹. 66,763	₹. 58,547	₹. 79,715	₹. 67,972	₹. 92,668	₹. 77,396	₹. 1,05,620
52	₹. 42,739	₹. 58,242	₹. 52,924	₹. 72,303	₹. 63,109	₹. 86,363	₹. 73,293	₹. 1,00,424	₹. 83,478	₹. 1,14,484
53	₹. 46,464	₹. 63,322	₹. 57,580	₹. 78,653	₹. 68,696	₹. 93,983	₹. 79,812	₹. 1,09,314	₹. 90,928	₹. 1,24,644
54	₹. 50,398	₹. 68,720	₹. 62,498	₹. 85,400	₹. 74,597	₹. 1,02,080	₹. 86,697	₹. 1,18,760	₹. 98,796	₹. 1,35,440
55	₹. 54,461	₹. 74,307	₹. 67,576	₹. 92,384	₹. 80,692	₹. 1,10,461	₹. 93,807	₹. 1,28,537	₹. 1,06,922	₹. 1,46,614
56	₹. 58,960	₹. 80,467	₹. 73,200	₹. 1,00,084	₹. 87,440	₹. 1,19,701	₹. 1,01,680	₹. 1,39,317	₹. 1,15,920	₹. 1,58,934
57	₹. 63,027	₹. 86,198	₹. 78,284	₹. 1,07,248	₹. 93,541	₹. 1,28,297	₹. 1,08,797	₹. 1,49,347	₹. 1,24,054	₹. 1,70,396
58	₹. 67,962	₹. 92,750	₹. 84,453	₹. 1,15,438	₹. 1,00,943	₹. 1,38,125	₹. 1,17,434	₹. 1,60,813	₹. 1,33,924	₹. 1,83,500
59	₹. 73,164	₹. 99,587	₹. 90,955	₹. 123,984	₹. 1,08,746	₹. 148,381	₹. 126,537	₹. 1,72,777	₹. 144,328	₹. 1,97,174
60	₹. 81,109	₹. 1,09,477	₹. 1,00,886	₹. 136,346	₹. 1,20,664	₹. 1,63,216	₹. 1,40,441	₹. 1,90,085	₹. 1,60,218	₹. 2,16,954
61	₹. 83,992	₹. 1,13,178	₹. 1,04,490	₹. 1,40,973	₹. 1,24,988	₹. 1,68,767	₹. 1,45,486	₹. 1,96,562	₹. 1,65,984	₹. 2,24,356
62	₹. 88,665	₹. 1,19,198	₹. 1,10,331	₹. 1,48,498	₹. 1,31,998	₹. 1,77,797	₹. 1,53,664	₹. 2,07,097	₹. 1,75,330	₹. 2,36,396
63	₹. 93,716	₹. 1,25,403	₹. 1,16,645	₹. 1,56,254	₹. 1,39,574	₹. 1,87,105	₹. 1,62,503	₹. 2,17,955	₹. 1,85,432	₹. 2,48,806
64	₹. 1,00,354	₹. 1,33,243	₹. 1,24,943	₹. 1,66,054	₹. 1,49,531	₹. 1,98,865	₹. 1,74,120	₹. 2,31,675	₹. 1,98,708	₹. 2,64,486
65	₹. 1,07,068	₹. 1,40,995	₹. 1,33,335	₹. 1,75,744	₹. 1,59,602	₹. 2,10,493	₹. 1,85,869	₹. 2,45,241	₹. 2,12,136	₹. 2,79,990
66	₹. 1,14,256	₹. 1,49,206	₹. 1,42,320	₹. 1,86,008	₹. 1,70,385	₹. 2,22,810	₹. 1,98,449	₹. 2,59,611	₹. 2,26,513	₹. 2,96,413
67	₹. 1,21,928	₹. 1,57,908	₹. 1,51,910	₹. 1,96,885	₹. 1,81,892	₹. 2,35,862	₹. 2,11,874	₹. 2,74,839	₹. 2,41,856	₹. 3,13,816
68	₹. 1,30,128	₹. 1,67,125	₹. 1,62,160	₹. 2,08,406	₹. 1,94,192	₹. 2,49,687	₹. 2,26,224	₹. 2,90,968	₹. 2,58,256	₹. 3,32,249
69	₹. 1,38,891	₹. 1,76,890	₹. 1,73,114	₹. 2,20,612	₹. 2,07,337	₹. 2,64,335	₹. 2,41,560	₹. 3,08,057	₹. 2,75,783	₹. 3,51,779
70	₹. 1,48,258	₹. 1,87,236	₹. 1,84,823	₹. 2,33,545	₹. 2,21,387	₹. 2,79,855	₹. 2,57,952	₹. 3,26,164	₹. 2,94,516	₹. 3,72,473
71	₹. 1,58,270	₹. 1,98,196	₹. 1,97,337	₹. 2,47,245	₹. 2,36,405	₹. 2,96,295	₹. 2,75,472	₹. 3,45,344	₹. 3,14,539	₹. 3,94,393
72	₹. 1,68,970	₹. 2,09,808	₹. 2,10,712	₹. 2,61,760	₹. 2,52,455	₹. 3,13,712	₹. 2,94,197	₹. 3,65,664	₹. 3,35,939	₹. 4,17,616
73	₹. 1,80,406	₹. 2,22,110	₹. 2,25,008	₹. 2,77,137	₹. 2,69,610	₹. 3,32,165	₹. 3,14,211	₹. 3,87,192	₹. 3,58,813	₹. 4,42,219
74	₹. 1,92,631	₹. 2,35,143	₹. 2,40,289	₹. 2,93,429	₹. 2,87,947	₹. 3,51,715	₹. 3,35,605	₹. 4,10,000	₹. 3,83,263	₹. 4,68,286
75	₹. 2,05,696	₹. 2,48,950	₹. 2,56,620	₹. 3,10,687	₹. 3,07,545	₹. 3,72,425	₹. 3,58,469	₹. 4,34,162	₹. 4,09,393	₹. 4,95,899

नवीकरण के लिए (जी.एस.टी. छोड़कर)

उम्र (वर्षों में)	कार्यालय प्रीमियम नया (कोई प्रभार नहीं)		कार्यालय प्रीमियम नया (25% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (50% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (75% प्रभार)		कार्यालय प्रीमियम नया (100% प्रभार)	
	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी	प्लान ए	प्लान बी
18	₹. 3,672	₹. 5,358	₹. 4,590	₹. 6,698	₹. 5,508	₹. 8,037	₹. 6,426	₹. 9,377	₹. 7,344	₹. 10,716
19	₹. 3,688	₹. 5,397	₹. 4,610	₹. 6,746	₹. 5,532	₹. 8,096	₹. 6,454	₹. 9,445	₹. 7,376	₹. 10,794
20	₹. 3,705	₹. 5,438	₹. 4,631	₹. 6,798	₹. 5,558	₹. 8,157	₹. 6,484	₹. 9,517	₹. 7,410	₹. 10,876
21	₹. 4,160	₹. 6,011	₹. 5,200	₹. 7,514	₹. 6,240	₹. 9,017	₹. 7,280	₹. 10,519	₹. 8,320	₹. 12,022
22	₹. 4,593	₹. 6,559	₹. 5,741	₹. 8,199	₹. 6,890	₹. 9,839	₹. 8,038	₹. 11,478	₹. 9,186	₹. 13,118
23	₹. 5,037	₹. 7,124	₹. 6,296	₹. 8,905	₹. 7,556	₹. 10,686	₹. 8,815	₹. 12,467	₹. 10,074	₹. 14,248
24	₹. 5,499	₹. 7,713	₹. 6,874	₹. 9,641	₹. 8,249	₹. 11,570	₹. 9,623	₹. 13,498	₹. 10,998	₹. 15,426
25	₹. 6,034	₹. 8,322	₹. 7,543	₹. 10,403	₹. 9,051	₹. 12,483	₹. 10,560	₹. 14,564	₹. 12,068	₹. 16,644
26	₹. 6,135	₹. 8,396	₹. 7,669	₹. 10,495	₹. 9,203	₹. 12,594	₹. 10,736	₹. 14,693	₹. 12,270	₹. 16,792
27	₹. 6,238	₹. 8,471	₹. 7,798	₹. 10,589	₹. 9,357	₹. 12,707	₹. 10,917	₹. 14,824	₹. 12,476	₹. 16,942
28	₹. 6,432	₹. 8,711	₹. 8,040	₹. 10,889	₹. 9,648	₹. 13,067	₹. 11,256	₹. 15,244	₹. 12,864	₹. 17,422
29	₹. 6,705	₹. 9,091	₹. 8,381	₹. 11,364	₹. 10,058	₹. 13,637	₹. 11,734	₹. 15,909	₹. 13,410	₹. 18,182
30	₹. 7,003	₹. 9,453	₹. 8,754	₹. 11,816	₹. 10,505	₹. 14,180	₹. 12,255	₹. 16,543	₹. 14,006	₹. 18,906
31	₹. 7,038	₹. 9,498	₹. 8,798	₹. 11,873	₹. 10,557	₹. 14,247	₹. 12,317	₹. 16,622	₹. 14,076	₹. 18,996
32	₹. 7,296	₹. 9,852	₹. 9,120	₹. 12,315	₹. 10,944	₹. 14,778	₹. 12,768	₹. 17,241	₹. 14,592	₹. 19,704
33	₹. 7,719	₹. 10,434	₹. 9,649	₹. 13,043	₹. 11,579	₹. 15,651	₹. 13,508	₹. 18,260	₹. 15,438	₹. 20,868
34	₹. 8,203	₹. 11,106	₹. 10,254	₹. 13,883	₹. 12,305	₹. 16,659	₹. 14,355	₹. 19,436	₹. 16,406	₹. 22,212
35	₹. 9,091	₹. 12,209	₹. 11,364	₹. 15,261	₹. 13,637	₹. 18,314	₹. 15,909	₹. 21,366	₹. 18,182	₹. 24,418
36	₹. 9,778	₹. 13,159	₹. 12,223	₹. 16,449	₹. 14,667	₹. 19,739	₹. 17,112	₹. 23,028	₹. 19,556	₹. 26,318
37	₹. 10,483	₹. 14,144	₹. 13,104	₹. 17,680	₹. 15,725	₹. 21,216	₹. 18,345	₹. 24,752	₹. 20,966	₹. 28,288
38	₹. 11,237	₹. 15,208	₹. 14,046	₹. 19,010	₹. 16,856	₹. 22,812	₹. 19,665	₹. 26,614	₹. 22,474	₹. 30,416
39	₹. 12,079	₹. 16,401	₹. 15,099	₹. 20,501	₹. 18,119	₹. 24,602	₹. 21,138	₹. 28,702	₹. 24,158	₹. 32,802
40	₹. 13,427	₹. 18,249	₹. 16,784	₹. 22,811	₹. 20,141	₹. 27,374	₹. 23,497	₹. 31,936	₹. 26,854	₹. 36,498
41	₹. 14,614	₹. 19,886	₹. 18,268	₹. 24,858	₹. 21,921	₹. 29,829	₹. 25,575	₹. 34,801	₹. 29,228	₹. 39,772
42	₹. 15,759	₹. 21,521	₹. 19,699	₹. 26,901	₹. 23,639	₹. 32,282	₹. 27,578	₹. 37,662	₹. 31,518	₹. 43,042
43	₹. 17,049	₹. 23,344	₹. 21,311	₹. 29,180	₹. 25,574	₹. 35,016	₹. 29,836	₹. 40,852	₹. 34,098	₹. 46,688
44	₹. 18,496	₹. 25,398	₹. 23,120	₹. 31,748	₹. 27,744	₹. 38,097	₹. 32,368	₹. 44,447	₹. 36,992	₹. 50,796
45	₹. 20,566	₹. 28,219	₹. 25,708	₹. 35,274	₹. 30,849	₹. 42,329	₹. 35,991	₹. 49,383	₹. 41,132	₹. 56,438
46	₹. 22,514	₹. 30,955	₹. 28,143	₹. 38,694	₹. 33,771	₹. 46,433	₹. 39,400	₹. 54,171	₹. 45,028	₹. 61,910
47	₹. 24,547	₹. 33,889	₹. 30,684	₹. 42,361	₹. 36,821	₹. 50,834	₹. 42,957	₹. 59,306	₹. 49,094	₹. 67,778
48	₹. 26,925	₹. 37,240	₹. 33,656	₹. 46,550	₹. 40,388	₹. 55,860	₹. 47,119	₹. 65,170	₹. 53,850	₹. 74,480
49	₹. 29,490	₹. 40,880	₹. 36,863	₹. 51,100	₹. 44,235	₹. 61,320	₹. 51,608	₹. 71,540	₹. 58,980	₹. 81,760

50	₹. 34,776	₹. 47,684	₹. 43,470	₹. 59,605	₹. 52,164	₹. 71,526	₹. 60,858	₹. 83,447	₹. 69,552	₹. 95,368
51	₹. 37,698	₹. 51,810	₹. 47,123	₹. 64,763	₹. 56,547	₹. 77,715	₹. 65,972	₹. 90,668	₹. 75,396	₹. 1,03,620
52	₹. 40,739	₹. 56,242	₹. 50,924	₹. 70,303	₹. 61,109	₹. 84,363	₹. 71,293	₹. 98,424	₹. 81,478	₹. 1,12,484
53	₹. 44,464	₹. 61,322	₹. 55,580	₹. 76,653	₹. 66,696	₹. 91,983	₹. 77,812	₹. 1,07,314	₹. 88,928	₹. 1,22,644
54	₹. 48,398	₹. 66,720	₹. 60,498	₹. 83,400	₹. 72,597	₹. 1,00,080	₹. 84,697	₹. 1,16,760	₹. 96,796	₹. 1,33,440
55	₹. 52,461	₹. 72,307	₹. 65,576	₹. 90,384	₹. 78,692	₹. 1,08,461	₹. 91,807	₹. 1,26,537	₹. 1,04,922	₹. 1,44,614
56	₹. 56,960	₹. 78,467	₹. 71,200	₹. 98,084	₹. 85,440	₹. 1,17,701	₹. 99,680	₹. 1,37,317	₹. 1,13,920	₹. 1,56,934
57	₹. 61,027	₹. 84,198	₹. 76,284	₹. 1,05,248	₹. 91,541	₹. 1,26,297	₹. 1,06,797	₹. 1,47,347	₹. 1,22,054	₹. 1,68,396
58	₹. 65,962	₹. 90,750	₹. 82,453	₹. 1,13,438	₹. 98,943	₹. 1,36,125	₹. 1,15,434	₹. 1,58,813	₹. 1,31,924	₹. 1,81,500
59	₹. 71,164	₹. 97,587	₹. 88,955	₹. 1,21,984	₹. 1,06,746	₹. 1,46,381	₹. 1,24,537	₹. 1,70,777	₹. 1,42,328	₹. 1,95,174
60	₹. 79,109	₹. 107,477	₹. 98,886	₹. 1,34,346	₹. 1,18,664	₹. 1,61,216	₹. 1,38,441	₹. 1,88,085	₹. 1,58,218	₹. 2,14,954
61	₹. 81,992	₹. 111,178	₹. 1,02,490	₹. 1,38,973	₹. 1,22,988	₹. 1,66,767	₹. 1,43,486	₹. 1,94,562	₹. 1,63,984	₹. 2,22,356
62	₹. 86,665	₹. 117,198	₹. 1,08,331	₹. 1,46,498	₹. 1,29,998	₹. 1,75,797	₹. 1,51,664	₹. 2,05,097	₹. 1,73,330	₹. 2,34,396
63	₹. 91,716	₹. 123,403	₹. 1,14,645	₹. 1,54,254	₹. 1,37,574	₹. 1,85,105	₹. 1,60,503	₹. 2,15,955	₹. 1,83,432	₹. 2,46,806
64	₹. 98,354	₹. 131,243	₹. 1,22,943	₹. 1,64,054	₹. 1,47,531	₹. 1,96,865	₹. 1,72,120	₹. 2,29,675	₹. 1,96,708	₹. 2,62,486
65	₹. 105,068	₹. 138,995	₹. 1,31,335	₹. 1,73,744	₹. 1,57,602	₹. 2,08,493	₹. 1,83,869	₹. 2,43,241	₹. 2,10,136	₹. 2,77,990
66	₹. 1,12,256	₹. 1,47,206	₹. 1,40,320	₹. 1,84,008	₹. 1,68,385	₹. 2,20,810	₹. 1,96,449	₹. 2,57,611	₹. 2,24,513	₹. 2,94,413
67	₹. 1,19,928	₹. 1,55,908	₹. 1,49,910	₹. 1,94,885	₹. 1,79,892	₹. 2,33,862	₹. 2,09,874	₹. 2,72,839	₹. 2,39,856	₹. 3,11,816
68	₹. 1,28,128	₹. 1,65,125	₹. 1,60,160	₹. 2,06,406	₹. 1,92,192	₹. 2,47,687	₹. 2,24,224	₹. 2,88,968	₹. 2,56,256	₹. 3,30,249
69	₹. 1,36,891	₹. 1,74,890	₹. 1,71,114	₹. 2,18,612	₹. 2,05,337	₹. 2,62,335	₹. 2,39,560	₹. 3,06,057	₹. 2,73,783	₹. 3,49,779
70	₹. 1,46,258	₹. 1,85,236	₹. 1,82,823	₹. 2,31,545	₹. 2,19,387	₹. 2,77,855	₹. 2,55,952	₹. 3,24,164	₹. 2,92,516	₹. 3,70,473
71	₹. 1,56,270	₹. 1,96,196	₹. 1,95,337	₹. 2,45,245	₹. 2,34,405	₹. 2,94,295	₹. 2,73,472	₹. 3,43,344	₹. 3,12,539	₹. 3,92,393
72	₹. 1,66,970	₹. 2,07,808	₹. 2,08,712	₹. 2,59,760	₹. 2,50,455	₹. 3,11,712	₹. 2,92,197	₹. 3,63,664	₹. 3,33,939	₹. 4,15,616
73	₹. 1,78,406	₹. 2,20,110	₹. 2,23,008	₹. 2,75,137	₹. 2,67,610	₹. 3,30,165	₹. 3,12,211	₹. 3,85,192	₹. 3,56,813	₹. 4,40,219
74	₹. 1,90,631	₹. 2,33,143	₹. 2,38,289	₹. 2,91,429	₹. 2,85,947	₹. 3,49,715	₹. 3,33,605	₹. 4,08,000	₹. 3,81,263	₹. 4,66,286
75	₹. 2,03,696	₹. 2,46,950	₹. 2,54,620	₹. 3,08,687	₹. 3,05,545	₹. 3,70,425	₹. 3,56,469	₹. 4,32,162	₹. 4,07,393	₹. 4,93,899

ग्रामीण बीमा आवरण

पशु बीमा

यह योजना भारत में पशु बीमा व्यापार के बीमालेखन के लिए है।

1. विस्तार

पशु का अर्थ है :

- (क) दुधारु गाय और भैंस
- (ख) बछड़ा / बछड़ी
- (ग) बैल
- (घ) बैल (बधिया बैल) और बधिया भैंस, देशज, विदेशी अथवा संकर

टिप्पणी :

- विदेशी का अर्थ है वे पशु जिसके माता-पिता विदेशी जाति के हों। इसमें भारत और साथ ही विदेश में जन्मे पशु शामिल हैं।
- संकर का अर्थ है पशु जिसके एक माता या पिता विदेशी हो।

2. आयु समूह

मानक बीमा योजना के अंतर्गत नीचे दिये अनुसार आयु के पशु स्वीकार किये जाएंगे।

I	क)	दुधारु गाय (देशज / संकर / विदेशी)	2 वर्ष (अथवा प्रथम प्रसूता आयु) से 10 वर्ष तक
	ख)	दुधारु भैंस	3 वर्ष (अथवा प्रथम प्रसूता आयु) से 12 वर्ष तक।
	ग)	बैल (गाय / भैंस जाति)	3 वर्ष से 8 वर्ष तक अथवा शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत आयु।
	घ)	बैल (बधिया बैल और बधिया भैंसे)	3 वर्ष से 12 वर्ष तक
II		देशज, संकर तथा विदेशी बधिया / अप्रसूता पशु	4 माह से लेकर प्रथम प्रसूता मादा (1) (क) और (ख) के अनुसार न्यूनतम आयु।

टिप्पणी : स्वीकृति के समय अधिकतम आयु, विहित आयु सीमा (वार्षिक पॉलिसी के मामले में) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. मूल्यांकन और बीमित राशि

- (i) पशु का बाजार मूल्य जाति, क्षेत्र और समय-समय पर अलग होता है। जांच कर रहे पशु विकित्सक की सिफारिशों को बीमा स्वीकृति और दावा निपटान के लिए मार्गनिर्देशक के रूप में लेना चाहिए। जहाँ भी संभव हो उच्च मूल्य वाले पशु का निरीक्षण कंपनी प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए।
- (ii) बीमा राशि बाजार मूल्य के 100% से अधिक नहीं होगी।

क्षतिपूर्ति

- (i) बीमारी से पूर्व, बीमा राशि अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो। सूखे पशु का मूल्यांकन किया जाए यह ध्यान रखें।
- (ii) योजनाबद्ध पशु के मामले में यदि पॉलिसी सहमत मूल्य पर जारी है तो दावा अपवर्जन और नियम व शर्तों के अधीन बीमा राशि के 100% पर निपटाया जाएगा।

4. प्रीमियम दरें (वार्षिक)

दुधारु गाय / दुधारु भैंस / बधिया / बछड़ी / बैल / बैल तथा बधिया नर भैंसे ।

		जातियां	आवरण
		मृत्यु	पी टी डी अतिरिक्त
1	योजनाबद्ध पशु (देशज / संकर)	2.25% (निवल)	0.85% (निवल)
2	गैर योजनाबद्ध पशु (देशज / संकर)	4.00% (सकल)	1.00% (सकल)
3	विदेशी पशु	उपर्युक्त अनुसार 4.00% 2.00 % अतिरिक्त	1.00%

योजनाबद्ध पशु रियायती दरों पर बीमा रेटिंग करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता से खरीदे गए पशु / विभिन्न केन्द्रीय / राज्य सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कम मूल्य पर दिए गए पशु / आई आर डी पी की योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए :

- (i) स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं (डी डब्ल्यू सी एस आर ए)
- (ii) अनु. जाति / अनु. ज. जाति की राज्य सरकार की योजनाएं
- (iii) विशेष पशु-धन विकास कार्यक्रम
- (iv) उत्तर प्रदेश में लघु डेयरी इकाइयां
- (v) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और कार्यान्वयन कार्यक्रम का समर्थन ।

मालस :

दी गई प्रीमियम दरें न्यूनतम प्रभारित की जानी हैं । विपरीत दावा अनुपात में निम्नलिखित मालस प्रणाली अपनाएं ।

दावा अनुपात %	मालस का प्रतिशत
100 से 110	20%
111 से 130	33%
131 से 160	60%
161 से 200	100%
200 से अधिक	प्रीमियम दर को इस प्रकार समायोजित करें कि दर के लिए दावा अनुपात 90% दिखाई दे ।

न्यूनतम प्रीमियम : प्रत्येक पॉलिसी के लिए रु. 50 ।

लघु अवधि दरें :

अवधि (से अधिक नहीं)	प्रीमियम का अनुपात
1 सप्ताह	वार्षिक दर का 1/8
1 माह	वार्षिक दर का 1/4
2 माह	वार्षिक दर का 3/8
3 माह	वार्षिक दर का 1/2
4 माह	वार्षिक दर का 5/8
5 माह	वार्षिक दर का 3/4
8 माह	वार्षिक दर का 7/8
8 माह से अधिक	संपूर्ण वर्ष का प्रीमियम

5. छूट

(क) समूह छूट (केवल गैर-योजना के लिए)

एकल / पार्टनर स्वामित्व और / अथवा प्रीमियम भुगतान के एक स्त्रोत तथा एक ही पॉलिसी के अंतर्गत आवरित (बैंक व्यापार के लिए लागू नहीं) मामले के लिए समूह छूट की अनुमति है।

पशुओं की संख्या	छूट की दर
5 – 10	2.5%
11 – 15	5%
16 – 25	7.5%
26 – 50	10%
51 – 100	12.5%
101 – 500	15%

(यदि समूह 500 और / अथवा इससे बहुत बड़ा है तो 20% तक छूट प्रधान कार्यालय की मंजूरी के बाद दी जा सकती है।)

(ख) दीर्घावधि छूट (गैर-योजना पशुओं के लिए)

निम्न पर दीर्घावधि छूट	गैर योजना
3 व 4 वर्षीय पॉलिसियों के लिए	15%
5 वर्ष व उससे अधिक वर्षों के लिए	25%

- (i) पूरा प्रीमियम अग्रिम रूप से अदा किया जाना चाहिए।
- (ii) प्रीमियम की वापसी की कोई स्वीकृति नहीं दी जाएगी चाहे पहले वर्षों में ही दावा क्यों नहीं हुआ हो।
- (iii) आयु सीमा उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार रहेगी।

(ग) दीर्घावधि छूट (योजनाबद्ध पशुओं के लिए)

योजनाबद्ध पशुओं के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रीमियम 4.80%. होगा। 3 वर्ष के ऊपर अतिरिक्त वर्ष के लिए प्रीमियम 1.60%. प्रतिवर्ष पर होगा।

(यह दर केवल दीर्घावधि पॉलिसियों के लिए लागू होगी)। यदि पी टी डी कवर को विस्तारित करना हो तो 3 वर्षों के लिए दीर्घावधि दर 6.60%. होगी। इसकी गणना निम्न अनुसार होगी :

3 वर्षों के आधारभूत कवर की दर	4.80%
3 वर्षों के पी टी डी कवर के लिए दर	1.80%
	6.60%

- (i) पूरे प्रीमियम का अग्रिम रूप से भुगतान करना होगा।
- (ii) प्रीमियम का समायोजन : पॉलिसी अवधि की समाप्ति के पहले पशु की अकाल मृत्यु होने पर शेष अवधि के लिए प्रीमियम को पशु की मृत्यु तक की अवधि तक समायोजित कर बीमाधारक द्वारा खरीदे गए नये पशु के लिए प्रीमियम में समायोजित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : यदि पशु की मृत्यु पॉलिसी के प्रथम वर्ष में हो जाती है तो, बीमाधारक द्वारा भुगतान किये गए कुल प्रीमियम में से 2.25% की दर से कटौती कर ली जाएगी अर्थात् समायोजन के उद्देश्य से 4.80%। इसी प्रकार यदि पॉलिसी के दूसरे वर्ष में पशु की मृत्यु हो जाती है तो 2.25% की दर से दो वर्ष के लिए पूर्ण प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यदि तीसरे वर्ष में पशु की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी प्रीमियम समायोजन के लिए नहीं रह जाएगा अतः समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

- (iii) आयु सीमा उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसार।

6. बीमा आवरण

बीमालेखन कार्यालय विद्यमान नमूना धारा के अनुसार, पशु बीमा के लिए मानक पॉलिसी शब्दावली का उपयोग करेंगे। पॉलिसी निम्नलिखित कारणों से हुई केवल मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति देगी :

- (क) दुर्घटना (अग्नि, तड़ित, बाढ़, आप्लावन, तूफान, चक्रवात, भूकंप, साइक्लोन, झंझावात, बवंडर और अकाल भी शामिल है)।
- (ख) पॉलिसी अवधि के दौरान उत्पन्न बीमारियां।
- (ग) शल्य चिकित्सा।
- (घ) दंगा हड्डताल।

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी को पी टी डी को आवरित करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

- (1) दुधार पशुओं के स्थायी और पूर्ण रूप से गर्भधारण या दूध देने की क्षमता के मामले में स्थायी पूर्ण अशक्तता।
- (2) पी टी डी, ऐसे मामले में जहाँ बैल वंश बढ़ाने के लिए पूर्ण अक्षम हो चुका हो।
- (3) बैलों, बछड़ों / अप्रसूता पशुओं और बधिया मादा भैंसों के मामले में पी टी डी जो कि प्रस्तावपत्र में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थायी तथा पूर्ण अक्षमता लाती है।

पारवाहन आवरण

- (क) योजना बद्ध पशुओं के लिए, पशुओं की खरीदी के स्थान से पशुओं के अस्तबल तक पारवाहन के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। गैर योजना बद्ध पशुओं के लिए यह दूरी 80 कि. मी. से अधिक नहीं हो सकती।
- (ख) पॉलिसी की चालू अवधि के दौरान पशुओं के स्थानांतरण के मामले में, यदि स्थानांतरण 80 कि. मी. के दायरे में है तो पारवाहन आवरण को नये मालिक से कोई अतिरिक्त प्रीमियम लिये बिना भी विस्तारित किया जा सकता है।
- (ग) यदि पारवाहन 80 कि. मी. से अधिक है तो 1% अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा और यह पारवाहन केवल सड़क व रेल माध्यम से होना चाहिए, पैदल नहीं।

7. अपवर्जन

(क) सामान्य अपवर्जन :

- (1) दुर्भावनापूर्ण अथवा जानबूझकर चोट पहुंचाना अथवा लापरवाही, अधिक लदान, अदक्षतापूर्ण व्यवहार अथवा पॉलिसी में दिये गए उद्देश्य के अतिरिक्त पशु का उपयोग (कंपनी की लिखित सहमति के बिना)।
- (2) जोखिम शुरू होने से पूर्व घटी दुर्घटना और / अथवा बीमारी।
- (3) पशुओं का जानबूझ कर वध केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ योग्यता प्राप्त पशु विशेषज्ञों के प्रमाण-पत्र के आधार पर असाध्य पीड़ा को मानवीय आधार पर समाप्त करने के लिए पशु का वध किया जाए अथवा जहाँ वध कानूनी प्राधिकारी द्वारा निर्देशित हो।
- (4) बीमित पशु की अवैध बिक्री या चोरी।
- (5) युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्रवाई, दुर्घटनी (युद्ध घोषित हो अथवा नहीं) नागरी युद्ध, विद्रोह, क्रांति, राजद्रोह, गदर, दंगा फसाद, मिलीटरी, या शक्ति हरण या उसके अन्य परिणाम या डर पैदा करने का प्रयास।
- (6) चूल्कीय शस्त्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या उसके कारण से उत्पन्न कोई दुर्घटना, हानि, नाश या कानूनी देयता।
- (7) किसी भी प्रकार की परिणामी हानि।
- (8) हवाई अथवा समुद्री पारवहन।

(9) जोखिम के शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर संक्रमित बीमारी के कारण आए गैर-योजना दावे देय नहीं हैं ।

(ख) विशिष्ट अपवर्जन :

(1) लखीमपुर और सिबासागर जिलों के पशुओं के संबंध में और आसाम के इन दो जिलों से निकले किसी भी जिले के संबंध में प्लरोन्यूमोनिया ।

(2) “ईयर टैग” के बिना प्राप्त दावे ।

8. अतिरिक्त पॉलिसी शर्तें

(1) 15 दिनों के प्रतीक्षा समय का प्रावधान पॉलिसी शर्त सं. 8 के रूप में शामिल होना चाहिए । जिस के शब्द निम्न अनुसार हो ।

“जोखिम शुरू होने के 15 दिनों के अंदर यदि पशु की मृत्यु किसी बीमारी के कारण होती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर दावा भुगतान की बाध्यता नहीं होगी ।”

(2) टैग नहीं तो दावा नहीं के प्रावधान को पॉलिसी शर्त सं. 9 के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ।

जिसके शब्द निम्न अनुसार होंगे :

“पॉलिसी में आवरित पशुओं की मृत्यु की स्थिति में जब तक ईयर टैग कंपनी में जमा नहीं किया जाता दावा / दावों को देखा नहीं जाएगा । यदि ईयर टैग खो जाता है तो यह बीमाधारक की जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी तुरंत सूचना कंपनी को दे और पशु को दोबारा टैग करे ।”

9. पशु चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण

(क) प्रत्येक प्रस्ताव के लिए पशु की आयु, पहचान चिन्ह और स्वास्थ्य की रिपोर्ट एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से प्राप्त करनी होगी । यह रिपोर्ट / प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से भरे गए विहित प्रोफार्म में प्राप्त करनी होगी ।

(ख) जहाँ पर प्रशिक्षित पशु चिकित्सक उपलब्ध न हो वहाँ बीमालेखन विभाग प्रधान कार्यालय के अनुमोदन से डिलोमाधारी पशु निरीक्षण से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकते हैं ।

(ग) यदि नवीनीकरण, पॉलिसी समाप्ति पर या उससे पूर्व किया जाता है तो पशु बीमा पॉलिसी के नवीकरण पर पुनः पशु चिकित्सक परीक्षण की जरूरत नहीं होगी बशर्ते कि पशु बीमा योग्य उम्र में हो ।

(घ) बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के प्रत्येक बड़े पशु को टैग करने और परीक्षण करने के लिए बीमाकर्ता पशु चिकित्सक शुल्क रु. 50/- और रु. 25/- का भुगतान कर सकता है । योजनाबद्ध पशुओं के लिए किसी पशुचिकित्सक परीक्षण शुल्क व टैगिंग शुल्क देय नहीं है ।

(च) पशु की मृत्यु के बाद पशु चिकित्सक की जांच की फीस और यदि आवश्यक हो तो पोस्टमॉर्टम फीस का भुगतान बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा । यदि संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित पशु चिकित्सक मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने के लिए उपलब्ध न हो तो बीमाकर्ता अपने विवेकाधिकार पर उचित वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है । भुगतान की जानेवाली अधिकतम फीस निम्न अनुसार होगी । फीस भुगतान से पूर्व पोस्टमॉर्टम किया जाना और रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

शुल्क अनुसूची

(क)	मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए	रु. 50/- प्रत्येक पशु के लिए
(ख)	पोस्टमॉर्टम परीक्षण कर रिपोर्ट जारी करने के लिए	रु. 150/- प्रत्येक पशु के लिए

- (i) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पशु चिकित्सकों / जांचकर्ताओं का एक पैनल बनाया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं का उपयोग, जोखिम स्वीकृत करते समय, दावों के निपटान के समय और जांच के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है ।
- (ii) पशु चिकित्सकों / जांचकर्ताओं के कार्यनिष्ठादान का मूल्यांकन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रोफार्मों के आधार पर किया जाना चाहिए ।
- (iii) दावों की जांच / व्यावसायिक सलाह के लिए पशु चिकित्सकों को देय शुल्क का स्तर

प्रति दावा तकनीकी सलाह के लिए व्यावसायिक शुल्क	रु. 150/-
प्रति दिन देय दैनिक भत्ता	रु. 150/-
प्रति दावा स्पॉट जांच के लिए व्यावसायिक शुल्क	रु. 200/-
यात्रा भत्ता - यदि रेल यात्रा है तो रेल का प्रथम श्रेणी का वास्तविक किराया अन्यथा दोपहिया वाहन या वास्तविक बस किराया लागू होगा ।	
व्यक्तिगत पशु दावे की पूर्ण जांच के लिए	रु. 300/- तथा उसी क्षेत्र के अतिरिक्त दावे के लिए रु. 200/- (यदि दोनों साथ दिये गए हों)
पशुओं की तस्वीरें (अधिकतम 2)	रु. 30 प्रति

10. पशु की पहचान

- सभी बीमित पशुओं की, नीचे दिए गए तरीकों में से एक अथवा अधिक द्वारा पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए :
- (क) सही प्रकार की सामग्री से बने “ईयर टैग” का उपयोग किया जाए । ईयर टैग की लागत और टैगिंग लागत बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
- (ख) स्वाभाविक पहचान चिन्ह और रंग का प्रस्ताव प्रपत्रों और पशु चिकित्सक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख हो ।
- (ग) अधिक मूल्य के पशु के लिए फोटो जरुरी हो ।

टैगिंग शुल्क

- (1) चूंकि पशु चिकित्सक की फीस में टैगिंग फीस भी शामिल है अतः अलग से टैगिंग फीस देने की जरुरत नहीं है ।
- (2) पशु को दोबारा टैग करने की फीस रु. 10/- प्रति बड़ा पशु हो ।

11. हित का अंतरण

कंपनी को पूर्व नोटिस दिए जाने की शर्त पर पॉलिसी को एक अनुमोदित नए मालिक को अंतरित किया जा सकता है या एक नये पशु (दूसरे) को आवरित किया जा सकता है बशर्ते कि यथानुपात आधार पर प्रीमियम का समावोजन और ईयर टैग तथा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो । रु. 15 की अंतरण फीस ली जाएगी ।

12. दावा प्रक्रिया गैर योजनाबद्ध पशु

पशु की मृत्यु हो जाने पर बीमाकर्ता को इसकी तुरंत सूचना भिजवाई जानी चाहिए एवं निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए :

- (क) विधिवत रूप से भरा हुआ दावा पत्र ।
- (ख) कंपनी के प्रारूप पर अहता प्राप्त पशु चिकित्सक से लिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- (ग) शब्द परीक्षण रिपोर्ट ।
- (घ) पशु से संबंधित कान के टैग को जमा करा दिया जाना चाहिए । बीमालेखन कार्यालयों को “टैग नहीं तो दावा नहीं” के सिद्धांत का पालन करना चाहिए । यदि टैग जमा नहीं करवाया जाता है तो सामान्यतः दावा

का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। तथापि वास्तविक कठिनाई की स्थिति में उच्च सक्षम प्राधिकारी दावा पर विचार कर सकता है बशर्ते पशु की पहचान सिद्ध हो जाए।

(च) पशु का मृत्यु उसकी उम्र आदि को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से तय किया जाना चाहिए।

योजनाबद्ध पशु

पशु की हानि/मृत्यु की सूचना, कंपनी/वित्तदाता बैंक को तुरंत 7 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। दावेदार को 30 दिन के अंदर निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है :

(क) कान के टैग सहित विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र।

(ख) पशु चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया प्रमाण पत्र :

- i) गाँव का सरपंच
 - ii) सहकारी साख समिति का अध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य
 - iii) दुग्ध संग्रह केन्द्र का अधिकारी।
 - iv) किसी बैंकिंग अथवा साख संस्था (वित्तदाता बैंक के अलावा) का पर्यवेक्षक / निरिक्षक / अधिकारी।
 - v) डीआरडीए अथवा इसका प्राधिकृत नामिति।
 - vi) पंचायत का सचिव एवं उपाध्यक्ष।
 - vii) ग्राम राजस्व अधिकारी / ग्राम लेखाकार।
 - viii) किसी प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक।
- बशर्ते वे यह घोषणा करें कि उन्होंने पशुशव एवं कान में लगा टैग उसके क्रमांक के उल्लेख के साथ देख लिया है।

(ग) शव परीक्षण रिपोर्ट, यदि शव का परीक्षण किया गया हो।

स्थायी पूर्ण अपंगता के लिए दावा प्रक्रिया

(क) अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाय।

(ख) हमारे पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा भी पशु का निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) इलाज, दी गई दवाओं, रसीद आदि का पूर्ण चार्ट लिया जाना चाहिए। (विशेष परिस्थितियों में बीमालेखन कार्यालय स्वतंत्र अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक अथवा अतिरिक्त जाँचकर्ता को नियुक्त कर सकता है।)

(घ) पशु चिकित्सक / कंपनी के डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने के दो महीने के बाद दावा स्वीकृति पर विचार किया जाय। दावा निपटान से पूर्व कंपनी के पशु चिकित्सक को पशु की जाँच करनी चाहिए एवं स्थायी पूर्ण अपंगता की पुष्टि करनी चाहिए।

(च) क्षतिपूर्ति बीमा राशि के 75% तक सीमित है।

13. साल्वेज

दावे में से कोई साल्वेज की राशि नहीं काटी जाएगी।

1.1 योजना / गैर योजना लाभार्थियों हेतु बछड़ा / बछिया पालन बीमा योजना

1. कार्यालय सावधानी के साथ इस योजना को लागू कर सकते हैं एवं योजना की समीक्षा के लिए पृथक आंकड़े रखे जा सकते हैं।
2. बीमा राशि केवल सांकेतिक होती है एवं स्थानीय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नीचे दिए गए तरीके का प्रयोग करते हुए आनुपातिक प्रीमियम लिया जा सकता है।

3. आवरण की न्यूनतम अवधि 12 माह से कम नहीं होनी चाहिए ।
4. गैर योजनाबद्ध पशुओं के मामले में प्रीमियम दर 4% होगी एवं तदनुसार प्रीमियम राशि की गणना की जाएगी । योजनाबद्ध पशुओं के लिए प्रीमियम दर 2.25% होगी ।
5. प्रीमियम राशि की गणना 1 दिन से लेकर 32 माह तक की जाती है । उदाहरणार्थ, योजनाबद्ध पशुओं के लिए 32 माह का प्रीमियम रु. 207.00 है एवं संलग्न तालिका अनुसार गैर योजनाबद्ध पशुओं के लिए 32 माह का प्रीमियम रु. 368.00 है ।
6. प्रीमियम की गणना के लिए अपनाया गया सूत्र निम्नानुसार है :

			योजनाबद्ध पशु	गैर योजनाबद्ध पशु
जोड़ें : 1 दिन से लेकर 32 माह तक की सकल बीमा राशि	=	रु.	1,10,450.00	1,10,450.00
32 माह के लिए औसत बीमा राशि	=	रु.	3,451.60 या 3452.00	3,451.60 or 3452.00
औसत राशि पर प्रीमियम दर लागू करें	=	रु.	3,452 x 2.25 77.65	3,452 x 4.00 138.08
एक माह के लिए औसत	=	रु.	77.66 / 126.47	138.08 / 1211.50
32 माह के लिए प्रीमियम	=	रु.	6.47 x 32 207.00	11.50 x 32 368.00

यदि आवरण 6 माह के बाद से दिया जाता है तो प्रीमियम की गणना करते समय पूर्व के महीनों की बीमा राशि को सकल बीमित राशि में से घटा दिया जाता है ।

7. आवरण का क्षेत्र एवं अपवर्जन मानक पशु बीमा पॉलिसी के अनुसार ही हैं ।
8. दावा प्रक्रिया पशु बीमा पॉलिसी की तरह ही रहेगा ।

जहाँ तक भैंस के बच्चों का संबंध है तो विद्यमान योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

बछड़ा पालन योजना की 1 दिन से 32 माह तक की मूल्यांकन तालिका (गाय का बछड़ा)		बछड़ा पालन योजना की 1 दिन से 45 माह तक की मूल्यांकन तालिका (भैंस का बछड़ा)	
बीमा आरम्भ होने के समय आयु	कॉलम 1 में उल्लिखित सम्बन्धित माह में मृत्यु हो जाने की दशा में भुगतान योग्य राशि	बीमा आरम्भ होने के समय आयु	कॉलम 1 में उल्लिखित सम्बन्धित माह में मृत्यु हो जाने की दशा में भुगतान योग्य राशि
1 दिन से 1 माह	750	1 दिन से 1 माह	750
1 से 2 माह	1000	1 से 2 माह	1000
2 - 3 माह	1500	2 - 3 माह	1500
3 - 4 माह	2000	3 - 4 माह	2000
4 - 5 माह	3000	4 - 5 माह	3000
5 - 6 माह	4000	5 - 6 माह	4000
6 - 7 माह	5000	6 - 7 माह	5000
7 - 8 माह	6000	7 - 8 माह	6000

8 - 9 माह	7000	8 - 9 माह	7000
9 - 10 माह	8000	9 - 10 माह	8000
10 - 11 माह	9000	10 - 11 माह	9000
11 - 12 माह	10000	11 - 12 माह	10000
12 - 13 माह	11500	12 - 13 माह	11500
13 - 14 माह	12750	13 - 14 माह	12750
14 - 15 माह	14000	14 - 15 माह	14000
15 - 16 माह	15250	15 - 16 माह	15250
16 - 17 माह	16500	16 - 17 माह	16500
17 - 18 माह	18000	17 - 18 माह	18000
18 - 19 माह	19500	18 - 19 माह	19500
19 - 20 माह	21000	19 - 20 माह	21000
20 - 21 माह	22500	20 - 21 माह	22500
21 - 22 माह	24000	21 - 22 माह	24000
22 - 23 माह	25500	22 - 23 माह	25500
23 - 24 माह	27000	23 - 24 माह	27000
24 - 25 माह	28500	24 - 25 माह	28500
25 - 26 माह	30000	25 - 26 माह	30000
26 - 27 माह	31500	26 - 27 माह	31500
27 - 28 माह	33000	27 - 28 माह	33000
28 - 29 माह	34500	28 - 29 माह	34500
29 - 30 माह	35500	29 - 30 माह	35500
30 - 31 माह	37000	30 - 31 माह	37000
31 - 32 माह	37500	31 - 32 माह	37500
		32 - 33 माह	38000
		33 - 34 माह	38500
		34 - 35 माह	39000
		35 - 36 माह	39500
		36 - 37 माह	40000
		37 - 38 माह	40500
		38 - 39 माह	41000
		39 - 40 माह	41500
		40 - 41 माह	42000
		41 - 42 माह	42500
		42 - 43 माह	43000
		43 - 44 माह	43500
		44 - 45 माह	44000

भैंस के बच्चे हेतु मूल्यांकन तालिका

आयु	बीमा राशि हेतु मूल्यांकन	
4 दिन से 1 माह	रु. 125/-	4 दिन से 45 माह तक की
2 रा माह	रु. 175/-	संपूर्ण अवधि के लिए
3 रा माह	रु. 200/-	प्रीमियम दर रु. 145/-
4 था माह	रु. 250/-	प्रति भैंस का बच्चा
5 वा माह	रु. 325/-	
6 वा माह	रु. 400/-	
7 वें माह से 12 वें माह तक	रु. 850/-	
13 वें माह से 24 वें माह तक	रु. 1500/-	
25 वें माह से 36 वें माह तक	रु. 2000/-	
37 वें माह से 45 वें माह तक	रु. 3000/-	

1.2 भ्रूण (अजन्मा बछड़ा) बीमा योजना

यह आवरण पशु बीमा पॉलिसी के साथ एक अलग पॉलिसी के रूप में दिया जा सकता है।

क्षेत्र

यह योजना दुर्घटना के कारण होने वाली भ्रूण की मौत अथवा गर्भधारण के माध्यम से या बाह्य स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से लगी बीमारी के जोखिम को आवरित करती है। यह योजना पसंदीदा दाता के माध्यम से समकालिक धारणकर्ता (Recipient) को भ्रूण रोपण अथवा धारणकर्ता को फ्रोजन भ्रूण रोपण दोनों के लिए तथा कृत्रिम गर्भधान तकनीक द्वारा विकसित भ्रूण के लिए भी लागू है। धारणकर्ता गाय के गर्भाशय के भ्रूण को अलग पॉलिसी के द्वारा आवरित किया जा सकता है, यह पॉलिसी धारणकर्ता गाय / भैंस को आवरित करने वाली पशु बीमा पॉलिसी के अलावा होती।

आवरण की अवधि

बीमा आवरण सजीव गुणवत्ता के भ्रूण रोपण / सफल गर्भधन के 60 वें दिन से आरम्भ होगा परन्तु यह अर्हता प्राप्त पशु चिकित्सक, विशेष रूप से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा जारी गर्भाधान की पुष्टि संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन होगा। गाय के लिए, गर्भाधान पुष्टि की दिनांक से 220 (+/-5) दिन के बाद अथवा उसके ब्याने की दिनांक, जो भी पहले हो को आवरण समाप्त हो जाता है। मानक पशु बीमा पॉलिसी की तरह धारणकर्ता / गाय के लिए बीमा की अवधि वार्षिक होती है।

आवरित आपदा

- मृत जन्म (यदि बछड़ा मर गया हो)।
- सभी प्रकार का गर्भपात सिवाय उनके जो कि बीमाधारक की दुर्भावना के कारण हुए हों अथवा उससे प्रभावित हों। किसी तृतीय पक्ष की बदनीयती अथवा उसके प्रभाव के कारण हुआ गर्भपात आवरण की परिधि में आता है।
- दुर्घटनात्मक जोखिम - सड़क / रेल द्वारा परिवहन सहित बाह्य हिंसक एवं दृश्य कारणों से हुई क्षति।
- डाउनर गाय सिंड्रोम, गर्भाशय भ्रंश, गर्भाशय की ऐंठन / मरोड़, अवयवों का भंग होना / टूट जाना जैसी परिस्थितियों के चलते मादा पशु को बचाने हेतु पशु चिकित्सक की सलाह पर जानबूझकर करवाया गया गर्भपात।

बीमा राशि / मूल्यांकन तालिका

मूल्यांकन तालिका का निर्धारण इनपुट लागत के आधार किया जाता है जिसमें कि सीमन / भ्रूण की लागत एवं गर्भ को बचाए रखने के लिए ली जाने वाली दवाइयों की लागत शामिल होती हैं।

(i) भ्रूण

भ्रूण की आयु	ई. टी. तकनीक के माध्यम से रु.	ए. आई. के माध्यम से रु.
60 दिन	1000/-	500/-
61 – 90 दिन	1100/-	600/-
91 – 120 दिन	1200/-	700/-
121 – 150 दिन	1300/-	800/-
151 – 180 दिन	1400/-	900/-
181 – 210 दिन	1500/-	1000/-
211 – 240 दिन	1650/-	1100/-
241 – 270 दिन	1800/-	1200/-
271 – एवं उससे ऊपर	2000/-	1500/-

(ii) धारक / माता गाय

पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बाजार मूल्य अथवा बीमित राशि जो भी कम हो ।

प्रीमियम

- (i) भ्रूण : रु. 75/- (निवल) कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली के तहत गर्भाधान की किसी भी स्टेज पर ।
रु. 100/- (निवल) भ्रूण रोपण प्रणाली के तहत ।
- (ii) धारक / माता गाय : दर, लागू पशु बीमा योजना के अनुसार ही है ।

अपवर्जन

1. भ्रूण की निकृष्ट गुणवत्ता

आवरण तभी चालू रहेगा जब भ्रूण की आपूर्ति साबरमती आश्रम स्थित मुख्य एम्प्रियो बायो टैक्नॉलॉजी (ट्रान्सफर) लैबोरेटरी, अहमदाबाद स्थित गौशाला, राष्ट्रीय डेपर्टमेंट विकास बोर्ड द्वारा स्थापित 4 क्षेत्रीय केन्द्र - हसरगट्टा (Hassarghatta), नासिक (Nashik), सेलोन (Salon), नाकरिकल्लू (Nakarikallu) एवं विभिन्न राज्यों में स्थित 25 राज्य स्तरीय केन्द्रों, द्वारा हो अथवा बीमार्कर्ट्स द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त विच्छात केन्द्रों जैसे रेमण्डस ऐम्ब्रियो रिसर्च सेंटर, बिलासपुर, मध्यप्रदेश द्वारा उत्पादित भ्रूण द्वारा की गयी हो ।

2. भ्रूण की अकुशल संभाल

अर्हताप्राप्त पशुचिकित्सक जिन्होंने कि भ्रूण ट्रान्सफर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण लिया हो, द्वारा रोपित भ्रूण को ही इस पॉलिसी द्वारा आवरित किया जाएगा । प्रस्तावपत्र में भ्रूण रोपित करने वाले व्यक्ति की योग्यता एवं प्रशिक्षण संबंधी विवरण दर्शाए जाने चाहिए ।

3. गर्भावस्था की किसी भी अवरस्था में भ्रूण की अकुशल एवं गलत ढंग से संभाल ।

4. बीमाधारक द्वारा किया गया कोई दुर्भावनाजन्य कृत्य जिसके कारण मृत्यु, मृत बच्चे का जन्म अथवा भ्रूण का गर्भपात हो जाय ।

5. गर्भ धारण करने वाले पशु के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की असावधानी / लापरवाही पूर्ण कृत्य के कारण हुआ गर्भपात / मृत बच्चे का जन्म ।

6. स्ट्रॉयड के प्रयोग / अथवा कॉट्रो इंडीकेटैड टीकाकरण के कारण हुई मौत अथवा भ्रूण का निष्कासन ।

पशु की गर्भावस्था का प्रमाणीकरण

चूंकि गर्भावस्था की पुष्टि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है अतः प्रस्ताव के समय दस्तावेजी सबूत बतौर गर्भ का प्रमाण पत्र लेने संबंधी शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है । भ्रूण की आयु के सही निर्धारण के लिए प्रस्ताव के साथ गर्भाधान की सभी रसीदें भ्रूण रोपण की रसीद भी आवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

मानक पशु बीमा पॉलिसी की अन्य सभी शर्तें व प्रतिबंध लागू रहेंगे । बीमाधारक द्वारा बीमा कंपनी को यदि कोई दावा हो तो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए ।

भेड़ तथा बकरी बीमा

1. क्षेत्र

यह योजना भारत में भेड़ तथा बकरी के बीमालेखन करने की दरें, शर्तें और प्रतिबंध प्रदान करती है। सभी देशी, संकर जाति और विदेशी भेड़ और बकरी को इस योजना के तहत आवरित किया जायेगा।

टिप्पणी :

- (क) देशी का अर्थ है जिसके माता - पिता भारतीय जाति के हैं।
(ख) विदेशी का अर्थ है जिसके माता - पिता विदेशी जाति के हैं। इसमें भारत में पैदा हुए और विदेशों में पैदा हुए दोनों प्राणी शामिल हैं।
(ग) संकर जाति का प्राणी मतलब बीमा की दृष्टि से वह प्राणी जिसके माता - पिता में से कोई एक विदेशी जाति का है।

2. आयु समूह

- गैर योजना पशु : 6 माह से 6 वर्ष
योजनाबद्ध पशु : 4 माह से 7 वर्ष

3. मूल्यांकन और बीमा राशि

- क) भेड़ और बकरियों का बाजार मूल्य जातिनुसार, क्षेत्रवार तथा समय - समय पर बदलता रहता है। बीमा की स्वीकृति और दावों के निपटान के लिए भी जाँच - परीक्षण करनेवाले पशु चिकित्सक की सिफारिशों को योग्य मार्गदर्शी माना जायेगा।
ख) बीमा राशि बाजार मूल्य के 100% से अधिक नहीं होगी।

4. प्रीमियम दरें

- क) देशी पशु - 4% सकल प्रति वर्ष
ख) संकर पशु - 5% सकल प्रति वर्ष
ग) विदेशी पशु - 6% सकल प्रति वर्ष

(टिप्पणी : योजनाबद्ध पशुओं के लिए प्रीमियम दर निवल 2.75% हैं)

5. समूह छूट

पशुओं की संख्या	छूट का प्रतिशत
100 पशुओं तक	कोई छूट नहीं
101 से 500 तक	कुल प्रीमियम का 5%
501 से 1000 तक	कुल प्रीमियम का 7.5%
1001 से 5000 तक	कुल प्रीमियम का 10%
5001 से 10000 तक	कुल प्रीमियम का 15%
10,000 से अधिक पशु	कुल प्रीमियम का 20%

6. न्यूनतम प्रीमियम

न्यूनतम प्रीमियम प्रति पॉलिसी रु. 30/- होगा ।

7. अल्पावधि दरें

<u>अवधि (से अधिक नहीं)</u>	<u>प्रीमियम का अनुपात</u>
1 सप्ताह	— वार्षिक दर का 1/8
1 माह	— वार्षिक दर का 1/4
2 माह	— वार्षिक दर का 3/8
3 माह	— वार्षिक दर का 1/2
4 माह	— वार्षिक दर का 5/8
5 माह	— वार्षिक दर का 3/4
8 माह	— वार्षिक दर का 7/8
8 माह से अधिक	— पूर्ण वार्षिक प्रीमियम

8. बीमा आवरण

यह पॉलिसी दुर्घटना के कारण जिसमें अग्नि, तड़ित, बाढ़, अकाल भूकंप, भूस्खलन, हड्डताल, दंगा शामिल हैं अथवा बीमा अवधि के दौरान लग गई या घटित हुई बीमारियों के कारण भेड़ और बकरियों की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है ।

भेड़ और बकरी बीमा के लिए मानक पॉलिसी शब्दावली विद्यमान नमूना क्लॉज के अनुसार इस्तेमाल की जायेगी ।

9. अपवर्जन

- क) सामान्य अपवर्जन : पशु बीमा योजना मद क्र. 7 (क) के अनुसार
- ख) विशिष्ट अपवर्जन : एन्टरोटोक्सेमिया, शीप पॉक्स, गोट पॉक्स, रिन्डस्पेस्ट, एफएमडी, एन्थ्रॉक्स, एच.एस., बी. क्यू.

यदि पशु का सफलतापूर्वक टीकाकरण (सुरक्षितता) किया गया हो और आवश्यक शत्याचिकित्सक प्रमाणपत्र कंपनी को प्रस्तुत किये गये हों तो पॉलिसी में इन बीमारियों को आवरित किया जा सकता है ।

10. पशुचिकित्सक जाँच

- क) प्रत्येक प्रस्ताव के साथ पशुचिकित्सक सर्जन की रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें उम्र, पहचान चिह्न, पशु का स्वास्थ्य बताया गया हो और यह भी दर्शाया गया हो कि सुरक्षात्मक टीकाकरण पूरा किया जा चुका है ।
- ख) जहाँ कहीं पशुचिकित्सक सर्जन उपलब्ध न हों वहाँ बीमालेखन कार्यालय प्रधान कार्यालय की मंजूरी से पशुधन निरीक्षकों / पर्यवेक्षकों द्वारा, जो डिप्लोमाधारक हों, जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों को स्वीकार कर सकते हैं ।
- ग) यदि समय पर नवीकरण किया जाये तो फिर से नयी पशुचिकित्सा जाँच की आवश्यकता नहीं है ।
- घ) प्रस्ताव की स्वीकृति के समय बीमाकर्ता पशुचिकित्सकों को प्रति पशु रु. 1/-, जाँच शुल्क के लिए दे सकते हैं ।

11. पशुओं की पहचान

सभी बीमाकृत पशुओं को मेटल इयर टैग लगाकर और/या टैटू लगाने की पद्धति के जरिए उचित रूप से पहचान योग्य बनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक पहचान चिह्नों को स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में तथा पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में दर्शाया जाना चाहिए। कान में टैग लगाने की लागत को छोड़कर रु. 1/- प्रति पशु टैरिंग प्रभार के अलावा कोई और प्रभार कंपनी द्वारा बहन नहीं किया जायेगा।

12. हानि निपटान

हानि निपटान, पशुचिकित्सा सर्जन द्वारा प्रमाणित बाजार मूल्य के आधार पर या बीमा राशि पर, जो भी कम हो, किया जायेगा।

13. दावा प्रक्रिया

मृत्यु के मामले में तत्काल सूचना कंपनी को दी जानी चाहिए और बीमाधारक द्वारा निम्न दस्तावेज तथा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म।
- कंपनी के फॉर्म पर पशुचिकित्सक से मृत्यु प्रमाणपत्र।
- पोस्ट मॉर्टम जाँच रिपोर्ट।
- इयर टैग जहाँ लागू हो।

14. साल्वेज : दावों में से कोई साल्वेज मूल्य काटा नहीं जायेगा।

15. विशेष परिस्थितियों में कंपनी स्वतंत्र पशुचिकित्सा सर्जन को या दूसरे अन्वेषक को नियुक्त कर सकती है।

16. हित का अंतरण

पशु बीमा के मामले के अनुसार ही वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनायी जानी चाहिए।

17. भेड़ और बकरियों का स्थानांतरण

अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में जब बीमाकृत पशुओं का स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है तब, भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होनेवाले दावे देय होते हैं। उपर्युक्त प्राकृतिक स्थिति में भेड़ और बकरियों को निचले इलाके से ऊँचाईवाले इलाके में उस क्षेत्र की मोसम स्थितियों को देखते हुए ले जाना पड़ता है, जिसके लिए इस आवरण को उस परिस्थिति में शिथिल करते हुए विस्तारित किया जाता है। साथ ही भेड़ और बकरियों का 80 कि. मी. के दायरे में स्थानांतरण बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के अनुमत होता है।

18. मानक प्रपत्र

निम्न प्रपत्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

- प्रस्ताव प्रपत्र
- जोखिम स्वीकारने के लिए पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र (फीटनेस प्रमाणपत्र)
- दावा प्रपत्र
- दावे के दौरान पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए (मृत्यु प्रमाणपत्र और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट)।

कुक्कुट बीमा

क. पोल्ट्री फार्मस् हेतु व्यापक आवरण

1. क्षेत्र

यह योजना भारत में कुक्कुट बीमा व्यवसाय के बीमालेखन हेतु दर, शर्तें व प्रतिबंध उपलब्ध कराती है। 'कुक्कुट' शब्द का तात्पर्य (अ) लेअर्स (ब) ब्रॉइलर्स (क) पेरेंट स्टॉक (हैचरी) से है जो विदेशी एवं दो - नस्ली होते हैं। देशी एवं अज्ञातकुल वाले पक्षी बीमित नहीं किए जाएंगे। इसके बाद, केवल व्यापक आवरण एवं पेरेंट स्टॉक (हैचरी) आवरण ही उपलब्ध है।

टिप्पणी :

- (क) विदेशी पक्षी से तात्पर्य भारत अथवा विदेश में जन्मे उन पक्षियों से हैं जिनके माता-पिता विदेशी नस्ल के हैं।
- (ख) बीमे के संदर्भ में दो - नस्ली पक्षी का तात्पर्य उस पक्षी से है जिसके माता-पिता में से कोई एक विदेशी नस्ल का हो।
- (ग) ऊपर दिए गए पक्षियों के अलावा किन्हीं अन्य पक्षियों से संबंधित कोई प्रस्ताव इस योजना की परिधि में नहीं आता है।

2. उपयुक्तता

- क. यह योजना भारत में स्थित सभी प्रकार के विदेशी एवं दो-नस्ली कुक्कुट पक्षियों वाले सभी पोल्ट्री फार्मस् के लिए लागू है।
- ख. फार्म के सभी पक्षियों को आवरित करना होगा। पॉलिसी जारी होने के बाद यदि फार्म में और पक्षी आते हैं तो बीमाकर्ता को इसकी तुरंत सूचना दी जानी चाहिए अन्यथा दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग. यह योजना उन पोल्ट्री फार्मस् के लिए लागू है जहाँ न्यूनतम पक्षियों की संख्या निम्नानुसार रहती हो :

- (i) बैंक ऋण के तहत (सभी प्रकार के पक्षियों के लिए) योजना :

100 (अथवा आर्डआरडीपी नियमानुसार) गैर-योजना 500

- (ii) सामान्य :

(क) ब्रॉइलर्स 100 प्रति बैच

(ख) लेअर्स 500 प्रति बैच

(ग) हैचरी 2000 पक्षी प्रति बैच

3. आयु वर्ग

ब्रॉइलर्स	(i)	1 दिन से 8 सप्ताह
	(ii)	1 दिन से 6 सप्ताह
लेअर्स	(iii)	1 दिन से 20 सप्ताह
	(iv)	21 सप्ताह से 72 सप्ताह
	(v)	1 दिन से 72 सप्ताह
हैचरी पक्षी (पेरेंट स्टॉक)		1 दिन से 72 सप्ताह

4. प्रीमियम दर

		योजना (निवल)	गैर-योजना (सकल)	वार्षिक प्रीमियम
क	ब्रॉइलर्स 1 दिन से 8 सप्ताह	रु. 0.25 प्रति पक्षी प्रति बैच (निवल) अथवा	1.5%	6.00%
	1 दिन से 6 सप्ताह	रु. 1.00 प्रति पक्षी प्रति वर्ष (निवल)	1.20%	4.80%
ख	लेअर्स 1 दिन से 20 सप्ताह	*	3.20 %	
	21 सप्ताह से 72 सप्ताह	*	3.50%	
	1 दिन से 72 सप्ताह	*	5.50%	
	*(1 दिन से 72 सप्ताह)	रु. 0.80 निवल प्रति पक्षी		
ग	पेरेंट स्टॉक (हैचरी)		5%	

टिप्पणी :

- i) उक्त सभी श्रेणियों में पक्षियों के सर्वोच्च मूल्य के ऊपर प्रीमियम लिया जाएगा ।
- ii) पेरेंट स्टॉक पक्षी के लिए न्यूनतम मूल्य रु. 200/- (मोल भाव योग्य) होगा ।
- iii) योजना (केवल लेअर्स एवं ब्रॉइलर्स के लिए) के लिए निम्नलिखित तालिका एवं अल्प अवधि दरें प्रयोग में लाई जा सकती हैं :

अवधि सप्ताह में	स्कीम चार्ट के अनुसार भुगतान योग्य अधिकतम मूल्य लेअर्स रु. ब्रॉइलर्स रु.	अवधि सप्ताह में	स्कीम चार्ट के अनुसार भुगतान योग्य अधिकतम मूल्य लेअर्स रु.
1 दिन का	5.00	5.00	15 सप्ताह
1 सप्ताह	6.00	6.00	16 सप्ताह
2 सप्ताह	6.50	6.50	17 सप्ताह
3 सप्ताह	7.00	7.00	18 सप्ताह
4 सप्ताह	7.50	7.50	19 सप्ताह
5 सप्ताह	8.00	8.00	20 सप्ताह
6 सप्ताह	8.50	10.50	21 सप्ताह
7 सप्ताह	9.00	12.00	22 सप्ताह
8 सप्ताह	10.00	15.00	23 सप्ताह
9 सप्ताह	10.50		24 से 37 सप्ताह
10 सप्ताह	11.00		38 से 45 सप्ताह
11 सप्ताह	11.50		46 से 52 सप्ताह
12 सप्ताह	12.50		53 से 62 सप्ताह
13 सप्ताह	13.50		63 से 72 सप्ताह
14 सप्ताह	14.50		

अल्प अवधि दरें

2 सप्ताह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 1/8
3 माह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 1/4
5 माह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 1/2
6 माह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 5/8
8 माह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 3/4
10 माह तक	बीमे की पूरी अवधि के प्रीमियम का 7/8
10 माह के ऊपर	पूरा प्रीमियम

iv) चूंकि पेरेंट स्टॉक पक्षियों (हैचरी) के लिए कोई मानक मूल्यांकन तालिका एवं गुणक घटक नहीं है अतः मूल्यांकन तालिका को हैचरी के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

5. बीमा राशि

(क)		गैर आईआरडीपी	आईआरडीपी
लेअर्स के लिए अधिकतम बीमा राशि	₹. 75/-	₹. 25/-	
ब्रॉडलर्स के लिए अधिकतम बीमा राशि	₹. 45/-		₹. 15/-

(ख) मूल्यांकन तालिका

- (i) मूल्यांकन तालिका में कोई भी संशोधन प्रधान कार्यालय की स्वीकृति से किया जाना चाहिए।
- (ii) मूल्यांकन चार्ट नीचे दर्शाए गए सूत्र में दिए गए गुणक घटक (multiplier factor) के आधार पर तैयार किया जाएगा :

ब्रॉडलर्स के लिए मूल्यांकन चार्ट निर्धारित करने का सूत्र

सप्ताहवार मूल्य की गणना करते समय निम्नांकित गुणक लागू होगा :

सप्ताह	गुणक घटक	सप्ताह	गुणक घटक
1	0.160	5	1.962
2	0.336	6	2.882
3	0.709	7	3.815
4	1.270	8	4.750

गुणक को प्रचलित आहार लागत के लिए लागू किया जाना है एवं सप्ताहवार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक दिन के चूजे की कीमत को उसमें जोड़ दिया जाना चाहिए।

उदाहरण (काल्पनिक)

एक दिन के चूजे की कीमत रु. 12.65

आहार लागत रु. 7.00 प्रति किलो।

सप्ताहवार मूल्यांकन निम्न प्रकार से होगा (1 दिन से 8 सप्ताह)

सप्ताह	गुणक	\times	आहार लागत	+ चूजे की कीमत	=	योग (रु.)	पूर्ण रु. में
1	0.160	\times	7.00	12.65	=	13.77	14.00
2	0.336	\times	7.00	12.65	=	15.00	15.00
3	0.709	\times	7.00	12.65	=	17.613	18.00
4	1.270	\times	7.00	12.65	=	21.54	22.00
5	1.962	\times	7.00	12.65	=	26.384	26.00
6	2.882	\times	7.00	12.65	=	32.824	33.00
7	3.815	\times	7.00	12.65	=	39.355	39.00
8	4.750	\times	7.00	12.65	=	45.9	45.00

1 दिन से 6 सप्ताह तक के ब्रॉडलर्स के लिए सप्ताहवार मूल्यांकन चार्ट

सप्ताह	मूल्यांकन
1	14.00
2	19.00
3	24.00
4	31.00
5	38.00
6	45.00

लेअर पक्षी का मूल्य निर्धारित करने हेतु सूत्र

सप्ताह	गुणक	सप्ताह	गुणक	सप्ताह	गुणक
1	0.07	11	3.398	21	8.566
2	0.234	12	3.913	22	9.293
3	0.447	13	4.435	23	9.544
4	0.870	14	4.978	24-37	10.200
5	1.120	15	5.523	38-45	7.285
6	1.560	16	6.000	46-52	5.693
7	2.030	17	6.500	53-62	5.523
8	2.560	18	6.925	63-72	4.92
9	2.98	19	7.535		
10	3.334	20	8.170		

गुणक को प्रचलित आहार लागत के लिए लागू किया जाना है एवं सप्ताहवार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक दिन के चूजे की कीमत को उसमें जोड़ दिया जाना चाहिए ।

उदाहरण

काल्पनिक :

- एक दिन के चूजे की कीमत रु. 14.60
- चिक मैश की लागत रु. 6.50 प्रति किलो ।
- ग्रोअर एवं लेअर मैश की लागत रु. 6.00 प्रति किलो ।

मूल्यांकन निम्नानुसार तय किया जाएगा :

संपाद्य	गुणक	\times	आहार लागत	+	चूजे की कीमत	=	योग (रु.)	पूर्ण (रु.) में
1	0.070	\times	6.50	+	14.60	=	15.055	15.00
2	0.234	\times	6.50	+	14.60	=	16.121	16.00
3	0.447	\times	6.50	+	14.60	=	17.055	17.00
4	0.870	\times	6.50	+	14.60	=	20.255	20.00
5	1.120	\times	6.50	+	14.60	=	21.88	22.00
6	1.560	\times	6.50	+	14.60	=	24.74	25.00
7	2.030	\times	6.50	+	14.60	=	27.795	28.00
8	2.560	\times	6.50	+	14.60	=	31.24	31.00
9	2.980	\times	6.50	+	14.60	=	33.97	34.00
10	3.334	\times	6.50	+	14.60	=	36.271	36.00
11	3.398	\times	6.50	+	14.60	=	36.687	37.00
12	3.918	\times	6.50	+	14.60	=	40.0345	40.00
13	4.435	\times	6.50	+	14.60	=	43.4275	43.00
14	4.978	\times	6.50	+	14.60	=	46.957	47.00
15	5.523	\times	6.50	+	14.60	=	50.4995	50.00
16	6.000	\times	6.50	+	14.60	=	53.60	54.00
17	6.500	\times	6.50	+	14.60	=	56.85	57.00
18	6.925	\times	6.50	+	14.60	=	59.6125	59.00
19	7.535	\times	6.00	+	14.60	=	59.81	60.00
20	8.170	\times	6.00	+	14.60	=	63.62	64.00
21	8.566	\times	6.00	+	14.60	=	65.996	66.00
22	9.293	\times	6.00	+	14.60	=	70.358	70.00
23	9.544	\times	6.00	+	14.60	=	71.864	72.00
24-37	10.200	\times	6.00	+	14.60	=	75.80	75.00
38-45	7.285	\times	6.00	+	14.60	=	58.31	58.00
46-52	5.793	\times	6.00	+	14.60	=	49.358	49.00
53-62	5.523	\times	6.00	+	14.60	=	47.738	48.00
63-72	4.920	\times	6.00	+	14.60	=	44.12	44.00

6. बीमा आवरण

कुकुकुट बीमा के लिए मानक पॉलिसी शब्दावली विद्यमान क्लॉज के अनुसार प्रयोग में लायी जाएगी । यह पॉलिसी पक्षियों की दुर्घटना (इसमें अग्नि, तड़ित, बाढ़, चक्रवात, तूफान, झँझावात, भूकम्प, हड्डताल, दर्गे, आतंकवादी कृत्य भी शामिल है) अथवा पॉलिसी अवधि के दौरान लगी बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु के प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी परन्तु यह क्षतिपूर्ति निम्नलिखित अपवर्जनों के अधीन होगी ।

7. अपवर्जन

(क) दुर्घटनाजन्य / जानबूझकर पहुँचाई गई छोट, लापरवाही ।

(ख) परिवहन के किसी भी साधन द्वारा पारगमन ।

(ग) अनुपयुक्त प्रबंधन (अधिक भीड़भाड़ सहित) जैसे यदि हाउसकीपिंग, जल व्यवस्था, आहार, टीकाकरण, कीड़ा उम्मूलन, डीबीकिंग, प्रकाश / ताप व्यवस्था, कलिंग आदि के संबंध में कुकुट निगमों / पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक कुकुट प्रबंधन विनिर्देश एवं मानकों के आधार पर फार्म का संचालन नहीं किया जा रहा हो ।

(च) प्राकृतिक नशरता, अनिर्दिष्ट अथवा अज्ञात बीमारियों या कारणों से हुई हानि / मृत्यु ।

(छ) न्यून विकास, नरभक्षण, शिकारियों की कार्रवाई जैसे पक्षियों का शिकार एवं मांसाहारी पशु ।

(ज) पक्षियों की चोरी एवं गुप्त बिक्री ।

(झ) पक्षियों का इरादतन वध (हत्या) सिवाय उन मामलों के जहाँ योग्यता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर मानवता के नाते, असाध्य पीड़ा से मुक्ति दिलाने तथा बचे हुए स्वस्थ पक्षियों की रक्षा करने के लिए, जिससे कि आगे और हानि न हो, ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो अथवा वे मामले जिनमें ऐसा वध विधिक रूप से गठित प्राधिकारी के आदेशों के तहत किया जाय जिसके लिए बीमा कंपनी को भी सूचित किया जाय ।

(ट) किसी भी कारण से हुई परिणामी क्षति ।

(ठ) किसी भी प्रकार की स्थायी एवं आंशिक अशक्तता ।

(ड) उत्पादन की क्षति जैसे किसी भी कारण से अपेक्षित संख्या में अंडा न दे पाना, लेअर्स के संदर्भ में छोटे आकार का अंडा देना अथवा ब्राइलर्स के मामले में एक निश्चित उम्र में उपयुक्त वजन प्राप्त नहीं हो पाना ।

(ढ) मारेक्स (Marek's) बीमारी, रानीखेत बीमारी, फाउल पॉक्स एवं संक्रामक ब्रॉन्काइटिस । ये बीमारियाँ पॉलिसी द्वारा तभी आवरित की जाती हैं जब कि इन बीमारियों से बचाव के लिए पक्षियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया हो एवं इस आशय का पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र कंपनी को प्रस्तुत किया गया हो । कोकीड़ायोसिस (Coccidiosis) एवं अन्य बीमारियां तभी आवरित की जाती हैं जब कि समय-समय पर निरोधक एवं रोगनाशक उपाय किए जाते हों ।

(ण) कुपोषण / पानी की कमी, पक्षियों को आहार की आपूर्ति नहीं होने के कारण अथवा ऐसे ही किसी अन्य कारण से हुई भुखमरी के कारण होने वाली मृत्यु ।

(त) कम विकसित होना ।

(थ) नरमांस भक्षण ।

(द) पक्षियों के अत्यधिक संख्या भार के कारण होने वाली क्षति ।

(ध) एवियन ल्युकोसिस कॉम्प्लैक्स (ए.एल.सी.) ।

(न) युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु का कृत्य, दुश्मनी (चाहे युद्ध की घोषणा हुई हो अथवा नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, राजद्रोह, गदर, उपद्रव, सेन्य अथवा अनाधिकृत शक्ति अथवा उनकी कोई परेणति या धमकी ।

(य) नाभिकीय हथियारों से उत्पन्न या उनके कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षतः रूप से हुई कोई दुर्घटना, हानि, विनाश, क्षति अथवा विधिक दायित्व ।

8. पशु चिकित्सा जाँच

- i) अहंताप्राप्त पशु चिकित्सक अथवा बीमाकृत के परामर्शदाता पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक है ।
- ii) 5000 पक्षियों से अधिक के लेअर फर्मस् के मामले में फार्म का निरीक्षण विशेषतः कंपनी के पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा पैनल डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए ।
- iii) पशु चिकित्सा स्वास्थ्य / जाँच शुल्क जो कि केवल पैनल डॉक्टर को ही देय होगा, बीमाकर्ता द्वारा

निम्नलिखित चार्ट के अनुसार वहन किया जाएगा :

पक्षियों की संख्या	राशि (रु.)
100 से 500	25
501 से 1000	30
1001 से 5000	40
5001 से आगे	50

- iv) योजनाबद्ध पक्षियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के लिए कोई पशु चिकित्सा शुल्क देय नहीं है।
- v) बीमाकर्ता के पास समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है एवं इसके लिए वह अपने किसी भी प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है।

9. छूट

(क) नो-क्लेम छूट

1 वर्ष पूर्ण होने के बाद दावा नहीं होने पर	प्रीमियम पर 15% की छूट
2 वर्ष पूर्ण होने के बाद दावा नहीं होने पर	प्रीमियम पर 20% की छूट
3 वर्ष पूर्ण होने के बाद दावा नहीं होने पर	प्रीमियम पर 25% की छूट

(लेअर्स के मामले में उक्त छूट के लिए 1 वर्ष का तात्पर्य पॉलिसी अवधि से है)

(ख) अच्छी विशिष्टताओं हेतु छूट : यह छूट जो कि अधिकतम 5% होती है तभी दी जाती है जब कि फार्म नीचे दी गई विशिष्टताओं में से कोई पाँच विशिष्टताएँ रखता हो :

- i) फार्मस में रेसीडेंट / स्वयं का पशु चिकित्सक हो अथवा फार्मस की व्यवस्था पशु चिकित्सक के हाथ में हो।
- ii) फार्मस में लेअर्स की संख्या प्रति बैच 10,000 या उससे अधिक हो। फार्मस में ब्रॉडलर्स की संख्या प्रति बैच 5,000 या उससे अधिक हो।
- iii) फार्मस में मृत पक्षियों के निपटान की अच्छी व्यवस्था हो अर्थात् फार्मस में निर्दहक हो।
- iv) मानक ले-आउट जैसे शेड्स के मध्य उचित दूरी, बाड़ बंदी, हवा अवरोधक पेड़ आदि की सुविधा वाले फार्मस।
- v) परिचृत उपकरणों जैसे स्वचलित आहार एवं जल उपलब्ध कराने वाले उपकरणों की सुविधा वाले फार्मस।
- vi) ऐसे फार्मस जहाँ पर पूर्व बैच में 5% से कम मृत्यु दर रही हो।
- vii) लाप्पमान एवं नमी को नियंत्रित करने के लिए थर्मो रैम्युलेटर की उपलब्धता।

टिप्पणी : उपर्युक्त अच्छी विशेषताएँ कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

10. बीमालेखन संबंधी महत्वपूर्ण शर्तें :

- (क) फार्म / शेड के सभी पक्षी बीमित होने चाहिए।
- (ख) कुकुट फार्म में स्वयं द्वारा स्थापित अथवा परामर्श आधारित पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ग) पक्षियों को उपयुक्त संतुलित मानक आहार, जल एवं प्रकाश की आपूर्ति की जानी चाहिए।
- (घ) नियमित रूप से डीबीकिंग एवं डीवोर्मिंग होनी चाहिए एवं इससे संबंधित अभिलेख रखा जाना चाहिए।
- (च) पक्षियों की निर्धारित न्यूनतम संख्या हमेशा रहनी चाहिए एवं सभी पक्षियों को झुण्ड के आधार पर आवरित किया जाना चाहिए, अतः किसी भी तरह की पहचान की आवश्यकता नहीं है।
- (छ) प्रस्तावक को फार्म में नीचे दिए अनुसार आवश्यक अभिलेख रखने चाहिए :

 - i) दैनिक आधार पर पक्षियों के झुण्ड का रिकॉर्ड - दैनिक स्टॉक रजिस्टर
 - ii) मृत्यु दर संबंधी रिकॉर्ड
 - iii) छँटनी (कलिंग)
 - iv) टीकाकरण का विवरण

- v) आहार उपभोग
 - vi) उत्पादन
 - vii) डीबीकिंग
 - viii) बीमारियों की घटनाएं (पीएम रिकॉर्ड्स)
 - ix) खरीद एवं बिक्री ।
- (ज) फॉर्मस के अंदर बीमारियों अथवा अन्य से प्रभावित शेड्स के अंदर चूजों का प्रतिस्थापन नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् बीमारियों / अन्य किसी कारण से दावा सूचित होने के बाद ।
- (झ) प्रस्तावपत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में दिए गए सभी प्रश्नों का उचित जवाब दिया जाना चाहिए, कोई भी खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए । (प्रस्तावपत्र में इस बात की पुष्टि करने का प्रावधान होना चाहिए कि फार्म के विभिन्न शेड के सभी पक्षी आवरित हैं)
- (ट) पक्षियों में किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना तुरंत संबंधित कार्यालय को दी जानी चाहिए एवं बैच में शामिल किए जाने वाले नए पक्षियों की स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए ।
- (ठ) हित / स्वामित्व के अंतरण की स्वीकृति नहीं है ।
- (ड) पिजरों का उचित रख-रखाव किया जाए एवं वे सामान्य मानकों के हों ।

11. दावा निपटान की प्रक्रिया

(क) दावे की स्वीकार्यता

आधिक्य क्लॉज़ : पॉलिसी के तहत दावा तभी स्वीकार्य होगा जब बीमित आपदा के कारण झूण्ड की मृत्यु दर नीचे दी गई आधिक्य सीमा से अधिक हो :

	मृत्युदर
ब्रॉइलर्स 1 दिन की आयु से लेकर 8 सप्ताह तक की आयु तक के (6 सप्ताह)	प्रत्येक बैच में पक्षियों की संख्या का 5%
लेअर्स 1 दिन की आयु से लेकर 8 सप्ताह तक की आयु तक	पॉलिसी के आरम्भ में प्रत्येक बैच में पक्षियों की संख्या का 5%
9 वें सप्ताह से लेकर 20 वें सप्ताह तक	9 वें सप्ताह के आरम्भ में कुल पक्षियों की संख्या का 3%
21 वें सप्ताह से लेकर 72 सप्ताह तक	21 वें सप्ताह के आरम्भ में एवं उसके बाद प्रत्येक महीने में कुल पक्षियों की संख्या का 1%

(आधिक्य को संचयी आधार पर लागू नहीं किया जाये)

टिप्पणी : ब्रॉइलर्स के मामले में आधिक्य क्लॉज़ को लागू करने का उदाहरण नीचे दिया गया है ।

यदि किसान के पास प्रति बैच 100 पक्षी हो एवं सप्ताहवार मृत्युदर चार्ट निम्नलिखित हो तो लागू किया जाने वाला आधिक्य निम्नानुसार होगा :

सप्ताह	मृत्युदर	सप्ताहवार मूल्यांकन (रु.)	मृत पक्षियों का कुल मूल्य
1	2	14	28
2	5	15	75
3	1	18	18
4	2	22	44
5	1	26	26
6	4	33	132
7	2	39	78
कुल	17	167	401

प्रत्येक पक्षी का औसत मूल्य	= मृत पक्षियों का कुल मूल्य
	= मृत पक्षियों की संख्या (नशरता)
अब 100 पक्षियों का 5%	= 401/17

इसलिए भुगतानयोग्य कुल राशि में रु. $23.59 \times 5 = 117.95$ का आधिक्य काटा जायेगा । इस प्रकार दिए गए मृत्यु दर चार्ट आधार पर निर्धारित औसत मूल्यांकन पर 5% का आधिक्य काटा जाएगा न कि सप्ताहावार प्रथम 5% पक्षियों के आधार पर ।

उपर दी गई मृत्यु दर प्रतिशत से ज्यादा हुई पक्षियों की मृत्यु के लिए ही क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

- (b) कंपनी का दायित्व : बीमाधारक को, पक्षियों की मृत्यु के समय मूल्यांकन तालिका के अनुसार उनके मूल्य के 80% के समतुल्य अथवा दावा स्वीकृति से पूर्व पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया उनका वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, की क्षतिपूर्ति की जाएगी । गम्बोरो (Gumboro) बीमारी के लिए 20% अतिरिक्त आधिक्य लगाया जाएगा ।

12. दावा प्रक्रिया

- पक्षियों की मृत्यु होने पर कंपनी को इसकी तुरंत सूचना दी जानी चाहिए एवं बीमाकर्ता के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज एवं अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए :
 - विधिवत रूप से भरा हुआ दावा पत्र ।
 - नमूने बतौर कुछ पक्षियों की पशु चिकित्सा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ।
 - मृत्यु, आहार का वैनिक रिकॉर्ड ।
 - पक्षी खरीद बीजक (इनवॉइस) ।
 - यथाआवश्यक अन्य कोई तथ्य जैसे फोटोग्राफ, चिकित्सकिय बिल आदि जो कि हानि की पुष्टि करते हों ।
- भयप्रद मृत्यु होने / महामारी फैलने की दशा में 12 घंटे के अंदर कंपनी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए एवं सभी पक्षियों को पृथककृत कर दिया जाय एवं निरीक्षण हेतु उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि अथवा कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।
- कंपनी को साप्ताहिक आधार पर मृत्यु का वैनिक विवरण भिजवाया जाना चाहिए इसके अभाव में संबंधित सप्ताह की रिपोर्ट को शून्य माना जाएगा ।
- दावों की सूचना में देरी नहीं करनी चाहिए । यदि इसमें तीन दिन से अधिक देरी हुई तो दावे को अवमानक दावा माना जाएगा ।
- संदेहास्पद दावों / ऐसे फार्मस् जिनका दावा अनुपात प्रतिकूल हो, के मामलों में दावा निपटान के लिए किसी विशेषज्ञ से तकनीकी रिपोर्ट ली जा सकती है ।

13. साल्वेज

फार्म में महामारी फैलने / किसी प्राकृतिक आपदा के घटने के दौरान बीमाधारक को बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पक्षियों की आकस्मिक बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उन्हें बचाया जा सके अथवा हानि को कम किया जा सके । यदि बीमाधारक यह महसूस करता है कि सप्ताह विशेष में पक्षियों का मूल्य सहमत मूल्यांकन तालिका से कम है तो पॉलिसी की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार बीमाधारक को मृत पक्षियों के मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि का भी भुगतान किया जाएगा ।

14. मानक प्रपत्र

- प्रस्ताव प्रपत्र
- जोखिम को स्वीकार करने के लिए पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र (फिटनेस प्रमाणपत्र)
- दावा प्रपत्र
- दावा के दौरान पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाय (मृत्यु प्रमाणपत्र एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट) ।

श्वान बीमा

1. योजना का क्षेत्र

पॉलिसी की सामान्य शर्तों, प्रतिबंधों एवं अपवर्जनों के अधीन, बीमा अवधि में हुई दुर्घटना एवं/अथवा बीमारी के कारण हुई मृत्यु के लिए श्वानों को बीमित किया जाता है।

2. आयु वर्ग

8 सप्ताह से लेकर 8 वर्ष तक। 8 सप्ताह से कम एवं 10 वर्ष से अधिक की आयु होने पर बीमा नहीं किया जाना चाहिए।

3. नस्त

योजना के तहत देसी मूल, दो-नस्ती एवं विदेशी नस्त के धानों को आवरित किया जाता है। विदेशी एवं पुलिस सुरक्षा में तैनात श्वानों को बीमित करने के लिए प्रधान कार्यालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

4. मूल्यांकन

बीमा को प्रस्तावित करते समय अर्हता प्राप्त पशुचिकित्सक से मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए।

टिप्पणी : प्रति श्वान रु. 50.000/- मूल्य तक के श्वान बीमा को स्वीकार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय अधिकृत ही होता है। यदि मूल्य रु. 50.000/- से अधिक हो तो प्रधान कार्यालय से इसकी पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए।

5. पहचान

निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके से बीमित श्वान की उपयुक्त पहचान होनी चाहिए :

क) गुदाई

ख) नोज प्रिन्ट

ग) फोटोग्राफ

पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में सामान्य पहचान चिह्न एवं नस्त, लिंग, आयु आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पहचान से संबंधित लागत को बीमाधारक द्वारा ही वहन किया जाएगा। पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के साथ विस्तृत नस्त संबंधी रिकॉर्ड एवं कैनल क्लब रिकॉर्ड भी प्राप्त किया जा सकता है।

6. दर निर्धारण

बीमा राशि का 5%

7. अपवर्जन

(क) सामान्य अपवर्जन : पशु बीमा योजना की मद संख्या 7 (क) के अनुसार

(ख) विशेष अपवर्जन :

(i) डिस्ट्रैम्पर, रेबीज, वायरल हिपेटाइट्स, लैप्टोस्पायरस, वायरल एंटीराइटिस जैसी बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु। इन बीमारियों को तभी आवरित किया जाता है जब श्वानों का सफलतापूर्वक टीकाकरण हो जाय एवं इससे संबंधित पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाय।

(ii) जोखिम आरम्भ होने से पूर्व की एवं आरम्भ होने के 15 दिन के अंदर हुई बीमारी।

(iii) परिवहन, प्रदर्शन जोखिम, प्रजनन एवं प्रसव जोखिम, तृतीय पक्ष व्यक्तिगत चोट जब तक कि अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं कर दिया जाय।

8. दावा

कंपनी दावा राशि का 80% एवं बीमाधारक दावा राशि का 20% भाग वहन करेगा, दावा राशि का निर्धारण पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बाजार मूल्य अथवा बीमित राशि जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा।

9. दावा दस्तावेज

(i) विधिवत रूप से भरा हुआ दावा प्रपत्र।

(ii) कंपनी के प्रारूप में मृत्यु संबंधी पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र।

(iii) मानक पोस्ट मॉर्टम प्रारूप में पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट ।

(iv) फोटोग्राफ अथवा अन्य कोई दस्तावेज, यदि आवश्यक हो ।

10. साल्वेज

बीमित श्वान की मृत्यु हो जाने की दशा में तृतीय पक्ष से बीमाधारक को प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य कोई भी राशि एवं वस्तुएँ गए साल्वेज मूल्य, यदि कोई हो, को दावा राशि में से घटा दिया जाएगा ।

11. पॉलिसी का विस्तार

पॉलिसी को निम्नलिखित खंडों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है एवं प्रस्तावक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर किसी भी खंड के अंतर्गत जोखिम आवरण का चयन कर सकता है ।

	अतिरिक्त प्रीमियम की दर
खंड (1) वायु, रेल, सड़क एवं जल द्वारा परिवहन के दौरान दुर्घटना से मृत्यु एवं प्रदर्शन जोखिम	0.5%
खंड (2) दुर्घटनावश जहर खाने से मृत्यु	1.0%
खंड (3) प्रजनन जोखिम क) प्रसव से मृत्यु ख) प्रसव की हानि जबकि पिल्ला मृत ऐदा हो अथवा जन्म से 14 दिन के अंदर मर जाय	0.5% 2.0%
खंड (4) श्वानों का खो जाना या चोरी चला जाना (सेंधमारी अथवा गृहवेधन सहित)	2.0%
खंड (5) प्रदर्शनी के प्रवेश शुल्क (सीमा रु. 250/-) की हानि जबकि कैनल क्लब में पंजीकृत श्वान, दुर्घटना अथवा पॉलिसी के अंतर्गत आवरित दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण प्रदर्शनी में भाग लेने में असमर्थ हो ।	0.25%
खंड (6) कोई दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तो नहीं हो परन्तु जो उसके शो कैरियर को खत्म कर दे, से होने वाली मूल्य की हानि (बीमा राशि का आधा)	0.5%
खंड (7) रु. 5000/- तक का, तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत चोटें एवं सम्पत्ति की क्षति (पशु, कुक्कुट समेत) के प्रति दायित्व ।	1.0%

टिप्पणी : बीमाधारक के परिवार के सदस्यों अथवा कर्मचारियों के प्रति दायित्व इसमें शामिल नहीं है ।

पशु चिकित्सक की फीस को शामिल किया जा सकता है बशर्ते उसकी सेवा से किसी श्वान के जीवन को सफलतापूर्वक बचा लिया गया हो ।

खंड (8)

विश्व व्यापी परिवहन धारा

@ 2%

यह भारत से विश्व के विभिन्न भागों में एवं वापस भारत एवं / अथवा अन्य देशों से भारत के लिए किए जाने वाले परिवहन को आवरित करता है ।

क) किसी भी कारण से मृत्यु जोखिम (प्रसव को छोड़कर) परन्तु जाँच के लिए कैनल में ले जाने की छूट होगी ।

ख) अंतिम गंतव्य स्थल या संग्राही के आगमन के पहले 24 घंटे के बाद आवरण आरंभ होगा ।

टिप्पणी : देश छोड़ने से पहले टीकाकरण संबंधी सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए । अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध पशु बीमा पॉलिसी की तरह होंगे ।

कृषि पम्पसैट बीमा

1. आवरित विषयवस्तु

केवल कृषि के प्रयोगन से प्रयोग में लाए जाने वाले अपकेन्द्रीय पम्प सैट्स (बिजली एवं डीजल/तेल वाली) एवं सबमर्सिबल पम्प सैट्स। इसमें पम्प, ड्राइविंग यूनिट एवं स्टार्टर शामिल होता है।

2. पहचान

बनावट, निर्माण का वर्ष, क्रम संख्या, अश्व शक्ति ।

3. आवरित जोखिम

क) मशीनी / विद्युतीय टूट-फूट

ख) अग्नि एवं तड़ित

ग) चोरी एवं संधमारी (केवल तभी जब कि पम्पसैट स्थायी अहाते में रखा गया हो एवं बलपूर्वक व हिंसक प्रवेश हो लेकिन सबमर्सिबल के लिए लागू नहीं)

घ) दंगा / हड्डताल, दुर्भवनाजन्य क्षति, आतंकवाद

च) बाढ़ (बीमित राशि पर 1% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर, सबमर्सिबल पम्पसैट के लिए बीमित राशि का 1%) ।

4. अपर्वर्जन

i) सामान्य टूटफूट, वायुमण्डलीय स्थितियों अथवा अन्य किसी कारण से क्रमिक ह्वास ।

ii) बीमाधारक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जानबूझकर किया गया घोर लापरवाही पूर्ण कृत्य ।

iii) जोखिम आरम्भ होने के समय विद्यमान खराबी जो बीमित अथवा उसके प्रतिनिधि की जानकारी में थी ।

iv) हानि अथवा क्षति जिसके लिए कानूनन अथवा संविदा के तहत पम्पसैट का निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी हो ।

v) खोलने की लागत, वर्कशॉप ले जाने लाने का भाड़ा एवं पुनरुत्थापन की लागत ।

5. बीमा राशि

आवरण जारी करते समय बाजार मूल्य के 100% अथवा सबमर्सिबल पम्पसैट के लिए अनुलग्नक 'सी' के अनुसार वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य ।

6. प्रीमियम दर

एक वर्ष के लिए बीमा राशि का रु. 1.25% ।

7. छूट

क) नो क्लेम छूट : पम्प सैट्स के बेहतर रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित दरों पर नो क्लेम छूट दी जाती है ।

आगामी वर्ष हेतु नवीकरण पर छूट :

- | | | |
|--|---|------|
| i) यदि एक वर्ष से कोई दावा नहीं हुआ हो | — | 10 % |
| ii) यदि लगातार दो वर्षों से कोई दावा नहीं हुआ हो | — | 15 % |
| iii) यदि लगातार तीन वर्षों से कोई दावा नहीं हुआ हो | — | 20% |

ख) दीर्घावधि छूट

i) 2 वर्ष की पॉलिसी	—	15 %
ii) 3 वर्ष से 5 वर्ष	—	25 %
iii) 6 वर्ष से 9 वर्ष	—	30 %

ग) समूह छूट

पम्पसैट की संख्या

2500 से 5000	—	10%
5001 से 25000	—	15%
25001 से 50000	—	20%
50000 से ऊपर	—	25%

8. व्यवकलनीय मुक्तांश

कृषि पम्पसैट के मरीनी विभंग दावे के मामले में बीमाधारक को दावे की एक निश्चित राशि वहन करनी होगी । सबमर्सिबल पम्पसैट के लिए आधिक्य 1 % अथवा रु. 250/- जो भी अधिक हो, होगी ।

विवरण अनुलग्नक 'ए' में वर्णित हैं ।

9. महत्वपूर्ण बीमालेखन अनुदेश

- निम्नतर बनावट/गुणवत्ता का बीमा करने से बचा जाय ।
- बीमित राशि वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए और न ही अवमूल्यित मूल्य ।
- अश्वाक्षित के अनुसार अधिकतम रिवाइंडिंग खर्च से संबंधित पृष्ठांकन पॉलिसी के साथ जुड़ा होना चाहिए ।
- पम्पसैट की नियमित रूप से सर्विस होनी चाहिए एवं वार्षिक आधार पर पूरी तरह से मरम्मत/जाँच होनी चाहिए ।
- यदि पम्प काम में नहीं लाया जा रहा हो अथवा जब कभी कभार काम में लाया जा रहा हो तो प्रीमियम की वापसी अनुमत नहीं है ।
- सभी दावे 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यहास के अधीन हैं एवं अधिकतम मूल्यहास, पम्पसैट के उत्थापन मूल्य के 75% से अधिक नहीं होगा ।
- सबमर्सिबल पम्प के मामले में जहाँ पम्पसैट ढीक नहीं हो सकता हो तो सम्पूर्ण हानि दावे के लिए कंपनी का दायित्व आकलित हानि का 50% होता है ।
- सबमर्सिबल पम्पसैट के मामले में स्वीकृति पूर्व निरीक्षण करवाया जाना चाहिए ।
- सबमर्सिबल पम्पसैट की प्रीमियम एवं दावों से संबंधित सांख्यिकी, कृषि पम्प सैट के बीमे से अलग रखी जानी चाहिए ।
- 25 अश्व शक्ति से अधिक क्षमता वाले पम्प सैट को इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत बीमित किया जाना चाहिए ।

10. दावा प्रक्रिया

- बीमाधारक हानि के बारे में बीमा कंपनी को तुरंत लिखित में सूचित करेगा ।

- ii) हानि की सूचना, दावा पत्र तथा मशीनी विभंग के मामले में मरम्मत का आकलन एवं सेंधमारी, आलंकवादी कृत्य, दंगा व हड़ताल के मामले में पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति कर कंपनी दावा दर्ज करती है।
- iii) सर्वेक्षण के लिए कंपनी द्वारा एक सक्षम सर्वेक्षक भेजा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो जाँच भी कराई जाएगी।
- iv) मरम्मतकर्ता / सर्वेक्षक से बिल एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावे पर कार्रवाई की जाती है तथा साल्वेज व व्यवकलनीय मुक्तांश को ध्यान में रखते हुए हमारा दायित्व निर्धारित किया जाता है।

11. दायित्व की सीमा

दायित्व की सीमा मरम्मत/क्षति की लागत होती है। रीवाइंडिंग खर्च संबंधी अधिकतम दायित्व अनुलग्नक 'बी' के अनुसार होगा।

12. प्रारूप / दस्तावेज

- क) प्रस्ताव
- ख) पॉलिसी
- ग) दावा प्रपत्र
- घ) आकलन
- च) बिल
- छ) रसीद

पशु चालित गाड़ी बीमा

1. आवरण क्षेत्र

क) पशु चालित गाड़ी की हानि या क्षति

- i) अग्नि द्वारा कुल हानि होने के मामले को छोड़कर अन्य किसी भी दुर्घटना के कारण हानि या क्षति का दावा रु. 50 के आधिक्य के अधीन होगा ।
- ii) जिन वाहनों में न्यूमैटिक या सख्त रबड़ के टायर लगे हों उन मामलों में टायर का मूल्य केवल 50% देय है ।
- iii) दंगा और हड़ताल के कारण हानि या क्षति ।

ख) पशु की मृत्यु या स्थायी विकलांगता

गाड़ी खींचनेवाले पशु की मृत्यु या स्थायी विकलांगता बशर्ते मृत्यु / विकलांगता बीमाकृत गाड़ी की दुर्घटना से और उसके इस्तेमाल किये जाने के दौरान हुई हो और पशु इस पॉलिसी के तहत आवरित किये गये हों ।

ग) तृतीय पक्ष एवं यात्रियों के प्रति दायित्व

- i) बीमाकृत गाड़ी को दुर्घटना के कारण पहुँची चोट, घातक या गैर-घातक तथा तृतीय पक्ष की संपत्तियों को क्षति से उत्पन्न दायित्व जो किसी एक दुर्घटना में रु. 10,000/- तक और पूरे वर्ष में सभी दुर्घटनाओं के लिए रु. 25,000/- तक होगा । यात्रियों को हुई व्यक्तिगत चोट या उनकी मृत्यु भी इस सीमा के अधीन आवरित है ।
- ii) वाहन भरा हो या खाली हो, तब भी यह दायित्व आवरित किया जाता है । लेकिन इसमें ढोये जा रहे माल को हुई क्षति इसमें विस्तारित नहीं है ।
- iii) पॉलिसी, गाड़ी के इस्तेमाल के प्रभार में कोई भेदभाव नहीं करेगी जैसे गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए हो या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो या किराए पर या पारिश्रमिक के लिए इस्तेमाल की जा रही है ।

घ) गाड़ी चलानेवाले व्यक्ति को व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण

रु. 10,000/- की राशि गाड़ी के चालक को देय होती है जब गाड़ी चलाते समय गाड़ी की दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाए और/या पूरे दो पैर या दो हाथ की हानि हों जाये या दोनों आँखों की रोशनी चली जाये और/या पूरा पैर और और/या हाथ और एक आँख की रोशनी चली जाये ।

च) टोईंग प्रभार

गाड़ी को नजदीकी मरम्मतकर्ता के पास ले जाने हेतु रु. 50/- देय होते हैं ।

2. प्रीमियम दरें

गाड़ी और पशुओं के कुल मिलाकर बाजार मूल्य पर 1.40 % की दर से प्रीमियम लगाया जायेगा । बाजार मूल्य में गाड़ी जितने वर्ष इस्तेमाल की जा रही है उन वर्षों की संख्या के लिए योग मूल्यहूस की राशि भी विचारार्थ ली जानी चाहिए । यदि बीमारी के लिए कवर चाहिए हो तो पशु बीमा योजना के अनुसार पशु के लिए लागू प्रीमियम जोड़ा जाना चाहिए ।

वीर्धवधी छूट

3 वर्षों के लिए	15%
5 वर्षों के लिए	25%

समूह छूट

संख्या	छूट
500 से 1000	5%
1001 से 2500	10%
2501 से 5000	15% और अधिक

3. पॉलिसी

मानक विविध दुर्घटना पॉलिसी सैट के साथ ‘‘पशु चालित गाड़ी’’ व्हॉलेज संलग्न किया जाना चाहिए और गाड़ी के संबंध में जानकारी पॉलिसी की अनुसूची के रूप में जोड़ी जानी चाहिए।

4. दावा निपटान

यथायोग्य समय में कंपनी के नजदीकी कार्यालय में संबंधित विवरण सूचित करने के उद्देश्य से मोटर दावा प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि चोरी का मामला हो या तृतीय पक्ष चोट या संपत्ति क्षतियों का मामला हो तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। दावा प्रपत्र के आधार पर हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर या कंपनी के कोई जिम्मेदार अधिकारी गाड़ी की जाँच करेंगे। इस अधिकारी को मरम्मत तथा प्रतिस्थापन का अंदाजा भी जाँचना होगा।

5. दस्तावेज

- क) प्रस्ताव प्रपत्र।
- ख) एडीसी व्हॉलेज मानक विविध पॉलिसी के साथ संलग्न किया जाये।
- ग) दावा प्रपत्र।

बागवानी / बागान (निवेश) बीमा

1. आवरण का क्षेत्र

इस पॉलिसी के तहत बागवानी एवं बागान की निम्न फसलों को आवरित किया जा सकता है।

क) बागवानी फसल

- 1) अंगूर
- 2) नीबू प्रजाति (संतरा, नीबू, मोसंबी)
- 3) चीकू
- 4) अनार
- 5) केला

ख) बागान फसलें

- 1) रबड़
- 2) यूकेलिप्ट्स
- 3) चिनार का वृक्ष
- 4) सागौन लकड़ी
- 5) ऑईल पाम बागान
- 6) सपी प्रकार के पेड़
- 7) गन्ना
- 8) चाय

2. बीमालेखन प्राधिकारी

प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बीमालेखन प्राधिकार केवल प्रधान कार्यालय के पास ही है। क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्ताव के संबंध में अपनी सिफारिश निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रधान कार्यालय को भेजनी चाहिए :

प्रस्ताव पत्र

नई फसल के मामले में अतिरिक्त प्रश्नावली

कृषि / बागवानी विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित निवेश लागत

एक नई फसल के मामले में क्षतिपूर्ति तालिका

अपनाई गई प्रक्रियाओं का पैकेज

प्रधान कार्यालय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सिफारिश भेजने से पहले क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हानि निर्धारण हेतु उन्होंने उचित आधारभूत ढाँचा विकसित कर लिया है। नए एवं नवीकरण दोनों प्रकार के प्रस्तावों के लिए प्रधान कार्यालय का अनुमोदन आवश्यक है।

3. बीमाधारक

क) व्यक्तिगत किसान चाहे वह मालिक हो अथवा किरायेदार उपर्युक्त खेती में लगे हो।

ख) यद्यपि पॉलिसी, निर्दिष्ट फसलों की पैदावार से जुड़े किसानों की किसी एसोसिएशन अथवा किसी संगठित एवं पंजीकृत सभा के नाम जारी की जा सकती है, जहाँ कि ऐसी एसोसिएशन/सभा निवेश प्रक्रिया के प्रबंधन/उत्पादों के विपणन एवं/अथवा अन्य जो कि अनुसूची (जिसे यहाँ संलग्न किया जाएगा एवं जो पॉलिसी का अंग होगी) में दर्ज हों, हेतु इस तरह गठित की गई हो एवं कार्य कर रही हो कि हानि होने की स्थिति में दावे का निर्धारण एवं निपटान व्यक्तिगत आधार पर किया जा सके।

4. आवरित आपदाएँ

पॉलिसी, बीमाधारक को निम्नलिखित आपदाओं में से किसी एक अथवा कई आपदाओं के कारण बीमित पेड़/फल (बीमित फसल के आधार पर जो भी लागू हो) की हुई हानि अथवा क्षति के परिणामस्वरूप हुई निवेश की हानि की सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी :

क) अग्नि (जंगल एवं झाड़ियों की आग सहित)

ख) तड़ित

ग) तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, बरंडर, आँधी, प्रभंजन, घूर्णवायु जिसका कि बीमित क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं तुरंत असर हुआ हो।

घ) बाढ़ एवं आप्लावन (इन जोखिमों को आवरित करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक है)

च) दंगा, हड्डताल एवं दुर्भवनाजन्य क्षति

छ) आतंकवादी कृत्य ।

इनको मानक आपदाएँ कहा गया है एवं ये सभी प्रकार के बीमित फलों की फसलों एवं बागान फसलों के लिए लागू हैं । विशेष फसलों के संबंध में लागू अतिरिक्त / ऐच्छिक आवरण, प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद चयनित आधार पर ही दिए जा सकते हैं ।

5. बीमा की अवधि

निम्नलिखित के अधीन फसल की अवधि अथवा बारह माह (एक वर्ष), जो भी कम हो :

- क) यह पॉलिसी केवल एक सीजन के लिए ही वैध होती है । पॉलिसी की अवधि, प्रीमियम भुगतान की दिनांक से उस सीजन में फसल कटने तक मानी जाती है । पॉलिसी उस सीजन, जिसके लिए पॉलिसी जारी की गई है, में फसल कटने के बाद समाप्त हो जाती है । फलों की उन फसलों के लिए जिनका सीजन एक वर्ष से ज्यादा होता है, उपयुक्त अतिरिक्त प्रीमियम वसूला जाएगा । नीबू प्रजाति के लिए पॉलिसी अवधि, पॉलिसी जारी करने की दिनांक से एक वर्ष होगी ।
- ख) गन्ने की फसल के संबंध में बीमा की अवधि बारह माह (अधिकतम अठारह माह तक) से अधिक की अवधि, जो कि उगाई जाने वाली किस्म के अनुसार आवश्यक हो, के लिए बढ़ाई जा सकती है । इस हेतु बारह माह से अधिक की अवधि के लिए यथानुपात आधार पर अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा ।
- ग) रबर, यूकेलिप्ट्स एवं चिनार तथा पेड़ जहाँ की पौधों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है उसके बाद उन्हें खेतों में लगाया जाता है, के संबंध में बीमा की अवधि, उनके प्रतिरोपण से बारह माह के बाद आरम्भ होगी (नर्सरी आवरित नहीं होती हैं) एवं इन फसलों के लिए पॉलिसी वार्षिक आधार पर जारी की जा सकती है ।

6. बीमा राशि

बीमा राशि खेती अथवा निवेश अर्थात् बीमित पेड़ों को उगाने / विकसित करने की लागत के आधार पर तय होगी ।

पॉलिसी निश्चित बीमित राशि के लिए जारी की जाएगी जो प्रत्येक फसल के लिए अलग है ।

कृपया ध्यान दें कि ग्राहक की आवश्यकता के मद्देनजर प्रधान कार्यालय, संशोधित निवेश लागत धारा / खंड, यदि उचित हो, पर विचार कर सकता है ।

7. प्रीमियम दर

निम्नलिखित दरें न्यूनतम दरें हैं एवं केवल सांकेतिक हैं । फसल, क्षेत्र एवं व्यक्तिगत प्रस्ताव संबंधी अनुभव के आधार पर प्रधान कार्यालय दर तय करेगा । जब तक प्रधान कार्यालय द्वारा दर की पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक प्रीमियम स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

क्र.)	बागानी फसलें	
	नीबू प्रजाति के फल (संतरा, निम्बू, मोसंबी) चीकू, अनार, केला (मानक आवरण)	बीमित राशि का 5%
	अंगूर की फसल (ऐच्छिक आवरण : बेमौसम बरसात एवं तुषार के कारण हानियाँ)	बीमा राशि पर 1.50% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम
ख)	बागान : रबड़, यूकेलिप्ट्स, चिनार, सागौन लकड़ी	बीमित राशि का 1.25%
ग)	गन्ना	बीमित राशि का 1.25%
घ)	ऑर्झिल पाम : भाग 'ए' भाग 'बी'	बीमित राशि का 1.50% बीमित राशि का 2.00%

8. मुक्तांश

- क) यदि निर्धारित किए गए दावे की राशि प्रति एकड़ बीमित राशि के 10% अथवा रु. 1,000/- प्रति प्रभावित एकड़, जो भी कम हो, से अधिक न हो तब तक पॉलिसी के तहत किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ख) यह मुक्तांश धारा गत्रा पॉलिसी के तहत अग्नि संबंधी हानियों के लिए लागू नहीं हैं ।

9. आधिक्य

बीमाधारक प्रति एकड़ निर्धारित दावे के प्रथम 20% भाग को स्वयं वहन करेगा, पॉलिसी के तहत निर्धारित दावे के केवल 80% भाग का ही भुगतान किया जाएगा ।

10. अन्य कटौतियाँ

अपवर्जित आपदाओं में से किसी एक अथवा सभी के कारण एवं/अथवा अनुपयुक्त रखरखाव के कारण हुई हानियों को जोड़कर उन्हें निर्धारित हानि में से घटा दिया जाएगा जिससे कि भुगतान योग्य शुद्ध हानि का निर्धारण किया जा सके ।

11. हानि निर्धारण पद्धति

क) इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझा जाये कि जिस मौसम के लिए पॉलिसी जारी की गई हो उसके दौरान उपगत व्यय ही पॉलिसी के संदर्भ में विचारणीय होंगे । मौसम से पूर्व किए गए व्यय विचारणीय नहीं होंगे । किसी फलोदायान को स्थापित करने संबंधी व्यय स्थापन की दिनांक से ही पॉलिसी की परिधि से बाहर होते हैं ।

ख) क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से यह पॉलिसी एक मूल्यांकित पॉलिसी है एवं बीमाधारक द्वारा वास्तविक उपगत व्ययों के लेखा की विवरणी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है । पूर्व फसल के बाद से लेकर बीमित आपदा के घटित होने की दिनांक तक किए गए खर्चों को ही दावे के उद्देश्य से खर्च हुआ मानते हुए उन पर विचार किया जाएगा । इसलिए दावा किसी भी हालत में इस राशि से अधिक नहीं हो सकता है ।

ग) इस राशि की गणना के लिए पॉलिसी के साथ निवेश धारा के रूप में निवेश का रस्लाइडिंग स्केल जोड़ा जाना चाहिए । फलों की प्रत्येक फसल के लिए यह निवेश धारा पृथक होगी । निवेश धारा में दिए गए प्रतिशत को पॉलिसी में उल्लिखित बीमित राशि पर लागू किया जाएगा ।

घ) पॉलिसी के तहत भुगतान योग्य दावा राशि वह राशि होगी जो निवेश की लागत की राशि, जिस पर कि बीमित आपदा द्वारा पैदावार की हानि हुई हो, पैदावार की हानि का प्रतिशत लागू करने के बाद, निर्धारित हुई हो व मुक्तांश, आधिक्य एवं कटौतियों के अधीन हो ।

12. महत्वपूर्ण पॉलिसी प्रतिबंध

क) यह पॉलिसी केवल “निवेश लागत” के आधार पर ही जारी की जाती है एवं किसी अन्य व्यय/लागत की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है ।

ख) दावा की तुरंत सूचना में हुई चूक पॉलिसी के तहत सभी अधिकारों एवं लाभों को समाप्त कर देगी ।

ग) **औसत का प्रतिबंध**

यदि बीमाधारक के पास किसी एक स्थान पर एक एकड़ से अधिक बागवानी खेती हो तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सभी को बीमित कराए, यदि ऐसा नहीं होता है तो दावा होने की स्थिति में उसका निपटान कुल एकड़ खेती में से बीमित एकड़ खेती के अनुपात में ही किया जाएगा ।

13. दीर्घ अवधि पॉलिसी

यूकेलिप्ट्स एवं ऐसे अन्य पौधों के लिए प्रधान कार्यालय के अनुमोदन के अधीन दीर्घ अवधि पॉलिसी जारी की जा सकती है । यह पूर्ववर्ती शर्त है कि सारा प्रीमियम अग्रिम रूप से वसूला जाएगा ।

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

आवरण :- बाह्य, हिंसक और दृश्य माध्यमों की वजह से हुई दुर्घटना के कारण पूर्णतः और प्रत्यक्ष रूप से पहुँची शारीरिक चोट । यह आवरण विश्वव्यापी है ।

उम्र : 10 वर्ष से 70 वर्ष । लगातार नवीकरण 70 वर्षों के बाद भी अनुमत है । (आवश्यक हो तो लोडिंग के साथ)

लाभ :

1.	मृत्यु	पूँजी बीमा राशि 100%
2.	2 अवयवों या 2 अँखों या 1 अवयव और 1 अँख की क्षति	पूँजी बीमा राशि 100%
3.	1 अवयव या 1 आँख की हानि	पूँजी बीमा राशि 50%
4.	चोटों के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता (पी टी डी)	पूँजी बीमा राशि 100%

पॉलिसी अवधि : व्यक्ति के लिए या समूह जेपीए के लिए पॉलिसी क्रमशः अधिकतम 3 वर्ष व्यक्ति के लिए और 1 वर्ष समूह के लिए जारी की जानी चाहिए ।

बीमा राशि :

बीमा राशि	प्रीमियम (रु.) कोई जी.एस.टी. नहीं
रु. 25,000/-	15/-
रु. 50,000/-	30/-
रु. 75,000/-	45/-
रु. 100,000/-	60/-

रु. 1,00,000/- की बीमा राशि के लिए दीर्घावधि प्रीमियम

वर्ष	निवल प्रीमियम (रु.)	छूट
1	60	शून्य
2	114	5%
3	162	10%

अपवर्जन :

- 1) कोई विद्यमान विकलांगता ।
- 2) जानबूझकर स्वतः चोट, आत्महत्या के कारण मृत्यु, चोट या विकलांगता ।
- 3) शराब या ड्रग के प्रभाव में विकलांगता या मृत्यु ।
- 4) रेसिंग, शूटिंग, विटर स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण, बिग गेम, शिकार के दौरान विकलांगता या मृत्यु ।

दावा प्रक्रिया / आवश्यकता

- 1) बीमा कंपनी को तत्काल सूचना, जिसमें पॉलिसी क्रमांक, पॉलिसी प्रति, दुर्घटना तिथि, विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र और चिकित्सा प्रमाणपत्र तथा बिल होने चाहिए ।
- 2) मृत्यु दावे में नामिति को चाहिए कि मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, एफआईआर प्रस्तुत करें ।

टिप्पणी : प्रीमियम की कोई वापसी नहीं होगी ।

एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पॉलिसियाँ नहीं दी जानी चाहिए ।

किसानों के लिए पैकेज बीमा

- 1. उद्देश्य :** किसानों की संपत्ति को बहुव्यापक आवरण प्रदान करने के लिए किसानों की पैकेज बीमा पॉलिसी शुरू की गई। इसके विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :


खंड / पॉलिसी का विवरण	प्रीमियम दर
I) अग्नि तथा संबंधित जोखिम भूकंप सहित	
क) आवास / मकान (कच्चे के अतिरिक्त)	0.60 प्रति हजार
ख) सामान (आभूषण तथा बहुमूल्य सामान छोड़कर) व्यक्तिगत वस्तुएँ बीमाधारक तथा स्थायी रूप से उसके साथ रहने वाले सदस्यों की संख्या	0.60 प्रति हजार
ग) 'कच्चा' निर्माण में प्रीमियम (क) व (ख) के लिए लोडिंग	4.00 प्रति हजार
II) सेंधमारी, गृहवेधन चोरी व उठाईगिरी सहित	2.40 प्रति हजार
III) कृषि पंप सेट (केवल 25 तक एच पी के लिए)	ए पी एस योजना के अनुसार
IV) जानवरों द्वारा जुती हुई गाड़ी / तांगा / कोच	गाड़ी और जानवरों दोनों के बाजार मूल्य का 1.40%
V) पशुधन / पशु / भेड़ तथा बकरी / ऊँट / घोड़ा इत्यादि	संबंधित योजनाओं के अनुसार
VI) टी. बी. सेट	10.00 प्रति हजार
VII) पैडल साइकिल	20.00 प्रति हजार
VIII) बैगेज बीमा	7.50 प्रति हजार
IX) जनता / ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	जनता व्यक्तिगत दुर्घटना / जी पी ए के अनुसार
X) जन आरोग्य बीमा पॉलिसी	योजना के अनुसार
टिप्पणी : आवरण अधिकतम रु. 10, 000/- प्रति व्यक्ति तक होगा।	

2. बीमालेखन दिशानिर्देश

- (क) यह विभिन्न आवरणों का पैकेज है। पैकेज में शामिल आवरणों पर संबंधित योजनाओं की दर, शर्तें, नियम लागू होंगे।
- (ख) संबंधित आवरणों / अनुभागों के लिए समय समय पर संबंधित तकनीकी विभागों द्वारा जारी सभी बीमालेखन / दावा निर्देश लागू होंगे।
- (ग) आवास इकाई/मकान और सामान का अनुभाग 1 अनिवार्य है।
- (घ) आवास इकाइयों को आवरित करने के अतिरिक्त कोई एक अनुमोदित आर. एन. टी. बी. आवरण लेना अनिवार्य है।
- (च) किसान पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत न्यूनतम तीन आवरण लेने होंगे।

- (छ) अनुभाग छूट के पात्रता के लिए न्यूनतम '4' अनुभाग आवरित होने चाहिए। 4 से अधिक आवरणों के लिए प्रीमियम दर पर 15% की छूट तथा 6 से अधिक आवरणों के लिए 20% की छूट लागू होंगी। अनुभाग 1, 5, 9 तथा 10 के अंतर्गत आवरणों के लिए छूट उपलब्ध नहीं है। किंतु इन अनुभागों को, अनुभागों की संख्या पर पात्रता छूट के उद्देश्य से गिना जाएगा। आवरणके लिए चुने गए अनुभागों के लिए संबंधित / लागू प्रस्ताव प्रपत्र भरा जाना चाहिए। पशु तथा पशुधन / पोलट्री के मामले में संबंधित पशु चिकित्सक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए।
- (ज) योजनाबद्ध पशुओं के आवरण के मामले में 'निवल' प्रीमियम दर लागू होगी।
- (झ) कोई दीर्घावधि पॉलिसी जारी नहीं की जानी चाहिए।
- (त) यदि संबंधित आवरणों के लिए अग्नि/विविध/यू एन टी बी/आर एन टी बी विभागों द्वारा जोखिम पूर्व निरीक्षण सर्वेक्षण या दावा उपरांत निरीक्षण / सर्वेक्षण या अन्य बीमालेखन निर्देश जारी किये जाते हैं तो वे यहाँ भी लागू होंगे।
- (थ) आवरणों / अनुभागों के दावे, जिनका बीमालेखन विविध / यू एन टी बी / अग्नि / तकनीकी विभागों में किया गया था, दावा प्रक्रिया भी संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी या दावों को अंतिम रूप देने से पहले उनसे परामर्श किया जाएगा। यह बेहतर दावा प्रबंधन नियंत्रण के लिए किया गया है।

नोट



हमारे उत्पाद - एक झलक



मेडिक्लेम



फ्लोटर मेडिक्लेम



प्रीमियर मेडिक्लेम



मोटर



टॉप-अप मेडिक्लेम



मरीन



व्यक्तिगत दुर्घटना



इलेक्ट्रॉनिक उपकरण



चोरी, सेंधमारी



गृहस्वामी



अग्नि



कार्यालय सुरक्षा



ग्रामीण



दुकानदार



सर्व जोखिम